प्राधिकरण बोर्ड की 183वीं बैठक हेतु विचारणीय विषयों की कार्य-सूची

तिथि :- 04 दिसम्बर, 2024

समय :- पूर्वाह्न 11.00 बजे

स्थान :- द्वितीय तल स्थित पारिजात सभागार,
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 183वीं बैठक दिनांक 04.12.2024
में विचारणीय प्रस्तावों की विषय सूची

वि.सं.	विषय	पृष्ठ स0
01.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 182वीं बैठक दिनांक 13.09.2024 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	1—9
02.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 182वीं बैठक दिनांक 13.09.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	10—17
03.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की 50वीं वर्षगाठ व Festive Session के उपलक्ष्य में विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का "पहले आओ, पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक पंजीकरण/आवंटन कराये जाने पर विशेष छूट दिये जाने विषयक परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण।	18—25
04.	प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2023—24 के वास्तविक आय—व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2024—25 के पुनरीक्षित आय—व्ययक की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	26
05.	लखनऊ विकास प्राधिकरण में सम्पत्तियों में आवंटित मानक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल होने पर दर निर्धारण तथा धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।	27—28
06.	प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 27.12.2023 मद संख्या—180/05, प्राधिकरण बोर्ड बैठक (परिचालन) दिनांक 13.03.2024, मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या—1372/2024 व अन्य तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या—6531/2024 शकील अहमद व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में।	29—31
07.	अकबर नगर, भीखमपुर तथा बटलर पैलेस से हटाये गये अध्यासियों को प्रधानमंत्री आवास, बसंतकुंज योजना, सेक्टर—आई एवं एन तथा शारदा नगर विस्तार योजना में विस्थापित किया गया है, जिनको फ्लैट के निर्धारित मूल्य पर बिना ब्याज के 10 वर्षों की किश्तों में प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	32—34
08.	श्रीमती रजनी व श्री दिनेश थवानी, भूखण्ड संख्या—डी—678, व्योम खण्ड, गोमती नगर तथा श्री अरविन्द कुमार यादव, भूखण्ड संख्या—बी —365, व्योम खण्ड, गोमती नगर को व्योम खण्ड के कतिपय आवंटियों की भॉति बसंतकुंज योजना में भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में।	35
09.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् योजना के विभिन्न सेक्टरों में भूखण्डों के आवंटन, जमा धनराशि एवं निबंधन आदि के सम्बन्ध में जानकीपुरम् जन सेवा समिति द्वारा की जा रही मांग के सम्बन्ध में।	36—42
10.	प्राधिकरण द्वारा 2000 वर्गमी0 या उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर एकल आवासीय के रूप में आवंटित किये गये भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	43—46
11.	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में निर्मित किये गये व्यवसायिक कॉम्पलेक्स में अनुरक्षण शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।	47

12.	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आई0टी0 सिटी विस्तारित क्षेत्र से आच्छादित ग्राम–मोहारी खुर्द, मोहारी कला व सिद्धपुरा, तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ में क्षेत्रफल 218.4572 हे0 (539.8195 एकड़) भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने विषयक।	48–80
13.	लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा वेल्नेस सिटी योजना के विस्तारित क्षेत्र से आच्छादित ग्राम–मस्तेमऊ, तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ में क्षेत्रफल 51.4117 हे0 (127.0410 एकड़) भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने विषयक।	81–85
14.	मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आई0टी0 सिटी योजना से आच्छादित ग्राम–सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, बक्कास, मोहारी खुर्द, खुजौली व भटवारा, तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ में क्षेत्रफल 686.6615 हे0 (1696.778 एकड़) भूमि को सहमति के आधार पर भू–स्वामी/विकासकर्ताओं की भूमि को समितियों हेतु निर्धारित समायोजन पॉलिसी के अनुसार कुल भूमि की 50 प्रतिशत अविकसित भूमि बल्क सेल के रूप में भू–स्वामी/विकासकर्ताओं को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	86–87
15.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड योजना के अर्जित भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए वर्ष निर्धारण करने के सम्बन्ध में।	88–89
16.	सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत ग्राम–मोहिबुल्लापुर, मोहिउद्दीनपुर, भिठौली खुर्द, खरगपुर जागीर, पहाड़पुर, जाहिदपुर, लखलीलाबाद, आकिलपुर, सिन्दरपुर इनायत अली, सेमरा गौढ़ी, बटहा सबौली व अतरौली की अर्जित भूमि के प्रतिफल की दर पर ब्याज की गणना की तिथि नियत करने के सम्बन्ध में।	90–91
17.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड योजना के क्रियान्वयन हेतु आउटर रिंग रोड से योजना को जोड़ने वाली 60मी0 मार्ग के संरेखण मे आ रही वन विभाग की भूमि को विनिमय कराने, आम सहमति से क्रय करने/भूमि अर्जन करने तथा राज्य सरकार मे दर्ज भूमि के पुनर्ग्रहण करने के सम्बन्ध में।	92
18.	ग्राम–भदरूख, तहसील–सरोजनीनगर, लखनऊ की भूमि खसरा संख्या –324, 325 व 327 कुल 4213.67 वर्गमी0 भूमि के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 (सी) संख्या–26424/2024 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम कृष्ण कुमार बंसल में पारित आदेश दिनांक 16.04.2024 एवं एस0एल0पी0 संख्या–24089/2017 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम कृष्ण कुमार बंसल में पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 के अनुपालन में शासन स्तर पर डी–नोटिफिकेशन सम्बन्धी निर्णय के सम्बन्ध में।	93–116
19.	लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नियोजित कालोनियों में आवासीय भूखण्डों पर अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	117–127

20.	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2023 के अध्याय–8 के प्रस्तर–8.4(V) तथा प्रस्तर–8.4(VI) में संशोधन के अंगीकृत करने के सम्बन्ध में।	**128–130**
21.	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधनों के अंगीकरण के सम्बन्ध में।	**131–142**
22.	भूखण्ड संख्या–KBC–32 एवं KBC–33, सेक्टर–बी, कानपुर रोड योजना को नर्सिंग होम में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	**143–147**
23.	जानकीपुरम् योजना सेक्टर–जे, प्राइमरी स्कूल हेतु नियोजित भूखण्ड क्षेत्रफल 3948.86 वर्गमी0 को हाईस्कूल की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	**148–155**
24.	शारदा नगर योजना के अन्तर्गत हाईस्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 7032.50 वर्ग मी0 के शमन मानचित्र पर लेवी शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति की संस्तुति।	**156–163**
25.	गोमती नगर स्थित भूखण्ड संख्या–सी–2, विभव खण्ड को व्यवसायिक भू–उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	**164–166**
26.	ग्रीन कॉरीडोर के अन्तर्गत आ रही सेना की भूमि के बदले समतुल्य भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	**167–177**
27.	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे निर्माण/विकास कार्यों के सम्पादन हेतु 22 अवर अभियन्ता (सिविल) की क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCUES) लखनऊ द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	**178–183**
28.	लखनऊ शहर के सिटी लॉजिस्टिक प्लान के फाइनल रिपोर्ट की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	**184–186**
29.	प्राधिकरण द्वारा सुल्तानपुर रोड पर आई.टी. सिटी योजना विकसित करने हेतु को–डेवलपर के चयन के सम्बन्ध में।	**187**
30.	इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के सम्बन्ध में ई.ई.एस.एल. द्वारा दिये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	**188–193**
31.	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में।	**194–198**
32.	श्री ओम प्रकाश सिंह, मेट द्वारा अपनी चिकित्सा पर हुए व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में।	**199–200**
	अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य विषय।	

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 182वीं बैठक दिनांक 13 सितम्बर, 2024 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 182वीं बैठक दिनाक 13.09.2024 का कार्यवृत्त दिनांक 19.09.2024 को समस्त मा0 सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। किसी भी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति/सुझाव उपलब्ध नहीं कराये गये है। अस्तु बैठक दिनांक 13.09.2024 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 182वीं बैठक दिनांक 13 सितम्बर, 2024 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की **182वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष डा0 रोशन जैकब, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

उपस्थितिः–

01.	**श्री प्रथमेश कुमार**	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
02.	**श्री उमेश चन्द्र उपाध्याय**	अपर जिलाधिकारी (भू–अर्जन), प्रतिनिधि–जिलाधिकारी, लखनऊ।
03.	**श्री एस0सी0 सिंह**	अधिशासी अभियन्ता, प्रतिनिधि–नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
04.	**श्री मुकेश चन्द्र वार्ष्णेय**	सहायक लेखाधिकारी, कोषागार एवं पेंशन, प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
05.	**श्री दीप कुमार गौतम**	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
06.	**श्री महेश कुमार गौतम**	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
07.	**श्री हितेश कुमार**	नगर नियोजक, प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
08.	**श्री मनोज चौरसिया**	उपायुक्त–उद्योग, प्रतिनिधि–संयुक्त आयुक्त–उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
09.	**डॉ0 कल्याण सिंह**	उपनिदेशक–पर्यटन, प्रतिनिधि–महानिदेशक, पर्यटन, लखनऊ।
10.	**श्री पुष्कर शुक्ला**	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
11.	**श्री पी0एन0 सिंह**	~~सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।~~

अन्य उपस्थितिः–

12.	**श्री विवेक श्रीवास्तव**	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	**श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा**	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	**श्री दीपक सिंह**	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	**श्री के0के0 गौतम**	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	**श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह**	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	**श्री संजय कुमार सिंह**	नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
18.	**श्री मनोज सागर**	अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
19.	**श्रीमती वन्दना पाण्डेय**	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
20.	**श्रीमती रंजना अवस्थी**	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
21.	**श्री रविनन्दन सिंह**	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

मद सं0	विषय	निर्णय
182/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 181वीं बैठक दिनांक 05.07.2024 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
182/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 181वीं बैठक दिनांक 05.07.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

182/3	लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण की वेल्नेस सिटी योजना से आच्छादित ग्राम–बक्कास, मलूकपुर ढकवा, चौरहिया, चौरासी, दुलारमऊ, नूरपुर बेहटा व मस्तेमऊ, तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ की कुल भूमि 1197.984 एकड़ भूमि (अनुमानित अर्जन व्यय रू 1441.26609 करोड़) के अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव किये जाने के सम्बन्ध में।	मा० मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास के सम्बन्ध में दिनांक 19.07.2024 को अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में गठित स्वीकृत एवं निगरानी समिति की बैठक का कार्यवृत्त आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–570/आठ–1–23–1778303 दिनांक 01.08.2024 के माध्यम से निर्गत किया गया है, जिसमें प्रस्तावित वेल्नेस सिटी परियोजना में आ रही निजी विकासकर्ताओं की भूमि को परियोजना से पृथक करते हुए संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। सम्यक् विचारोपरान्त मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण की वेल्नेस सिटी योजना से आच्छादित ग्राम–बक्कास, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ, नूरपुर बेहटा व मस्तेमऊ, तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ की कुल भूमि 1197.9843 एकड. (अनुमानित अर्जन व्यय रू0 1441.26609 करोड़) के अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
182/4	लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण की आई0टी0 सिटी योजना से आच्छादित ग्राम–बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़ नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, खुजौली व भटवारा, तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ की कुल भूमि 1710.2433 एकड़ भूमि (अनुमानित अर्जन व्यय रू 1030.30774 करोड़) के अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव किये जाने के सम्बन्ध में।	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 01.07.2024 के माध्यम से रजिस्ट्रार, गौतम बुद्ध, विश्वविद्यालय, नोएडा एवं उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को लखनऊ विकास प्राधिकरण की आई0टी0 सिटी योजना के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात आंकलन हेतु तकनीकी/वित्तीय प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। प्रस्तावित योजना हेतु अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उक्त प्रेषित प्रस्ताव में होने वाले व्यय के रूप में अपेक्षित धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसमें कुछ भूमि अंसल ए0पी0आई0 की भी सम्मिलित हो गई है। अवगत कराया गया कि प्रस्तावित भूमि 1710.2433 एकड़ के स्थान पर 1696.778 एकड़ है तथा इसका अनुमानित अर्जन व्यय रू 1030.30774 करोड़ के स्थान पर 9679.838 करोड़ है।

निर्गत कार्यवृत्त में मद संख्या–182/4(पृ0सं0–2 व 3 पर) लिये गये निर्णय में अनुमानित अर्जन व्यय रू0 967.9838 करोड़ के स्थान पर टंकण त्रुटिवश रू0 9679.838 करोड़ अंकित हो गया है, जिसे रू0 967.9838 करोड़ पढ़े जाने हेतु शुद्धिपत्र दिनांक 26.09.2024 समस्त मा0 सदस्यों को प्रेषित किया गया है।

		सम्यक् विचारोपरान्त मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आई0टी0 सिटी योजना से आच्छादित ग्राम– बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, खुजौली व भटवारा, तहसील–मोहनलाल गंज, लखनऊ की कुल 1696.778 एकड़ भूमि (अनुमानित अर्जन व्यय रू 9679.838 करोड़) के अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
182/5	लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा पट्टे पर आवंटित भूखण्ड, जिनमें निर्धारित वार्षिक किराये में 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 30 वर्षों की अवधि के उपरान्त 30–30 वर्षीय दो नवीनीकरण किये जाने के अधिकार पट्टाधारक को पट्टादाता द्वारा प्रदान किये गये है, में पट्टावधि प्रभावी होने के परिप्रेक्ष्य में नामान्तरण की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नांकित बिन्दुओं के आलोक में अपेक्षित कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गयाः– 1. प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमियों हेतु विषय संख्या–18 पर पारित निर्णय दिनांक 05.08.2023 को अवक्रमित करते हुये इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की पट्टागत भूमियाँ, जिनकी पट्टा अवधि वर्तमान में प्रभावी है, के पट्टाधारक के उत्तराधिकारियों/वसीयतधारकों/अन्तरणीय के पक्ष में नामान्तरण की कार्यवाही वर्तमान प्रभावी उ०प्र० शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग द्वारा जारी नामान्तरण प्रभारों के उग्रहण नियमावली दिनांक 25.07.22 के अनुरूप सम्पादित की जाये तथा फ्री–होल्ड/पट्टे का नवीनीकरण की कार्यवाही शासन द्वारा नवीन नीति जारी हो जाने के उपरान्त निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाये। 2. यदि किसी पट्टाधारक/उत्तराधिकारी/अन्तरणी द्वारा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के भूखण्ड को उपविभाजित करके विभाजित भाग का नामान्तरण किये जाने का अनुरोध किया जाता है, तो नियमानुसार पूर्व से प्रभावी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमियों हेतु पारित प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय दिनांक 25.11.1993/02.12.1993 तथा प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय दिनांक 09.07.2005 के अनुरूप कार्यवाही सम्पादित की जायेगी तथा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट जो भूमियों सीधे फ्री–होल्ड विक्रीत की जा चुकी है, के विभाजित भाग का नामान्तरण /उपविभाजन किये जाने की दशा में अद्यतन जिलाधिकारी सर्किल दर के आवासीय भू–उपयोग पर 01 प्रतिशत उपविभाजन शुल्क के रूप में जमा कराते हुये नामान्तरण की कार्यवाही की जायेगी। (चूँकि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट/नगर महापालिका की भूमियों/योजना इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा पूर्व में विकसित की जा चुकी है)। 3. इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमियों हेतु निष्पादित आवंटन /पट्टा विलेखों में जो भी शर्तें अंकित की गयी है, वह लागू रहेगी। इस सम्बन्ध में यदि शासन द्वारा भविष्य में कोई दिशा निर्देश निर्गत किये जाते है, तो वह पट्टाधारक/

		पट्टादाता दोनो की ही मान्य होगे। 4. इसके अतिरिक्त इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की समाप्त पट्टागत भूमियों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही शासन द्वारा नवीन नीति सृजित किये जाने तक नही की जायेगी। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
182/6	गोमती नगर क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष खण्ड में 764 वर्ग मीटर तथा विनम्र खण्ड में 1674.38 वर्गमी0 भूमि 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु विद्युत विभाग को हस्तगत करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लेसा विभाग की मांग को दृष्टिगत रखते हुए दो स्थलों पर क्रमशः गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विशेष खण्ड में 764 वर्गमी0 तथा विनम्र खण्ड में 1674.38 वर्गमी0 भूमि, विद्युत विभाग को लीज पर 90 वर्षीय पट्टा रू0 1/– वार्षिक लीज रेन्ट की दर, पूर्ण पट्टा अवधि हेतु रू0 10.00 (रूपया दस मात्र) एक मुश्त भुगतान के आधार पर आवंटित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
182/7	कानपुर रोड योजना में स्थित डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में निर्मित डा0 भीमराव अम्बेडकर सभागार को आउटसोर्स के माध्यम से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त कानपुर रोड योजना स्थित डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में निर्मित डा0 भीमराव अम्बेडकर सभागार का संचालन आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
182/8	लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित बहुमंजिली इमारतों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित बहुमंजिली इमारतों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति, ड्राफ्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गयेः– 1. ड्राफ्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी का अनुमोदन शासन स्तर से प्राप्त किया जाय। 2. मानचित्र स्वीकृति के समय स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवम् भवन स्वामी से प्रस्तावित भवन की आयु के सम्बन्ध में भी शपथ–पत्र के माध्यम से घोषणा पत्र प्राप्त किया जाय। 3. भवन का पूर्णतः प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त प्रत्येक 05 वर्ष में भवन का स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराया जाय तथा अग्निशमन विभाग की एन0ओ0सी0 से इसे लिंक किया जाय। 4. भवन के स्ट्रक्चरल सेफ्टी हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर/कन्सल्टेन्ट्स/फर्म का पैनल बनाने की कार्यवाही प्राधिकरण स्तर पर की जाय।

		उपरोक्त बिन्दु–02 एवम् 03 को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों में सम्मिलित कर अनिवार्य किया जाय। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
182/9	RFP for consultancy service for Prepration of ZDP for proposed TOD Zone along Lucknow Metro and Zonal Plan of LDA के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ महायोजना–2031 (संशोधित कन्वर्जन) में चिन्हांकित TOD क्षेत्र के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में कन्सल्टेन्ट के चयन हेतु Floated RFP का कार्योत्तर अनुमोदन तथा महायोजना में निर्धारित जोनों के जोनल प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में कंसलटेन्ट के चयन हेतु तैयार RFP के अनुमोदन विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित करते हुए अपेक्षित कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
182/10	रिंग रोड (किसान पथ), शहीद पथ एवं ग्रीन कॉरीडोर के समानांतर मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर गहराई में टी0ओ0डी0 क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा रिंग रोड (किसान पथ), शहीद पथ एवं ग्रीन कॉरीडोर के समानांतर मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर गहराई में टी0ओ0डी0 जोन के रूप में विशेष सुख–सुविधा के अन्तर्गत अधिसूचित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। शासन से सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त जन–सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने की कार्यवाही की जायेगी।
182/11	छावनी क्षेत्र स्थित सर्वे संख्या–122, रानी लक्ष्मी बाई मार्ग पर अतिक्रमण कर काबिज व्यक्तियों को पुर्न–विस्थापित करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा छावनी क्षेत्र स्थित सर्वे संख्या–122, रानी लक्ष्मी बाई वार्ड मार्ग पर अतिक्रमण कर काबिज 18 अतिक्रमणकर्ताओं को बटलर पैलेस के अतिक्रमणकर्ताओं की भांति विस्थापन नीति के अन्तर्गत बसंतकुंज योजना के भवनों में आवंटन सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
	अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अनुपूरक विषय	
अनु0वि0 182/1	सोलर एनर्जी संयत्र हेतु टॉप रूफ फ्लोर पर सोलर पैनल लगाये जाने, वृक्षारोपण एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधान सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में प्रस्ताव शासन को प्रेषित करते हुए जारी कार्यालय आदेश के अनुसार आवेदक द्वारा सोलर एनर्जी संयत्र, वृक्षारोपण तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में प्रतिभूति राशि एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करायी जा रही है। उक्त प्रतिभूति मानचित्र स्वीकृति/शमनित से पूर्व जमा कराने के कारण मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में अधिक समय लग रहा है एवं आम जन को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तत्क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड

		द्वारा उपरोक्त प्रतिभूति राशि मानचित्र स्वीकृति/शमनित के समय अन्य शुल्कों के साथ प्राधिकरण कोष में जमा कराये जाने एवं संबंधित कार्य पूर्ण होने पर ही उक्त प्रतिभूति धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

(प्रथमेश कुमार)
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

<u>अनुमोदित</u>

(डा0 रोशन जैकब)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 182वीं बैठक
दिनांक 13.09.2024 की उपस्थिति

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	डा0 रोशन जैकब, अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।		[signature]
2.	श्री सूर्यपाल गंगवार, जिलाधिकारी, लखनऊ। उमेश चन्द्र आर्य प्रतिनिधि -	9454416488	[signature]
3.	प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9999826006	[signature]
4.	श्री इन्द्रजीत सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ। S. C. Singh Ex Engr	8810715945	[signature]
5	प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।		
6	प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन। प्रतिनिधि अपर निदेशक ATO कोषागार [illegible]	9837458332	[signature]
7	श्री हितेश कुमार, नगर नियोजक, प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।	6388612234	[signature]
8	श्री दीप कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	9795810089	[signature]
9	श्री महेश कुमार गौतम, अधिशासी अभियन्ता प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।	9473941836	[signature]
10	श्री मनोज चौरसिया, उपायुक्त–उद्योग, प्रतिनिधि–संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।	9454511540	[signature]
11	डॉ0 कल्याण सिंह, उपनिदेशक, पर्यटन, लखनऊ। प्रतिनिधि–महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0।	9444666444	[signature]
12	श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9415464495	[signature]
13	श्री पी0एन0 सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9936207161	[signature]

कार्यालय सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

पत्रांक 285/सचिव–प्रा0भ0 बोर्ड/2024–25 दिनांक 26 सितम्बर, 2024

शुद्धि पत्र

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 182वीं बैठक दिनांक 13.09.2024 को सम्पन्न हुई। प्राधिकरण बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों के सापेक्ष कार्यवृत्त समस्त सदस्यों को पत्रांक–282/सचिव, प्रा0भ0 बोर्ड/2024–25 दिनांक 19.09.2024 द्वारा प्रेषित किया गया था। निर्गत कार्यवृत्त में मद संख्या–182/4 (पृष्ठ संख्या–2 व 3 पर) पर लिये गये निर्णय में अनुमानित अर्जन व्यय रू0 967.9838 करोड़ के स्थान पर टंकण त्रुटिवश रू0 9679.838 करोड़ अंकित हो गया है।

अतएव प्राधिकरण बोर्ड की 182वीं बैठक दिनांक 13.09.2024 के मद संख्या–182/4 (पृष्ठ संख्या–2 व 3 पर) पर पारित निर्णय में उल्लिखित अनुमानित अर्जन व्यय रू0 9679.838 करोड़ के स्थान पर व्यय रू0 967.9838 करोड़ पढ़ा जाय।

यह शुद्धि पत्र उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दिनांक 26.09.2024 के क्रम में जारी किया जा रहा है।

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. मा0 अध्यक्ष/आयुक्त महोदया, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
5. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11. संयुक्त आयुक्त–उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
12. श्री पी0एन0 सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
13. श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
14. अन्य सम्बन्धित/गार्ड फाइल।

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव

विषयः— लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 182वीं बैठक दिनांक 13 सितम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 181वीं बैठक दिनांक 05.07.2024 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

अनुपालन नोट किया गया।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 181वीं बैठक दिनांक 05.07.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

अनुपालन नोट किया गया।

विषय संख्या : 3 लखनऊ—सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण की वेल्नेस सिटी योजना से आच्छादित ग्राम—बक्कास, मलूकपुर ढकवा, चौरहिया, चौरासी, दुलारमऊ, नूरपुर बेहटा व मस्तेमऊ, तहसील—मोहनलालगंज, लखनऊ की कुल भूमि 1197.984 एकड़ भूमि (अनुमानित अर्जन व्यय रू 1441.26609 करोड़) के अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : मा० मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास के सम्बन्ध में दिनांक 19.07.2024 को अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में गठित स्वीकृत एवं निगरानी समिति की बैठक का कार्यवृत्त आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या—570/आठ—1—23—1778303 दिनांक 01.08.2024 के माध्यम से निर्गत किया गया है, जिसमें प्रस्तावित वेल्नेस सिटी परियोजना में आ रही निजी विकासकर्ताओं की भूमि को परियोजना से पृथक करते हुए संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

सम्यक् विचारोपरान्त मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण की वेल्नेस सिटी योजना से आच्छादित ग्राम—बक्कास, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ, नूरपुर बेहटा व मस्तेमऊ, तहसील—मोहनलालगंज, लखनऊ की कुल भूमि 1197.9843 एकड (अनुमानित अर्जन व्यय रू0 1441.26609 करोड़) के अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 29.09.2024 को प्रकाशन कराया गया है।

विषय संख्या : 4 लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण की आई0टी0 सिटी योजना से आच्छादित ग्राम–बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़ नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, खुजौली व भटवारा, तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ की कुल भूमि 1710.2433 एकड़ भूमि (अनुमानित अर्जन व्यय रू 1030.30774 करोड़) के अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 01.07.2024 के माध्यम से रजिस्ट्रार, गौतम बुद्ध, विश्वविद्यालय, नोएडा एवं उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को लखनऊ विकास प्राधिकरण की आई0टी0 सिटी योजना के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात आंकलन हेतु तकनीकी/वित्तीय प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

प्रस्तावित योजना हेतु अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उक्त प्रेषित प्रस्ताव में होने वाले व्यय के रूप में अपेक्षित धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसमें कुछ भूमि अंसल ए0पी0आई0 की भी सम्मिलित हो गई है। अवगत कराया गया कि प्रस्तावित भूमि 1710.2433 एकड़ के स्थान पर 1696.778 एकड़ है तथा इसका अनुमानित अर्जन व्यय रू 1030.30774 करोड़ के स्थान पर 967.9838 करोड़ है।

सम्यक् विचारोपरान्त मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आई0टी0 सिटी योजना से आच्छादित ग्राम–बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, खुजौली व भटवारा, तहसील–मोहनलाल गंज, लखनऊ की कुल 1696.778 एकड़ भूमि (अनुमानित अर्जन व्यय रू 967.9838 करोड़) के अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपालन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में विभागीय पत्र संख्या–963/एसी/प्र/2024 दिनांक 23.09.2024 के माध्यम से

अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया है। साथ ही दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 29.09.2024 को प्रकाशन कराया गया है।

विषय संख्या : 5

लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा पट्टे पर आवंटित भूखण्ड, जिनमें निर्धारित वार्षिक किराये में 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 30 वर्षों की अवधि के उपरान्त 30–30 वर्षीय दो नवीनीकरण किये जाने के अधिकार पट्टाधारक को पट्टादाता द्वारा प्रदान किये गये है, में पट्टावधि प्रभावी होने के परिप्रेक्ष्य में नामान्तरण की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नांकित बिन्दुओं के आलोक में अपेक्षित कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गयाः–

1. प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमियों हेतु विषय संख्या–18 पर पारित निर्णय दिनांक 05.08.2023 को अवक्रमित करते हुये इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की पट्टागत भूमियाँ, जिनकी पट्टा अवधि वर्तमान में प्रभावी है, के पट्टाधारक के उत्तराधिकारियों/वसीयतधारकों/अन्तरणीय के पक्ष में नामान्तरण की कार्यवाही वर्तमान प्रभावी उ०प्र० शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग द्वारा जारी नामान्तरण प्रभारों के उग्रहण नियमावली दिनांक 25.07.22 के अनुरूप सम्पादित की जाये तथा फ्री–होल्ड/पट्टे का नवीनीकरण की कार्यवाही शासन द्वारा नवीन नीति जारी हो जाने के उपरान्त निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाये।

2. यदि किसी पट्टाधारक/उत्तराधिकारी/अन्तरणी द्वारा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के भूखण्ड को उपविभाजित करके विभाजित भाग का नामान्तरण किये जाने का अनुरोध किया जाता है, तो नियमानुसार पूर्व से प्रभावी इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमियों हेतु पारित प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय दिनांक 25.11.1993/02.12.1993 तथा प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय दिनांक 09.07.2005 के अनुरूप कार्यवाही सम्पादित की जायेगी तथा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट जो भूमियों सीधे फ्री–होल्ड विक्रीत की जा चुकी है, के विभाजित भाग का नामान्तरण/उपविभाजन किये जाने की दशा में अद्यतन जिलाधिकारी सर्किल दर के आवासीय भू–उपयोग पर 01 प्रतिशत उपविभाजन शुल्क के रूप में जमा कराते हुये नामान्तरण की कार्यवाही की जायेगी। (चूँकि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट/नगर महापालिका की भूमियों/योजना इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा पूर्व में विकसित की जा चुकी है)।

3. इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमियों हेतु निष्पादित आवंटन/पट्टा विलेखों में जो भी शर्तें अंकित की गयी है, वह लागू रहेगी। इस सम्बन्ध में यदि शासन द्वारा भविष्य में कोई दिशा निर्देश निर्गत किये जाते है, तो वह पट्टाधारक/पट्टादाता दोनो की ही मान्य होगे।

4. इसके अतिरिक्त इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की समाप्त पट्टागत भूमियों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही शासन द्वारा नवीन नीति सृजित किये जाने तक नही की जायेगी।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है।

विषय संख्या : 6

गोमती नगर क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष खण्ड में 764 वर्ग मीटर तथा विनम्र खण्ड में 1674.38 वर्गमी0 भूमि 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु विद्युत विभाग को हस्तगत करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त लेसा विभाग की मांग को दृष्टिगत रखते हुए दो स्थलों पर क्रमशः गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विशेष खण्ड में 764 वर्गमी0 तथा विनम्र खण्ड में 1674.38 वर्गमी0 भूमि, विद्युत विभाग को लीज पर 90 वर्षीय पट्टा रू0 1/– वार्षिक लीज रेन्ट की दर, पूर्ण पट्टा अवधि हेतु रू0 10.00 (रूपया दस मात्र) एक मुश्त भुगतान के आधार पर आवंटित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विशेष खण्ड में 764 वर्गमी0 तथा विनम्र खण्ड में 1674.38 वर्गमी0 भूमि विद्युत विभाग को लीज पर 90 वर्षीय पट्टा रू0 1/– वार्षिक लीज रेन्ट की दर, पूर्ण पट्टा अवधि हेतु रू0 10/– एक मुश्त भुगतान के आधार पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा दिनांक 29.09.2024 को प्रदान की गई है। विशेष खण्ड में चयनित स्थल हेतु पत्र संख्या–1730/प्र0अधि0सं0/बल्क सेल/24 व विनम्र खण्ड में चयनित स्थल हेतु पत्र संख्या–1729/प्र0अधि0सं0/बल्क सेल/24 दिनांक 10.10.2024 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड (गोमती नगर) मध्यांचल विद्युत निगम लि0 को सूचित कर दिया गया है।

विषय संख्या : 7

कानपुर रोड योजना में स्थित डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में निर्मित डा0 भीमराव अम्बेडकर सभागार को आउटसोर्स के माध्यम से संचालन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त कानपुर रोड योजना स्थित डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में निर्मित डा0 भीमराव अम्बेडकर सभागार का संचालन आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में कानपुर रोड योजना में स्थित डा0 राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में निर्मित डा0 भीमराव अम्बेडकर सभागार को आउटसोर्स के माध्यम से संचालन किये जाने हेतु निविदा संख्या–45/ई–निविदा/मु0अ0/2024 दिनांक 19.09.2024 के माध्यम से ई0ओ0आई0 आमंत्रित की गयी है, जिसके अनुपालन में टेण्डर आई0डी0 2024_LDAUP_958703_1 दिनांक 24.09.2024 को अपलोड की जा चुकी है।

विषय संख्या : 8

लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित बहुमंजिली इमारतों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित बहुमंजिली इमारतों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति, ड्राफ्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गयेः–

1. ड्राफ्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी का अनुमोदन शासन स्तर से प्राप्त किया जाय।
2. मानचित्र स्वीकृति के समय स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवम् भवन स्वामी से प्रस्तावित भवन की आयु के सम्बन्ध में भी शपथ–पत्र के माध्यम से घोषणा पत्र प्राप्त किया जाय।
3. भवन का पूर्णतः प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त प्रत्येक 05 वर्ष में भवन का स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराया जाय तथा अग्निशमन विभाग की एन0ओ0सी0 से इसे लिंक किया जाय।
4. भवन के स्ट्रक्चरल सेफ्टी हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर/कन्सल्टेन्ट्स/फर्म का पैनल बनाने की कार्यवाही प्राधिकरण स्तर पर की जाय।

उपरोक्त बिन्दु–02 एवम् 03 को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों में सम्मिलित कर अनिवार्य किया जाय।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के बिन्दु संख्या–1 ड्राफ्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी का अनुमोदन शासन स्तर से प्राप्त किये जाने के क्रम में **प्राधिकरण के पत्र संख्या–356/सचिव/मु0न0नि0/24, दिनांक 08.11.2024 के माध्यम से बिन्दु संख्या–2** मानचित्र स्वीकृति के समय स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवम् भवन स्वामी से प्रस्तावित भवन की आयु के सम्बन्ध में भी शपथ–पत्र के माध्यम से घोषणा पत्र प्राप्त किये जाने तथा **बिन्दु संख्या–3** भवन का पूर्णतः प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त प्रत्येक 05 वर्ष में भवन का स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराने तथा अग्निशमन विभाग की

एन०ओ०सी० से इसे लिंक किये जाने हेतु शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करने तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों में सम्मिलित कराने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। **बिन्दु संख्या–4** भवन के स्ट्रक्चरल सेफ्टी हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर/कन्सल्टेन्ट्स/फर्म का पैनल बनाने हेतु कन्सल्टेन्ट चयन हेतु EOI तैयार कराकर EOI को Float किया जा चुका है।

विषय संख्या : 9

RFP for consultancy service for Prepration of ZDP for proposed TOD Zone along Lucknow Metro and Zonal Plan of LDA के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ महायोजना–2031 (संशोधित कन्वर्जन) में चिन्हांकित TOD क्षेत्र के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में कन्सल्टेन्ट के चयन हेतु Floated RFP का कार्योत्तर अनुमोदन तथा महायोजना में निर्धारित जोनों के जोनल प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में कंसलटेन्ट के चयन हेतु तैयार RFP के अनुमोदन विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित करते हुए अपेक्षित कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

अनुपालन

- प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में स्वीकृत लखनऊ महायोजना–2031 (संशोधित कन्वर्जन) में चिन्हांकित TOD क्षेत्र के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान (ZDP) तैयार किये जाने के संबंध में कन्सल्टेन्ट के चयन हेतु RFP को थ्सवंज किया गया। Floated RFP के सापेक्ष 07 बिडर्स मे से 06 बिडर्स की टेण्डर फीस एवं ई0एम0डी0 फीस का सत्यापन लेखा विभाग द्वारा किया गया। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–03, उ0प्र0 शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 29.08.2024 के क्रम में गठित टेक्निकल इवेल्यूएशन समिति के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के पत्र संख्या–345/सचिव/मु0न0नि0/24, दिनांक 05.11.2024 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को प्रेषित किया गया है।
- प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में महायोजना में निर्धारित जोनों के जोनल प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में कन्सल्टेन्ट के चयन हेतु अनुमोदित RFP को Float किया गया है। Floated RFP की प्री–बिड–मीटिंग दिनांक 14.10.2024 को आयोजित की गयी। उक्त Floated RFP पर विभिन्न फर्मो एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा Queries/ Suggestion दिये गये है। प्राप्त Queries/Suggestion का समुचित निराकरण करते हुए Pre-Bid query reply एवं Corrigendum विभागीय पत्रांक–239/सीटीपी/24, दिनांक 30.10.2024 के माध्यम से वेबसाईट पर Upload/Float किया गया है। RFP Submission की संशोधित अन्तिम तिथि 18.11.2024 व Bid opening तिथि 19.11.2024 है।

विषय संख्या : 10	रिंग रोड (किसान पथ), शहीद पथ एवं ग्रीन कॉरीडोर के समानांतर मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर गहराई में टी0ओ0डी0 क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा रिंग रोड (किसान पथ), शहीद पथ एवं ग्रीन कॉरीडोर के समानांतर मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर गहराई में टी0ओ0डी0 जोन के रूप में विशेष सुख–सुविधा के अन्तर्गत अधिसूचित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। शासन से सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त जन– सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने की कार्यवाही की जायेगी।
अनुपालन	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में रिंग रोड (किसान पथ), शहीद पथ एवं ग्रीन कॉरीडोर के समानांतर मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर गहराई में टी0ओ0डी0 जोन के रूप में विशेष सुख–सुविधा के अन्तर्गत अधिसूचित करने के संबंध में जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्राधिकरण के पत्र संख्या–332/सचिव/मु0न0नि0 /2024, दिनांक 26.10.2024, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जा चुका है।
विषय संख्या : 11	छावनी क्षेत्र स्थित सर्वे संख्या–122, रानी लक्ष्मी बाई मार्ग पर अतिक्रमण कर काबिज व्यक्तियों को पुर्न– विस्थापित करने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा छावनी क्षेत्र स्थित सर्वे संख्या–122, रानी लक्ष्मी बाई वार्ड मार्ग पर अतिक्रमण कर काबिज 18 अतिक्रमणकर्ताओं को बटलर पैलेस के अतिक्रमणकर्ताओं की भांति विस्थापन नीति के अन्तर्गत बसंतकुंज योजना के भवनों में आवंटन सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
अनुपालन	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में छावनी क्षेत्र स्थित सर्वे संख्या–122, रानी लक्ष्मी बाई मार्ग, लखनऊ पर अतिक्रमण कर काबिज 18 अध्यासियों को पुनर्विस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार अध्यासियों को फ्लैट आवंटन से पूर्व नियमानुसार पंजीकरण धनराशि जमा कर आवेदन पत्र भरने की सूचना मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद को दिनांक 28.09.2024 को प्रेषित कर दी गई है। पत्र प्रेषित करने के उपरान्त छावनी परिषद की ओर से प्राधिकरण में सम्पर्क किया गया, जिसको उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण कराये जाने हेतु प्रभारी–पीएमएवाई द्वारा व्यक्तिगत रूप से अवगत करा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य विषय

अ0वि0सं0 : 01 सोलर एनर्जी संयत्र हेतु टॉप रूफ फ्लोर पर सोलर पैनल लगाये जाने, वृक्षारोपण एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधान सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में प्रस्ताव शासन को प्रेषित करते हुए जारी कार्यालय आदेश के अनुसार आवेदक द्वारा सोलर एनर्जी संयत्र, वृक्षारोपण तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में प्रतिभूति राशि एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करायी जा रही है। उक्त प्रतिभूति मानचित्र स्वीकृति/ शमनित से पूर्व जमा कराने के कारण मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में अधिक समय लग रहा है एवं आम जन को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

तत्क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रतिभूति राशि मानचित्र स्वीकृति/ शमनित के समय अन्य शुल्कों के साथ प्राधिकरण कोष में जमा कराये जाने एवं संबंधित कार्य पूर्ण होने पर ही उक्त प्रतिभूति धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपालन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अनुपालन किया जा रहा है।

विषय संख्या : 03 पृष्ठ संख्या : 18

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की 50वीं वर्षगाठ व Festive Session के उपलक्ष्य में विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का "पहले आओ, पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक पंजीकरण/आवंटन कराये जाने पर विशेष छूट दिये जाने विषयक परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की 50वीं वर्षगाठ व Festive Session के उपलक्ष्य में विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का "पहले आओ, पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक पंजीकरण/आवंटन कराये जाने पर विशेष छूट दिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव मा0 सदस्यों द्वारा परिचालन के माध्यम से पारित किया गया था, जो पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत है।

20/11/24

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

उपाध्यक्ष कार्यालय
लखनऊ विकास प्राधिकरण
कम्प्यूटर संख्या 16292
दिनांक 21/10/2024

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
4. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ।
6. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. संयुक्त आयुक्त–उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
11. श्री पी0एन0 सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
12. श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्रांक–289/सचिव, प्रा0भ0 बोर्ड/2024–25 दिनांक : 21 अक्टूबर, 2024

विषयः–परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय,

लखनऊ विकास प्राधिकरण की 50वीं वर्षगाठ व Festive Session के उपलक्ष्य में विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का "पहले आओ, पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक पंजीकरण/आवंटन कराये जाने पर विशेष छूट दिये जाने विषयक प्रस्ताव पर मा0 बोर्ड अध्यक्ष/आयुक्त महोदया, लखनऊ मण्डल व बोर्ड के सदस्यों द्वारा सहमति/अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोपरि।

P.A.
Pl speak
25 → 22
21/10/24

भवदीय,

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त महोदया, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को संलग्नक सहित सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव

PA
24/10/2024
Sec.
24/11

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

सेवा में,

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
5. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11. संयुक्त आयुक्त–उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
12. श्री पी0एन0 सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
13. श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्रांक–288/सचिव, प्रा0भ0 बोर्ड/2024–25 दिनांक :21 अक्टूबर, 2024

विषयः– परिचालन के माध्यम से सहमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की गत 182वीं बैठक दिनांक 13.09.2024 को सम्पन्न हुई थी। वर्तमान में प्राधिकरण बोर्ड की बैठक प्रस्तावित नहीं है, जबकि जनहित के एक प्रस्ताव पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। इस प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में "पहले आओ, पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का आवंटन किया जा रहा है। फ्लैटों की बिक्री न होने के फलस्वरूप प्राधिकरण बोर्ड की 166वीं बैठक दिनांक 09.11.2019 में विषय संख्या–166/3 पर निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं (गोमती नगर एवं गोमती नगर विस्तार की योजना को छोड़कर) में रिक्त भवनों/फ्लैटों के मूल्य 2 वर्षों तक फीज किये जाने एवं मूल्य में कमी किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड ने "नो प्रॉफिट, नो लॉस' एवं शासन की मंशा अनुसार जन–सामान्य को किफायती दरों पर आवास (अर्कोडेबल हाउस) उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। तदोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड की 172वीं, 175वीं एवं 179वीं बैठक में पूर्व में पारित 166वीं बोर्ड बैठक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। वर्तमान में गोमती नगर एवं गोमती नगर विस्तार योजना को छोड़कर "पहले आओ, पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत आवंटित फ्लैटों पर प्राधिकरण बोर्ड की 179वीं बैठक दिनांक 04.02.2023 में 01 वर्ष के लिये फ्लैटों पर कास्ट फ्रीज है। वर्तमान में रिक्त फ्लैट का विवरण संलग्न प्रस्ताव में दिया गया है।

फ्लैटों की विक्रय शीलता बढ़ाने के लिए प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 04.02.2023 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में फ्लैटों के पूर्ण भुगतान किये जाने पर छूट दिये का प्राविधान किया गया है, जो निम्नवत् हैः–

1– 45 दिवस में फ्लैट के मूल्य का 90 प्रतिशत पर 6 प्रतिशत की छूट।

2– 60 दिवस में फ्लैट के मूल्य का 90 प्रतिशत पर 5 प्रतिशत की छूट।

3– 75 दिवस में फ्लैट के मूल्य का 90 प्रतिशत पर 4 प्रतिशत की छूट।

4– 90 दिवस में फ्लैट के मूल्य का 90 प्रतिशत पर 3 प्रतिशत की छूट।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 से भवनों का मूल्य फ्रीज किया गया है एवं 5 वर्षों के बाद भी सम्पत्तियों का निराकरण नहीं हो पा रहा है एवं सम्पत्तियों का आवंटन नहीं होने से फ्रीज मूल्य पर ही भवनों/फ्लैटों का आवंटन करना पड़ रहा है। यदि कोई विशेष छूट देने पर भवन का विक्रय सम्भव हो, तो विशेष छूट दिये जाने पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि यदि कोई विशेष छूट देने से भवन/फ्लैट आंवटित हो जाता है, तो आवंटन से प्राधिकरण को ब्याज मिलना प्ररम्भ हो जायेगा एवं सम्पत्ति निस्तारित हो जायेगी।

अतः दिनांक 08.11.2024 से 01 वर्ष के लिये मूल्य फ्रीज करते हुए Festive Session एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का "पहले आओ, पहले पाओ योजना' के अन्तर्गत पंजीकरण/आवंटन कराये जाने पर दिनांक 21.10.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि में विशेष छूट दिये जाने का प्रस्ताव निम्नवत् हैः—

1. रूपये 25,00,00.00 से रूपये 50,00,000.00 तक के मूल्यों के फ्लैटों पर रूपये 1,00,000.00 (एक लाख रूपये मात्र)
2. रूपये 50,00,00.00 से रूपये 75,00,000.00 तक के मूल्यों के फ्लैटों पर रूपये 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3. रूपये 75,00,01.00 से ऊपर के मूल्यों के फ्लैटों पर रूपये 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार रूपये मात्र)
4. उक्त छूट पूर्व में दी जा रही छूट के अतिरिक्त होगी।

उपरोक्तानुसार "पहले आओ, पहले पाओ योजना' के अन्तर्गत 01 वर्ष के लिये मूल्य फ्रीज करते हुए विशेष छूट दिये जाने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित हैं कि कृपया परिचालन के माध्यम से संलग्न प्रस्ताव पर अपना मन्तव्य/संस्तुति अंकित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव

उपरोक्तानुसार संलग्न प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जाती है।

....

अध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण/
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

....

अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

....

अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रतिनिधि

महानिदेशक,
पर्यटन, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

..............(डॉ0 कल्याण सिंह)
उप निदेशक
क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय
लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

उपरोक्तानुसार संलग्न प्रस्ताव पर
सहमति प्रदान की जाती है।

आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।	....
जिलाधिकारी, लखनऊ।	....
उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।	....
नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।	....
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।	19/10/24 ....
प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।	....
संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।	....
श्री पी0एन0 सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।	....
श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।	....

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव

परिचलन के माध्यम से प्रस्ताव

लखनऊ विकास प्राधिकरण का गठन शासकीय अधिसूचना संख्या–3923/XXXVII-2-DA-7 तद्दिनांक 19.02.1974 द्वारा किया गया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण की 50वीं वर्ष गाँठ के उपलक्ष्य में विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का "पहले आओ पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत दिनांक 21 अक्टूबर से 20 नम्वबर 2024 तक पंजीकरण/आवंटन कराये जाने पर विशेष छूट दिये जाने के सम्बंध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में पहले आओ पहले पाओ योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का आवंटन किया जा रहा है। फ्लैटों की विकी न होने के फलस्वरूप बोर्ड बैठक संख्या–166वीं दिनांक 09.11.2019 विषय संख्या–166/3 में निर्णय लिया गया की लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं (गोमती नगर एवं गोमती नगर विस्तार की योजना को छोड़कर) में रिक्त भवनों/फ्लैटों के मूल्य 2 वर्षों तक फ्रीज किये जाने एवं मूल्य मे कमी किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड ने "नो प्रोफिट–नो लॉस" एवं शासन की मंशा अनुसार जन सामान्य को किफायती दरों पर आवास (अर्फोडेबल हाउस) उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रस्ताव अनुमोदित किया ग गया था। तदोपरान्त बोर्ड बैठक 172वीं, 175वीं बोर्ड बैठक एवं 179वी बोर्ड बैठक में पूर्व में पारित 166वीं बोर्ड बैठक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। वर्तमान में गोमती नगर एवं गोमती नगर विस्तार की योजना को छोड़कर पहले आओ पहले पाओ योजना के अन्तर्गत आवंटित फ्लैटों पर 179वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.10.2023 में दिनांक 08.11.2023 से 01 वर्ष के लिये फ्लैटों पर कास्ट फ्रीज है, जो वर्तमान दिनांक 07.11.2024 तक प्रभावी है। वर्तमान में निम्न फ्लैट आवंटन से रिक्त है:–

अपार्टमेन्ट का नाम	फ्लैट के प्रकार	वर्तमान अनुमानित मूल्य	रिक्त
परिजात अपार्टमेन्ट	3 BHK + STUDY	10,107,481.00	15
	3 BHK	9,347,751.00	6
पंचशील अपार्टमेन्ट	2 BHK	5,400,204.00	7
	2 BHK + STUDY	6,497,554.00	4
सृष्टि अपार्टमेन्ट से0–जे	3 BHK TYPE-A-1	5,615,750.00	8
	3 BHK TYPE-A-2	5,714,967.00	2
	2 BHK TYPE-B-1	4,633,938.00	14
	2 BHK TYPE-B-2	4,784,293.00	4
	1 BHK TYPE-C	2,823,725.00	9
स्मृति अपार्टमेन्ट से0–जे	3 BHK TYPE-A-1	5,676,686.00	8
	3 BHK TYPE-A-2	5,666,569.00	17
	2 BHK TYPE-B-1	4,804,287.00	28
	2 BHK TYPE-B-2	4,932,819.00	23
	1 BHK TYPE-C	2,825,689.00	25
सुलभ आवास, जानकीपुरम	A-TYPE-LIG	2,046,412.00	1
	B-TYPE-LIG	1,432,422.00	1
सरगम अपार्टमेन्ट, जानकीपुरम	2 BHK + STUDY	4,635,120.00	18
	3 BHK	5,193,953.00	28

	4 BHK	6,168,714.00	14
सोपान इन्क्लेव फेस–2	2 BHK TYPE-2	3,888,627.00	1
	2 BHK	3,788,649.00	90
सृजन अपार्टमेन्ट	2BHK TYPE-A	3,893,258.00	46
	2BHK TYPE-B	3,916,541.00	15
अनुभूति अपार्टमेन्ट	2 BHK	2,287,805.00	63
दीपशिखा अपार्टमेन्ट से0–ओ	2 BHK TYPE- A	4,049,798.00	8
	1 BHK TYPE- B	2,829,541.00	7
मघा अपार्टमेन्ट से0–ओ	3 BHK TYPE- A	6,231,450.00	9
	2 BHK TYPE- C	5,155,835.00	20
	2 BHK TYPE- G	4,441,129.00	13
भरणी अपार्टमेन्ट से0–ओ	3 BHK TYPE- A	6,231,450.00	2
	3 BHK TYPE- E	5,732,907.00	4
	2 BHK TYPE- C	5,155,835.00	8
अश्लेषा अपार्टमेन्ट से0–ओ	3 BHK TYPE- A	6,231,450.00	3
	2 BHK TYPE- B	4,904,006.00	55
	2 BHK TYPE- C	5,155,835.00	90
फाल्गुनी अपार्टमेन्ट से0–पी	2 BHK	4,332,485.00	7
मृगशिरा अपार्टमेन्ट से0–पी	2 BHK	4,115,015.00	57
श्रवण आपर्टमेन्ट से0–ई	3 BHK TYPE-A	4,737,784.00	66
	3 BHK TYPE-B	4,737,784.00	52
पूर्वा अपार्टमेन्ट से एच	1 BHK TYPE-I	3,350,000.00	1
	1 BHK TYPE-II	3,317,000.00	1
	1 BHK TYPE-III	2,976,000.00	15
समाजवादी लोहिया इन्क्लेव	SMIG	3,090,261.00	254
	MIG	2,929,010.00	817
कृतिका अपार्टमेन्ट	EWS -1	1,627,405.00	0
	EWS -2	1,641,987.00	0
	EWS -3	1,641,987.00	0
	EWS -4	1,729,690.00	0
स्वाती अपार्टमेन्ट	LIG-1	2,436,436.00	0
	LIG-2	2,512,175.00	0
	LIG-3	2,572,131.00	0
	LIG-4	2,793,045.00	0
	LIG-5	2,794,096.00	0
रतन लोक अपार्टमेन्ट	2 BHK	3,928,049.00	138
	3 BHK	5,331,157.00	24
रश्मि लोक अपार्टमेन्ट	1 BHK	4,241,761.00	16
	2 BHK	4,952,628.00	80
	3 BHK TYPE-A	6,319,287.00	7
	3 BHK TYPE-B	6,364,165.00	3
सुगम आवास रश्मि खण्ड	1 BHK G+3	1,144,100.00	1
आद्रा अपार्टमेन्ट	2 BHK TYPE A	5,540,784.00	3

	2 BHK TYPE B	5,129,636.00	7
	2 BHK TYPE C	3,852,620.00	34
ऐशबाग हाईटस योजना	3 BHK TYPE-A	7,416,848.00	45
	2 BHK TYPE-B	5,884,296.00	27
	2 BHK TYPE-C	5,584,964.00	21

फ्लैटों का विक्रय शीलता बढ़ाने के लिए बोर्ड बैठक दिनांक 04.02.2023 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में फ्लैटों के पूर्ण भुगतान किये जाने पर छूट दिये का प्राविधान किया गया है जो निम्नवत् हैः—

1. 45 दिवस में फ्लैट के मूल्य का 90 प्रतिशत पर 6 प्रतिशत की छूट।
2. 60 दिवस में फ्लैट के मूल्य का 90 प्रतिशत पर 5 प्रतिशत की छूट।
3. 75 दिवस में फ्लैट के मूल्य का 90 प्रतिशत पर 4 प्रतिशत की छूट।
4. 90 दिवस में फ्लैट के मूल्य का 90 प्रतिशत पर 3 प्रतिशत की छूट।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 से भवनों का मूल्य फ्रीज किया गया है एवं 5 वर्षो के बाद भी सम्पत्तियों का निराकरण नहीं हो पा रहा है एवं सम्पत्तियों का आवंटन नहीं होने से फ्रीज मूल्य पर ही भवनों/फ्लैटों का आवंटन करना पड़ रहा है। भवनों/फ्लैट की विक्रयशीलता बढ़ाये जाने तथा पूंजी ब्लाक होने एवं आदि के दृष्टिगत, यदि कोई विशेष छूट देने पर भवन का विक्रय सम्भव हो तो विशेष छूट दिये जाने पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि यदि कोई विशेष छूट देने से भवन/फ्लैट आंवटित हो जाता है तो आवंटन से प्राधिकरण को ब्याज मिलना प्ररम्भ हो जायेगा एवं सम्पत्ति निस्तारित हो जायेगी।

अतः प्रस्ताव है कि दिनांक 08.11.2024 से 01 वर्ष के लिए मूल्य फ्रीज करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का ''पहले आओ पहले पाओ'' योजना के अन्तर्गत योजना में पंजीकरण/आवंटन कराये जाने पर दिनांक 21.10.2024 से 31.12.2024 तक विशेष छूट दिये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैः—

''पहले आओ पहले पाओ'' योजना के अन्तर्गत आवेदकों को निम्नानुसार विशेष छूट प्रस्तावित हैः—

1. रू—25,00,000 से रू—50,00,000 तक मूल्य के फ्लैटों पर रू—1,00,000 (एक लाख रूपये मात्र)
2. रू—50,00,001 से अधिक रू—75,00,000 तक मूल्य के फ्लैटों पर रू—1,50,000 (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र)
3. रू—75,00,001 से ऊपर मूल्य के फ्लैटों पर रू—2,50,000 (दो लाख पचास हजार रूपये मात्र)

(देवांश त्रिवेदी)	(विनोद कुमार श्रीवास्तव)	(सुशील प्रताप सिंह)	(दीपक सिंह)	(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
विशेष कार्याधिकारी	सहायक लेखा अधिकारी	संयुक्त सचिव	वित्त नियंत्रक	अपर सचिव

विषय संख्या : 04 **पृष्ठ संख्या : 26**

<u>प्रस्तावः</u> **<u>प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2023–24 के वास्तविक आय–व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के पुनरीक्षित आय–व्ययक की स्वीकृति के सम्बन्ध में।</u>**

<u>विषय वस्तु:</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 के अन्तर्गत एक स्वायत्तशाषी निकाय के रुप में की गयी है, जिसका मुख्य क्रिया कलाप शहर का सुनियोजित विकास करना, अवस्थापना सुविधायें अनुमन्य कराया जाना, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति तथा उच्च आय वर्ग से निम्न आय वर्ग तक के जनमानस को आवास सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ ही साथ शासन द्वारा आवंटित धनराशि से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 का अनुमानित आय–व्यय प्राधिकरण बोर्ड की बैठक संख्या–180 दिनांक 27.12.2023 में अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण के निर्माण/विकास कार्यों को सुगमता एवं गुणवत्तापरक रुप से निष्पादित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–21 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह अक्टूबर–2024 तक राजस्व आय रु0–215.62 करोड़ तथा पूँजीगत आय रु0–749.95 करोड़ कुल रु0–965.57 करोड़ की प्राप्ति हुई है तथा व्यय पक्ष में राजस्व मदों में रु0–191.97 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय रु0–574.49 करोड़ रहा है। इस प्रकार कुल रु0–766.46 करोड़ का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के पुनरीक्षित आय–व्ययक जिसमें राजस्व आय रु0–394.50 करोड़ पूँजीगत आय रु0–1365.26 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। राजस्व आय के अन्तर्गत मुख्य रुप से किराये से प्राप्ति, 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टैम्प शुल्क, मानचित्रों की स्वीकृति से प्राप्ति, विभिन्न पुस्तिकाओं/टेण्डर की बिक्री से प्राप्ति आदि मद सम्मिलित हैं। इसी प्रकार पूँजीगत आय के अन्तर्गत सम्पत्तियों के आवंटन, पंजीकरण, फ्लैट्स की विक्री, भूमि/भवन के निस्तारण, बल्कसेल, नीलामी से प्राप्ति तथा शासकीय/डिपाजिट कार्य सम्मिलित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मोहान रोड योजना प्रारम्भ की जानी है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के भवनों का पंजीकरण/आवंटन किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के व्यय पक्ष में अनुमानित राजस्व व्यय रु0–262.80 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय में रु0–816.88 करोड़ का प्राविधान रखा गया था जिसके सापेक्ष माह अक्टूबर–2024 तक राजस्व व्यय रु0–191.97 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय रु0–574.49 करोड़ किया गया है। राजस्व व्यय के अन्तर्गत वेतन, विज्ञापन, डीजल, पेट्रोल, कार्यालय अनुरक्षण, स्टोर सामग्री, स्टेशनरी एवं अन्य प्रशासनिक व्यय आदि सम्मिलित है। पूँजीगत व्ययों में भूमि अर्जन, भूमि का क्रय, भूमि का विकास, मशीन संयंत्र का क्रय, विभिन्न प्रकार के पूँजीगत निर्माण एवं विकास तथा शासकीय कार्यों हेतु डिपाजिट के रुप में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष किये जाने वाले निर्माण एवं विकास व्यय सम्मिलित है। साथ ही नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत भी कराये जाने वाले कार्य भी सम्मिलित हैं। शासकीय/डिपाजिट कार्यों/सी0एस0आर0 फण्ड से धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात तदनुसार आय पक्ष में बजट प्राविधान माना जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय पक्ष में बजट प्राविधान माना जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वीकृत आय–व्ययक में प्राविधानित राजस्व आय रु0–281.00 करोड़ के सापेक्ष वास्तविक प्राप्ति रु0–392.19 करोड़ तथा पूंजीगत प्राप्ति रु0–1235.20 करोड़ के सापेक्ष वास्तविक प्राप्ति रु0–1528.65 करोड़ रहा है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजस्व व्यय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0–241.19 करोड़ के सापेक्ष वास्तविक व्यय रु0–273.40 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत रु0–1354.70 करोड़ के सापेक्ष वास्तविक व्यय रु0–1143.99 करोड़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत प्राविधानों के सापेक्ष माह अक्टूम्बर–2024 तक के वास्तवित आय एवं व्यय को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 का पुनरीक्षित आय रु0–1759.76 करोड़ तथा अनुमानित व्यय रु0–1654.46 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 का वास्तविक आय–व्ययक प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्त नियंत्रक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

नोट- बजट पुस्तिका अलग से संलग्न है

प्रस्तावः लखनऊ विकास प्राधिकरण में सम्पत्तियों में आवंटित मानक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल होने पर दर निर्धारण तथा धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

विषय वस्तुः लखनऊ विकास प्राधिकरण में सम्पत्तियों के आदर्श मूल्यांकन नियमावली 2016 जिसे प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 24 अक्टूबर 2016 के मद संख्या-27 पर अनुमोदित किया गया है, के प्रस्तर-10 में मानक क्षेत्रफल में वास्तविक क्षेत्रफल बढ़ने पर दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया है तथा उसके सम्मुख संशोधित व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है। वर्तमान में प्रचलित प्राविधान में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आवंटी द्वारा मांगा जा रहा है अथवा प्राधिकरण द्वारा स्वयं दिया जा रहा है। इस विन्दु पर निर्धारण करने पर अनेकानेक जटिलतायें उत्पन्न होती हैं। शासन द्वारा जारी मार्गदर्शन सिद्धान्त शासनादेश संख्या-4049/9-आ-1-99-16समिति/1998 दिनांक 20.11.1999 में मूलरुप से दिये गये प्राविधान को ही प्रस्तावित किया जा रहा है।

वर्तमान प्रचलित व्यवस्था	एतद्द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था
लीजप्लान प्राप्त होने पर यदि क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो आवंटित मानक क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत तक बढ़ा क्षेत्रफल आवंटन के समय की दर से तथा शेष बढ़ा क्षेत्रफल गणना के समय प्रचलित दर से लिया जायेगा। उक्त स्थिति रजिस्ट्री/अनुबन्ध के पूर्व की होगी परन्तु यदि रजिस्ट्री/अनुबन्ध हो चुका है तो 10 प्रतिशत का लाभ नही दिया जायेगा तथा बढ़े क्षेत्रफल हेतु यह स्पष्ट होना चाहिए कि उक्त क्षेत्रफल आवंटी द्वारा मांगा गया है या प्राधिकरण द्वारा ही स्वयं दिया जा रहा है। यदि प्राधिकरण द्वारा स्वयं दिया जा रहा है तो बढ़े क्षेत्रफल का मूल्य आवंटन की तिथि की दर से, जो धनराशि आये उस पर प्रस्तर-6 में उल्लिखित भूखण्डों हेतु समान्य ब्याज दर से ब्याज लगाते हुए लिया जायेगा। इसी प्रकार यदि बढ़ा क्षेत्रफल आवंटी द्वारा मांगा गया है तो उसका मूल्य वर्तमान दर से देय होगा। भवनों से संलग्न भूमि शासनादेश के अनुसार नीलामी/टेण्डर द्वारा निस्तारित किये जाने की व्यवस्था है, अतः भवनों से संलग्न भूमि तभी दी जायेगी, यदि उसमें कोई भवन/भूखण्ड का सृजन नही हो सकता है।	शासनादेश दिनांक 20.11.1999 के प्रस्तर-15 अनुसार ही अतिरिक्त क्षेत्रफल हेतु 10 प्रतिशत तक आवंटन की दर से तथा 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल हेतु वर्तमान दर लिए जाने के प्राविधान के अनुरुप ही लागू करने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त क्षेत्रफल का आवंटन उसी स्थिति में आवंटित किया जायेगा, जब कोई पृथक से भूखण्ड का सृजन नहीं हो सकता है।

उपरोक्त व्यवस्था में मानक क्षेत्रफल से बढ़े हुये क्षेत्रफल के भुगतान किये जाने की पद्धति का निर्धारण नही किया गया है। प्राधिकरण में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त बढ़े हुये क्षेत्रफल की धनराशि गणना उपरान्त मांग पत्र जारी कर एक माह की अवधि में जमा किये जाने का निर्गत किया जाता है। जिसके फलस्वरुप आवंटी के ऊपर अतिरिक्त क्षेत्रफल हेतु एकमुश्त धनराशि जमा करने की बाध्यता हो जाती है तथा निर्धारित तिथि के उपरान्त नियमानुसार ब्याज की देयता होती है, अतः मानक क्षेत्रफल से अधिक

वित्त नियंत्रक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

क्षेत्रफल बढ़ने की स्थिति में अतिरिक्त क्षेत्रफल हेतु निम्नानुसार भुगतान पद्वति प्रस्तावित की जा रही है:-

(1)	मानक क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत तक अधिक बढ़ने पर	मांग पत्र निर्गत किये जाने के एक माह के अन्दर
(2)	मानक क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत से अधिक किन्तु 30 प्रतिशत तक	मांग पत्र निर्गत किये जाने के तीन माह के अन्दर
(3)	मानक क्षेत्रफल से 30 प्रतिशत से अधिक किन्तु 60 प्रतिशत तक	मांग पत्र निर्गत किये जाने के 06 माह के अन्दर
(4)	मानक क्षेत्रफल से 60 प्रतिशत से अधिक	मांग पत्र निर्गत किये जाने के 12 माह के अन्दर

उपरोक्त अवधि में धनराशि बिना ब्याज के जमा की जायेगी तथा उक्त अवधि व्यतीत होने के पश्चात यथास्थिति ई0डब्लू0एस0, आश्रयहीन, एल0आई0जी0 आदि हेतु 7 प्रतिशत एम0आई0जी0 हेतु 8 प्रतिशत तथा एच0आई0जी0 हेतु 9 प्रतिशत एवं व्यवसायिक हेतु 11 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करना होगा।

आवंटी को यह भी विकल्प होगा कि क्रमांक (1) को छोड़कर क्रमांक (2) से (4) तक के अतिरिक्त क्षेत्रफल की धनराशि यदि 45 दिवस में जमा की जाती है तो 5 प्रतिशत का छूट अनुमन्य होगा। छूट की धनराशि आवंटी द्वारा अपने स्तर से घटायी नही जायेगी तथा छूट की धनराशि अन्य मदों में समायोजन उपरान्त आवंटी को वापस की जायेगी।

प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर)

वित्त नियंत्रक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

मद संख्या– 06

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक–27.12.2023 मद संख्या–180/05 प्राधिकरण बोर्ड बैठक (परिचालन) दिनांक–13.03.2024, मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–1372/2024 व अन्य, तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–6531/2024 शकील अहमद व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बंध में

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय एवं मा0 उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर कैम्प लगाकर अकबर नगर प्रथम एव द्वितीय में अध्यासियों को विस्थापन नीति के अन्तर्गत भवन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र/आवेदन पत्र प्राप्त किये गये थे। जिन्हें बसन्त कुन्ज आवासीय योजना के सेक्टर आई0 में निर्मित पी0एम0ए0वाई0 भवनों में आवन्टन कर दिया गया था। उसके पश्चात प्राधिकरण द्वारा स्थल से यहाँ के निवासियों के विस्थापन की कार्यवाही नगर निगम, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से 10 जून 2024 से प्रारम्भ की गई।

कार्यवाही के दौरान काफी संख्या में ऐसे अध्यासी पाये गये, जिन्होनें भवन आवंटन के लिए तद्समय आवेदन नहीं किया गया था, एवं वह भवन खाली करने को तैयार नहीं थे। स्थानीय परिस्थितियों एवं भवन को तत्काल खाली कराकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान स्थल पर ही उच्चाधिकारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन्हें भवन पूर्व में आवंटित नहीं है, एवं आवेदन भी नहीं किया है उन्हें स्थल पर ही तत्काल फार्म भरा कर डूडा द्वारा गठित कमेटी से जांचोपरान्त उन्हें भवन आवंटित कर दिया जाय। तद्क्रम में ऐसे समस्त अध्यासियों को पी0एम0ए0वाई0 बसन्त कुन्ज योजना में भवन आवंटित कर दिये गये। इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा अब तक अकबर नगर प्रथम एवं द्वितीय में कुल 2075 अध्यासियों को भवन आवंटित कर दिये गये हैं। इसी प्रकार बोर्ड बैठक के निर्णय के क्रम में भीखमपुर में 69 अध्यासियों, बटलर पैलेस में 258 अध्यासियों, नाका में बिल्डिंग गिर जाने से दैवीय आपदा के तहत एक अध्यासी को पी0एम0ए0वाई0 में विस्थापन नीति के तहत भवन आवंटित कर दिया गया है। आवंटित करते हुए पूर्व में बोर्ड को अवगत कराया जा चुका है उक्त के पश्चात उपरोक्त अकबर नगर, भिखमपुर एवं बटलर पैलेस के कुछ अध्यासियों की पात्रता की जांच कर सूची प्राप्त होने के पश्चात अकबर नगर के 20 अध्यासियों, भिखमपुर के 01 अध्यासी एवं बटलर पैलेस 14 अध्यासियों को फ्लैट आवंटित कर दिये गये है। सूची संलग्न है।

वर्तमान में भीखमपुर, अकबर नगर प्रथम एवं द्वितीय से समस्त अतिक्रमणों को हटाते हुए विस्थापितों को कब्जा दिया जा चुका है।

उपरोक्त प्रस्ताव/आख्या बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

13/11/24 (अशोक कुमार) अ0अ0

13/11/24 (इरशाद) अ0अ0

13/11/24 (दीपक सिंह) प्रो0 सहा0

13-11-24 (ज्ञान बहादुर) अनु0 अधि0

13/11/24
(रवि ...)
विशेष कार्याधिकारी
... विकास प्राधिकरण
...

अकबर नगर

क्र0 सं0	वाद संख्या	पंजीकरण फार्म संख्या	आवंटी का नाम	पुत्र/पत्नी/पुत्री	पता	मोबाइल नम्बर	आधार संख्या	फ्लैट संख्या
1	583/2023		श्री अल्ताफ	श्री कमरुद्दीन	फैजाबाद रोड, अकबर नगर महानगर, लखनऊ।	9305657370	271992213623	11/25
2	589/2023		श्री मोहम्मद सलीम	श्री अनवर	546/3/37, अकबर नगर महानगर लखनऊ।	9335202615	283629511570	11/11
3	1205/2023		श्री दीपक कुमार	श्री लक्ष्मी कांत	319–इरम मान्टेसरी स्कूल अकबर नगर लखनऊ।	8953800399	RXM3810926	11/26
4	796/2023		श्रीमती प्रीति	श्री ललित	546/3/25, अकबर नगर महानगर लखनऊ।	9119646748	592876362722	11/27
5	707/2023		श्री लाल मोहम्मद	श्री बंशीर	546/3/309, नई बस्ती अकबर नगर महानगर लखनऊ।	7080919806	462530894990	11/20
6	683/2023		श्री अब्दुल रहमान	श्री अब्दुल गफूर	अकर नगर महानगर लखनऊ।	8887878301	764716726203	11/7
7	581/2023		श्री अनवर अली	श्री मो0 उमर	546/3/361, फैजाबाद रोड, अकबर नगर, महानगर, लखनऊ।	9452125176	775668860004	35/1
8	926/2023		श्री आकाश यादव	श्री शम्भू लाल यादव	फैजाबाद रोड, अकबर नगर महानगर, लखनऊ।	7379969925	564865410337	11/13
9	639/2023		श्री जीमल अहमद	श्री रफीक अहमद	546/3/133, अकबर नगर महानगर लखनऊ।	8318786818	695384886476	11/21
10	709/2023		श्री गुड़िया मौर्या	श्री राम जनम मौर्या	नया अकबर नगर फैजाबाद रोड, महानगर लखनऊ।	7398761004	448123531575	11/29
11	961/2023		श्री अख्तर जहाँ	श्री सुबराति	546/3/162, अकबर नगर लखनऊ।	7651800452	584016143273	11/19
12	584/2023		श्री अनवर अली	श्री अकबर अली	117/37, जम्बूर खाना लखनऊ।	9839621183	898412123479	11/30
13	904/2023		श्री जावेद	श्री जाबिर	546/3/69, अकबर नगर फैजाबाद रोड, लखनऊ।	9838228841	806302846563	11/37
14	927/2023		श्री मो0 असलम	श्री वशीर अहमद	अकबर नगर लखनऊ।	9935979268	460011686869	11/38
15	716/2023	173	मो0 अब्दुल अलीम	मो0 नईम	अकबर नगर, लखनऊ	9450772307	848021710781	89/35
16	NA	NA	सोनिया	स्व0 राहुल सिंह	अकबर नगर फैजाबाद रोड़ महानगर, लखनऊ	9369691780	392260031754	96/8
17	NA	NA	सईदा सलमानी	मो0 रफीक सलमानी	अकबर नगर फैजाबाद रोड़ महानगर, लखनऊ	8004749745	746152124917	17/12
18	695/2023	870	श्रीमती तरन्नुम	श्री शाहिद	अकबर नगर (द्वितीय) लखनऊ	7408984639	343795641926	71/31
19		247	श्रीमती मैसर जहां	मो0 सलीम	अकबर नगर लखनऊ।	7007633316	522360653150	71/34
20		231	श्रीमती नाजिया बानो	मो0 आमिर	फैजाबाद रोड लखनऊ।	9125622698	5928236685008	60/34

भीखमपुर

क्र0 सं0	वाद संख्या	पंजीकरण फार्म संख्या	आवंटी का नाम	पुत्र/पत्नी/पुत्री	पता	मोबाइल नम्बर	आधार संख्या	फ्लैट संख्या
1			मुजीवुननिशा	श्री मोहम्मद अमीन	ग्राम– भीखमपुर, पेपर मिल कोलोनी, निशांतगंज रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।	8808689753	795933325011	35/32

BUTLER PALACE DISPLACED

S.N.	VAAD NO.	NAME	F/H NAME	AADHAR NO.	MO. NO.	FLAT NO.
1	G-40	SITA	RAM RAAJ	581348268885	9695424961	9/13
2	G-43	VINDESHWARI	VIJAY	851125859502	9670021163	9/14
3	G-46	LUCKY JAISWAL	LT. SHYAM LAL	619310011508	7897722713	9/15
4	G-49	SANJEEV KUMAR	RAM JIYAVAN	978389544656	8887567412	9/16
5	G-53	VINOD KUMAR	BHAI LAL	325784394272	6307277059	9/17
6	G-41	GUDIYA	DEEN DAYAL	225441185630	73889156632	9/26
7	G-44	RAJ BALMIKI	RAJ KUMAR BALMIKI	270486166455	8528323568	9/27
8	G-47	BRIJESH SHARMA	GUDDU SHARMA	903167250673	9598435941	9/28
9	G-50	AKANSHA SAMITI				9/29
10	G-54	SHYAMU	PHOOL PRAKASH	437527159201	8795129721	9/30
11	G-42	HARISH	GOPAL RAM JI	689984699802	7704039888	9/39
12	G-45	SONI	SHYAM MALAKAR	777883286002	8081790943	9/40
13	G-48	RAMWATI	RAKESH	881123711395	8127009833	9/41
14	G-52	RAJU KUMAR	RAM NARESH	278606207643	6392204488	9/42

मद संख्या– 07 पृ० सं०-32

अकबर नगर, भीखमपुर तथा बटलर पैलेस से हटाये गये अध्यासियों को प्रधानमंत्री आवास बसन्त कुन्ज योजना सेक्टर आई0 एवं एन0 तथा शारदा नगर विस्तार योजना में विस्थापित किया गया है। जिनको फ्लैट के निर्धारित मूल्य पर बिना ब्याज के 10 वर्षो की किस्तों में प्राप्त किये जाने के सम्बंध में।

कृपया कुकरैल नदी के सौन्दर्यीकरण हेतु स्थल पर अवैध रूप से अध्यासित व्यक्तियों को विस्थापन नीति एवं मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में अकबर नगर, भीखमपुर से हटाये गये अध्यासियों को प्रधानमंत्री आवास बसन्त कुन्ज योजना सेक्टर आई0 एवं एन0 तथा शारदा नगर विस्तार योजना में विस्थापित किया गया है। विस्थापित किये गये अध्यासियों को एम0आई0एस0 पोर्टल पर अंकित किये जाने हेतु डूडा द्वारा कार्यवाही की जा रही है। प्राधिकरण द्वारा विस्थापितों को अनंतिम आवंटन पत्र जारी किये जा चुके हैं, वर्तमान में प्राधिकरण पोर्टल से कम्प्यूटराईज आवंटन पत्र निर्गत किये जाने हैं।

अवगत कराना है, कि विस्थापितों हेतु पंजीकरण धनराशि रू0–5,000/– प्राप्त करते हुए पंजीकरण करने के आदेश हुए थे। जिसके क्रम में कुछ विस्थापितों द्वारा धनराशि रु0–5,000/– जमा कर पंजीकरण कराया गया। परन्तु किश्तों की अवधि के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में बोर्ड बैठक दिनांक–27.12.2023 एवं परिचालन बैठक दिनांक–13 मार्च 2024 को विस्थापितों से पंजीकरण के रूप में रु0–1,000/– तथा किश्तों की अवधि अधिकतम 10 वर्ष की गई है।

प्राधिकरण द्वारा पुनर्वासन नीति में भवनों के किश्तों की अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई थी। जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारादिनांक–10.05.2024 को निम्न आदेश पारित किया गया है, कि **"The issue with regard to the amount payable by the petitioners/dwellers has been raised. It has been stated and explained by the learned Additional Solicitor General that the petitioners/dwellers will have to pay Rs.4,79,000/- (Rupees four lakhs seventy nine thousand only), which payment is to be made over a period of fifteen years in terms of the directions issued by the High Court. It is stated that substantial subsidy has been provided to reduce the amount payable by the petitioners/dwellers. The respondents would be bound by the statement."**

उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक–13.03.2024 के अकबर नगर के बी0पी0एल0 श्रेणी के विस्थापितों हेतु निःशुल्क फ्लैट आवंटित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई थी, एवं यह भी निर्णय लिया गया कि जिन भवनों को निःशुल्क आवंटित किया जाएगा उसको बसन्त कुन्ज योजना में विक्रय हेतु उपलब्ध अवशेष सम्पत्तियों पर भारित किया जाएगा। प्राधिकरण के इस निर्णय के क्रम में तत्कालिन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक–03.04.2024 को बसन्त कुन्ज योजना के 1000 पी0एम0ए0वाई0 के भवनों की कुल

अशोक कुमार
योजना सहायक

इसरार अहमद
योजना सहायक

विशेष कार्याधिकारी

दिनांक–03.04.2024 को बसन्त कुन्ज योजना के 1000 पी0एम0ए0वाई0 के भवनों की कुल मूल्य रुपया 55 करोड़ (550000000.00) की लोडिंग अवशेष भूखण्डों परकर दी गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।

यहां यह उल्लेखनीय है, कि अकबर नगर एवं अन्य स्थल के विस्थापितों को बसन्त कुन्ज सेक्टर आई0, एन0 तथा शारदा नगर विस्तार योजना में पी0एम0ए0वाई0 आवासों का आवंटन किया गया है। इन भवनों की कीमत रु0–4,79,550/– निर्धारित है। विस्थापन के अन्तर्गत किसी भी विस्थापित को पी0एम0ए0वाई0 में निःशुल्क फ्लैट आवंटन नहीं किया गया है। प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीयउच्चतम न्यायालय में मौखिक रूप से अकबर नगर के अतिक्रमणों को तात्कालिक रूप से हटाने के दृष्टिगत यह कहा गया है, कि प्राधिकरण इन्हें निर्धारित मूल्य पर 10 वर्षों की किश्तों में भवन आवंटित करने को तैयार है।

उपरोक्त के अतिरिक्त बटलर पैलेस स्थित बटलर झील के सौन्दर्यीकरण हेतु सरकारी भूमि पर अवैध रूप से रह रहे अध्यासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बसन्त कुन्ज सेक्टर आई0 में विस्थापन नीति के अनुसार जिस प्रकार अकबर नगर एवं भीखमपुर के अध्यासियों को विस्थापित किया गया। इस संबंध में विस्थापित कर फ्लैट आवंटन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 27 दिसम्बर 2023 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्न निर्णय लिया गया:–

सरकारी/सार्वजनिक/अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण/प्राकृतिक आपदा या अन्य कारण से विस्थापित हो रहे लोगों के सम्बन्ध में विस्थापन नीति एवं पूर्व में पी0एम0ए0वाई0 भवनों के आवंटियों को 25 प्रतिशत धनराशि जाम कराकर कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।	सरकारी/सार्वजनिक/अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण/प्राकृतिक आपदा या अन्य कारण से विस्थापित हो रहे लोगों के सम्बन्ध में विस्थापन नीति एवं पूर्व में पी0एम0ए0वाई0 भवनों के आवंटियों को 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श के उपरान्त बिन्दु संख्या 05 को छोड़कर प्रस्तुत प्रस्ताव सर्व–सम्मत से अनुमोदित किया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि पी0एम0ए0वाई0 योजना की पात्रता के अनुसार किसी परिवार को एक बार ही लाभ अनुमन्य होगा 27 दिसम्बर 2023 के उपरान्त यदि किसी के द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया जाता है, तो उसे यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

उपरोक्त निर्णय के अनुसार बटलर पैलेस के अध्यासियों को फ्लैट आवंटित किये गये।

तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक–03.04.2024 के क्रम में यह उचित प्रतित होता है, कि चूंकि प्राधिकरण के पास 55 करोड़ रुपया (550000000.00) आरक्षित है, अतः निर्धारित मूल्य रु0–4,79,550/– पर ही उच्च अधिकारियां के निर्देशों के अनुपालन में बटलर पैलेस एवं दैवीय आपदा से प्रभावित अध्यासियों को उपरोक्त अकबर नगर/भीखमपुर की भाँति बिना ब्याज के 10 वर्षों की किश्तें निर्धारित कर दी जाये।

(दीपक सिंह) (लालबहादुर)

अशोक कुमार, योजना सहायक

विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

अतः अकबर नगर/भीखमपुर की भाँति बटलर पैलेस से विस्थापित किये गये आवंटियों को बिना ब्याज के निर्धारित मूल्य पर 10 वर्षों की किश्तें निर्धारित किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है।

अशोक कुमार
योजना सहायक
ल०वि०प्रा०

इसरार अहमद
योजना सहायक
ल०वि०प्रा०

(दीपक सिंह)
प्र०लि०

(लालबहादुर)
SO

विषयः—श्रीमती रजनी व श्री दिनेश थवानी भू0सं0: डी—678, व्योम खण्ड, गोमती नगर तथा श्री अरविन्द कुमार यादव, भू0सं0: बी—365, व्योम खण्ड, गोमती नगर को व्योम खण्ड के कतिपय आवंटियों की भाँति बसन्तकुंज योजना में भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में।

व्योम खण्ड योजना के ऐसे आवंटी, जिन्होंने योजना निरस्त होने के पश्चात अपनी जमा धनराशि वापस प्राप्त नहीं की है तथा उन्होंने अभी तक कोई भूखण्ड अथवा फ्लैट नहीं लिया है, को बसन्तकुंज योजना में वर्तमान मूल्य पर भूखण्ड लेने हेतु अन्तिम अवसर देते हुए दिनांक 07.06.2022 को "अमर उजाला" व "दैनिक जागरण" में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था तथा जिन आवंटियों द्वारा नियत समय में अपना पंजीकरण कराया गया था उन्हें बसन्तकुंज योजना में भूखण्ड आवंटित कर दिये गये हैं, किन्तु श्रीमती रजनी व श्री दिनेश थवानी भू0सं0: डी—678, व्योम खण्ड, गोमती नगर तथा श्री अरविन्द कुमार यादव, भू0सं0: बी—365, व्योम खण्ड, गोमती नगर द्वारा बसन्तकुंज योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकरण नहीं कराया गया जिसके कारण उक्त आवंटियों को बसन्तकुंज योजना में भूखण्ड का आवंटन नहीं किया जा सका। श्री अरविन्द यादव का प्रकरण मा0 अंकुश समिति में चल रहा है जिसमें उनके द्वारा भूखण्ड की माँग की जा रही है।

श्रीमती रजनी व श्री दिनेश थवानी द्वारा समय—समय पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि बसन्तकुंज योजना में भूखण्ड लेने हेतु दि0 07.06.2022 को प्रकाशित कराये गये विज्ञापन की उन्हें जानकारी नहीं हो सकी जिसके कारण उन्होंने बसन्तकुंज योजना में भूखण्ड लेने हेतु तत्समय पंजीकरण नहीं कराया गया अतएव उन्हें अवसर प्रदान करते हुए भूखण्ड आवंटित कर दिया जाय। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों के अलावा इस योजना में अन्य कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

कृपया उपरोक्त वर्णित स्थितियों में श्रीमती रजनी व श्री दिनेश थवानी भू0सं0: डी—678, व्योम खण्ड, गोमती नगर तथा श्री अरविन्द कुमार यादव, भू0सं0: बी—365, व्योम खण्ड, गोमती नगर को एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए व्योम खण्ड के कतिपय आवंटियों की भाँति बसन्तकुंज योजना में वर्तमान मूल्य पर भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

18/11/24 (मो0 कामिल) मो0 सहा0

18-11-24 (दिनेश शुक्ला) अ0उ0 आधि0

18.11.24 (अतुल कृष्ण सिंह) उप सचिव

प्रस्तावः—लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम योजना के विभिन्न सेक्टरों में भूखण्डों के आवंटन, जमा धनराशि एवं निबंधन आदि के सम्बन्ध में जानकीपुरम जन सेवा समिति द्वारा की जा रही मॉग के सम्बन्ध में।

जानकीपुरम योजना के अन्तर्गत विभिन्न सेक्टरों/खण्डों में आवासीय/व्यावसायिक एवं अन्य भू—उपयोग की योजना संचालित की जा रही है, जिसमें भूखण्डों का आवंटन, मूल्य निर्धारण, धनराशि जमा कराये जाने एवं निबंधन निष्पादन में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही संस्थित की गयी। जानकीपुरम योजना के विभिन्न सेक्टरों के भूखण्डों का आवंटन, मूल्य निर्धारण, धनराशि जमा कराये जाने एवं निबंधन निष्पादन में हुई अनियमितता में प्राथमिक जॉच में संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रचलित विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष पृथक—पृथक रिट याचिकायें योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या—7883/2006 आर0एन0सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ अन्य रिट याचिकाओं को सम्बद्ध करते हुए सम्पूर्ण प्रकरण की सी0बी0आई0 से जॉच कराये जाने हेतु दिनांक 21.02.2006 को आदेश पारित किया गया।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के क्रम में सी0बी0आई0 कार्यालय, 7 नवल किशोर रोड हजरतगंज, लखनऊ द्वारा दिनांक 28.02.2006 को जानकीपुरम योजना के भूखण्डों की जॉच किये जाने हेतु केस नम्बर—RC0062006A0003 धारा—120—बी, 420, 467, 468, 471 एवं धारा—13(2) एवं धारा—13(1) (डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम—1988 के अंतर्गत एफ0आई0आर0 पंजीकृत की गयी। सी0बी0आई0 द्वारा प्रारम्भिक जॉच में दिये गये निर्देशानुसार ल0वि0प्रा0 की ओर से जानकीपुरम योजना के विभिन्न सेक्टरों के भवन/भूखण्डों के अनुपलब्ध रिकार्ड/अभिलेखों/पत्रावलियों के हितग्राहियों से उनका दावा एवं साक्ष्य आमंत्रित करने हेतु विभिन्न तिथियों में स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं के आधार पर समेकित 413 भूखण्डों की पत्रावलियॉ दुरभिसंधि के अन्तर्गत गायब होने की एफ0आई0आर0 संख्या—27/08 दिनांक 07.02.2008

वन्दना पाण्डेय
विशेष कार्याधिकारी (वी)
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

को थाना–कैसरबाग, लखनऊ में दर्ज करायी गयी। एफ0आई0आर0 में पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी करने हेतु दिनांक 30.11.2024 को पत्र प्रेषित किया गया है।

जानकीपुरम योजनान्तर्गत विभिन्न सेक्टरों में 177 भूखण्डों को सी0बी0आई0 द्वारा जॉच हेतु सूचीबद्ध किया गया। सी0बी0आई0 के निर्देशानुसार प्राधिकरण एवं सी0बी0आई0 के निरीक्षकों की संयुक्त टीम द्वारा भौतिक निरीक्षण एवं 177 भूखण्डों/निर्मित भवनों में नोटिस चस्पा करायी गयी। सी0बी0आई0 द्वारा भूखण्ड संख्या–1/191–ए सेक्टर–एफ जानकीपुरम योजना की आवंटी श्रीमती ऊषा सिंह एवं भूखण्ड संख्या–1/192–ए सेक्टर–एफ जानकीपुरम योजना की आवंटी श्री दिवाकर सिंह द्वारा जमा धनराशि के चालानों पर ओवर राईटिंग करके जमा धनराशि में कूट रचना की गयी थी जिसके आधार पर 177 भूखण्डों की जॉच हेतु केस पंजीकृत किया गया।

सी0बी0आई0 द्वारा अन्वेषणाधीन 177 भूखण्डों में से 139 भूखण्डों के आवंटीगण/हितग्राही सी0बी0आई0 कार्यालय में भूखण्डों से सम्बन्धित अभिलेखों सहित उपस्थित हुए जिनमें से 9 भूखण्डों की ल0वि0प्रा0 की मूल पत्रावलियॉ भी प्राप्त हुई, ल0वि0प्रा0 की संयुक्त टीम द्वारा परीक्षण करके 139 भूखण्डों में से 25 भूखण्डों में कोई आर्थिक क्षति नहीं पायी गयी शेष 114 भूखण्डों में कुल रूपया–15763497.50 की आर्थिक क्षति वर्ष 2006 में आंकलित की गयी। 38 भूखण्डों के सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्राप्त न होने के कारण 38 भूखण्डों के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया।

उक्त 177 भूखण्डों में से 14 भूखण्डों के आवंटियों द्वारा तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नियमानुसार अन्तर धनराशि सब्याज अर्थदण्ड के रूप में जमा करके अपने आवंटन/निबंधन नियमित करा लिये गये। लखनऊ विकास प्राधिकरण की दिनांक 07.06.2013 को आहूत 150वीं बोर्ड बैठक में विषय सं0–46 पर निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:–

वन्दना पाण्डेय
विशेष कार्याधिकारी (वी)
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

''जानकीपुरम योजना में लगभग–177 भूखण्डों में धनराशि कम जमा पाये जाने पर नियमितीकरण हेतु जमा करायी जाने वाली धनराशि एवं ब्याज दर निर्धारण के सम्बन्ध में संस्तुति देने हेतु उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 18.01.2012 को वित्त नियंत्रक व सचिव, संयुक्त सचिव के साथ एक बैठक की गयी थी। विचार–विमर्श में पाया गया कि जानकीपुरम योजना में 177 भूखण्डों की वॉछित लागत एवं अन्य देयकों की के मद में जमा की जाने वाली वास्तविक धनराशि से कम धनराशि जमा कराकर भूखण्डों का निबन्ध किया गया। यह तथ्य वर्ष 2004 में प्रकाश में आया था, इसके उपरान्त इस प्रकरण में सी0बी0आई0 द्वारा जॉच की गयी, जॉच में तत्कालीन संयुक्त सचिव, श्री आर0एन0 सिंह, श्री शशि भूषण भारती, श्री श्रीपाल वर्मा, श्री मिश्री लाल पासवान एवं अनुसचिव श्री राम प्रकाश सिंह, श्री साधू राम रावत, सहायक सम्पत्ति अधिकारी श्री वी0के0 श्रीवास्तव, श्री राम प्यारे सिंह, श्री बाबू राम तथा अनुभाग अधिकारी श्री एस0के0 गुप्ता, श्री यू0एस0 द्विवेदी, श्री इरशाद हुसैन एवं लिपिक संवर्ग के श्री राज नारायण द्विवेदी, श्री सुरेश वर्मा, श्री गोपाल सिंह तथा अवर अभियन्ता श्री ए0के0 जौहरी के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति सी0बी0आई0 द्वारा की गयी है। जिन प्रकरण में में नियुक्ति प्राधिकारी उपाध्यक्ष हैं उनमें सभी दोषी कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया गया है एवं जिन अधिकारियों के नियुक्ति प्राधिकारी शासन है उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्राधिकरण द्वारा शासन को सन्दर्भ प्रेषित किया जा चुका है।

ऐसे भूखण्ड जोकि कम जमा धनराशि से आच्छादित हैं उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है। कतिपय भूखण्ड द्वितीय सेल में विक्रय हो चुके हैं, अब भूखण्डों के मूल आवंटी फ्रीहोल्ड व द्वितीय आवंटी नामान्तरण की मॉग कर रहे हैं।

ऐसे प्रकरणों को नियमित करने के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण द्वारा शासन से यह दिशा–निर्देश चाहा गया है कि आवंटीगणों से जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, से अन्तर धनराशि ली जाये या अन्तर धनराशि पर 16 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज अथवा 16 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जाये, परन्तु लगभग 8 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त शासन ने कोई

वन्दना पाण्डेय
विशेष कार्याधिकारी (वी)
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

दिशा–निर्देश नहीं दिये हैं। आवंटीगण लगातार अन्तर धनराशि जमा कराकर नियमितीकरण की मॉग कर रहे हैं। आवेदकों में कई आवेदक ऐसे हैं, जिन्होंने द्वितीय सेल में भूखण्ड क्रय करके बैनामा कराया। ऐसे आवेदक भी अन्तर धनराशि जमा कराकर नामान्तरण तथा फ्रीहोल्ड की मॉग कर रहे हैं। बैठक में प्रकरण के सभी बिन्दुओं पर गहनता से विचार किया गया। प्राधिकरण की सम्पत्ति के निस्तारण का दायित्व प्राधिकरण का होता है और समय–समय पर प्राधिकरण की सम्पत्तियों की दरें तथा ब्याज दरों का निर्धारण विकास प्राधिकरण अपने स्तर से ही करता है, कदाचित इसलिए शासन ने अभी तक कोई परामर्श/निर्देश उपरोक्त भूखण्डों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण को नहीं दिये हैं। अतएव् प्राधिकरण को ही नीति तय करनी चाहिए। कतिपय आवंटीगण को 16 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज व अन्तर धनराशि जमा करने की सूचना दी गयी, जिस पर वह सहमत नहीं हैं। आवंटियों का तर्क है कि उनकी धनराशि प्राधिकरण कोष में वर्षों से जमा है और उन्हें भवन/भूखण्ड के सुख से भी वंचित होना पड़ रहा है। अतः उनसे अन्तर धनराशि तथा साधारण ब्याज ही लिया जाय। 16 प्रतिशत चक्रवृद्धि पर कोई भी आवंटी नियमितीकरण हेतु सहमत नहीं है। प्राधिकरण भूखण्ड की रजिस्ट्री निष्पादित कर चुका है और अन्तर धनराशि के रूप में एक बड़ी धनराशि इन भूखण्डों के सापेक्ष फंसी हुई है जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से प्राधिकरण को ब्याज का नुकसान भी हो रहा है, यदि प्राधिकरण विक्रय विलेख को निरस्त भी करायेगा तो उसे मा0 जिला जज न्यायालय में वर्तमान में देय स्टाम्प पेपर के समतुल्य कोर्ट फीस जमा करके विक्रय विलेख को निरस्त कराने का वाद योजित करना होगा जिसमें निर्णय की कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है। यदि प्राधिकरण दीर्घकाल तक कोई नीति तय नहीं करेगा तो प्रभावित आवंटीगण विभिन्न न्यायालयों में नियमितीकरण हेतु मुकदमें योजित कर सकते हैं, जिनकी पैरवी में प्राधिकरण को विधिक फीस के रूप में धन व्यय करना होगा और पैरवी भी करनी होगी। न्यायिक दृष्टिकोण से एवं प्राधिकरण एवं आवंटियों के हित में यह उचित होगा कि प्राधिकरण अपने स्तर से नीति तय कर ले, तदानुसार प्रकरण के समाधान हेतु नीति प्रस्ताव इस प्रकार हैः–

वन्दना पाण्डेय
विशेष कार्याधिकारी (वी)
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

40

1. आवंटियों से मूल अन्तर धनराशि एवं उस पर 16 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज देय तिथि से आगणित कर जमा कराया जाये।
2. ब्याज का आगणन मूल अन्तर धनराशि पर ही किया जाये।
3. ब्याज का निर्धारण 16 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की आगणन हेतु अवधि देय तिथि वॉछित धनराशि जमा किये जाने की तिथि तक होगा अर्थात् जमा किये जाने की तिथि जो पत्र में सूचित की जायेगी, उस तिथि तक का ब्याज वॉछित धनराशि में सम्मिलित होगा। अन्तर धनराशि की गणना हेतु देय तिथि को लागू भूमि की दर प्रयोग की जायेगी। अन्तर धनराशि की गणना हेतु देय तिथि को जमा की जाने वाली धनराशि को आधार माना जायेगा।
4. ऐसे प्रकरणों में जिन सम्पत्तियों का विक्रय हो चुका है तथा केवल अन्तर धनराशि व 16 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की धनराशि जमा करते हैं तो उनके पक्ष में नामान्तरण शुल्क लेकर नामान्तरण (दाखिल–खारिज) की कार्यवाही की जायेगी। नामान्तरण के उपरान्त फ्रीहोल्ड कार्यवाही द्वितीय क्रेता के पक्ष में की जा सकती है।
5. नियमितीकरण उन्हीं मामलों में किया जाये, जिनमें भूखण्ड ले–आऊट प्लान के अनुसार अनुमोदित हो और स्थल पर भूखण्ड उपलब्ध हो और भूखण्ड ग्रीन–बेल्ट, या पार्क, प्ले–फील्ड, व्यावसायिक उपयोग इत्यादि से प्रभावित न हो।
6. जिन भूखण्डों के बावत मा0 न्यायालय में कोई वाद लम्बित है उनमें कार्यवाही न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन रहेगी।
7. ऐसे भूखण्ड जो ग्रीन–बेल्ट या पार्क, प्ले–ग्राउण्ड, व्यावसायिक उपयोग से प्रभावित हैं और उन पर भवन निर्मित हो चुके हैं, के सम्बन्ध में परीक्षणोंपरान्त नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा, वर्तमान प्रस्ताव ऐसे भूखण्डों पर लागू नहीं होगा।

इसी प्रकार उपरोक्त 177 भूखण्डों से भिन्न भी यदि कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो उसमें भी उपरोक्तानुसार नीति अपनानी चाहिए। तद्क्रम में उपरोक्त प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्राधिकरण बोर्ड के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

वन्दना पाण्डेय
विशेष कार्याधिकारी (वी)
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

41

उपरोक्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिया गयाः–

1. *सी0बी0आई0 जांच से प्रभावित समस्त भूखण्डों को सूचीबद्ध किया जाये।*
2. *चूँकि इन समस्त भूखण्डों का आवंटन/निबन्धन दुरभि–संधि के तहत कूट–रचित रूप से किया गया है, अतः इनके निबन्धन को निरस्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।*
3. *प्रश्नगत भूखण्डों पर मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही न की जाय तथा यदि पूर्व में मानचित्र स्वीकृत कर दिये गये हैं तो उन्हें निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।*
4. *इन भूखण्डों के पुनः क्रय–विक्रय को रोकने हेतु इनकी सूची का प्रकाशन समाचार पत्रों में इस आशय से कराया जाय कि यह भूखण्ड दुरभि–संधि के तहत कूट–रचित आधार पर आवंटित है तथा इनके निरस्तीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जा रही है।"*

जॉच से प्रभावित 177 भूखण्डों में से 93 भूखण्डों के निबंधन विलेख निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में निरस्तीकरण वाद मा0 न्यायालय सिविल जज, लखनऊ में योजित है; जिनमें से मा0 न्यायालय अपर सिविल जज, जूनियर डिवीजन लखनऊ कक्ष संख्या–48 द्वारा भूखण्ड संख्या–एम–।।/17 सेक्टर–आई जानकीपुरम से सम्बन्धित वाद संख्या–2923/2016 ल0वि0प्रा0 बनाम विद्या नागर में दिनांक 25.01.2024 एवं भूखण्ड संख्या–4/सी–4/जी सेक्टर–जी जानकीपुरम से सम्बन्धित वाद संख्या–2925/2016 ल0वि0प्रा0 बनाम एस0सी0 श्रीवास्तव में दिनांक 25.01.2024 को निबंधन विलेख निरस्त करते हुए भूखण्डों का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापस प्राप्त करने का आदेश पारित किया गया है। सी0बी0आई0 की लखनऊ शाखा द्वारा दिनांक 30.01.2010 को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण, सी0बी0आई0 पश्चिम, लखनऊ के समक्ष विस्तृत आरोप पत्र दाखिल किया गया, उक्त आरोप पत्र के आधार पर क्रिमिनल केस नम्बर–8100010/2010 पंजीकृत हुआ एवं सुनवाई उपरान्त दिनांक 22.07.2024 को अंतिम निर्णय पारित किया गया है, तथा चार व्यक्तियों (श्री आर0एन0 सिंह, श्री आर0एन0 द्विवेदी, श्री महेन्द्र सिंह सेंगर व श्री दिवाकर सिंह) पर दोषसिद्ध किया गया है।

(अर्चना पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी (वी)
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

उक्त सी0बी0आई0 जॉच से प्रभावित भूखण्डों के हितग्राहियों द्वारा स्थानीय स्तर पर जानकीपुरम जन सेवा समिति का पंजीकरण करके समिति के पदाधिकारियों द्वारा अपने भूखण्डों को नियमित करने की मॉग करते हुए लम्बित फ्रीहोल्ड/नामान्तरण/मानचित्र स्वीकृत कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण कराये जाने हेतु निरन्तर अनुरोध किया गया जा रहा है। सूचीबद्ध 413 सभी भूखण्ड सी0बी0आई0 जॉच से प्रभावित नहीं है, बल्कि 177 भूखण्ड ही जॉच से प्रभावित हैं जिनमें से 14 भूखण्डों के आवंटियों द्वारा तत्समय वर्ष 2007–08 में नियमानुसार अन्तर धनराशि सब्याज अर्थदण्ड के रूप में जमा करके अपने आवंटन/निबंधन नियमित करा लिये गये।

जानकीपुरम योजनान्तर्गत विभिन्न सेक्टरों के आवंटियों द्वारा फ्रीहोल्ड/नामान्तरण/लेवी शुल्क/मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिकाधिक प्रकरणों में नियमानुसार पंजीकरण धनराशि जमा न होने, सक्षम स्तर से आवंटन पत्र जारी न होना, आवंटन वर्ष के कई वर्षों बाद धनराशि जमा होना, धनराशि जमा करने का मॉगपत्र नियमतः वास्तविक आवंटन तिथि की दरो से जारी न होना, अधिकांश प्रकरणों में कोई धनराशि जमा होने का कोई चालान/रसीद व साक्ष्य न होना, आवंटन/परिवर्तन/समायोजन का सत्यापन न होने के कारण जानकीपुरम योजना के जॉच से प्रभावित आवंटियों के पक्ष में फ्रीहोल्ड, लीज नवीनीकरण, नामान्तरण आदि की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पा रही है, ऐसी स्थिति में जहॉ एक ओर प्राधिकरण को वित्तीय क्षति हुई है वहीं दूसरी ओर अंतिम निर्णय न होने के कारण धनराशि भी जमा नहीं करायी जा सकी है।

अतः जानकीपुरम आवासीय योजना के विभिन्न सेक्टरों में आवेदकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त सम्बन्धित पत्रावलियों में आवंटन में अनियमितता, पूर्व दरों पर आवंटन, चालानों पर जमा धनराशि का सत्यापन न होने आदि के फलस्वरूप प्राधिकरण को हुई वित्तीय क्षति के सम्बन्ध में तथा आवंटियों की मॉग के दृष्टिगत भूखण्डों को नियमित किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

al

वन्दना पाण्डेय
विशेष कार्याधिकारी (वी)
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

विषय–प्राधिकरण द्वारा 2000.00 वर्गमी0 या उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर एकल आवासीय के रूप में आवंटित किये गये भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या

इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 50 वर्ष से भी पूर्व आवासीय योजनाएं विकसित की गयी हैं जिनमें आवासीय भूखण्डों का आवंटन एकल आवासीय भूखण्ड के रूप में आवंटित किया गया था। तत्समय इन आवंटित भूखण्डों का क्षेत्रफल 2000 वर्गमी0 से अधिक का था परन्तु इनमें समूह आवास अनुमन्य नहीं था। वर्तमान में आवंटियों/आवेदकों द्वारा एकल आवासीय भूखण्डों के स्थान पर समूह आवास का मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु मांग की जाती रही है परन्तु लीज डीड की शर्तो में एकल आवास निर्मित करने की बाध्यता के कारण समूह आवास के मानचित्रों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है। चूंकि एकल आवासीय भूखण्डों के आवंटियों/आवेदक द्वारा भूमि के इष्टतम उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए तथा अन्य समस्त तकनीकी मानकों को पूर्ण करते हुए समूह आवास के मानचित्र स्वीकृति का अनुरोध किया जा रहा है परन्तु अवस्थापना सुविधाओं पर पड़ने वाले सम्भावित भार को तथा डीड की शर्तो को ध्यान में रखते हुए आवेदक के प्रार्थना–पत्र पर विचार नहीं किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त समूह आवास हेतु आरक्षित भूखण्डों का निस्तारण आवासीय दर की डेढ गुनी दर पर नीलामी के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है जिसमें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क की प्राप्ति के यदि समूह आवास का मानचित्र स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो प्राधिकरण को निश्चित रूप से वित्तीय क्षति सम्भावित है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्राधिकरण की स्वीकृत योजनाओं में बहुआवासीय इकाइयॉ अनुमन्य किये जाने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में भी प्राविधान किये गये हैं जिसमें भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्गमी0 तथा भूखण्ड हेतु न्यूनतम 12 मी चौडे पहुँच मार्ग की अनिवार्यता रखी गयी है। शहर के सुनियोजित विकास तथा भूमि के इष्टतम उपयोग को ध्यान में रखकर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट तथा प्राधिकरण की 50 वर्ष से अधिक पुरानी योजनाओं के एकल आवास हेतु नियोजित भूखण्डों पर समूह आवास की अनुमन्यता प्रदान किये जाने वाले ऐसे प्रकरणों के परीक्षण हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 26.11.2024 को परीक्षण किया जिसमें निम्नवत् प्राविधान निर्धारित किये जाने पर विचार किये जाने की संस्तुति की गयी–

1. भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमी0 होना चाहिए।
2. भूखण्ड न्यूनतम 12 मी0 चौडें विद्यमान मार्ग पर स्थित होना चाहिए।
3. भूखण्ड में समूह आवास (बहुमंजलीय भवनों) हेतु प्रस्तावित सेटबैक लागू किये जाए।
4. समूह आवास हेतु निर्धारित भू–आच्छादन ही अनुमन्य किया जाए तथा विकसित/निर्मित क्षेत्र हेतु लागू 1.5 बेसिक एफ0ए0आर0 अनुमन्य किया जाए।
5. बेसिक एफ0ए0आर0 1.5 के ऊपर नियमानुसार सशुल्क क्रय योग्य एफ0ए0आर0 भी अनुमन्य किया जाय।

02.12.24.

(महेन्द्र ... सिंह)
अनुभाग अधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण

संजय कुमार सि...
इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आ...
ल0वि0प्रा0

6. समूह आवास अनुमन्य किये जाने से पूर्व जनसामान्य से 01 माह की अवधि हेतु आपत्ति/सुझाव आमंत्रित कर आपत्ति/सुझावों को निस्तारणोपरान्त ही स्वीकृति प्रदान की जाय।
7. पूर्व में सम्पादित लीज डीड या फ्री–होल्ड डीड में एकल आवास के स्थान पर समूह आवास की अनुमन्यता के लिए करेक्शन डीड या त्रुटि सुधार (तितिम्मा) कराया जाय जिसमें स्टाप शुल्क आदि का व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।
8. समूह आवास के भूखण्ड का विक्रय आवासीय दर की डेढ गुनी दर पर किया जाता है तथा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की सम्पत्तियों का फ्री–होल्ड प्रीमियम धनराशि का कुछ प्रतिशत यथा (15 प्रतिशत, 25 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत) शुल्क प्राप्त कर ही किये जाने का प्राविधान रहा है। कुछ सम्पत्तियों पर सम्पूर्ण प्रीमियम धनराशि भी जमा करायी गयी है। अतः जिन सम्पत्तियों पर ग्रुप हाउसिंग की अनुमन्यता प्रदान की जानी है उन भूखण्डों के फ्री–होल्ड के समय कितने प्रतिशत शुल्क प्राप्त किया गया है इसका परीक्षण आवश्यक होगा। अतः फ्री–होल्ड के समय जमा करायी गयी प्रीमियम प्रतिशत धनराशि यथा 15 प्रतिशत, 25 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत जो भी तत्समय प्राप्त किया गया हो, को 150 प्रतिशत से घटाते हुए वर्तमान आवासीय सर्किल दर पर आगणन कर अवशेष धनराशि आवेदक से जमा कराकर प्रश्नगत भूखण्ड पर ग्रुप हाउसिंग क्रिया अनुमन्य किया जाय।

उदाहरण–यदि आवेदक द्वारा फ्री–होल्ड के समय प्रीमियम धनराशि तत्समय सर्विस दर के अनुसार 40 प्रतिशत धनराशि जमा की गयी है। तब ग्रुप हाउसिंग हेतु (150 प्रतिशत–40 प्रतिशत) अर्थात वर्तमान दर का 110 प्रतिशत शुल्क प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

9. मानचित्र स्वीकृति के समय समस्त शुल्कों के साथ विकास शुल्क भी प्राप्त किया जाए तथा प्रस्तावित आवासीय इकाइयों के सापेक्ष 10 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0/ एल0आई0जी0 भवनों को प्रस्तावित किया जाय अथवा इन भवनों के सापेक्ष सेल्टर फीस प्राप्त की जाय।
10. प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के लिये भवन उपविधि के अनुरूप सेटबैक, अग्निशमन सुरक्षा मानक तथा स्ट्रक्चरल सेफ्टी के समस्त तकनीकी मानकों को पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।''

उपरोक्त समस्त प्राविधानों को पूर्ण कराने के साथ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एवं प्राधिकरण की 50 वर्षो से पूर्व की नियोजित/विकसित योजनाओं के एकल आवास हेतु आवंटित भूखण्डों पर समूह आवास की अनुमन्यता का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रस्ताव

उपुर्यक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण की 50 वर्ष से भी पूर्व पुरानी विकसित योजनाओं के एकल आवास हेतु नियोजित भूखण्डों पर समूह आवास (बहुमंजलीय भवनों) के मानचित्रों की अनुमन्यता का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

योजना सहायक
ल0 वि0 प्रा0

(महेन्द्र प्रताप सिंह)
अनुभाग अधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण

02.12.24
संजय कुमार सिंह

प्राधिकरण द्वारा 2000 वर्गमी0 या उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर एकल आवासीय रूप में आवंटित किये गये भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक दिनांक 26.11.2024 का कार्यवृत्त

श्रीमती मीरा कपूर के पक्ष में लखनऊ विकास प्राधिकरण की इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की टी0जी0 न्यू सिविल लाईन्स योजना में भूखण्ड संख्या–414 का आवंटन सेल डीड वर्ष–1937 को प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न की गयी है। उक्त सेल डीड में भूखण्ड का क्षेत्रफल 35,707.00 वर्गफिट अंकित है तथा यह भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उक्त भूखण्ड मात्र एकल आवासीय हेतु आवंटित किया गया है। इस भूखण्ड को कालान्तर में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा फ्री–होल्ड भी किया जा चुका है। योजना लगभग 80–90 वर्ष पूर्व विकसित की गयी थी। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड पर एकल आवास के स्थान पर समूह आवास का मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया था, परन्तु लीज डीड की शर्तो में एकल आवास निर्मित करने की बाध्यता के कारण समूह आवास के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी। आवेदक द्वारा भूमि के इष्टतम उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए तथा अन्य समस्त तकनीकी मानकों को पूर्ण करते हुए समूह आवास के मानचित्र स्वीकृति का अनुरोध किया जा रहा है परन्तु अवस्थापना सुविधाओं पर पड़ने वाले सम्भावित भार को तथा डीड की शर्तो को ध्यान में रखते हुए आवेदक के प्रार्थना–पत्र पर विचार नहीं किया गया। उक्त के अतिरिक्त समूह आवास हेतु आरक्षित भूखण्डों का निस्तारण आवासीय दर की डेढ गुनी दर पर नीलामी के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है जिसमें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क की प्राप्ति के यदि समूह आवास का मानचित्र स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो प्राधिकरण को निश्चित रूप से वित्तीय क्षति सम्भावित है। ऐसे प्रकरणों के परीक्षण हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 21.08.2024 को एक समिति का गठन किया गया है

प्रश्नगत प्रकरण के परीक्षण के समय समिति के समक्ष यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस भूखण्ड के आस–पास कई भूखण्डों पर एकल आवास के स्थान पर बहु आवासीय इकाईयों के रूप में भवन निर्मित हैं। वर्तमान में प्राधिकरण की स्वीकृत योजनाओं में बहुआवासीय इकाइयॉ अनुमन्य किये जाने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में भी प्राविधान किये गये हैं जिसमें भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्गमी0 तथा भूखण्ड हेतु न्यूनतम 12 मी चौडे पहुँच मार्ग की अनिवार्यता रखी गयी है। शहर के सुनियोजित विकास तथा भूमि के इष्टतम उपयोग को ध्यान में रखकर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट तथा प्राधिकरण की 50 वर्ष से अधिक पुरानी योजनाओं के एकल आवास हेतु नियोजित भूखण्डों पर समूह आवास की अनुमन्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधान निर्धारित किये जाने पर विचार किया जा सकता है–

1. भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमी0 होना चाहिए।
2. भूखण्ड न्यूनतम 12 मी0 चौडें विद्यमान मार्ग पर स्थित होना चाहिए।
3. भूखण्ड में समूह आवास (बहुमंजलीय भवनों) हेतु प्रस्तावित सेटबैक लागू किये जाए।
4. समूह आवास हेतु निर्धारित भू–आच्छादन ही अनुमन्य किया जाए तथा विकसित/निर्मित क्षेत्र हेतु लागू 1.5 बेसिक एफ0ए0आर0 अनुमन्य किया जाए।
5. बेसिक एफ0ए0आर0 1.5 के ऊपर नियमानुसार सशुल्क क्रय योग्य एफ0ए0आर0 भी अनुमन्य किया जाय।
6. समूह आवास अनुमन्य किये जाने से पूर्व जनसामान्य से 01 माह की अवधि हेतु आपत्ति/सुझाव आमंत्रित कर आपत्ति/सुझावों को निस्तारणोपरान्त ही स्वीकृति प्रदान की जाय।

7. पूर्व में सम्पादित लीज डीड या फ्री–होल्ड डीड में एकल आवास के स्थान पर समूह आवास की अनुमन्यता के लिए करेक्शन डीड या त्रुटि सुधार (तितिम्मा) कराया जाय जिसमें स्टाम्प शुल्क आदि का व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।

8. समूह आवास के भूखण्ड का विक्रय आवासीय दर की डेढ गुनी दर पर किया जाता है तथा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की सम्पत्तियों का फ्री–होल्ड प्रीमियम धनराशि का कुछ प्रतिशत यथा (15 प्रतिशत, 25 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत) शुल्क प्राप्त कर ही किये जाने का प्राविधान रहा है। कुछ सम्पत्तियों पर सम्पूर्ण प्रीमियम धनराशि भी जमा करायी गयी है। अतः जिन सम्पत्तियों पर ग्रुप हाउसिंग की अनुमन्यता प्रदान की जानी है उन भूखण्डों के फ्री–होल्ड के समय कितने प्रतिशत शुल्क प्राप्त किया गया है इसका परीक्षण आवश्यक होगा। अतः फ्री–होल्ड के समय जमा करायी गयी प्रीमियम प्रतिशत धनराशि यथा 15 प्रतिशत, 25 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत जो भी तत्समय प्राप्त किया गया हो, को 150 प्रतिशत से घटाते हुए वर्तमान आवासीय सर्किल दर पर आगणन कर अवशेष धनराशि आवेदक से जमा कराकर प्रश्नगत भूखण्ड पर ग्रुप हाउसिंग क्रिया अनुमन्य किया जाय।

उदाहरण–यदि आवेदक द्वारा फ्री–होल्ड के समय प्रीमियम धनराशि तत्समय सर्विस दर के अनुसार 40 प्रतिशत धनराशि जमा की गयी है। तब ग्रुप हाउसिंग हेतु (150 प्रतिशत–40 प्रतिशत) अर्थात वर्तमान दर का 110 प्रतिशत शुल्क प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

9. मानचित्र स्वीकृति के समय समस्त शुल्कों के साथ विकास शुल्क भी प्राप्त किया जाए तथा प्रस्तावित आवासीय इकाइयों के सापेक्ष 10 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 / एल0आई0जी0 भवनों को प्रस्तावित किया जाय अथवा इन भवनों के सापेक्ष सेल्टर फीस प्राप्त की जाय।

10. प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के लिये भवन उपविधि के अनुरूप सेटबैक, अग्निशमन सुरक्षा मानक तथा स्ट्रक्चरल सेफ्टी के समस्त तकनीकी मानकों को पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

उपरोक्त समस्त प्राविधानों को पूर्ण कराने के साथ प्राधिकरण की 50 वर्षो से पूर्व की नियोजित / विकसित योजनाओं के एकल आवास हेतु आवंटित भूखण्डों पर समूह आवास की अनुमन्यता पर विचार इस शर्त के साथ किया जा सकता है कि उक्त नीतिगत प्राविधानों का निर्धारण प्राधिकरण बोर्ड के स्तर से अनुमोदनोंपरान्त कराया जाय। तद्नुसार समिति द्वारा संस्तुति की जाती है।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

(संजय कुमार सिंह) प्रभारी अधिकारी (ट्रस्ट / नजूल) ल0वि0प्रा0	(मनोज कुमार सागर) प्रभारी अधिकारी–बल्क सेल ल0वि0प्रा0	(अवनीन्द्र कुमार सिंह) मुख्य अभियन्ता ल0वि0प्रा0
(के0के0 गौतम) मुख्य नगर नियोजक ल0वि0प्रा0	(दीपक सिंह) वित्त नियंत्रक ल0वि0प्रा0	(ज्ञानेन्द्र वर्मा) अपर सचिव ल0वि0प्रा0

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रस्तावः—लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में निर्मित किये गये व्यवसायिक कॉम्पलेक्स में अनुरक्षण शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध।

विषय वस्तुः—लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित ब्रह्मकुंज व्यवसायिक कॉम्पलेक्स में अनुरक्षण शुल्क रू0 4.00 प्रति वर्ग फुट 01 वर्ष का अग्रिम जमा कराते हुये निबन्धन की कार्यवाही पूर्ण कराये जाने एवं आवंटी द्वारा कब्जा हस्तांतरण के समय सम्पत्ति मूल्य का 02 प्रतिशत की धनराशि कार्पस फन्ड के रूप में जमा कराये जाने हेतु तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 01.07.2011 को स्वीकृति प्रदान किया गया है। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा विभिन्न व्यवसायिक कॉम्पलेक्स निर्मित किये गये है जिसमें दुकाने ई—आक्शन के माध्यम से विक्रय की जा रहीं है, के रखरखाव तथा भविष्य में कॉम्पलेक्स में ह्रास होने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2011 को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित दरों को कास्ट इन्डेक्स के आधार पर अद्यतन करते हुए निम्नानुसार अनुरक्षण किये जाने हेतु निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत हैः—

1. अनुरक्षण शुल्क तीन वर्षो के लिए तथा कार्पस फन्ड सम्पत्ति मूल्य का 02 प्रतिशत दुकान का निबन्धन के समय आवंटी से जमा कराये जाने तथा जिन दुकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है उन दुकानों में आवंटी से पृथक से जमा कराये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
2. प्राधिकरण द्वारा निर्मित विभिन्न व्यवसायिक कॉम्पलेक्स के 60 प्रतिशत दुकानो के आवंटन/निबन्धन उपरान्त आवंटियों द्वारा नियमानुसार Commercial Complex Owners Association का गठन किया जायेगा, यदि व्यवसायिक कॉम्पलेक्स में संघ/समिति का गठन नहीं होता है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ही अनुरक्षण शुल्क के सापेक्ष अनुरक्षण इत्यादि का कार्य कराया जायेगा और सोसाइअटी/सघ (Commercial Complex Owners Association) गठित हो जाने पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में मेन्टीनेन्स चार्ज के रूप में जमा धनराशि में से अनुरक्षण उपरान्त अवशेष धनराशि सोसाइअटी/सघ (Commercial Complex Owners Association) को वापस कर दी जायेगी। सोसाइअटी/सघ (Commercial Complex Owners Association) के गठन के उपरान्त अवशेष व्यवसायिक दुकानों के आवंटन/निबन्धन होने पर जितनी अवधि में प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षण कराया गया है उतनी अवधि का अनुरक्षण शुल्क प्राधिकरण द्वारा जमा कराया जायेगा एवं शेष अनुरक्षण शुल्क सोसाइअटी/सघ (Commercial Complex Owners Association) में जमा करना होगा। सोसाइअटी/सघ (Commercial Complex Owners Association) में मेन्टीनेंस धनराशि जमा कराकर भुगतान की प्राप्ति रसीद की प्रति प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्तनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है।

(मनोज कुमार सागर)
प्र०अ०सं०

विषय संख्या :– 12 पृष्ठ संख्या :– 48

विषयः–लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आई0टी0 सिटी विस्तारित क्षेत्र से आच्छादित ग्राम–मोहारी खुर्द, मोहारी कला व सिद्धपुरा तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ में क्षे0–218.4572 हे0 (539.8195 एकड़) भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने विषयक।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की आई0टी0 सिटी योजनान्तर्गत स्थित ग्राम–सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, बक्कास, मोहारी खुर्द, खुजौली व भटवारा तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ की भूमि के अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव किये जाने हेतु विभागीय पत्र संख्या–567/ए0सी0/प्र0/2024 दिनांक 12.06.2024 शासन एवं पत्र संख्या–566/ए0सी0/प्र0/2024 दिनांक 12.06.2024 के माध्यम से जिलाधिकारी, लखनऊ प्रेषित किया जा चुका है। उक्त योजनान्तर्गत स्थित भूमि के सामाजिक समाघात अध्ययन सम्बन्धी कार्यवाही हेतु गौतम बुद्ध विश्व विद्यालय ग्रेटर नोएडा द्वारा उपलब्ध कराये गये TOR का अनुमोदन विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के पत्र संख्या–2228/2024/8–3099/480/2023 दिनांक 22.10.2024 के माध्यम से किया जा चुका है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की उक्त आई0टी0 सिटी योजना से लगे हुए ग्राम–मोहारी खुर्द, मोहारी कला व सिद्धपुरा तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ की भूमि क्षे0–218.4572 हे0 (539.8195 एकड़) पर सुनियोजित विकास हेतु भूमि के अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड से अनुमति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्ताव :–

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आई0टी0 सिटी विस्तारित क्षेत्र से आच्छादित ग्राम–मोहारी खुर्द, मोहारी कला व सिद्धपुरा तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ में क्षे0–218.4572 हे0 (539.8195 एकड़) भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

12/11/24 (सतीश मिश्रा) अमीन ल0वि0प्रा0

12/11/24 ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला नायब तहसीलदार/स0च0अ0 ल0वि0प्रा0

(शशि भूषण पाठक) प्रभारी अधिकारी-अर्जन ल0वि0प्रा0

क्र.स.	जनपद	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	अन्य विवरण
1.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	17	0.0250	
2.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	19	0.0760	
3.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	20	0.0630	
4.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	21	0.0630	
5.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	24	0.1260	
6.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	27	0.1390	
7.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	28	0.0890	
8.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	29	0.0630	
9.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	30	0.0630	
10.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	32	0.2620	
11.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	33	0.1580	
12.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	34	0.0630	
13.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	36	0.0190	
14.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	37	0.0440	
15.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	38	0.0380	
16.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	39	0.0260	
17.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	40	0.0130	
18.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	41	0.241	
19.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	42	0.2020	
20.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	44	0.1236	
21.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	45	0.1040	
22.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	46	0.1040	

ज्ञानेन्द्र ... शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

(शशि भूषण पाठक)
प्रभारी अधिकारी-अर्जन
ल०वि०प्रा०

49

23.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	49	0.3870	
24.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	50	0.2520	
25.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	51	0.1240	
26.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	54	0.0160	
27.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	57	0.1580	
28.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	60	0.0310	
29.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	61	0.1450	
30.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	62	0.0980	
31.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	63	0.1180	
32.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	64	0.2080	
33.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	67	0.0160	
34.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	70	0.3450	
35.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	71	0.0900	
36.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	73	0.1040	
37.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	74	0.1030	
38.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	80	0.0920	
39.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	81	0.0820	
40.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	82	0.5520	
41.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	83	0.0440	
42.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	84	0.0100	
43.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	85	0.0590	
44.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	85/839	0.0310	
45.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	86	0.0590	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

(शशि भूषण पाठक)
प्रभारी अधिकारी-अर्जन

46.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	90	0.0510	
47.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	91	0.7900	
48.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	92	0.0630	
49.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	93	0.2250	
50.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	94	0.2830	
51.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	95	0.1520	
52.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	96	0.7310	
53.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	98	0.1960	
54.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	99	0.8850	
55.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	100	0.6260	
56.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	101	0.4140	
57.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	102	0.0480	
58.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	103	0.3440	
59.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	106	0.2010	
60.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	107	0.0290	
61.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	108	0.0570	
62.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	109	0.0310	
63.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	112	0.2020	
64.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	113	0.0570	
65.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	114	0.0660	
66.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	115	0.3180	
67.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	116	0.0280	
68.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	117	0.1340	
69.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	118	0.2660	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अ...
ल०वि०प्रा०

70.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	120	0.1040	
71.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	122	0.4870	
72.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	123	0.0160	
73.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	127	0.5820	
74.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	128	0.2370	
75.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	129	0.1260	
76.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	132	0.1190	
77.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	133	0.1370	
78.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	134	0.1770	
79.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	135	0.2910	
80.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	136	0.1770	
81.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	137ka	0.1260	
82.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	138	0.2660	
83.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	140	0.8880	
84.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	141	0.1010	
85.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	142	0.2940	
86.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	145	0.3200	
87.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	146	0.2180	
88.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	147	0.1780	
89.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	148	0.3490	
90.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	149	0.3350	
91.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	150	0.2300	
92.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	154	0.5120	
93.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	155	0.0190	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/सं०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी
ल०वि०प्रा०

94.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	156	0.0190	
95.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	157	0.0230	
96.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	158	0.0260	
97.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	160	0.4230	
98.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	161	0.0620	
99.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	162	0.3760	
100.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	163	0.5560	
101.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	166	0.0690	
102.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	167	0.2670	
103.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	168	0.1950	
104.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	170	0.1790	
105.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	171	0.1800	
106.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	172	0.1680	
107.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	173	0.1790	
108.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	176	0.3240	
109.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	179	0.4540	
110.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	181	0.5930	
111.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	182	0.9340	
112.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	184	0.2990	
113.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	189	0.5160	
114.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	190	0.5870	
115.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	192	1.4350	
116.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	194	0.3460	
117.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	195	0.1730	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हिमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अ०
ल०वि०प्रा०

118.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	196	0.0250	
119.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	198	0.6230	
120.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	199	0.2530	
121.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	200	0.4450	
122.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	201	0.2530	
123.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	202	0.0760	
124.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	203	0.6480	
125.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	204	0.1140	
126.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	205Ka	0.2340	
127.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	206	0.2080	
128.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	207 Ka	1.5240	
129.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	207Kha	1.5240	
130.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	208 Ka	0.6980	
131.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	208 Kha	0.6980	
132.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	209	0.1020	
133.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	210	0.0990	
134.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	212	0.1900	
135.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	213	0.1900	
136.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	215/833	0.1520	
137.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	216/834	0.1900	
138.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	218	0.0760	
139.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	219	0.0710	
140.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	220	0.0730	
141.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	221	0.2670	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/सं०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(... तिवारी)

142.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	222	0.5830	
143.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	223	0.4170	
144.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	224	0.6080	
145.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	225	0.0480	
146.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	226	0.0420	
147.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	227	0.1150	
148.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	228	0.1050	
149.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	229	0.0530	
150.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	231	0.1310	
151.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	233	0.3300	
152.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	234	0.1420	
153.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	235	0.1440	
154.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	236	0.3320	
155.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	237	0.3160	
156.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	238	0.3490	
157.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	239	0.0560	
158.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	240	0.4400	
159.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	241	0.2780	
160.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	242	0.1240	
161.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	243	0.1550	
162.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	244	0.0660	
163.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	245	0.0330	
164.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	246	0.0340	
165.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	250 Aa	0.1670	

नायब तहसीलदार, स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हिमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी
ल०वि०प्रा०

166.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	250 Baa	0.1780	
167.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	252	0.1320	
168.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	253	0.2500	
169.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	256	0.2230	
170.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	258	0.2690	
171.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	259	0.0890	
172.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	260	0.0890	
173.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	261	0.4070	
174.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	262	1.1990	
175.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	263	0.0280	
176.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	264	1.5430	
177.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	265	0.0820	
178.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	266	0.0820	
179.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	267	0.9820	
180.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	268	0.0350	
181.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	269	1.0120	
182.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	270	0.0760	
183.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	271	0.9940	
184.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	272	0.3670	
185.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	273Ka	0.4810	
186.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	273Kha	0.1520	
187.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	274	0.3190	
188.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	275	0.2220	
189.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	276	0.4780	

ज्ञानेन्द्र प्रताप
नायब तहसीलदार
ल०वि०प्रा०

(हिमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अ०
ल०वि०प्रा०

190.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	277	0.3190	
191.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	278	0.1700	
192.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	279	0.3560	
193.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	282	0.0380	
194.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	283	0.0630	
195.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	284	0.1370	
196.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	285	0.1640	
197.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	286	0.2500	
198.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	287	0.2920	
199.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	288	0.1720	
200.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	289	0.1520	
201.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	290	0.250	
202.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	292	0.0510	
203.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	293	0.1520	
204.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	294	0.1200	
205.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	296	0.1200	
206.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	297	0.0210	
207.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	298	0.0300	
208.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	309	0.2430	
209.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	310	0.2410	
210.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	311	0.1970	
211.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	312	0.2030	
212.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	315	0.2990	
213.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	316	0.4050	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हिमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी-अ०
ल०वि०प्रा०

214.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	317	0.0190	
215.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	319	0.7480	
216.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	320	0.2060	
217.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	321	0.3820	
218.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	322	0.2840	
219.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	324	0.3100	
220.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	325	0.1380	
221.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	327	0.2400	
222.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	328	0.0250	
223.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	329	0.0410	
224.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	331	0.3290	
225.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	332	0.1900	
226.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	337	0.2280	
227.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	341	0.3040	
228.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	344	0.2840	
229.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	344/843	0.0570	
230.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	345	1.2000	
231.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	346	0.4060	
232.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	347	0.2550	
233.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	348	0.3780	
234.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	349	0.4560	
235.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	350	0.6470	
236.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	354	0.2890	
237.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	355	0.2510	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

238.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	356	0.1260	
239.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	357	0.1260	
240.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	359	0.2520	
241.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	361Mi	0.2720	
242.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	364	0.2060	
243.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	366	0.1920	
244.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	367	0.3770	
245.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	369	0.0210	
246.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	370	0.2370	
247.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	372	0.0280	
248.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	373	0.3160	
249.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	375	0.2280	
250.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	376	0.2890	
251.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	377	0.1140	
252.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	378	0.2280	
253.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	379	0.1390	
254.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	381	0.5800	
255.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	382	0.0510	
256.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	385	0.1390	
257.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	387	0.2030	
258.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	388	0.1810	
259.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	389	0.1970	
260.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	390	1.3760	
261.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	391	0.2690	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

262.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	392	1.3240	
263.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	396	0.1040	
264.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	397	0.1010	
265.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	398	0.1040	
266.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	399	0.5090	
267.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	400	0.3140	
268.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	401	0.9590	
269.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	402	0.3690	
270.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	403	0.3110	
271.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	408	0.1770	
272.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	410	0.1140	
273.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	411	0.0630	
274.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	412	0.0250	
275.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	413Ka	0.0440	
276.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	413Kha	0.0250	
277.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	414	0.1300	
278.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	422	0.0510	
279.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	424	0.5990	
280.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	428	1.0010	
281.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	429	0.4020	
282.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	430Kha	0.5060	
283.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	430Ga	0.5690	
284.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	430Nda	0.5060	
285.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	433	0.2530	

नायब तहसीलदार चकबन्दी
लoविoप्राo

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी-अर्जन
लoविoप्राo

286.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	434	0.4050	
287.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	435	0.0380	
288.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	437	0.0130	
289.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	438	0.0210	
290.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	439	0.1260	
291.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	440	0.0380	
292.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	441	0.1140	
293.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	442	0.3790	
294.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	443	0.0630	
295.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	444	0.1490	
296.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	445	0.6100	
297.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	446	0.5060	
298.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	447	0.3690	
299.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	448	1.0690	
300.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	455	0.0350	
301.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	458	0.0380	
302.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	459	0.0510	
303.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	462	0.3040	
304.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	463	0.7820	
305.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	464	0.1640	
306.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	466	1.0590	
307.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	468	0.7870	
308.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	469 Sa	0.5720	
309.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	470	0.0760	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

310.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	471	0.1390	
311.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	472	0.4930	
312.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	473	0.1140	
313.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	474	0.2910	
314.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	476	0.1010	
315.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	478	0.3290	
316.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	486	1.5110	
317.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	487	0.1940	
318.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	488	0.2170	
319.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	489	0.2500	
320.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	491	2.0740	
321.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	493	0.2970	
322.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	494	0.2080	
323.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	495	0.5690	
324.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	499	0.2286	
325.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	542	0.9870	
326.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	546	0.7970	
327.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	547	0.4210	
328.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	548	0.7950	
329.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	574	0.2130	
330.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	575	0.1740	
331.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	577	0.1260	
332.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	578	0.4670	
333.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	581	1.0660	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

334.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	582	0.7490	
335.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	583	0.5910	
336.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	586	0.0940	
337.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	587	0.1000	
338.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	588	0.1250	
339.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	589	0.2310	
340.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	590	0.1420	
341.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	592	0.2530	
342.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	594	0.2280	
343.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	595	0.3350	
344.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	597	0.1800	
345.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	598	0.1260	
346.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	601	0.8470	
347.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	602	0.0250	
348.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	603	0.3160	
349.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	605	0.4330	
350.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	606	0.4210	
351.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	607	0.3160	
352.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	609	0.0300	
353.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	610	0.0260	
354.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	611	0.0160	
355.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	612	0.0160	
356.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	613	0.5550	
357.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	614	0.3430	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/सं०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

358.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	616	0.7110	
359.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	618	0.4590	
360.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	619	0.3460	
361.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	620	0.3290	
362.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	621	0.4430	
363.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	622	0.1640	
364.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	623	0.4130	
365.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	625	0.2850	
366.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	626	0.4980	
367.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	627	0.1570	
368.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	628	0.7410	
369.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	629	0.8150	
370.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	631	0.1520	
371.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	635	0.2280	
372.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	637	0.1010	
373.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	640	0.4410	
374.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीखुर्द	641	0.3490	
कुल योग					**109.3662**	
375.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	120	0.1990	
376.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	122	0.4320	
377.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	123	0.1820	
378.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	124	0.1910	
379.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	126	0.5060	
380.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	156	0.3390	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

381.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	157	0.5380	
382.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	158	0.1880	
383.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	159	0.2990	
384.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	160	0.3030	
385.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	162	0.3810	
386.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	163	0.0060	
387.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	166	0.3870	
388.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	167ka Mi	0.1260	
389.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	167ka Mi	0.063	
390.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	167kha	0.0130	
391.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	169	0.0770	
392.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	170	0.2880	
393.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	171	0.2010	
394.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	172	0.1710	
395.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	173	0.0810	
396.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	174	0.0810	
397.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	175	0.2850	
398.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	176	0.2710	
399.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	177	0.2630	
400.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	507	0.2350	
401.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	508	0.2420	
402.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	509	0.1260	
403.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	512 Mi	0.2530	
404.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	512 Mi	0.2530	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/सं०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हिमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी-अर्जन
ल०वि०प्रा०

65

405.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	512 Mi	0.1640	
406.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	512 Mi	0.2530	
407.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	512 Mi	0.1260	
408.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	513	0.0630	
409.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	514	0.2780	
410.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	515	0.2660	
411.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	516ka	0.0510	
412.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	516kha	0.0760	
413.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	518Mi	0.4450	
414.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	518Mi	0.1430	
415.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	518Mi	0.4810	
416.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	519	0.1260	
417.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	520	0.2280	
418.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	521Mi	0.6320	
419.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	521Mi	0.2530	
420.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	522	0.3260	
421.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	525	0.5530	
422.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	526	0.4570	
423.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	530	0.2200	
424.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	531	0.2140	
425.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	532	0.2700	
426.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	533	0.0150	
427.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	534	0.2500	
428.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	536	0.0940	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०अ०
ल०वि०प्रा०

(हिमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

429.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	537	0.0940	
430.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	538	0.0940	
431.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	541	0.1890	
432.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	542	1.1810	
433.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	544	0.0610	
434.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	545	0.0680	
435.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	546	0.4040	
436.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	548	0.3360	
437.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	549	0.4650	
438.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	550	0.3260	
439.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	551	0.4000	
440.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	552	0.3440	
441.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	553	0.0510	
442.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	555Mi	0.4430	
443.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	558	0.7330	
444.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	752	0.1770	
445.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	753	0.1770	
446.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	755	0.1990	
447.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	756	0.1460	
448.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	758	0.1040	
449.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	759	0.0130	
450.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	760	0.0610	
451.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	761	0.0590	
452.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	762kha	0.1140	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी-अर्जन
ल०वि०प्रा०

453.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	763	0.1900	
454.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	764Mi	0.2180	
455.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	764Mi	0.0150	
456.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	765Mi	0.1840	
457.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	766ka	0.1290	
458.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	766Mi	0.1260	
459.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	766 ka Mi	0.1260	
460.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	767 kha	0.5490	
461.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	768	0.2780	
462.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	769	0.1970	
463.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	770	0.2910	
464.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	771	0.3230	
465.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	772	0.2080	
466.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	775	0.1900	
467.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	776 Kha	0.0380	
468.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	777	0.1390	
469.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	781	0.2610	
470.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	781	0.2610	
471.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	782	0.0930	
472.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	783	0.0890	
473.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	784	0.0890	
474.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	786	0.5110	
475.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	787	0.2310	
476.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	788	0.2360	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/सं०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी-
ल०वि०प्रा०

477.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	789	0.3100	
478.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	790	0.1080	
479.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	793	0.1820	
480.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	794	0.4830	
481.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	795	0.1310	
482.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	796	0.0650	
483.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	797	0.0650	
484.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	799	0.0070	
485.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	800	0.0260	
486.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	801	0.0250	
487.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	802	0.0260	
488.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	803	0.0250	
489.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	804	0.0260	
490.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	806	0.1380	
491.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	807	0.0650	
492.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	808	0.0940	
493.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	810	0.3680	
494.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	811	0.2120	
495.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	812kha	0.3790	
496.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	812kha	0.3790	
497.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	812Mi	0.3180	
498.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	812ka	0.1260	
499.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	812Mi	0.2100	
500.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	813	0.2070	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

501.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	814	0.6590	
502.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	815	0.1260	
503.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	816	0.5190	
504.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	818	0.1600	
505.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	819	0.2790	
506.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	820ka	0.2150	
507.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	821 ka	0.1140	
508.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	880	0.0810	
509.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	881	0.0790	
510.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	882	0.0800	
511.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	883	0.1530	
512.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	884	0.1530	
513.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	885	0.1670	
514.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	890	0.0880	
515.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	891	0.0870	
516.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	892	0.0480	
517.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	893	0.0480	
518.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	894	0.6750	
519.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	895	0.3210	
520.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	896	0.1270	
521.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	897	0.2090	
522.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	900	0.3430	
523.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	901 ka	0.2400	
524.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	901 kha	0.2210	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हिमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

525.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	901 Ga Mi	0.4430	
526.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	902 Mi	0.3720	
527.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	903	0.1660	
528.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	905	0.2190	
529.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	906	0.6330	
530.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	910	0.1680	
531.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	912	0.0630	
532.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	913	0.1260	
533.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	914	0.1310	
534.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	915	0.1310	
535.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	916	0.1120	
536.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	918	0.1310	
537.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	919	0.1900	
538.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	920ka	0.1900	
539.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	921kha	0.1890	
540.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	922	0.1520	
541.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	923	0.2400	
542.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	924	0.4430	
543.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	926	0.1640	
544.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	927	0.4360	
545.	लखनऊ	मोहनलालगंज	सिद्धपुरा	928	0.1320	
कुल योग					**38.1730**	
546.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	1ka	0.1520	
547.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	2	0.3230	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/सं०चं०अ०
ल०वि०प्रा०

(हिमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

548.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	3	0.5370	
549.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	4	0.5370	
550.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	5ka	0.1010	
551.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	6	1.1350	
552.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	8	0.5320	
553.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	12	0.1250	
554.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	13	0.0890	
555.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	14	0.0750	
556.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	15	0.0870	
557.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	17	0.6510	
558.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	18	0.2510	
559.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	19	0.5500	
560.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	21	0.5930	
561.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	24	1.7950	
562.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	25	0.5250	
563.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	26	0.4460	
564.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	27	0.4580	
565.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	30	0.1930	
566.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	31	0.0970	
567.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	32	0.0970	
568.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	33	1.0030	
569.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	35	1.2710	
570.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	37	0.6590	
571.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	38	1.0170	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

572.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	39	0.6400	
573.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	40	0.6320	
574.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	43	0.2460	
575.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	44	0.2460	
576.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	45	0.4930	
577.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	46	0.5140	
578.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	47	0.2940	
579.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	48	0.2530	
580.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	54ka	1.5180	
581.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	57	0.6470	
582.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	58	0.2480	
583.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	59	0.1820	
584.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	60	0.1790	
585.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	61	0.2210	
586.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	62	1.0000	
587.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	64	0.2000	
588.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	65	0.6720	
589.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	66	1.0920	
590.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	67	0.1260	
591.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	68	0.0950	
592.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	69	0.0950	
593.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	70	0.0950	
594.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	72	0.4870	
595.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	74	0.7880	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

596.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	75	0.4900	
597.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	77	0.2890	
598.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	78	0.2790	
599.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	79	0.7320	
600.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	80	0.2950	
601.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	85	1.0450	
602.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	86	0.4050	
603.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	87Aa	0.3000	
604.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	87Ba	0.0060	
605.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	88 Aa	0.1490	
606.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	88 Ba	0.3450	
607.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	90	0.4490	
608.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	91	0.1900	
609.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	92	0.9920	
610.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	93	0.1550	
611.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	94	0.0570	
612.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	95Ka	0.9360	
613.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	96	0.6000	
614.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	97	0.0250	
615.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	117	0.0890	
616.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	118	0.0900	
617.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	119	0.0860	
618.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	120	0.0720	
619.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	122	0.0720	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०चू०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

620.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	123	0.0720	
621.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	124	0.0730	
622.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	125	0.2990	
623.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	126	0.7000	
624.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	127	0.3390	
625.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	131	0.2220	
626.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	133	0.2430	
627.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	134	0.2180	
628.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	135	0.2190	
629.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	136	0.7620	
630.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	137Ka	0.1260	
631.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	137Kha	0.5060	
632.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	137Ga	0.1260	
633.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	137Gha	0.1260	
634.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	137Cha	1.0880	
635.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	137Nda Mi	0.0560	
636.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	137Nda Mi	0.0700	
637.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	139Ka	0.1260	
638.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	139Kha	0.1260	
639.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	139Ga	0.2530	
640.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	141	0.8580	
641.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	142 Aa	0.6350	
642.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	142 Ba	0.1110	
643.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	156	0.2530	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

668.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	197	0.0250	
669.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	198	0.1140	
670.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	200	0.0250	
671.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	201	0.1220	
672.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	203	0.1010	
673.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	205	0.1980	
674.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	206	0.1940	
675.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	208	0.0510	
676.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	216	0.1290	
677.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	218	1.1080	
678.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	219	0.8370	
679.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	223	0.3040	
680.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	224	0.4070	
681.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	226	0.1900	
682.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	227	0.2530	
683.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	228	0.1260	
684.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	232	1.2040	
685.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	233	0.3460	
686.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	234	0.1770	
687.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	236	0.2530	
688.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	237	0.0630	
689.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	238	0.0630	
690.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	240	0.9810	
691.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	242	0.2500	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

77

644.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	157	0.2280	
645.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	160	0.1010	
646.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	161	0.1010	
647.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	162	0.2700	
648.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	164	0.2530	
649.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	165	0.1010	
650.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	169Ka	0.0130	
651.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	169	0.1900	
652.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	171	0.1680	
653.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	174	0.2440	
654.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	176	0.2230	
655.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	177	0.2880	
656.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	178	0.2380	
657.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	182	0.1260	
658.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	183	0.1010	
659.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	185	0.1840	
660.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	186	0.0630	
661.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	187	0.0380	
662.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	188	4.2460	
663.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	189	0.0630	
664.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	191	0.2960	
665.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	192	0.2870	
666.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	194	0.2950	
667.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	195	0.2250	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

692.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	243	0.0920	
693.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	244	0.9900	
694.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	245	0.2810	
695.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	246	0.1250	
696.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	247	0.3530	
697.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	248	0.3510	
698.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	249	0.3580	
699.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	250Aa	0.1770	
700.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	250Ba	0.0020	
701.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	252	0.1740	
702.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	253	0.1770	
703.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	255	0.1990	
704.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	256	0.4000	
705.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	257	0.0440	
706.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	258	0.0380	
707.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	259	0.3340	
708.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	262	0.4180	
709.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	263	0.3930	
710.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	264	0.3970	
711.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	269	0.0380	
712.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	270	0.4030	
713.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	271	0.4970	
714.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	272	0.4560	
715.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	273	0.3070	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/सं०प्र०अ०
ल०वि०प्रा०

(हिमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

716.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	274	0.3440	
717.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	276	0.2060	
718.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	278 Ba	0.1070	
719.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	278 Aa	0.4890	
720.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	279	0.1420	
721.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	280Kha	0.1640	
722.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	280Ga	0.1200	
723.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	280Ba	0.1800	
724.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	284	0.1470	
725.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	287	0.0570	
726.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	288Ka	0.0190	
727.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	290	0.1090	
728.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	294	0.7590	
729.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	300	0.2530	
730.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	304	0.8990	
731.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	305	0.5150	
732.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	306	0.5690	
733.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	309	0.3940	
734.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	311	0.4630	
735.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	312	0.4050	
736.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	315	0.0280	
737.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	316	0.0280	
738.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	317	0.0280	
739.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	318 Ba	0.0390	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हिमचन्द तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी-अर्जन
ल०वि०प्रा०

740.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	318 Aa Mi	0.0137	
741.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	318 Aa Mi	0.0693	
742.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	320	0.0130	
743.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	321	0.0800	
744.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	322	0.3010	
745.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	323	0.0730	
746.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	324	0.2660	
747.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	326	0.5410	
748.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	327	0.1040	
749.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	328	0.0350	
750.	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहारीकला	329	0.0740	
कुल योग					70.9180	
महायोग					218.4572	

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

80

विषय संख्या :–13 पृष्ठ संख्या :– 81

विषयः–लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित वेल्नेस सिटी योजना के विस्तारित क्षेत्र से आच्छादित ग्राम–मस्तेमऊ तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ में क्षे0–51.4117 हे0 (127.0410 एकड़) भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने विषयक।

उत्तर प्रदेश शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 द्वारा पत्र संख्या–570/आठ–1–23–1778303 दिनांक 01.08.2024 के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास के सम्बन्ध में दिनांक 19.07.2024 को अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में गठित ''स्वीकृत एवं निगरानी समिति'' की बैठक का कार्यवृत्त निर्गत किया गया है, जिसमें प्रस्तावित वेल्नेस सिटी परियोजना में आ रही निजी विकासकर्ताओं की भूमि को परियोजना से पृथक करते हुए विभागीय पत्र संख्या–783/एसी./प्र./2024 दिनांक 14.08.2024 को जिलाधिकारी, लखनऊ महोदय को ग्राम–बक्कास, चौरासी, चौरहिया, मलूकपुर ढकवा, नूरपुबेहटा, दुलारमऊ व मस्तेमऊ में कुल क्षे0–485.0139 हे0 (1197.9843 एकड़) भूमि का संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।

वेल्नेस सिटी योजना के उक्त प्रेषित प्रस्ताव में ग्राम–मस्तेमऊ की क्षे0–51.4117 हे0 (127.0410 एकड़) भूमि सम्मिलित नहीं है। अतएव ग्राम–मस्तेमऊ तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ क्षे0–51.4117 हे0 (127.0410 एकड़) भूमि के अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

<u>प्रस्ताव</u> :–

लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित वेल्नेस सिटी योजना के विस्तारित क्षेत्र से आच्छादित ग्राम–मस्तेमऊ तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ में क्षे0–51.4117 हे0 (127.0410 एकड़) भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(अमित त्रिपाठी)
नायब तहसीलदार
ल0 वि0 प्रा0

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल0वि0प्रा0

(शशि भूषण पाठक)
प्रभारी अधिकारी-अर्जन
ल0वि0प्रा0

वेल्नेस सिटी योजनान्तर्गत ग्राम–मस्तेमऊ की खसरावार सूची :–

क्र0सं0	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा
1.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	678	0.2530
2.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	841min	0.1010
3.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	841min	1.1920
4.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	842	0.2530
5.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	843	0.2660
6.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	844	0.5470
7.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	845	0.2780
8.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	846	2.2860
9.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	847	0.2050
10.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	848	0.6000
11.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	849	0.3790
12.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	850	0.1260
13.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	851	0.6960
14.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	852	0.0000
15.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	853 ka	0.1010
16.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	854	0.6960
17.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	855	0.2210
18.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	856	0.9420
19.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	857	0.3190
20.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	858	0.2910
21.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	859	0.1420
22.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	860	0.1200
23.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	861kha	0.1170
24.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	861ka	0.1170
25.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	862	0.4050
26.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	862	0.4050
27.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	862	0.4050
28.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	863	0.6450
29.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	864	0.2020
30.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	867	0.1260
31.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	869	0.4230
32.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	870min	0.1900
33.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	870min	0.1290
34.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	872Min	0.0376
35.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	872Min	0.0384
36.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	874	0.3410
37.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	875	0.2020
38.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	876	0.0410
39.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	877Min	0.1275
40.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	877Min	0.0255
41.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	877Min	0.0790
42.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	878	0.0760
43.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	878	0.0760
44.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	878	0.0760
45.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	880	0.4430
46.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	881	3.1110

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल0वि0प्रा0

47.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	882	0.2940
48.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	882	0.2940
49.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	883	0.5520
50.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	884	0.0220
51.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	884	0.0220
52.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	885	0.0890
53.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	886	0.0890
54.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	887	0.1100
55.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	890	0.0220
56.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	895	0.1740
57.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	898	0.0570
58.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	899	0.0870
59.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	900min	0.0740
60.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	900min	0.0126
61.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	901	0.1000
62.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	902	0.4760
63.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	904	0.0790
64.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	905ka	0.0410
65.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	905 kha	0.0090
66.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	906	0.1010
67.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	908	0.1070
68.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	909	0.3080
69.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	910	0.4380
70.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	911	0.8140
71.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	914	0.3100
72.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	915min	0.2400
73.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	915min	0.0250
74.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	916min	0.3420
75.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	916min	0.0130
76.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	917MIN	0.3672
77.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	917MIN	0.0380
78.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	917MIN	0.0213
79.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	918	0.2470
80.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	921	0.1960
81.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	922	0.1900
82.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	923 KA	0.2020
83.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	923 KHA	0.0310
84.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	924	0.0190
85.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	926	0.1250
86.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	931	0.1260
87.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	933	0.0630
88.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	934	0.0510
89.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	936	0.4050
90.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	937	0.1640
91.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	938	0.1900
92.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	939	0.6670
93.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	940	0.1580
94.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	945	0.3350
95.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	963MIN	0.1980

(हिमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल०वि०प्रा०

96.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	963MIN	0.2530
97.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	965	0.3100
98.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	967	0.2720
99.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	968	0.2710
100.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1033	0.1070
101.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1036	0.1230
102.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1037	0.0250
103.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1043	0.4950
104.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1045	0.1580
105.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1046min	0.3900
106.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1046min	0.0460
107.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1046min	0.0460
108.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1047	0.2530
109.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1081	0.0630
110.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1087	0.1230
111.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1088	0.1230
112.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1090min	0.0126
113.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1090min	0.6005
114.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1092	0.4130
115.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1096	0.2070
116.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1092/1050	0.4130
117.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1094min	0.1260
118.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1094min	0.3220
119.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1095	0.4910
120.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1138	0.8050
121.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1139min	0.4690
122.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1139min	0.0760
123.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1141	0.1510
124.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1142	0.2650
125.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1143	0.1290
126.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1144	0.1310
127.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1145	0.2850
128.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1146	0.3100
129.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1148	0.1520
130.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1149	0.1140
131.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1152	0.1550
132.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1153	0.3730
133.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1154	0.1990
134.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1155	0.1900
135.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1156	0.1930
136.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1159 MIN	0.0630
137.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1159MIN	0.6230
138.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1160	0.0760
139.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1161	0.1200
140.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1162	0.2080
141.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1163	0.3000
142.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1164	0.3010
143.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1165	0.2910
144.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1166	0.5190

(हिमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी-अर्जन,
ल०वि०प्रा०

85

145.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1167	0.1450
146.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1167	0.1450
147.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1168	0.1390
148.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1168	0.1390
149.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1168	0.1390
150.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1169	0.1900
151.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1170ka	0.1900
152.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1170kha	0.1900
153.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1171	0.2020
154.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1172	0.2080
155.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1174	1.3060
156.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1175	1.3280
157.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1176	1.2610
158.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1177	2.7190
159.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1178 Min	3.7695
160.	जिला	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	1179	0.2530
कुल योग–					**51.4117**

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–[illegible]
ल0वि0प्रा0

विषय संख्या :- 14 पृष्ठ संख्या :- 86

विषयः- मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आई0टी0 सिटी योजना से आच्छादित ग्राम-सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, बक्कास, मोहारी खुर्द, खुजौली व भटवारा तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ में क्षे0-686.6615 हे0 (1696.778 एकड़) भूमि को सहमति के आधार पर भू-स्वामी/विकासकर्ताओं की भूमि को समितियों हेतु निर्धारित समायोजन पॉलिसी के अनुसार कुल भूमि की 50 प्रतिशत अविकसित भूमि बल्क सेल के रूप में भू-स्वामी/विकासकर्ताओं को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की आई0टी0 सिटी योजनान्तर्गत स्थित ग्राम-सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, बक्कास, मोहारी खुर्द, खुजौली व भटवारा तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ में प्रस्तावित भूमि क्षे0-686.6615 हे0 (1696.778 एकड़) के भूमि के अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव किये जाने हेतु ग्राम एवं खसरावार विवरण निम्नवत् हैः-

क्र. सं.	जिला	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	कुल खसरा संख्या	कुल काश्तकार की संख्या (लगभग में)	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्ष 2015 में निर्गत बुकलेट के अनुसार सर्किल दर प्रतिहेक्टेयर	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर की दर लाख प्रति हेक्टेयर	कुल धनराशि (लाख में) डीएम सर्किल रेट x कुल क्षे0 का चार गुना
1	लखनऊ	बक्कास	11.1448	27.5394	87	46	72 लाख (ग्रामीण)	288 लाख	3209.702
2	लखनऊ	सोनई कंजेहरा,	45.9837	113.6282	112	358	63 लाख नगरीय)	126 लाख	5793.9462
3	लखनऊ	सिकन्दरपुर अमोलिया	122.0238	301.5274	333	1905	32 लाख (ग्रामीण)	128 लाख	15619.0464
4	लखनऊ	सिद्धपुरा	68.6183	169.5595	260	497	32 लाख (ग्रामीण)	128 लाख	8783.1424
5	लखनऊ	परेहटा	221.8528	548.2102	865	3789	32 लाख (ग्रामीण)	128 लाख	28397.1584
6	लखनऊ	पहाड़नगर टिकरिया	84.7855	209.5095	291	1860	63 लाख (ग्रामीण)	252 लाख	21365.946
7	लखनऊ	रकीबाबाद	95.2660	235.4074	391	1345	25 लाख (ग्रामीण)	100 लाख	9526.60
8	लखनऊ	मोहारी खुर्द	14.0038	34.6041	62	253	44 लाख(ग्रामीण)	176 लाख	1792.4864
9	लखनऊ	खुजौली	0.4310	1.0650	4	12	44 लाख (ग्रामीण)	176 लाख	55.168
10	लखनऊ	भटवारा	22.5518	55.7268	75	179	25 लाख (ग्रामीण)	100 लाख	2255.18
			686.6615	**1696.778**	**2480**	**10244**			**96798.38**

लखनऊ विकास प्राधिकरण की आई0टी0 सिटी योजनान्तर्गत स्थित ग्राम-सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, बक्कास, मोहारी खुर्द,

(उदय नारायण) सर्वेयर-अर्जन ल0वि0प्रा0

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला नायब तहसीलदार/स0च0अ0 ल0वि0प्रा0

06/11/24 (हिमचन्द्र तिवारी) चकबन्दी अधिकारी-अर्जन ल0वि0प्रा0

(शशि भूषण पाठक) प्रभारी अधिकारी-अर्जन ल0वि0प्रा0

(एस0 पी0 सिंह) संयुक्त सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

खुजौली व भटवारा तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ में प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में निम्नवत निर्णय लिया जाना है :–

1. आई0टी0 सिटी योजना के अन्तर्गत आने वाली भू–स्वामी/विकासकर्ताओं की भूमि को समझौते के आधार पर क्रय किया जाय।
2. योजना की भूमि लैण्ड पूलिंग के आधार पर क्रय की जाय।
3. योजना में भू–स्वामी/विकासकर्ताओं की भूमि को समितियों हेतु निर्धारित समायोजन पॉलिसी के अनुसार कुल भूमि की 50 प्रतिशत अविकसित भूमि बल्क सेल के रूप में भू–स्वामी/विकासकर्ताओं को प्रदान की जाय।
4. उपरोक्त बिन्दु संख्या–3 में वही विकासकर्ता/ भू–स्वामी पात्र होंगे, जिनके पास न्यूनतम 10 एकड भूमि निर्विवादित स्वामित्व की उपलब्ध हो।
5. 50 प्रतिशत उपलब्ध कराये जाने वाली अविकसित भूमि पर भू–स्वामी/विकासकर्ताओं द्वारा नियमानुसार भवन उपविधि के मानकों को पूर्ण करते हुए तलपट मानचित्र/ परियोजना स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा तथा स्वीकृति हेतु आवश्यक विकास शुल्क तथा अन्य समस्त शुल्क भू–स्वामी/ विकासकर्ताओं से प्राप्त किये जायेगे।

<u>प्रस्ताव</u> :–

मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आई0टी0 सिटी योजना से आच्छादित उपर्युक्त ग्रामों में क्षे0–686.6615 हे0 (1696.778 एकड़) भूमि को सहमति के आधार पर भू–स्वामी/विकासकर्ताओं की भूमि को समितियों हेतु निर्धारित समायोजन पॉलिसी के अनुसार कुल भूमि की 50 प्रतिशत अविकसित भूमि बल्क सेल के रूप में भू–स्वामी/विकासकर्ताओं को प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(उदय नारायण) सर्वेयर-अर्जन ल०वि०प्रा०	6/11/24 ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला नायब तहसीलदार/स०च०अ० ल०वि०प्रा०	06/11/24 (हेमचन्द्र तिवारी) चकबन्दी अधिकारी–अर्जन ल०वि०प्रा०	(शशि भूषण पाठक) प्रभारी अधिकारी-अर्जन ल०वि०प्रा०	SPSingh 06.11.24 (एस० पी० सिंह) संयुक्त सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

विषय संख्याः– 15 पृष्ठ संख्याः– 88

विषयः– लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड योजना के अर्जित भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए वर्ष निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 के अन्तर्गत स्थित ग्राम कलियाखेड़ा का क्षे0–127.218 हे0 व प्यारेपुर का क्षे0–143.141 हे0 अर्थात कुल क्षेत्रफल–270.359 हे0 भूमि का अधिग्रहण भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4/16 व 6/16 की विज्ञप्तियों का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 25.07.2012 व 02.09.2013 को शासन द्वारा जारी किया गया है तथा अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 द्वारा दिनांक 08.09.2015 को अभिनिर्णय घोषित किया गया। उक्त अभिनिर्णय में वांछित समस्त धनराशि का भुगतान अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 को प्रेषित किया जा चुका है। इस प्रकार भूमि की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार/लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित हो चुका है।

विभागीय पत्र संख्या–935/एसी0/प्र0/2024 दिनांक 17.09.2024 के माध्यम से लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहन रोड याजना के अंतर्गत ग्राम कलियाखेड़ा में स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन के संबंध में अधिशासी अभियन्ता अभियन्त्रण खण्ड जोन–3 के पत्र संख्या–201/अधि0अभि0 जोन–3 (अभि0)/2024–25 दिनांक 11.09.2024 में मूल्यांकन सर्वे कर रही संस्थाता मेसर्स सुगम सोसियोइन्वायसेट कन्सलटेन्ट द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 09.09.2024 के माध्यम से मोहान रोड आवासीय योजना के अंतर्गत ग्राम–कलियाखेड़ा की परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन किस वर्ष के पी0डब्लू0डी0, एस0ओ0आर0 दर पर किया जाना है, के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 को प्रेषित किया गया था।

अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 द्वारा अपने पत्र संख्या–528/अ0जि0अ0(भू0अ0)/न0म0 पा0–1, दिनांक 28 सितम्बर, 2024 के माध्यम से अवगत कराया गया कि उक्त योजना हेतु प्रस्तावित भूमि पर विद्यमान परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के प्रतिकर का निर्धारण, भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–28 के अनुसार कराये जाने से अवगत कराया गया है। तद्क्रम में धारा–28 निम्नवत है :–

28- Parameters to be considered by Collector in determination of award.- In determining the amount of compensation to be awarded for land acquired under this Act, the Collector shall take into consideration-

firstly, the market value as determined under Section 26 and the award amount in accordance with the First and Second Schedules;

(सुनील कुमार रावत) अमीन ल0वि0प्रा0 (तुलसीराम) सहायक चकबंदी अधिकारी ल0वि0प्रा0 तहसीलदार-अर्जन ल0वि0प्रा0 (शशि भूषण पाठक) प्रभारी अधिकारी-अर्जन ल0वि0प्रा0

secondly, the damage sustained by the person interested, by reason of the taking of any standing crops and trees which may be on the land at the time of the Collector's taking possession thereof;

thirdly, the damage (if any) sustained by the person interested, at the time of the Collector's taking possession of the land, by reason of severing such land from his other land;

fourthly, the damage (if any) sustained by the person interested, at the time of the Collector's taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other property, movable or immovable, in any other manner, or his earnings;

fifthly, in consequence of the acquisition of the land by the Collector, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses (if any) incidental to such change;

sixthly, the damage (if any) bona fide resulting from diminution of the profits of the land between the time of the publication of the declaration under Section 19 and the time of the Collector's taking possession of the land; and

seventhly, any other ground which may be in the interest of equity, justice and beneficial to the affected families.

तद्क्रम में उक्त अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के आलोक में कब्जा प्राप्त करने का वर्ष 2019 के आधार पर परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कराये जाने हेतु निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत पत्रावली पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 18.10.2024 को निर्णय लिया गया कि *"2019 रखना उचित है। प्रभारी अर्जन इसका बोर्ड में कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।"*

उपरोक्तानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड योजना के अर्जित भूमि पर वर्ष 2019 की पी0डब्लू0डी0, एस0ओ0आर0 दर पर के आधार पर परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु प्राधिकरण बोर्ड से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना है।

प्रस्ताव :—

लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड योजना से आच्छादित ग्राम—कलियाखेड़ा एवं प्यारेपुर की अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन कब्जा प्राप्त करने के वर्ष 2019 की पी0डब्लू0डी0, एस0ओ0आर0 (Schedule of Rates) दर से कराने हेतु कार्योत्तर प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(सुनील कुमार रावत)
अमीन
ल0वि0प्रा0

(सुन्दरलाल)
सहायक चकबंदी अधिकारी
ल0वि0प्रा0

तहसीलदार-अर्जन
ल0वि0प्रा0

(शशि भूषण पाठक)
प्रभारी अधिकारी-अर्जन
ल0वि0प्रा0

विषयः–**सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत स्थित ग्राम–मोहिबुल्लापुर, मोहिउद्दीनपुर, मिठौली खुर्द, खरगपुर जागीर, पहाड़पुर, जाहिदपुर, लखलीलाबाद, आकिलपुर, सिन्दरपुर इनायत अली, सेमरा गौढ़ी, बटहा सबौली व अतरौली की अर्जित भूमि के प्रतिफल की दर पर ब्याज की गणना की तिथि नियत करने के सम्बन्ध में।**

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम–मोहिबुल्लापुर, मोहिउद्दीनपुर, मिठौली खुर्द, खरगपुर जागीर, पहाड़पुर, जाहिदपुर, लखलीलाबाद, आकिलपुर, सिन्दरपुर इनायत अली, सेमरा गौढ़ी, बटहा सबौली व अतरौली की कुल 1527.72 एकड भूमि का अधिग्रहण सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना, जानकीपुरम योजना व जानकीपुरम विस्तार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981 में किया जा चुका है, जिसकी भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4/17 व 6/17 की विज्ञप्तियों का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 12.11.1981 व 03.12.1981 को शासन द्वारा जारी की जा चुकी है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा भूमि का कब्जा दिनांक 30.03.1984 को ल0वि0प्रा0 के पक्ष में हस्तांतरित किया जा चुका है। भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 20.09.1986 को घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार/ल0वि0प्रा0 में निहित हो चुका है।

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 23.02.2007 के विषय संख्या–11 पर "सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत ग्राम सेमरा गौढ़ी मोहिबुल्लापुर, खलीलाबाद, सिकन्दरपुर इनायत अली व आकिलपुर की अर्जित भूमि का समझौता के आधार पर प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि :–

"विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि किसानों को भुगतान की जाने वाली धनराशि में दिनांक 31.3.2007 तक ब्याज सम्मिलित किया जाय एवं इस धनराशि का भुगतान हितबद्ध व्यक्तियों को दिनांक 30 सितम्बर, 2007 तक सुनिश्चित कर लिया जाये, ताकि ब्याज की अतिरिक्त देयता पर विराम लग सके। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि चुनाव आयोग की अनुमति के उपरान्त ही लिये गये निर्णय का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।"

अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 द्वारा पत्र संख्या–1657/अ0जि0अ0(भू0अ0), न0म0पा0–1 लखनऊ दिनांक 07.01.2011 में अवगत कराया है कि उक्त योजना में प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दि0 23–2–2007 में लिये गये निर्णय की ब्याज का भुगतान दि0 31–3–2007 तक ही किया जायेगा को परिवर्तित करना औचित्यपूर्ण है, क्योकि बोर्ड की प्रत्याशा के अनुरूप दि0 30–9–2007 तक भुगतान नहीं हो पाया है, और दि0 31–3–2007 तक ही ब्याज लगाये जाने के कारण किसानों की आर्थिक क्षति हो रही है। अतएव ब्याज की देयता पर प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लिया जाना नितान्त आवश्यक है।

अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 द्वारा पत्र संख्या–1828/अ0जि0अ0(भू0अ0), न0म0पा0–1 लखनऊ दिनांक 22.03.2011 में अवगत कराया है कि ब्याज की देयता पर प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लिया जाना नितान्त आवश्यक है।

(अभिषेक कु. निषाद)
अमीन
ल0वि0प्रा0

(ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला)
नायब तहसीलदार/स0च0अ0
ल0वि0प्रा0

(हेमचन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी–अर्जन
ल0वि0प्रा0

(शशि भूषण पाठक)
प्रभारी अधिकारी–अर्जन
ल0वि0प्रा0

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 17.10.2024 को प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता श्री रत्नेश चन्द्रा से दूरभाष पर वार्ता की गयी, यथा निर्देशित किया गया ''उक्त पत्रावली में तत्कालीन ए0डी0एम0एल0ए0 के पत्र दिनांक 07.11.2011 तथा 22.03.2011 के माध्यम से एल0डी0ए0 बोर्ड के निर्णय दिनांक 23.02.2007 पर पुनर्विचार किये जाने का अनुरोध किया है। यह बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया था कि ब्याज की देयता 31.03.2007 तक रहेगी एवं समस्त भुगतान 30.09.2007 तक कर दिया जायेगा। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि भुगतान 30.09.2007 के उपरान्त भी हुए है तथा इस पत्रावली में उपलब्ध प्रकरण की तरह अन्य प्रकरणों में भी किसानों/भू-स्वामियों द्वारा भुगतान की तिथि तक ब्याज की धनराशि लिये जाने की मांग की जा रही है।

अतः यह न्यायोचित है कि प्रकरण का समुचित परीक्षण करते हुए आगामी बोर्ड की बैठक में नियमानुसार प्रकरण प्रस्तुत किया जायें।''

इस सम्बन्ध में श्रीमती सीता देवी व अन्य द्वारा योजित मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-रिट सी-12493 ऑफ 2010 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित करते हुए प्रार्थना की गयी है कि प्रतिफल की भुगतान की तिथि तक ब्याज की गणना की जाये।

सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत स्थित ग्राम-मोहिबुल्लापुर, मोहिउद्दीनपुर, मिठौली खुर्द, खरगपुर जागीर, पहाड़पुर, जाहिदपुर, खलीलाबाद, आकिलपुर, सिन्दरपुर इनायत अली, सेमरा गौढ़ी, बटहा सबौली व अतरौली की अर्जित भूमि के सम्बन्ध में पूर्व प्राधिकरण बोर्ड बैठक 23.02.2007 के विषय संख्या-11 पर लिये गये निर्णयानुसार प्रतिफल भुगतान पर ब्याज भुगतान की नियत गणना तिथि 31.03.2007 को परिवर्तित करते हुए प्रतिफल के भुगतान की तिथि तक ब्याज की गणना कराये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्ताव :

सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत स्थित ग्राम-मोहिबुल्लापुर, मोहिउद्दीनपुर, मिठौली खुर्द, खरगपुर जागीर, पहाड़पुर, जाहिदपुर, खलीलाबाद, आकिलपुर, सिन्दरपुर इनायत अली, सेमरा गौढ़ी, बटहा सबौली व अतरौली की अर्जित भूमि के प्रतिफल भुगतान पर प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 23.02.2007 के विषय संख्या-11 पर लिये गये निर्णयानुसार प्रतिफल भुगतान पर ब्याज की नियत गणना तिथि 31.03.2007 को परिवर्तित करते हुए प्रतिफल के भुगतान की तिथि तक ब्याज की गणना करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स0च0अ0
ल0वि0प्रा0

(हिमवन्द्र तिवारी)
चकबन्दी अधिकारी-अर्जन
ल0वि0प्रा0

(शशि भूषण पाठक)
प्रभारी अधिकारी-अर्जन
(ल0वि0प्रा0)

विषय संख्या :– 17 पृष्ठ संख्या :– 92

विषयः–लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड योजना के क्रियान्वयन हेतु आउटर रिंग रोड से योजना को जोड़ने वाली 60 मीटर मार्ग के संरेखण में आ रही वन विभाग की भूमि को विनिमय कराने, आम सहमति से क्रय करने/भूमि अर्जन करने तथा राज्य सरकार में दर्ज भूमि के पुनर्ग्रहण करने के सम्बन्ध में।

मोहान रोड आवासीय योजनान्तर्गत स्थित भूमि का लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण वर्ष–2012 में किया जा चुका है, जिसकी धारा–4/16/6/16 की विज्ञप्तियों का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 25.07.2012 व दिनांक 02.09.2013 को शासन द्वारा जारी किया जा चुका है तथा भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 08.09.2015 को घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार भूमि की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार/लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित हो चुका है।

मोहान रोड योजना के क्रियान्वयन हेतु आउटर रिंग रोड से योजना को जोड़ने वाली 60 मीटर मार्ग के के संरेखण में आ रही वन विभाग की ग्राम–अमौसी, समदा, अनौरा, तहसील–सरोजनीनगर, लखनऊ की कुल क्षेत्रफल–9.9830 हे0 भूमि को विनिमय के माध्यम से उपलब्ध कराने एवं ग्राम–चकौली, समदा, अनौरा, तहसील–सरोजनीनगर, लखनऊ का अनुमानित क्षेत्रफल 3.9710 हे0 ऊसर व बंजर के रूप में दर्ज भूमि का पुनर्ग्रहण करने तथा राज्य सरकार में दर्ज अनुमानित क्षेत्रफल–0.2670 हे0 भूमि का पुनर्ग्रहण करने एवं कृषकों के नाम दर्ज 4.4630 हे0 भूमि का आपसी सहमति से क्रय करने/अर्जन करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया जाना है।

<u>प्रस्ताव</u> :–

मोहान रोड योजना के क्रियान्वयन हेतु आउटर रिंग रोड से योजना को जोड़ने वाली 60 मीटर मार्ग के ~~के~~ संरेखण में आ रही वन विभाग की ग्राम–अमौसी, समदा, अनौरा, तहसील–सरोजनीनगर, लखनऊ की कुल क्षेत्रफल–9.9830 हे0 भूमि को विनिमय के माध्यम से उपलब्ध कराने एवं ग्राम–चकौली, समदा, अनौरा, तहसील–सरोजनीनगर, लखनऊ का अनुमानित क्षेत्रफल 3.9710 हे0 ऊसर व बंजर के रूप में दर्ज भूमि का पुनर्ग्रहण करने तथा राज्य सरकार में दर्ज अनुमानित क्षेत्रफल–0.2670 हे0 भूमि का पुनर्ग्रहण करने एवं कृषकों के नाम दर्ज 4.4630 हे0 भूमि का आपसी सहमति से क्रय करने/अर्जन करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(सुनील कुमार रावत)
अमीन
ल0वि0प्रा0

16/11/2024
सहायक चकबंदी अधिकारी
ल0वि0प्रा0

16/11/24
तहसीलदार-अर्जन
ल0वि0प्रा0

(शशि भूषण पाठक)
प्रभारी अधिकारी-अर्जन
ल0वि0प्रा0

विषयः— 18 संख्या :— 93

ग्राम भदरूख, तहसील—सरोजनीनगर, लखनऊ की भूमि खसरा संख्या—324, 325 व 327 कुल 4213.67 वर्गमी0 भूमि के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 (सी) संख्या—26424/2024 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम कृष्ण कुमार बंसल में पारित आदेश दिनांक 16.04.2024 एवं एस0एल0पी0 संख्या—24089/2017 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम कृष्ण कुमार बंसल में पारित आदेश दिनाकं 18.09.2017 के अनुपालन में शासन स्तर पर डी—नोटिफिकेशन सम्बन्धी निर्णय के सम्बन्ध में।

अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 उ0प्र0, शासन द्वारा पत्र संख्या—8—3099/380/2024 दिनांक 13.09.2024 **(संलग्नक—1)** के माध्यम से ग्राम भदरूख, तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ स्थित खसरा संख्या—324, 325 व 327 के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित डायरी संख्या—4484/2024 एस0एल0पी0 (सी) संख्या—26424/2024 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम कृष्ण कुमार बंसल में पारित आदेश दिनांक 16.04.2024 एवं एस0एल0पी0/ डायरी संख्या—24089/2017 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम कृष्ण कुमार बंसल में पारित आदेश दिनाकं 18.09.2017 के अनुक्रम में उक्त खसरा संख्याओं की 4213.67 वर्गमी0 भूमि के डिनोफिकेशन के सम्बन्ध में निम्न 05 बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुये आख्या/अभिलेख एवं प्रश्नगत भूमि को अर्जन मुक्त किया जाना अपरिहार्य होने की दशा में भूमि अर्जन अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों का उल्लेख करते हुये तदनुसार सुविचारित प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरांत ही शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है, जो निम्नवत है :—

1. धारा—4 एवं धारा—6 की कार्यवाही होने तथा भूमि का कब्जा प्राप्त होने व अभिनिर्णय की कार्यवाही होने के उपरान्त नये भू—अर्जन अधिनियम की धारा—24(2) के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि के अर्जन मुक्त की कार्यवाही का औचित्य।
2. प्रश्नगत भूमि के अर्जन मुक्ति की कार्यवाही के सम्बन्ध में इन्दौर विकास प्राधिकरण के मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर परीक्षण करते हुये आख्या।
3. एस0एल0पी0/डायरी संख्या—24089/2017 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 के विरूद्ध प्राधिकरण दिनांक 29.01.2024 को पुर्नविचार याचिका दाखिल किये जाने में अत्यधिक विलम्ब का कारण एवं क्या उक्त पुर्नविचार याचिका में इन्दौर विकास प्राधिकरण के मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया।
4. प्रश्नगत भूमि पर भौतिक कब्जे/नियोजन की अद्यतन स्थिति।

(आशीष [illegible])
अमीन
ल0वि0प्रा0

(तुलसीराम)
सहायक [illegible]
ल0वि0प्रा0

तहसीलदार-अर्जन
ल0वि0प्रा0

(शशि भूषण पाठक)
प्रभारी अधिकारी-अर्जन
ल0वि0प्रा0

5. प्रश्नगत भूमि के अर्जन की कार्यवाही से सम्बन्धित धारा–4 एवं धारा–6 की अधिसूचना, कब्जा प्रमाण पत्र, अभिनिर्णय एवं प्रतिकर मा0 जनपद न्यायालय में जमा किये जाने सम्बन्धी अभिलेखों की छायाप्रति।

उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में वांछित आख्या निम्नवत है :–

1. ग्राम–भदरूख की भूमि खसरा संख्या–314, 315, 324, 325, 327 का कुल रकबा 12–6–0–0 बीघा का अधिग्रहण कानुपर रोड नगर प्रसार योजना भाग–4 के अन्तर्गत वर्ष 1985 में किया जा चुका है तथा भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4/17 व 6/17 की विज्ञप्तियों का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 27.06.1985 व 05.07.1985 को शासन द्वारा किया गया है तथा अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 द्वारा भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 08.01.1988 को घोषित किया जा चुका है तथा भूमि का कब्जा दिनांक 10.02.1987 को भूमि अध्याप्ति कार्यालय द्वारा प्राधिकरण को हस्तगत किया गया है। इस प्रकार भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार/ल0वि0प्रा0 में निहित हो चुका है।

विवादित भूमि खसरा संख्या–314, 315, 324, 325, 327 का कुल रकबा 12–6–0–0 बीघा स्थित ग्राम भदरूख में याचीगण 1/2 भाग के सह खातेदार है, जिसमें श्री कृष्ण कुमार बंसल पुत्र स्व0 नन्द किशोर बंसल उक्त भूमि के 1/4 भाग के हिस्सेदार है तथा 1/4 भाग में से अनुपम बंसल, नीरज बंसल, धीरज बंसल पुत्रगण स्व0 राज कुमार बंसल हिस्सेदार है। भू–स्वामी द्वारा उपरोक्त भूमि में से खसरा संख्या–314, 315 क भूमि का प्रतिकर भुगतान अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 कार्यालय से प्राप्त किया जा चुका है, परन्तु अवशेष खसरा संख्या–324 रकबा 0–15–0–0 व खसरा संख्या–325 रकबा 1–0–0–0 एवं खसरा संख्या–327 रकबा 1–16–0–0 बीघा अर्थात कुल रकबा 3–11–0–0 बीघा भूमि का प्रतिकर इनके द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत न करने पर अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 द्वारा द्वारा दिनांक 08.04.2015 को नियमानुसार प्रतिकर की धनराशि सक्षम न्यायालय/जिला जज के यहां जमा की जा चुकी है।

2. ग्राम भदरूख, लखनऊ की भूमि खसरा संख्या–324, 325, 327 के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–65/एल0ए0/2015 कृष्ण कुमार बंसल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.03.2017 **(संलग्नक–2)** में उक्त खसरा संख्याओं की अर्जित भूमि को धारा–24 (2) नये अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अर्जन मुक्त किए जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसका अंश निम्नवत है :–

---In such circumstances, the petitioners are justified in claiming the benefit of Section 24(2) of the 2013 Act. Consequently, in view of the aforesaid undisputed position of facts that has emerged after the affidavit of the respondents, the acquisition proceedings in relation to the aforesaid three plots namely Plot Nos.324, 325 & 327 will be deemed to have lapsed in terms of Section 24(2) of the 2013 Act in view of the law laid down in the case of Delhi

Development Authority Vs. Sukhbir Singh - 2016 SCC OnLine SC 929 and other judgments in this regard.

The writ petition is accordingly allowed with the aforesaid declaration.

(शशि... कुमार)
अमीन
ल0वि0प्रा0

(तुलसीराम)
सहायक ... अधिकारी
ल0वि0प्रा0

तहसीलदार-अर्जन
ल0वि0प्रा0

(शशि भूषण पाठक)
प्रभारी अधिकारी-अर्जन
ल0वि0प्रा0

3. मा0 उच्च न्यायालय में पारित ओदश दिनांक 23.03.2017 के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका/डायरी न0–24089/2017 ल0वि0प्रा0 बनाम कृष्ण कुमार बंसल योजित किया गया, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 18.09.2017 **(संलग्नक–3)** को आदेश पारित किया गया है, जो निम्नवत है :–

Heard learned counsel for the petitioner. we are not inclined to interfere with the order passed by the high Court.
The Special Leave petition is dismissed.
However, the question of law is left open and it will be open for the petitioner to purchase the land in question, in case they want.
pending application stands disposed of.

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका/डायरी न0–24089/ 2017 ल0वि0प्रा0 बनाम कृष्ण कुमार बंसल व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 18.09.2017 के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा पुनः दिनांक 29.01.2024 को पुर्नविचार याचिका डायरी नं0–4484/2024 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम कृष्ण कुमार बंसल योजित की गयी थी, जिसमें इन्दौर विकास प्राधिकरण के मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय में पुर्नविचार याचिका डायरी नं0–4484/2024 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम कृष्ण कुमार बंसल में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2024 **(संलग्नक–4)** को आदेश पारित किया गया है, जो निम्नवत है :–

"There is a delay of 2294 days in filing the review petition which has not been satisfactorily explained by the petitioner.even otherwise we have carefully gone through the petition for review and the papers connected therewith. we do not find any vailid ground to interfere with the petition.
Accofdingly, the review petition is dismissed on the ground of delay as well as on merits.
Pending application, if any, stands disposed of."

4. ग्राम–भदरूख की भूमि खसरा संख्या–324 रकबा 0–15–0–0 बीघा, खसरा संख्या–325 रकबा 1–0–0–0 बीघा एवं खसरा संख्या–327 रकबा 1–16–0–0 बीघा अर्थात कुल रकबा 3–11–0–0 बीघा भूमि का कब्जा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 10.02.1987 को प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित किया गया है, परन्तु उक्त अर्जित भूमि पर आवेदक का कब्जा है। उक्त अर्जित भूमि पर नियोजन की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक महोदय द्वारा अवगत कराया गया है कि "प्रश्नगत भूमि का तलपट मानचित्र वर्ष 2007 में तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत किया गया है। **(संलग्नक–5)** अतः प्रश्नगत भूमि का नियोजन तत्समय ही किया जा चुका है।

अवर अभियन्ता ... ल0वि0प्रा0 | ... ल0वि0प्रा0 | तहसीलदार-अर्जन ल0वि0प्रा0 | (शशि भूषण पाठक) प्रभारी अधिकारी-अर्जन ल0वि0प्रा0

5. प्रश्नगत ग्राम–भदरूख की भूमि खसरा संख्या–324, 325 व 327 की भूमि के अर्जन सम्बन्धी धारा–4 एवं धारा–6 की अधिसूचना, कब्जा प्रमाण पत्र, अभिनिर्णय एवं प्रतिकर भुगतान मा0 जनपद न्यायालय में जमा किया जा चुका है। **(संलग्नक–6)**

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 (सी) संख्या–26424/2024 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम कृष्ण कुमार बंसल में पारित आदेश दिनांक 16.04.2024 एवं एस0एल0पी0 संख्या–24089/2017 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम कृष्ण कुमार बंसल में पारित आदेश दिनाकं 18.09.2017 अनुपालन में प्रश्नगत ग्राम–भदरूख, लखनऊ की खसरा संख्या–324, 325 व 327 कुल 4213.67 वर्गमी0 भूमि को शासन स्तर से डी–नोटिफिकेशन के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

प्रस्ताव :–

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 (सी) संख्या–26424/2024 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम कृष्ण कुमार बंसल में पारित आदेश दिनांक 16.04.2024 एवं एस0एल0पी0 संख्या–24089/2017 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम कृष्ण कुमार बंसल में पारित आदेश दिनाकं 18.09.2017 के अनुपालन में शासन द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 13.09.2024 के अनुक्रम में ग्राम–भदरूख, लखनऊ की खसरा संख्या–324, 325 व 327 कुल 4213.67 वर्गमी0 भूमि को शासन स्तर से डी–नोटिफिकेशन के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उपजिलाधिकारी
ल0वि0प्रा0

तहसीलदार-अर्जन
ल0वि0प्रा0

(शशि भूषण पाठक)
प्रभारी अधिकारी-अर्जन
ल0वि0प्रा0

1245/JS/कैम्प/24
17/9/24

2771(1)/50 अ0/24
18-9-24

97

ई-मेल

प्रेषक,

अरूण कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

सचिव कैम्प
क्र0 सं0 550/
दिनांक 13/9/24
गोमती नगर प्राधिकरण भवन

19/9/24

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-**3** लखनऊः दिनांकः13सितम्बर, **2024**

विषयः- ग्राम भदरूख, तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ स्थित खसरा संख्या-**324**, **325** एवं **327** के संबंध में।

महोदय,

कृपया विषयांकित प्रकरण में सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्रांक-828/एसी./प्र./2024 दिनांक 28.08.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ग्राम भदरूख, तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ स्थित खसरा संख्या-324, 325 एवं 327 के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित डायरी संख्या-4484/2024 एस.एल.पी. (सी) संख्या-26424/2024 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम कृष्ण कुमार बंसल में पारित आदेश दिनांक 16.04.2024 एवं एस.एल.पी./डायरी संख्या-24089/2017 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम कृष्ण कुमार बंसल में पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 के अनुक्रम में उक्त खसरा संख्याओं की 4213.67 वर्ग मी. भूमि के डिनोटिफिकेशन के संबंध में अग्रेतर नियमानुसार कार्यवाही कराने का अनुरोध किया गया हैं।

18/9/24

2- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2024 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं :-

संयुक्त सचिव-अर्जन

"There is a delay of 2294 days in filing the review petition which has not been satisfactorily explained by the petitioner. review and the papers connected therewith. we do not find any vailid ground to interfere with the petition.

13/09/24 सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Accordingly, the review petition is dismissed on the ground of delay as well as on merits.

Pending application, if any, stands disposed of."

प्रभारी अर्जन

3 - अवगत कराया गया है कि ग्राम भदरूख की प्रश्नगत भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-4 के लिए की गयी थी जिसकी धारा-4/17 व धारा-6/17 की विज्ञप्तियों का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 27.06.1985 एवं 05.07.1985 को किया गया। अभिनिर्णय दिनांक 08.01.1988 को घोषित किया गया तथा भूमि का कब्जा दिनांक 10.02.1987 को प्राधिकरण को किया गया। भूमि के प्रतिकर की धनराशि मा0 जनपद न्यायालय में जमा

JS
17/09/24

CamScanner

की गयी है। उक्त के दृष्टिगत में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है :-

(1) धारा-4 एवं धारा-6 की कार्यवाही होने तथा भूमि का कब्जा प्राप्त होने व अभिनिर्णय की कार्यवाही होने के उपरान्त नये भू-अर्जन अधिनियम की धारा-24(2) के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि के अर्जन मुक्त की कार्यवाही का औचित्य।

(2) प्रश्नगत भूमि के अर्जन मुक्ति की कार्यवाही के संबंध में इन्दौर विकास प्राधिकरण के मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्वान्तों के आधार पर परीक्षण करते हुए आख्या।

(3) एस.एल.पी./डायरी संख्या-24089/2017 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 के विरूद्व प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.01.2024 को पुर्नविचार याचिका दाखिल किये जाने में अत्यधिक विलम्ब का कारण एवं क्या उक्त पुर्नविचार याचिका में इन्दौर विकास प्राधिकरण के मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्वान्तों का उल्लेख किया गया ?

(4) प्रश्नगत भूमि पर भौतिक कब्जे /नियोजन की अद्यतन स्थिति।

(5) प्रश्नगत भूमि के अर्जन की कार्यवाही से संबंधित धारा-4 एवं धारा-6 की अधिसूचना, कब्जा प्रमाण पत्र, अभिनिर्णय एवं प्रतिकर मा0 जनपद न्यायालय में जमा किये जाने संबंधी अभिलेखों की छायाप्रति

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में उपरोक्त उल्लिखित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए आख्या/अभिलेख एवं प्रश्नगत भूमि को अर्जन मुक्त किया जाना अपरिहार्य होने की दशा में भूमि अर्जन अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों का उल्लेख करते हुए तदनुसार सुविचारित प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by
Arun Kumar
(अरूण कुमार)
Date: 13-09-2024 10:54:23
अनु सचिव

CamScanner

Case :- LAND ACQUISITION No. - 65 of 2015

Petitioner :- Krishna Kumar Bansal And Ors.
Respondent :- State Of U.P.Throu.Its Secy.Awas Evam Shahari Niyojan & Ors.
Counsel for Petitioner :- Manish Kumar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Gaurav Mehrotra,Shobhit Mohan Shukla

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
Hon'ble Sanjay Harkauli,J.

Heard learned counsel for the petitioners and perused the affidavit of Shri Ashutosh Kumar, Addl. District Magistrate, Land Acquisition, Lucknow filed today. The same categorically states about the status of the acquisition proceedings and the award but at the same time the affidavit clearly mentions that in relation to Plot Nos. 324, 325 & 327, the compensation was deposited through a Treasury Voucher dated 07.04.2015 on 08.04.2015 before the learned District Judge, Lucknow. Copies of the said voucher and the letter are Annexures - SCA - 2 & SCA - 3 respectively.

The contention on behalf of the respondents is that the land had been acquired through a notification under Section 4 dated 27.06.1985 followed by a notification under Section 6 read with Section 17 dated 05.07.1985, the possession whereof was taken on 10.02.1987. The award was made on 08.01.1988 and the compensation for Plot Nos. 314 & 315 had been withdrawn by the petitioners but they deliberately did not receive the compensation in respect of Plot Nos.324, 325 & 327.

We have considered the submissions raised and we had called upon the respondents to file an affidavit vide our order dated 22.03.2017 which is extracted hereinunder:-

"Heard learned counsel for the petitioners.

This Writ Petition has been filed seeking a declaration to the effect that the proceedings in relation to plot Nos. 324, 325 and 327 have lapsed as admittedly the respondents had not made any legal tender of the amount which has been now deposited on 8.4.2015 in the Court of the learned District Judge, Lucknow.

Learned counsel submits that in view of this admitted position, even if the allegation is of taking possession on 10.2.1987 and the declaration of the Award on 8.1.1988, since the compensation amount had not been deposited before the learned District Judge in terms of Section 31(2) of the Land Acquisition Act, 1894, the provisions of Section 24(2) of the 2013 Act are clearly attracted.

We had called upon the respondents to file a counter affidavit and the learned Standing Counsel on 9.3.2017 had placed before us the written instructions received as also the para-wise narrative that have been received for filing of a counter affidavit.

The same has been perused by us today as well and the position is no different inasmuch as the said documents clearly indicate the deposit having been made on 8.4.2015.

CamScanner

Learned Standing Counsel prays for a further indulgence in the matter.

Put up this case tomorrow i.e. 23.3.2017. In the event no affidavit is filed by tomorrow, the Court will proceed to pass final orders."

It is in response of the said order that the present affidavit has been filed by the Addl. District Magistrate, Land Acquisition, Lucknow. On a perusal thereof and on the facts of the present case it is undisputed that the amount of compensation in respect of Plot Nos.324, 325 & 327 had been deposited on 08.04.2015 which is long after the date of the enforcement of the 2013 Act which came into force w.e.f. 01.01.2014.

In such circumstances, the petitioners are justified in claiming the benefit of Section 24(2) of the 2013 Act. Consequently, in view of the aforesaid undisputed position of facts that has emerged after the affidavit of the respondents, the acquisition proceedings in relation to the aforesaid three plots namely Plot Nos.324, 325 & 327 will be deemed to have lapsed in terms of Section 24(2) of the 2013 Act in view of the law laid down in the case of ***Delhi Development Authority Vs. Sukhbir Singh - 2016 SCC OnLine SC 929*** and other judgments in this regard.

The writ petition is accordingly ***allowed*** with the aforesaid declaration.

Order Date :- 23.3.2017
N.Mohan

Authenticated Copy
25.3.17
Section Officer
Computerized Copying Centre
High Court Lucknow Bench
Lucknow

CamScanner

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Diary No.24089/2017

(Arising out of impugned final judgment and order dated 23-03-2017 in LA No.65/2015 passed by the High Court Of Judicature At Allahabad, Lucknow Bench)

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY & ANR. Petitioner(s)

VERSUS

KRISHNA KUMAR BANSAL & ORS. Respondent(s)

(FOR ADMISSION and I.R. and IA No.77437/2017-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.77438/2017-EXEMPTION FROM FILING O.T.)

Date : 18-09-2017 This petition was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE R.K. AGRAWAL
HON'BLE MR. JUSTICE ABHAY MANOHAR SAPRE

For Petitioner(s) Mr. Ravi Prakash Mehrotra, AOR
Mrs. Deepti R. Mehrotra, Adv.
Mr. Vibhu Tiwari, Adv.
Mr. Ankit Agarwal, Adv.

For Respondent(s) Mr. Neeraj Kishan Kaul, Sr. Adv.
Mr. Rajesh Srivastava, AOR
Mr. Manish Kumar, Adv.
Mr. Varun Chauhan, Adv.
Ms. Suresh Kumari, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

Delay condoned.

Heard learned counsel for the petitioner. We are not inclined to interfere with the order passed by the High Court.

The Special Leave Petition is dismissed.

However, the question of law is left open and it will be open for the petitioner to purchase the land in question, in case they want.

Pending application stands disposed of.

(ASHA SUNDRIYAL)
COURT MASTER

(CHANDER BALA)
COURT MASTER

CS CamScanner

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
INHERENT JURISDICTION

REVIEW PETITION (CIVIL) NO. OF 2024
(DIARY NO.4484 OF 2024)

IN

SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) NO.26424 OF 2017

Lucknow Development Authority & Anr. ..... Petitioner(s)

VERSUS

Krishna Kumar Bansal & Ors. ..... Respondent(s)

O R D E R

There is a delay of 2294 days in filing the review petition which has not been satisfactorily explained by the petitioner. Even otherwise we have carefully gone through the petition for review and the papers connected therewith. We do not find any valid ground to interfere with the petition.

Accordingly, the review petition is dismissed on the ground of delay as well as on merits.

Pending application, if any, stands disposed of.

.... J.
(A.S. BOPANNA)

.... J.
(HRISHIKESH ROY)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Rajni Mukhi
Date: 2024.04.18
18:38:08 IST
Reason:

New Delhi;
April 16, 2024

CS CamScanner

103

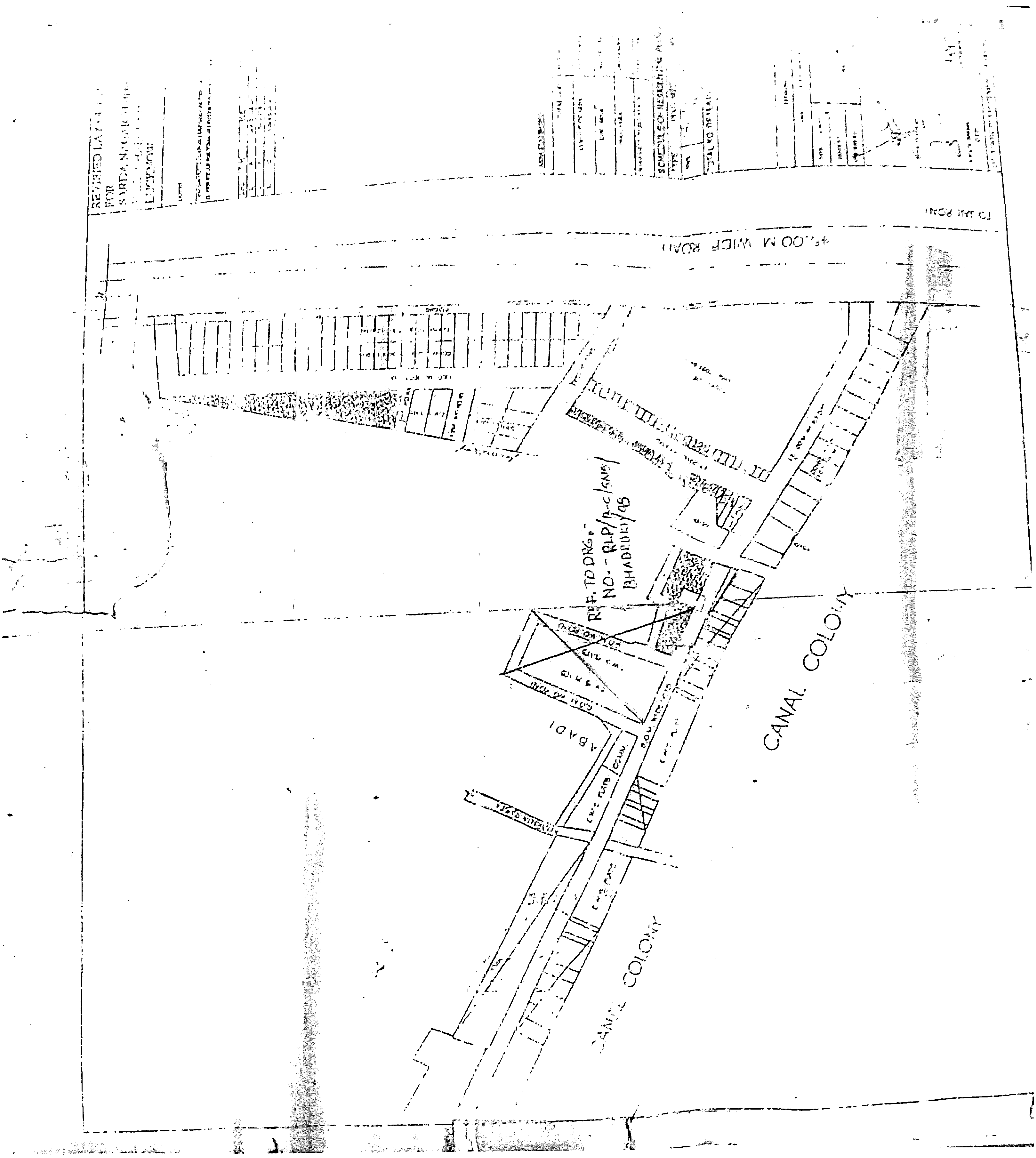

रजिस्टर्ड नं० ए०डी०-4

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

(लाइसेन्स टु पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 जून, 1985

आषाढ़ 6, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

नगर विकास अनुभाग-6

संख्या 1671/11-5-85-1(12) एल० ए०/84

लखनऊ, 27 जून, 1985

अधिसूचना

प० आ०—489

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् सुनियोजित विकास योजना के अधीन लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा लखनऊ जिले में कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-4 लखनऊ के लिये आवश्यकता है।

2--चूंकि राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं क्योंकि उक्त भूमि की लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा लखनऊ जिले में कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-4 लखनऊ के लिये तात्कालिक आवश्यकता है और इस आवश्यकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन जांच करने में सम्भावित विलम्ब को विवर्जित किया जाय, अतएव राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

अनुसूची

जिला	परगना	मौजा ग्राम	खसरा संख्या (प्लाट नम्बर)	अर्जित किये जाने वाले गाटा का क्षेत्रफल			
1	2	3	4	5			
				बी0	बि0	बि0	क0
लखनऊ	लखनऊ	मदरसा	314	0	10	0	0
			315	8	5	0	0
			316	0	6	0	0
			318	0	5	0	0
			319 सं0	0	15	0	0
			320 सं0	0	19	0	0
			321	0	7	18	0
			322	0	12	15	0
			323	0	5	15	0
			324	0	15	0	0
			325	1	0	0	0
			326	0	14	10	0
			327	1	16	0	0
			332	0	11	0	0
			335 सं0	11	12	0	0
			336	0	11	0	0
			337	0	11	5	0
			341	0	0	10	0
			342	0	16	0	0
			343	0	13	0	0
			344	1	6	10	0
			345	0	19	0	0
			346	0	2	0	0
			347	0	1	0	0
			349	1	1	0	0
			350	1	13	10	0
			351	0	6	5	0
			352	1	4	0	0
			353	0	4	0	0
			354	0	2	15	0
			355 सं0	1	0	0	0
			356	0	2	15	0
			357	0	4	0	0
			359	0	2	0	0
			360	1	1	0	0
			361	0	9	0	0
			362	0	5	0	0
			363	2	1	0	0
			364	0	2	0	0
			365	0	8	0	0
			367	0	6	0	0
			368	0	0	0	0
			369	0	16	10	0
			370	1	6	10	0
			371	1	7	5	

1	2	3	4	5			
लखनऊ-- (समाप्त)	बिजनौर-- (समाप्त)	उतरठिया-- (समाप्त)		बी0	बि0	बि0	क0
			510	0	14	0	0
			511	0	14	0	0
			512	0	2	10	0
			513 म0	1	7	0	0
			514	1	6	0	0
			515	0	4	0	0
			516	0	8	0	0
			517	0	3	15	0
		Total 41	योग	35	4	5	0
				22.01 एकड़			
		बेहसा	1079	1	18	0	0
				1.190 एकड़			
		कुल योग		2119	11	7	0
		Total		1324.73 एकड़			

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है -- सुनियोजित विकास योजना के अधीन लखनऊ जिले में कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-4 के लिये आवश्यकता है।

टिप्पणी -- उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलक्टर/भूमि अर्जन अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
कमल पाण्डे,
सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1671/11-5—85-1(12)LA/84 dated June 27, 1985:

No. 1671/11-5—85-1(12) LA/84

Dated Lucknow, June 27, 1985

UNDER sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894) the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for a public purpose, namely Kanpur Road City Expansion Scheme Part IV, Lucknow in district Lucknow by the Lucknow Development Authority, Lucknow under Planned Development Scheme.

2. The Governor, being of the opinion that the provisions of sub-section (1) of section 17 of the said Act are applicable to the said land which is urgently required for Kanpur City expansion Scheme Part IV, Lucknow in District Lucknow by the Lucknow Development Authority, Lucknow and that in view of the pressing urgency it is as well as necessary to eliminate the delay likely to be caused by an inquiry under section 5-A of the said Act, the Governor is further pleased to direct under sub-section (4) of section 17 of the said Act that the provisions of section 5-A of the said Act shall not apply.

For what purpose required : Kanpur Road City Expansion Scheme Part IV, Lucknow in district, Lucknow under Planned Development Scheme.

NOTE—Site plan of the land may be inspected in the office of the Collector/Special Land Acquisition Officer, Lucknow.

(Please See Schedule in Hindi Version)

By order,
KAMAL PANDAY,
Sachiv.

रजिस्टर्ड नं० पी० एल०-4
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41
(लाइसेन्स्ड टु पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

107
23

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 जुलाई, 1985
आषाढ़ 14, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

नगर विकास अनुभाग--5

संख्या 3448/11-[illegible]-1(12)-एल०ए०-84

लखनऊ, 5 जुलाई, 1985

अधिसूचना

सा०आ०--490

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गई सरकारी अधिसूचना संख्या 1671/11-5--85-1(12)-एल०ए०/84, दिनांक 27 [illegible] 1985 के क्रम में राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन यह घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् सुनियोजित विकास योजना के अधीन लखनऊ जिले में कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-4, लखनऊ के लिये आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन लखनऊ के कलेक्टर को निदेश देते हैं कि वे उक्त भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही करें।

चूंकि राज्यपाल का समाधान हो गया है कि यह मामला आत्यधिक है, इसलिये वे उक्त अधिनियम की धारा 17 उपधारा (1) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई [illegible] लखनऊ के कलेक्टर, उक्त लोक प्रयोजन के लिये, अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा धारा 9 की उपधारा (1) [illegible] सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवसान पर कर सकते हैं।

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:--सुनियोजित विकास योजना के अधीन लखनऊ जिले में कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-4, लखनऊ के लिए।

टिप्पणी:--(1) उक्त भूमि का स्थल नक्शा लखनऊ के कलेक्टर/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(2) उक्त भूमि की स्थल अनुसूची अंग्रेजी संस्करण के साथ संलग्न है।

आज्ञा से,
कमल पाण्डे,
सचिव।

CamScanner

THE Governor is pleased to order the publication of the following English tran[slation] of notification no. 3448/XI-5—85-1(12)-L.A.-84, dated July 5, 1985;

No. 3448/XI-5—85-1(12)-L.A.-84

Dated Lucknow, July 5, 1985.

In continuation of Government notification no. 1671/XI-5—85-1(12)-L. A.-84, d[ated] June 27, 1985 issued under sub-section (1) of section 4 and sub-section (4) of section 17 of [the] Land Acquisition Act, 1894 (Act no. I of 1894), the Governor is pleased to declare u[nder] section 6 of the said Act that he is satisfied that the Land mentioned in the Schedule bel[ow] is needed for a public purpose, namely for Kanpur Road City Expansion Scheme Part [...] Lucknow in district Lucknow, under a planned Development Scheme and under section 7 [of] the said Act, to direct the Collector of Lucknow to take order for the acquisition of the land.

2. The Governor, being satisfied that the case is one of urgency is further pleased u[nder] sub-section (1) of section 17 of the said Act to direct that the Collector of Lucknow, tho[ugh] no award under section 11 has been made, may, on the expiration of fifteen days from [the] publication of notice mentioned in sub-section (1) of section 9 take possession of the la[nd] which is mentioned in the Schedule for the said public purpose.

अनुसूची/SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	मौजा/ग्राम Mauza/Village	खसरा नं0 Plot no.	भूमि का क्षेत्रफल जो अर्जित किया जाना है Area to be acquired		
1	2	3	4	5		
				बी0 B.	बि0 B.	बि
लखनऊ Lucknow	लखनऊ Lucknow	भदरुख Bhadrukh	314	0	10	0
			315	8	6	0
			316	0	6	0
			318	0	5	0
			319 मि0	0	15	0
			320 ख0	0	19	0
			321	0	7	18
			322	0	12	11
			323	0	6	16
			324	0	16	0
			326	1	0	0
			326	0	14	10
			327	1	18	8
			332	0	11	0
			335 ख0	11	12	0
			336	0	11	0
			337	0	11	0
			341	0	0	10
			342	0	16	0
			343	0	13	0
			344	1	6	10
			345	0	19	0
			346	0	2	0
			347	0	1	0
			349	1	1	10
			350	1	13	5
			351	0	6	0
			352	1	4	0
			353	0	4	15
			354	0	2	
			355 मि0	1	0	5
			356	0	2	

109

1	2	3	4		6		
				बी0 B.	बि0 B.	बि0 B.	क0 K.
लखनऊ—(असमाप्त) Lucknow —(Contd.)	बिजनौर—(समाप्त) Bijnor —(Concld.)	उतरठिया—(समाप्त) Utrathia —(Concld.)	504	0	10	0	0
			605	0	16	0	0
			506	1	11	0	0
			507	0	13	0	0
			508	1	0	0	0
			600	1	3	9	0
			510	0	14	0	0
			511	0	14	0	0
			512	0	2	10	0
			513 म0	1	7	0	0
			514	1	6	0	0
			515	0	4	0	0
			516	0	8	0	0
			517	0	3	16	0
			योग	35	4	5	0
				22.61 एकड़			
लखनऊ—(समाप्त) Lucknow—(Concld.)	लखनऊ Lucknow	बेहसा Behsa	1079	1	18	0	0
				1.19 एकड़			
			कुल महायोग	2119	11	7	0
				1324.73 एकड़			

For what purpose required—Kanpur Road City Expansion Scheme, Part IV, Lucknow in district Lucknow under a Planned Development Scheme.

NOTE—A site plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Lucknow/Special Land Acquisition Officer, Lucknow.

By order,
KAMAL PANDE,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 510 राजपत्र (हि0)—(889)—1985—1,830 (मेके0)।

कार्यालय–विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
नगरमहापालिका, द्वितीय, लखनऊ

अभिनिर्णय सं०

1. वाद सं० :–	1 से 7 सफ सन् 1985
2. ग्राम का नाम	किलामोहम्मदीनगर, सालेह नगर, भदरूख, औरंगाबाद खालसा, उत्तर ट्रिया, हैवतमऊ मवइया, बेहसा।
3. परगना, तहसील व जिला :–	प० बिजनौरव लखनऊ त० व जि० लखनऊ।
4. भ० अ० अ० की धारा 4/17 की अंतिम प्रकाशन तिथि :–	11-12-85
5. भ०अ०अ० की धारा 6/17 की अंतिम प्रकाशन तिथि :–	09-01-86
6. जमींदारी उन्मूलन क्षेत्र अथवा जमींदारी उन्मूलन बाह्य क्षेत्र :–	जमींदारी उन्मूलन क्षेत्र
7. परिग्रह हस्तान्तरण तिथि :–	3/2/87, 4/2/87, 5/2/87, 7/2/87, 10/2/87, 25/3/87 30/3/87
8. अध्याप्ति का अभिप्राय :–	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग–4
9. अभिनिर्णय तिथि :–	08 जनवरी, 1988
10. अभिनिर्णीत क्षेत्र फल :–	2025 बीघा 15 बिस्वा 7 बिस्वांसी
11. अभिनिर्णीत धनराशि :–	
(अ) भूमि का प्रतिकर :–	रु० 7, 88, 84, 874–41 पैसे
(ब) निर्माण का प्रतिकर :–	रु० 4, 36, 320–00 पैसे
(स) वृक्षों का प्रतिकर :–	रु० 2, 42, 020–00 पैसे
(द) बाग का प्रतिकर :–	रु० 2, 80, 000–00 पैसे
(य) सोलेसियम :–	रु० 2, 39, 52, 964–32 पैसे
योग :–	रु० 10, 37, 96, 178–73 पैसे

(र) अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज नियमानुसार देय है।

12. लागत पूंजी :–	रु० 12, 55, 010–80 पैसे
13. अध्याप्ति व्यय :–	रु० 1, 03, 79, 617–87

CS CamScanner

111

[illegible] रकबा 17 विस्वा 10 विस्वांसी पर सन्तोष कुमार पुत्र रामदास अव० आदि एवं [illegible] नि० ग्राम का नाम अंकित है। हितबद्ध व्यक्ति ने 15/- रू० प्रतिवर्ग फुट की दर प्रतिकर की मांग की है।

ग्राम भदरूख

खाता नं० 1— खसरा सं०-407 स रकबा 4 बिस्वा पर अंगनू सिंह पुत्र द्वारिका सिंह निवासी ग्राम का नाम अंकित है।

खाता सं0 2— खसरा सं०-424 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी पर अफसर जहां जोजे चौधरी सैयद अली एडवोकेट नि० ग्राम नाम का अंकित है। सूरजलाल आदि ने 15/- रू० प्रतिवर्ग फुट की दर से प्रतिकर की मांग की है।

खाता सं० 8— खसरा सं०-513 रकबा 17 बिस्वा पर श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी धर्मपाल सिंह निवासी सिंगार नगर आलमबाग, लखनऊ का नाम अंकित है।

खाता सं० 9— खसरा सं०-321 रकबा 7 बिस्वा 18 बिस्वांसी पर ओम प्रकाश पुत्र राम नारायण निवासी ग्राम का नाम अंकित है।

खाता सं० 10— खसरा सं0-326 रकबा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी; 322 रकबा 7 बिस्वा 15 बिस्वांसी पर ओम प्रकाश सत्य प्रकाश पुत्रगण रामनारायण नि० ग्राम का नाम अंकित है। खसरा सं0 322 रकबा का 0-1-11 चन्द्र शेखर पुत्र पन्नालाल, 0-1-8-11 ब्रज नन्दन पुत्र राम लोचन, 0-1-12-8 ओम प्रकाश पुत्र, त्रिभुवनना 0-19-0 जगदीश सिंह माथुर पुत्र बाबू दीनानाथ, 0-1-1-0 श्रीमती दमयन्ती माथुर पत्नी श्री शंकर माथुर के नाम बैनामा के आधार पर इन्दराज हुआ है।

खाता सं० 11— खसरा सं०-335 रकबा 1 बिस्वा 7 बिस्वांसी पर कल्लू पुत्र खेमई निवासी ग्राम का नाम अंकित है।

खाता सं० 13— खसरा सं०-402 स रकबा 1 बिस्वा पर श्रीमती कृपाल कुमारी पत्नी बाबूलाल निवासी ग्राम का नाम अंकित है।

खाता सं० 14— खसरा सं०-519 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा पर श्रीमती विजय लक्ष्मी पुत्री चौधरी हुकुम सिंह पत्नी श्री कुलदीप सिंह निवासी देवीदास नार्गा गढ़ी पीर खां लखनऊ के नाम अंकित है।

खाता सं0 16— खसरा सं०-583 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 600 रकबा 8 बिस्वा पर गुरू प्रसाद पुत्र नन्हें निवासी ग्राम का नाम अंकित है। हितबद्ध व्यक्ति ने 15/- रू० प्रतिवर्ग फुट की दर से प्रतिकर की मांग की है।

खाता सं० 17— खसरा सं०-410 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी पर गोपीनाथ पुत्र रामआसरे निवासी ग्राम का नाम अंकित है।

CS CamScanner

खाता सं० 19— खसरा सं०-511 रकबा 1 बिस्वा 15 बिस्वांसी पर चिरंजू पुत्र राम लाल निवासी सालेहनगर का नाम अंकित है ।

खाता सं० 23— खसरा सं०-528 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 587 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी पर श्रीमती तुलसा देवी पत्नी जगन्नाथ नि० बंगला बाजार का नाम अंकित है। हितबद्ध व्यक्ति ने 25/-रु० प्रतिवर्ग फुट की दर से प्रतिकर की मांग की है ।

खाता सं० 25— खसरा सं०-592 स रकबा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 593 स रकबा 7 बिस्वा 599 स रकबा 12 बिस्वा 15 बिस्वांसी पर त्रिलोक चन्द्र पुत्र बलीराम नि० रामनगर आलमबाग लखनऊ का नाम अंकित है। हितबद्ध व्यक्ति ने 15/-रु० प्रतिवर्ग फुट की दर से प्रतिकर की मांग की है ।

खाता सं० 26— खसरा सं०-407 स रकबा 1 बिस्वा पर द्वारिका पुत्र धोखे नि० ग्राम का नाम अंकित है ।

खाता सं० 27— खसरा सं०-462 रकबा 17 बिस्वा, 463 रकबा 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 404 रकबा 6 बिस्वा 455 रकबा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 466 रकबा 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 467 रकबा 15 बिस्वा, 468 रकबा 13 बिस्वा, 480 रकबा 8 बिस्वा, 481 रकबा 6 बिस्वा 5 बिस्वांसी, 482 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वांसी, 483 रकबा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 484 रकबा 17 बिस्वा, 485 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 489 रकबा 15 बिस्वा 490 रकबा 14 बिस्वा 491 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी 494 रकबा 31 बिस्वा 10 बिस्वांसी 495 रकबा 13 बिस्वा पर नन्हेंराम मौर्य पुत्र स्व० लालता प्रसाद मौर्य व रमेश चन्द्र मौर्य पुत्र बैजू प्रसाद मौर्य निवासी ग्राम का नाम अंकित है । 2

खाता सं० 28—खसरा सं०-327 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 314 रकबा 10 बिस्वा, 315 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा, 324 रकबा 15 बिस्वा, 325 रकबा 1 बीघा पर नन्द किशोर बंसल व ओम प्रकाश बंसल पुत्र गण लाला शिव प्रसाद नि० ग्राम का नाम अंकित है । 2

खाता सं० 29—खसरा सं०-335 मि० रकबा 1 बिस्वा, 379 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 387 रकबा 6 बिस्वा 15 बिस्वांसी, 390 रकबा 16 बिस्वा 15 बिस्वांसी, 421 रकबा 10 बिस्वा, 448 मि० रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 475 रकबा 7 बिस्वा, 496 रकबा 15 बिस्वा पर नवाब अली सादिक नवाब हसन सादिक पुत्रगण नवाब मो० सादिक अली खां निवासी गोलागंज शहर लखनऊ का नाम अंकित है । 2

खाता सं० 34— खसरा सं०-407 रकबा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 408 रकबा 10 बिस्वांसी पर प्यारेलाल पुत्र गंगादीन निवासी खंधारी बाजार मुस्तफा खां का हाता शहर लखनऊ का नाम अंकित है ।

खाता सं० 35—खसरा सं०-520 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 523 रकबा 17 बिस्वा, 526 रकबा 2 बिस्वा 15 बिस्वांसी, 586/2 रकबा 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 559 रकबा 7 बिस्वा 11 बिस्वांसी, 570 रकबा 2 बिस्वा, 581 रकबा 15 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 584 रकबा 16 बिस्वा, 588 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी पर पोले पुत्र दयाल निवासी ग्राम का नाम अंकित है । हितबद्ध व्यक्ति ने 15/- रु० प्रति वर्ग फुट की दर से प्रतिकर की मांग की है ।

73 113

No. 7171 / VIII-S.L.A.O. (N.M.P.) Dated 10-2-87

POSSESSION CERTIFICATE

Name of the Project कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-4.

Village मदरसरा Pargana लखनऊ

Tahsil लखनऊ District लखनऊ

The possession of land the details of which are given on reverse is handed over to ~~Executive Engineer~~ प्रभारी अधिकारी (अर्जन) on 10-2-87 in accordance with the notification u/s 6 (1) of the L.A. Act No. 3448/11-5-85-1 (12)-LA-84 Date 5.7.1985

~~Signature of Amin~~

~~Spl. L.A.O.~~

Special Land Acquisition Officer
NAGAR MAHA PALIKA
Lucknow

Received the Possession as on reverse on 10-2-87

Signature of Amin

L.D.A.

~~Executive Engineer~~
प्रभारी अधिकारी (अर्जन)

A.E. (Acquisition)

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (भू० अ०)
नगर महापालिका-द्वितीय,
लखनऊ

मदरसा की हस्तांतरित भूमि का विवरण

खसरा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
314	0-10-0-0	आम [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
315	0-5-0-0	[illegible] आम [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
316	0-6-0-0	[illegible]
~~317~~	~~0-5-0-0~~	[illegible]
319 सं०	0-15-0-0	[illegible]
320 सं०	0-9-0-0	[illegible]
321	0-7-18-0	२ [illegible] । रजिस्टर्ड
322	0-12-15-0	
323	0-5-15-0	
324	0-15-0-0	
325	1-0-0-0	
326	0-14-10-0	
327	1-16-0-0	[illegible]
332	0-11-0-0	
335 सं०	1-12-0-0	
336	0-11-0-0	
337	0-11-5-0	
341	0-0-10-0	
342	0-16-0-0	
343	0-13-0-0	
344	1-6-10-0	
345	0-19-0-0	
346	0-2-0-0	
347	0-1-0-0	[illegible]
349	1-1-0-0	
350	1-13-10-0	[illegible]
351	0-6-5-0	
352	1-4-0-0	[illegible]
353	0-4-0-0	
354	0-2-15-0	
355 सं०	1-0-0-0	
356	0-2-15-0	
357	0-4-0-0	
359	0-2-0-0	
360	1-1-0-0	
361	0-9-0-0	
362	0-5-0-0	
	४०-१५-८-०	

115

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी (भू0अ0),
नगर महापालिका–द्वितीय,
लखनऊ।

सेवा में,

जिला जज,
लखनऊ।

पत्रांकः–741 /8–अ0जि0 (भू0अ0)/न0म0पा0–द्वितीय/लखनऊ दिनॉक 08/4/15

विषय :– कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग–4 के अन्तर्गत अर्जित ग्राम–भदरूख में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा अर्जनाधीन भूमि का अभिनिर्णीत प्रतिकर प्राप्त न करने की दशा में मा0 न्यायालय में संदाय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की कानपुर रोड़ नगर प्रसार योजना भाग–4 के अन्तर्गत अर्जित ग्राम–भदरूख के कुछ हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा अभिनिर्णय दिनांक 8.1.88 घोषित होने के उपरान्त भी अभी तक प्रतिकर की धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम–1894 यथासंशोधित 1984 की धारा–31 की उपधारा–2 तथा यू0पी0 लैंड एक्यूजीशन मैनुअल के पैरो–44 में यह व्यवस्था है कि "धारा–11 के अधीन अभिनिर्णय घोषित हो जाने के पश्चात् यदि हितबद्ध व्यक्ति उसे लेने के लिये सम्मत नहीं है या यदि भूमि का अन्य संक्रामण करने के लिये कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है या यदि प्रतिकर लेने के हक के सम्बन्ध में या उसके प्रभाजन के सम्बन्ध में कोई विवाद है तो कलेक्टर प्रतिकर की रकम उस न्यायालय में निक्षेप कर देगा जिसको भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–18 के अधीन वाला निर्देश निवेदित किया जायेगा।"

अतः भूमि अध्याप्ति अधिनियम–1894 यथासंशोधित 1984 की धारा–31 की उपधारा–2 तथा यू0पी0 लैंड एक्यूजीशन मैनुअल के पैरो–44 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में प्रतिकर की कुल धनराशि मु0 रू0 5,53,059.00 (रू0 पाँच लाख तिरपन हजार उनसठ मात्र) का कोषागार बाउचर संख्या–26 दिनांक 7.04.2015 अभिनिर्णय की प्रमाणित प्रति, फार्म–डी व फार्म–11 की प्रमाणित प्रति सहित मा0 न्यायालय में निक्षिप्त की जा रही है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार। ध्यानार्थ प्रति प्रमाणित

भवदीय,

(शिव प्रसाद आनन्द)
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
लखनऊ।

अपर जिलाधिकारी (भू० अ०)
नगर महापालिका–द्वितीय,
लखनऊ

116

कार्यालयः अपर जिलाधिकारी(भू0अ0),नगर महापालिका–द्वितीय, लखनऊ

संख्या 1572/8–अ0जि0अ0(भू0अ0)न0म0पा0–2 लखनऊ, दिनांक 15/4/2015

कोषाधिकारी
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग–4 के अर्न्तगत अर्जित ग्राम–भदरूख मे मेरे द्वारा वाउचर सं0–26 दिनांक 7.4.2015 जिला जज, लखनऊ को मु0 धनराशि 5,53,059.00 रूपया जारी किया गया है।

कृपया उपरोक्त जारी वाउचर को नियमानुसार योजना में जमा धनराशि से पारित करने का कष्ट करें।

(शिव प्रसाद आनन्द)
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
लखनऊ।

संख्या व दिनांकः-- उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः– मा0 जिला जज, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
लखनऊ।

अपर जिलाधिकारी (भू० अ०)
नगर महापालिका–द्वितीय,
लखनऊ

विषय सं0: 19

विषय–लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नियोजित कालोनियों में आवासीय भूखण्डों पर अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता के संबंध में।

आख्या–

अपर मुख्य सचिव, आवास एंव शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–File No-8-3099/44/2020-3- दि0 31.10.2023 (अनुलग्नक–1 पर संलग्न) के माध्यम से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गयी योजनाओं में 24.0 मी0 एवं 24.0 मी0 से अधिक चौडे मार्ग पर आवासीय भूखण्डों पर अनुमन्य आवासीय उपयोग से भिन्न उपयोग की अनुमन्यता संबंधी उक्त प्रस्ताव को वापस सन्दर्भित करते हुए नियोजन मानकों, विभिन्न मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों आदि के आलोक में तथा व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रस्ताव पर पुनर्विचार के निर्देश प्राप्त हुए है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के दिनांक रहित पत्र के माध्यम से 18.0मी0 से 24.0मी0 सडक के दोनो ओर के क्षेत्र को व्यावसायिक घोषित करने (अनुलग्नक–2 पर संलग्न) तथा आवेदिका श्रीमती शान्ती देवी पत्नी माया राम के दिनांक रहित पत्र के माध्यम से आवासीय भूखण्ड सं0–2/32 रूचि खण्ड–1, क्षेत्रफल–288.0 वर्गमी0, शारदानगर योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ के भू–उपयोग परिवर्तन आवासीय से व्यवसायिक में करने हेतु अनुरोध किया गया है (अनुलग्नक–3 पर संलग्न)।

अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नियोजित कालोनियों में भू–उपयोग परिवर्तन/इम्पैक्ट फीस लेकर आवासीय भूखण्डों पर अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता के संबंध में प्राधिकरण के पत्र सं0–62/उपा./मु.न.नि./2017 दिनांक 12.06.2017 के माध्यम से शासन से दिशा निर्देश मांगे गये थे। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 07 जुलाई, 2020 एवं File No-8-3099/44/2020-3- दिनांक 02.03.2021 के साथ संलग्न मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश, के पत्रांक–2053/व.नि.(4)/लखनऊ महायोजना /2020–21 दि0 09.02.2021 अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा तद्विषयक प्रस्ताव अनुमोदनोंपरान्त शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। तदक्रम में प्राधिकरण की स्वीकृत/नियोजित कालोनियों में 24.00मी0 एवं 24.00 मी0 से अधिक चौडे मार्ग पर स्थित भूखण्डों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की 172वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15.12.2021 के अनुपूरक विषय संख्या 172/03 में पारित निर्णय के क्रम में निर्दिष्ट भू–उपयोग से महायोजना–2031 के जोनिंग रेगुलेशन के अन्तर्गत सामुदायिक, वाणिज्यिक एवं कार्यालय उपयोग जोनिंग रेगुलेशन की समस्त अपेक्षाए पूर्ण करते हुए महायोजना में विनिर्दिष्ट प्रभाव शुल्क का दोगुना एवं अन्य शुल्क लेते हुए निर्धारित शर्तो के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साथ ही केस टू केस समस्त प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश किये गये। शासन के पत्र दिनांक 02.03.2021 एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 के पत्र दिनांक 09.02.2021 के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत प्रस्ताव एवं निर्णय की प्रति संलग्न करते हुए प्राधिकरण के पत्र संख्या 621/सचिव/सी0टी0पी0/2021 दिनांक 29.12.2021 के माध्यम से अग्रेतर कार्यवाही एवं निर्णयार्थ शासन को सन्दर्भित किया गया।

शासन द्वारा प्राधिकरण के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, बल्कि पत्र सं0–File No-8-3099/44/2020-3- दि0 31.10.2023 के माध्यम से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गयी योजनाओं में 24.0 मी0 एवं 24.0 मी0 से अधिक चौडे मार्ग पर आवासीय भूखण्डों पर अनुमन्य आवासीय उपयोग से भिन्न उपयोग की अनुमन्यता संबंधी पूर्व प्रेषित प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने हेतु निर्देशित किया गया।

ट्रेसर | मानचित्रकार नियोजन अनुभाग ल0 वि0 प्रा0 | आर्च कम प्लानिंग असिस्टेन्ट नियोजन अनुभाग | अधिशासी अभियन्ता नियोजन अनुभाग ल0वि0प्रा0,लखनऊ | (वीरेन्द्र कुमार गौतम) मुख्य नगर नियोजक ल0वि0प्रा0,लखनऊ

उल्लेखनीय है कि अधिसूचना स0–457/8–3–16–127 विविध/11 दिनांक 8 जुलाई, 2016 के अन्तर्गत लखनऊ महायोजना–2021 में निर्धारित जोनिंग रेग्युलेशन्स् के प्रस्तर–7.1.5 व 7.1.7.3 में संशोधन करते हुये जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधान नियोजित कालोनियों में आरक्षित आवासीय भूखण्डों पर भी लागू किये गये थे, जिनका समावेश महायोजना–2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर 9.1.7.3 में भी कर लिया गया। उक्त अधिसूचना केवल लखनऊ विकास क्षेत्र में ही लागू की गई। उक्त के कम में अधिसूचना एंव भू–उपयोग परिवर्तन नियमावली 2014 के कम में भू–उपयोग परिवर्तन से संबंधित आवेदन प्राधिकरण में पूर्व में प्राप्त हुए थे, जिस पर तत्समय प्रचलित प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही कराते हुए कतिपय प्रकरणों में पक्ष द्वारा पूर्ण धनराशि एवं आंशिक धनराशि जमा की गयी, किन्तु उक्त प्रकरणों में भू–उपयोग परिवर्तन एंव जोनिंग रेगुलेशन के अन्तर्गत अनुमन्यता की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुयी। संबंधित प्रकरणों के आवेदकों द्वारा समय–समय पर अवासीय से अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता किये जाने की मांग की जाती रही है। उक्त के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकाएं भी योजित की गयी है। वर्तमान तक आवासीय कालोनियों में नियोजित भूखण्डों पर जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानों के अनुसार इम्पैक्ट फीस लेते हुए अनुमन्यता के सम्बन्ध में शासन स्तर से निर्णय नहीं हो सका है, अतः जब तक शासन स्तर से निर्णय नहीं प्राप्त होता तक तक पूर्व में इस प्रकार के प्रकरणों में जमा धनराशि ब्याज सहित आवेदक को वापस किये जाने पर विचार किया जा सकता है, ताकि मा0 न्यायालयों में प्राधिकरण के विरूद्ध कोई प्रतिकूल आदेश न पारित हो।

यहां यह भी अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–File No.-8-3099/278/2022-3- दिनांक 07 मार्च, 2024 द्वारा भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत जी.आई.एस. आधारित लखनऊ महायोजना–2031 (संशोधित कन्वर्जन) को स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो दिनांक 14.03.2024 से प्रभावी है। प्रभावी लखनऊ महायोजना–2031 (संशोधित कन्वर्जन) के पैरा 10.1.7.3 (अनुलग्नक–4 पर संलग्न) में निम्न प्राविधान है–

''यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले–आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू–उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार होगा।'' अर्थात महायोजना के अनुसार प्राधिकरण की योजनाओं के तलपट मानचित्रों में नियोजित भूखण्डों के दर्शित उपयोग ही अनुमन्य किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार शासन के पत्र दिनांक 31.10.2023 के कम में प्रभावी लखनऊ महायोजना के प्रस्तर संख्या–10.1.7.3 के आलोक में प्राधिकरण की स्वीकृत/नियोजित कालोनियों में 24.00मी0 एवं 24.00 मी0 से अधिक चौडे मार्ग पर स्थित भूखण्डों पर निर्दिष्ट भू–उपयोग से भिन्न उपयोग लखनऊ महायोजना–2031 (संशोधित कन्वर्जन) के जोनिंग रेगुलेशन के अन्तर्गत सामुदायिक, वाणिज्यिक एवं कार्यालय उपयोग जोनिंग रेगुलेशन की समस्त अपेक्षाए पूर्ण करते हुए महायोजना में विनिर्दिष्ट प्रभाव शुल्क का दोगुना एवं अन्य शुल्क लेते हुए निर्धारित शर्तो के साथ अनुमन्य किये जाने हेतु पुनर्विचार करने एवं पूर्व में प्राधिकरण की स्वीकृत/नियोजित कालोनियों में जोनिंग रेगुलेशन/भू–उपयोग परिवर्तन की अनुमन्यता के सापेक्ष जमा धनराशि को ब्याज सहित वापस किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष पुनर्विचार करते हुए निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

मानचित्रकार
नियोजन अनुभाग
ल0 वि0 प्रा0 ल0

आर्च कम प्लानिंग असिस्टेन्ट
नियोजन अनुभाग

अधिशासी अभियन्ता,नियोजन अनुभाग
ल0वि0प्रा0,लखनऊ

कौशलेन्द्र कुमार गौतम
मुख्य नगर नियोजक
ल0वि0प्रा0,लखनऊ

पत्रांक/प्रा०/C.T.P/23
1-11-23

I/417583/2023 File No.8-3099/44/2020- -3- अनुलग्नक -1 1442

119

ई–मेल

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उपाध्यक्ष कार्यालय
लखनऊ विकास प्राधिकरण
कम्प्यूटर संख्या 9131
दिनांक 31.10.23

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक: 31 अक्टूबर, 2023

विषयः–लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नियोजित कालोनियों में आवासीय भूखण्डों पर अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता संबंधी प्रस्ताव पर पुनर्विचार किये जाने के संबंध में।

C.T.P

महोदय

कृपया लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नियोजित कालोनियों में आवासीय भूखण्डों पर अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता संबंधी सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के संख्या–621/सचिव/सी.टी.पी./2021 दिनांक 29.12.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 172वीं बैठक दिनांक 15.12.2021 के अनुपूरक विषय 172/03 लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नियोजित कालोनियों में भू–उपयोग परिवर्तन/इम्पैक्ट फीस लेते हुये आवासीय भूखण्डों पर अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

31/10/2023
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

2– इस संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गयी योजनाओं में 24 मीटर एवं 24 मीटर से अधिक चौड़े मार्गो पर आवासीय भूखण्डों पर अनुमन्य आवासीय उपयोग से भिन्न उपयोग की अनुमन्यता संबंधी उक्त प्रस्ताव को वापस संदर्भित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नियोजन मानकों, विभिन्न मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों आदि के आलोक में तथा व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by नितिन रमेश गोकर्ण
Date: 30-10-2023 ...39
Reason: Approved
(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव

1/11/2023
श्री मनोज

2.11.2023
A.P.A.

Scanned with OKEN Scanner

[redacted] 120

1253/ / 29.7.024

768/ 30/07/24

अनुलग्नक-2

VC, LDA

पत्र स० 4963/ सामान्य / उ०मु०म०(पी)/20

दिनांक 23/07/24

कार्यालय अपर सचिव
ल०वि०प्रा०
पत्र सं० 3511
दिनांक 29.7.24

22.7.2024
(ओम प्रकाश)
निजी सचिव,
उप मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

माननीय योगी आदित्यनाथ जी / उप मुख्यमंत्री जी -

मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार,

लखनऊ।

विषय :- 18 मीटर से 24 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर के क्षेत्र को व्यवसायिक घोषित करने के संबंध में।

उपाध्यक्ष कार्यालय
लखनऊ विकास प्राधिकरण
कम्प्यूटर संख्या 14077
दिनांक 25/7/24

मान्यवर,

सचिव

आपको एवं आपकी सरकार को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित करने के लिये पूरे व्यापारी समुदाय की तरफ से हार्दिक बधाई एवं अभिनन्दन।

राजधानी एवं **पूरे प्रदेश की 18 मीटर से 24 मीटर** सड़क के दोनों ओर के क्षेत्र पर कई सरकारी व गैर सरकारी संस्थान कार्यरत हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग अपना-अपना स्वरोजगार कर रहे हैं और इसी प्रकार रोड पर स्थित प्रतिष्ठानों में बड़ी संख्या में लोग नौकरियां भी कर रहे हैं जिससे उनका जीवन यापन हो रहा है।

वर्तमान समय में प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार दोनों ही स्वरोजगार को बढ़ावा भी दे रही हैं, क्योंकि सभी बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। व्यापारियों ने भी अपने-अपने प्रतिष्ठानों में बैंक से ऋण लेकर तथा अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी व्यवसाय में लगा रखी है।

25/07/2024
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

ऑनलाइन ब्रिकी की वजह से सभी दुकानदारों के पास बहुत काम नहीं है। लेकिन जीवनयापन के लिये हर दुकानदारों को अपनी दुकान हर रोज खोलनी पड़ती है। जिसके कारण दुकान पर बिजली, पानी टैक्स और स्टाफ की सैलरी आदि का खर्च बराबर देना पड़ रहा है। जो दुकानदार किराये की दुकान लेकर दुकान चला रहे है। उनको किराया भी देना पड़ रहा है। अतः महोदय इस बारे में सोचने का विषय है कि दुकानदार अपने स्टॉफ, परिवार सभी का ध्यान रखते हुये कार्य कर रहा है।

APA 30/7/2024

लेकिन सभी व्यापारी बड़े दुख के साथ आपको अवगत कराना चाहते हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण उक्त रोड पर स्थित सभी प्रतिष्ठानों को लगातार सील करने की नोटिस अथवा ध्वस्त करने की नोटिस भेज रहा है जिससे सभी व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है क्योंकि उनके जीवन की सारी पूंजी और बैंक ऋण की धनराशि उक्त व्यापार में लगी है।

इन रोजगारों से प्रदेश सरकार को एक बहुत बड़ा राजस्व अर्जित हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों एवं उनके परिवार में भी बेरोज़गार हो जाने का **भय** व्याप्त है जिससे अनिश्चितता का माहौल लगातार बना हुआ है।

अपर सचिव/ मु०न०नि०

C.T.P

27/07 सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

अपर सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
29/07/2024

श्री मनोज / श्रीमती रमन

31.7.24 A.P.A.

01.8.24

Scanned with OKEN Scanner

हम व्यापारीगण आपको यह भी अवगत कराना चाहते हैं कि हम हर प्रकार का कर व्यावसायिक राजकीय कोष में जमा करते हैं और विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भी 24 मीटर की रोड पर बने भवनों के भूतल भाग को व्यावसायिक तथा प्रथम तल को रिहायशी घोषित करने के संबंध में अपना प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है जिसका शासन द्वारा अभी तक निस्तारण नहीं किया गया है।

अभी.अभी आपने एक स्वागत योग्य निर्णय लिया जिसमें अपने 9 मी रोड पर 20 कमरे के होटल बनाने का प्रविधान लागू कर होटल व्यवसाय को बढ़ावा दिया।

उसी प्रकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आवसीय भूखंडों में रोजगार करने की अनुमति देकर अपने मध्यम वर्गीय एवं व्यापारियों को 20 मीटर या उससे ऊपर आवासीय में व्यवसाय करने की अनुमति देकर, स्वरोजगार एवं राजस्व में बढ़ेगा तथा भारत सरकार का 5 ट्रिलियन इकोनामी का जो लक्ष्य हैं, उस तक पहुंचने में एक बड़ा योगदान होगा।

इसी प्रकार पूर्व में भी स्वर्गीय श्री लाल जी टंडन जी द्वारा इसी प्रकार की एक योजना लाई गई थी, जिसमें कुछ व्यापारियों को उक्त योजना का लाभ मिला था और कुछ व्यापारियों को नहीं मिला. जबकि प्राधिकरण में उनका पैसा अभी तक जमा है।

यदि प्रदेश सरकार ऐसी कोई योजना धरातल पर लाती है, जिसमें रिहायशी संपत्ति में कर [illegible]कर या संपत्ति का उपयोग बदलकर व्यावसायिक गतिविधि में प्रयोग किया जा सके और संपत्ति स्वामी से भू–उपयोग बदलने का (निम्न शुल्क) लिया जाए, तो हम व्यापारीगण ऐसी किसी भी योजना का हृदय से स्वागत करेंगे, क्योंकि इससे दोनों पक्ष लाभान्वित होंगे। एक ओर जहां व्यापारी वर्ग अपने संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग कर सकेगा वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार को राजकोष में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगी।

उपरोक्त सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान किसी प्रकार का औद्योगिक क्रियाकलाप नहीं करते, अतः क्षेत्र की जनता के लिए जानमाल का कोई खतरा उत्पन्न नहीं करते। बल्कि जनता की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे घरेलू राशन, दवाएं आदि।

वर्तमान सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वरोजगार की दृष्टि एवं उनके द्वारा दिए गए नारे "सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास" जिसके मूल में समाज का सर्वांगीण विकास है, ऐसे में एक बड़ा वर्ग जो देश की अर्थव्यवस्था में अपना भरसक योगदान दे रहा है, उसको इस प्रकार के अतार्किक एवं उत्पीड़क आदेशों द्वारा प्रताड़ित करना कहाँ तक उचित है?

सरकारी आकड़ों के अनुसार 12 करोड़ से अधिक लोगों को स्वरोजगार हेतु मुद्रा लोन दिए गए हैं परन्तु क्या इस अनुपात में विकास प्रधिकरण जैसी संस्थाएं व्यावसायिक भुखंडों/भवनों को विकसित कर रही हैं। ऐसे में क्या विकास प्रधिकरणों की नीतियां माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वरोजगार के विजन के सर्वथा विपरीत नहीं हैं?

Scanned with OKEN Scanner

अतः आपसे करबद्ध अनुरोध है कि जनहित में मर्मिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हुए व्यापारियों की समस्याओं का निदान किया जाये और सभी प्रमुख मार्ग को व्यावसायिक मार्ग घोषित किया जाये। विकास प्रधिकरण जैसी संस्थाओं को निर्देशित किया जाये कि वे अपनी नीतियों को तार्किक एवं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं प्रदेश सरकार के विजन के अनुरूप स्वरोजगारोन्मुखी बनाया जा सकें। अतः आप से व्यापारी वर्ग को इस निर्णय होने की काफी उम्मीद है।

धन्यवाद

भवदीय

(संदीप बंसल)
राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल

दिनांक—

Scanned with OKEN Scanner

123

अनुलग्नक-3

791/CTP/24
31-07-24

3004/VC
22/7/24

CTP

सेवा में, श्रीमान उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष
विपिन खण्ड गौमती नगर.
लखनऊ

विषय—भूखण्ड सं0—2/32 रूचि खण्ड—1, क्षेत्रफल—288.00 वर्गमी0, शारदानगर योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ के भू—उपयोग परिवर्तन के उपरान्त आवासीय से व्यवसायिक में मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण

महोदय,

निवेदन पूर्वक अवगत कराना है कि मेरा भूखण्ड सं0—2/32 रूचि खण्ड—1, क्षेत्रफल—288.00 वर्गमी0, शारदानगर योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ के आवासीय से व्यावसायिक भू—उपयोग परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश भू—उपयोग परिवर्तन नियमावली—2014 के अन्तर्गत दिनांक 09.09.2015 को आवेदन उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को किया गया था। मेरे भूखण्ड के भू—उपयोग परिवर्तन के साथ—साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी बोर्ड बैठक दिनांक 06.11.2015 (छायाप्रति संलग्न) को प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गयी थी। जिसमें प्रार्थी के भूखण्ड पर भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क रू0 64,80,000/— की धनराशि आंकलित की गयी थी और प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0—479 सी0टी0पी0/2015—16, दिनांक 29.01.2016 को मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ था। इस पत्र द्वारा मुझसे प्राधिकरण में धनराशि जमा कराने हेतु सहमति मांगी गयी थी। मेरे द्वारा अपने भूखण्ड का भू—उपयोग बदलवाने के लिए अपनी सहमति भी लखनऊ विकास प्राधिकरण को दे दी थी।

22/07/24
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

APA
29/7/2024

उक्त सहमति के क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र सं0—1560/मु0न0नि0/2016, दिनांक 09.11.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया कि भूखण्ड सं0—2/32, रूचि खण्ड, शारदा नगर, लखनऊ को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 में अनुमोदित कर दिया गया है तथा उक्त के साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि नियमावली के प्राविधानों के अनुसार आपके आवासीय भूखण्ड/भवन पर भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क रू0 64,80,000/—

3.8.24
A.P.A.

Scanned with OKEN Scanner

की धनराशि इच्छुक होने पर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के नाम से प्राधिकरण कोष में जमा करायी जाय ताकि भू-उपयोग परिवर्तन पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। लखनऊ विकास प्राधिकरण के इस निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा मुबलिक रू0 64,80,000/- प्राधिकरण कोष में मानचित्र शुल्क रू0 28,200/- सहित जमा करा दिया गया (रसीदों की छायाप्रतियां संलग्न) महोदय को यह भी अवगत कराना है कि मेरे द्वारा प्राधिकरण खाते में एनआरई खाते से आनलाईन स्थानान्तरित की गई थी। एन0आर0ई0 खाते से सीधे प्राधिकरण के खाते में स्थानान्तरित की गयी धनराशि अब पुनः वापस नहीं की जा सकती है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि कृपया शासन की निर्धारित नीतियों के अनुसार ही भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है। कृपया भूखण्ड सं0-2/32 रूचि खण्ड-1, क्षेत्रफल-288.00 वर्गमी0, शारदानगर योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ का मानचित्र स्वीकृत कराने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

नि0अं0

(शान्ती देवी)
पत्नी माया राम
के-1182, आशियाना कालोनी,
कानपुर रोड, लखनऊ-226012

Scanned with OKEN Scanner

नहीं होगा यथा पार्क एवं खुले स्थल, बाग–बगीचे, हरित क्षेत्र, वन क्षेत्र, संकटमय उद्योग, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, भू–उपयोगों को छोड़कर अन्य समस्त भू–उपयोगों में होटल की अनुमन्यता तथा आवासीय क्षेत्र में पॉच के.वी.ए. क्षमता तक की सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयाँ/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की अनुमन्यता हेतु प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा।

5. होटल अथवा व्यवसायिक उपयोग से भिन्न उपयोग में होटल की अनुमन्यता हेतु परिवर्तन शुल्क/प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा।

10.1.6 अनुज्ञा की प्रक्रिया

1. विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू–उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य क्रियाओं की विशेष अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में एक समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा तथा समिति की संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उक्त समिति में निम्न सदस्य होंगे:–
   - i. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि,
   - ii. विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी,
   - iii. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के गैर–सरकारी सदस्य।
2. जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन आवेदक द्वारा किसी क्रिया अथवा उपयोग की अनुज्ञा अधिकार स्वरूप प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

10.1.7 अन्य अपेक्षाएं

1. महायोजना में चिन्हित प्रमुख भू–उपयोग जोन्स के अन्तर्गत किसी क्रिया या विशिष्ट उपयोग हेतु प्रस्तावित स्थल पर विकास/निर्माण, उस क्रिया या विशिष्ट उपयोग की अनुषांगिकता के अनुसार ही अनुमन्य होगा। उदाहरणार्थ, सामुदायिक सुविधाओं में अस्पताल उपयोग के अन्तर्गत केवल अस्पताल तथा उसकी अनुषांगिक क्रियाएं ही अनुमन्य होंगी।
2. महायोजना में प्रस्तावित किसी भू–उपयोग जोन के अन्तर्गत वर्तमान वन क्षेत्र या सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं से सम्बन्धित स्थल, जैसे पार्क, क्रीड़ा–स्थल

Scanned with OKEN Scanner

तथा सड़क आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग वही रहेगा भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू–उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो।

3. यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले–आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू–उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार होगा।

परन्तु ''विशेष अनुमति से अनुमन्य '' क्रियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण–अवगुण के आधार पर प्रस्तर 10.1.6 में वर्णित समिति द्वारा निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेगीः–

1. प्रमुख भू–उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुआँ/दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की सम्भावना न हो।
2. प्रस्तावित क्रिया यथा–सम्भव मुख्य भू–उपयोग के बाहरी क्षेत्र/किनारों पर मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकृत रूप में स्थित हो।
3. प्रस्तावित क्रिया की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि भवन काः–

3.1 प्रमुख भू–उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं यथा–जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत–आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

3.2 प्रस्तावित क्रिया के कारण अगल–बगल के भूखण्डों/भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राईवेसी भंग न हो।

3.3 प्रस्तावित क्रिया हेतु भू–आच्छादन, अधिकतम एफ.ए.आर. एवं ऊँचाई प्रमुख भू–उपयोग अथवा प्रस्तावित क्रिया के मानकों में, जो न्यूनतम हो, अनुमन्य होगा।

3.4 किसी भी प्रमुख जोन में विशेष अनुमति से अन्य क्रिया को अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग/मार्ग विस्तार/सार्वजनिक पार्किंग, इत्यादि हेतु दर्शायी गयी भूमि आवेदक द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।

टिप्पणीः– प्रमुख भू–उपयोग जोन्स के अन्तर्गत पूर्व विकसित योजनाओं/क्षेत्रों में मूल उपयोग से इतर क्रिया/उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग सामान्यतः अनुमन्य' सशर्त अनुमन्य' विशेष अनुमति से अनुमन्य

Scanned with OKEN Scanner

हो), अनुमन्य किये जाने हेतु न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुये जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जायेंगे एंव इन आपत्ति/सुझावों के निस्तारण के उपरान्त ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जायेगा।

- जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन विभिन्न अभिकरणों द्वारा तैयार की जाने वाली परिक्षेत्रीय विकास योजनाओं/विन्यास मानचित्र/पुर्नविकास योजना के लिये तथा ऐसे क्षेत्र जिनकी परिक्षेत्रीय विकास योजना/विन्यास मानचित्र अभी तक तैयार नहीं किये जा सके है, हेतु कार्यवाही की जायेगी।
- प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सभी भू-उपयोग श्रेणियों (अनुमन्य, सशर्त अनुमन्य, विशेष अनुमति से अनुमन्य) में विकास एवं निर्माण कार्य भवन उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है।

10.1.8 परिभाषाएं

1. इन रेगुलेशन्स हेतु **"सक्षम प्राधिकारी"** का तात्पर्य उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत घोषित विकास क्षेत्र की स्थिति में विकास प्राधिकरण बोर्ड से है।
2. **"निर्मित क्षेत्र"** का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो महायोजना में इस रूप में परिभाषित किया गया है।
3. **"विकासशील/अविकसित क्षेत्र"** का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो निर्मित क्षेत्र के बाहर, परन्तु विकास क्षेत्र के अन्तर्गत है।

10.2 भू-उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएं

10.2.1 आवासीय

10.2.1.1	एकल आवास	वह परिसर, जिसमें स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ (भूखण्डीय आवास) हो
10.2.1.2	समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग)	वह परिसर, जिसमें दो या इससे अधिक मंजिल का भवन होगा एवं प्रत्येक तल पर स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ होंगी तथा जिसमें भूमि एवं सेवाओं, खुले स्थलों व आवागमन के रास्ते की भागीदारी एवं सह-स्वामित्व होगा।

Scanned with OKEN Scanner

विषय–भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008(यथा संशोधित–2023) के अध्याय–8 के प्रस्तर–8.4(V) तथा प्रस्तर–8.4(VI) में संशोधन के अंगीकृत करने के सम्बन्ध में।

आख्या

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–8–3099/279/2024 दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 (अनुलग्नक–1 पर अवस्थित) द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2023) के अध्याय–8 के प्रस्तर–8.4(V) तथा 8.4(VI) में संशोधित करते हुए उक्त संशोधन को प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन कराकर अंगीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अध्याय–8 के अन्तर्गत पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन–कम–सर्विस स्टेशन के भूखण्ड में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के मार्गो की न्यूनतम चौडाई 09 मी0 तथा बफर स्ट्रिप की लम्बाई 12 मी0 एवं चौडाई 03 मी0 निर्धारित है। उपरोक्त मानक 20मी0 x 20मी0 के भूखण्ड में पूर्णरूप से लागू किये जाने सम्भव नहीं थे। उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा 20मी0 x 20मी0 आकार के पेट्रोल पम्प के भूखण्ड में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने की न्यूनतम चौडाई 7.5 मी0 तथा बफर स्ट्रिप की न्यूनतम लम्बाई 05 मी0 तथा न्यूनतम चौडाई 03 मी0 निर्धारित की गयी है।

प्रस्ताव

उपरोक्तानुसार आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संशोधित प्राविधानों के अंगीकरण का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

आर्च कम प्लानिंग असिस्टेन्ट
नियोजन अनुभाग

कौशवेन्द्र कुमार गौतम
मुख्य नगर नियोजक
ल0वि0प्रा0 लखनऊ

129

1077/प्र0/2024
19-10-2024

ई-मेल

कार्यालय
नगर विकास प्राधिकरण
16148
15/10/2024

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 14 अक्टूबर, 2024

विषयः- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) के अध्याय 8 के प्रस्तर-8.4(V) तथा प्रस्तर-8.4 (VI) में संशोधन।

महोदय,

कृपया भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथासंशोधित) में नगरीय क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प/फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए 'भूखण्ड का आकार' मानकों संबंधी उपविधि के प्रस्तर-3.2.6 एवं प्रस्तर-8.3 में संशोधन किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-आई/681559/2024-8-3099/279/2024 दिनांक 02.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विकास प्राधिकरणों एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में शासन द्वारा किये गये संशोधनों को अपने-अपने बोर्ड के अनुमोदन से तत्काल अंगीकृत कराने एवं इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2- सम्यक विचारोपरान्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथासंशोधित) के अध्याय 8 के अन्तर्गत पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के मार्गों की चौड़ाई एवं बफर स्ट्रिप की लम्बाई एवं चौड़ाई संबंधी प्रस्तर-8.4(V) एवं प्रस्तर-8.4(VI) के वर्तमान प्राविधानों में निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

बिन्दु संख्या	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
8.4(V)	प्रत्येक पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के मार्गों की चौड़ाई न्यूनतम 9 मीटर होगी।	प्रत्येक पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के मार्गों की चौड़ाई न्यूनतम 9 मीटर होगी। लोक निर्माण विभाग के शासनादेश के क्रम में भूखण्ड का आकार **20** मी. **x 20** मीटर होने की स्थिति में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई **7.5** मीटर होगी।
8.4(VI)	क्षेत्रीय मार्ग एवं पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन के मध्य बफर स्ट्रिप का प्राविधान आवश्यक है, जो कम से कम 12 मीटर लम्बी एवं 3 मीटर चौड़ी होगी तथा सैट-बैक के अतिरिक्त होगी।	क्षेत्रीय मार्ग एवं पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन के मध्य बफर स्ट्रिप का प्राविधान आवश्यक है, जो कम से कम 12 मीटर लम्बी एवं 3 मीटर चौड़ी होगी तथा सैट-बैक के अतिरिक्त होगी। लोक निर्माण विभाग के शासनादेश के क्रम में भूखण्ड का आकार **20** मी. **x 20** मी. होने की स्थिति में बफर स्ट्रिप की लम्बाई न्यूनतम **5.0** मीटर होगी जो न्यूनतम **3.0** मीटर चौड़ी होगी।

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

मुख्य नगर नियोजक/PA
कृ0 प्रस्ताव तैयार कराये
17/10/24
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

AE
19/10/2024

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-

 CTP

130

2008 (यथा संशोधित) में किये गये उक्त संशोधनों को अपने-अपने बोर्ड के अनुमोदन से तत्काल अंगीकृत करते हुए इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Udai Bhanu Tripathi
Date: 14-10-2024 13:03:32

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बैठक में प्रतिभाग किये जाने एवं सूचनार्थ प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2. आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

3. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कपया शासनादेश की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेब साइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।

6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव

विषय सं0– 21 पृष्ठ सं0– 131

विषय–भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकरण के सम्बन्ध में।

आख्या

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1614/आठ–3–2024, दिनांक 08 नवम्बर, 2024 एवं पत्र संख्या–17/2024/आई/ 555829/24–8–3099/282/2023, दिनांक 07.05.2024 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने संबंधी प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रिानिक्स अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–516/78–1 –2024–1099/418/2019, दिनांक 01.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) एवं इसके साथ संलग्न संचार मंत्रालय, दूर संचार विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा मुख्यतः निम्नवत् संशोधन/समावेशन किया गया है–

1. किसी भी कारण से मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना ~~के~~ क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में लाईसेंसधारी जिसकी मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना क्षतिग्रस्त हो गई है तो वह समुचित प्राधिकारी को अवसंरचना के नुकसान की रिपोर्ट करने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिये तार सेवा को बहाल करने हेतु क्षतिग्रस्त भूमिगत तार अवसंरचना के बदले भूमि के ऊपर अस्थायी रूप से तार अवसंरचना की स्थापना करेगा। इस नियम के अधीन अस्थायी रूप से भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना के लिये समुचित प्राधिकारी द्वारा कोई फीस या प्रतिकर नहीं लिया जाएगा।
2. मार्ग फर्नीचर से विद्युत, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक लाइट, यातायात संकेत, बस स्टॉप, ट्राम स्टॉप, टैक्सी स्टैंड, सार्वजनिक शौचालय, स्मारक, सार्वजनिक मूर्तिकला, यूटिलिटी पोल या किसी अन्य संरचना या किसी समुचित प्राधिकरण की संपति पर स्थापित ऐसी प्रकृति के लिए प्रयुक्त पोस्ट अथवा खंभा अभिप्रेत है।
3. लाइसेंस धारक के पास कई स्थलों के लिये एकल आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प होगा और समुचित प्राधिकारी ऐसे आवेदनों को स्वीकार करने और स्मॉल सेलों की स्थापना हेतु तद्नुसार कई स्थलों के लिए एकल अनुमति जारी करने के लिए उचित उपबंध करेगा।

मानचित्रकार
नियोजन अनुभाग
ल0 वि0 प्रा0 ल0

नियोजन अनुभाग

अधिशासी अभियन्ता, नियोजन अनुभाग
ल0 वि0 प्रा0, लखनऊ

4. उपयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण स्मॉल सेलों की स्थापना की अनुमति देंगे और अनुसूची के भाग–I या भाग–III के अनुसार अपने नियंत्रण में निहित या उनके अधीन भवनों और संरचनाओं पर स्मॉल सेलों की स्थापना के लिये कोई प्रशासनिक फीस या प्रतिकर नहीं लेंगे, परन्तु कि ये प्रभार वास्तविक आंकडे के अनुसार भवन स्वामियों द्वारा प्रदान की गई बिजली (उद्योग टैरिफ के अनुसार), फिक्स्चर आदि के लिये लगाये जायेंगे और लाईसेंसधारी स्मॉल सेल की तैनाती के दौरान हुये नुकसान को बहाल करेगा।

उपरोक्तानुसार भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकरण किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकरण किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

आर्च कम प्लानिंग असिस्टेन्ट
नियोजन अनुभाग

अधिशासी अभियन्ता नियोजन अनुभाग
ल०वि०प्रा० लखनऊ

महत्वपूर्ण / ई–मेल

संख्याः–1614 / आठ–3–2024

प्रेषक,

महेन्द्र प्रसाद भारती,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2 **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3 **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण
उ0प्र0।

4 **जिलाधिकारी / नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांकः08 नवम्बर, 2024**

विषयः– **भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने संबंधी।**

महोदय,

कृपया भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या–आई / 555829 / 2024–8–3099 / 282 / 2023 दिनांक 07.05.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–516 / 78–1–2024–1099 / 418 / 2019 दिनांक 01.04.2024 के क्रम में कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये हैं। अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उ0प्र0 स्टेट ब्रॉड बैण्ड कमेटी (यू.पी.एस.बी.सी.) की दिनांक 10.11.2024 को प्रस्तावित बैठक में समीक्षा की जायेगी।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये

गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने के संबंध में उक्त शासनादेश दिनांक 07.05.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में कृत कार्यवाही की अद्यतन सूचना मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को प्रत्येक दशा में आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
विशेष सचिव

प्रतिलिपिः– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रकरण में अभिकरणों से प्राप्त संकलित सूचना शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
विशेष सचिव

ई-मेल

संख्या-17/2024/आई/555829/24-8-3099/282/2023

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
4. **जिलाधिकारीनियंत्रक प्राधिकारी/,**
   समस्त विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनॉक 07 मई, 2024**

विषयः- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने संबंधी प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-516/78-1-2024-1099/418/2019 दिनांक 01.04.2024 एवं उसके साथ संलग्न संचार मंत्रालय, दूर संचार विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 **(अनुलग्नकों सहित छायाप्रतियाँ संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराया गया है कि भारतीय तार मार्ग के नियम-2016 में भारत सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा निम्नवत् संशोधन/समावेशन किया गया है:-

(1) किसी भी कारण से मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में लाइसेंसधारी, जिसकी मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना क्षतिग्रस्त हो गई है तो वह समुचित प्राधिकारी को अवसंरचना के नुकसान की रिपोर्ट करने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिये तार सेवा को बहाल करने हेतु क्षतिग्रस्त भूमिगत तार अवसंरचना के बदले भूमि के ऊपर अस्थायी रूप से तार अवसंरचना की स्थापना करेगा। इस नियम के अधीन अस्थायी रूप से भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना के लिये समुचित प्राधिकारी द्वारा कोई फीस या प्रतिकर नहीं लिया जाएगा।

(2) मार्ग फर्नीचर से विद्युत, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक लाइट, यातायात संकेत, बस स्टॉप, ट्राम स्टॉप, टैक्सी स्टैंड, सार्वजनिक शौचालय, स्मारक, सार्वजनिक मूर्तिकला, यूटिलिटी पोल या किसी अन्य संरचना या किसी समुचित प्राधिकरण की संपति पर स्थापित ऐसी प्रकृति के मशीन के लिए प्रयुक्त पोस्ट अथवा खंभा अभिप्रेत है।

(3) लाइसेंस धारक के पास कई स्थलों के लिये एकल आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प होगा और समुचित प्राधिकारी ऐसे आवेदनों को स्वीकार करने और स्मॉल सेलों की स्थापना हेतु तद्नुसार कई स्थलों के लिए एकल अनुमति जारी करने के लिए उचित उपबन्ध करेगा।

(4) उपयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण स्मॉल सेलों की स्थापना की अनुमति देंगे और अनुसूची के भाग-1 या भाग-III के अनुसार अपने नियंत्रण में निहित या उनके अधीन भवनों और संरचनाओं पर स्मॉल सेलों की स्थापना के लिये कोई प्रशासनिक फीस या प्रतिकर नहीं लेंगे, परन्तु कि ये प्रभार वास्तविक आंकडे के अनुसार भवन स्वामियों द्वारा प्रदान की गई बिजली (उद्योग टैरिफ के अनुसार), फिक्स्चर आदि के लिये लगाये जायेंगे और लाईसेंसधारी स्मॉल सेल की तैनाती के दौरान हुये नुकसान को बहाल करेगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम-2016 में संशोधन संबंधी दूर संचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुपालन के संबंध में यथावश्यकता नियमानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

2819781/2024/ -3

2630082/2023/00 0 -1

137

794

ANNEXURE-I

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082023-247923
CG-DL-E-08082023-247923

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465]	नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2023/श्रावण 17, 1945
No. 465]	NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2023/SHRAVANA 17, 1945

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 594(अ.).—केंद्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 10, धारा 12 और धारा 15 के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार मार्ग के अधिकार (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(पीयूष [illegible])

2. भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'9 क. अस्थायी भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना - (1) किसी भी कारण से मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में तार सेवाधारी, जिसकी मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना क्षतिग्रस्त हो गई है तो वह समुचित प्राधिकारी को अवसंरचना के नुकसान की रिपोर्ट करने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के लिए तार सेवा

2819781/2024/ -3

138

89

795

2630082/2023/00. 0 -1

को वहन करने हेतु क्षतिग्रस्त भूमिगत तार अवसंरचना के बदले भूमि के ऊपर अस्थायी रूप से तार अवसंरचना की स्थापना करेगा।

(2) इस नियम के अधीन अस्थायी रूप में भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा कोई फीस या प्रतिकर नहीं लिया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 10 के, उप-नियम (5) में,-

(क) शब्द और अंक "नियम 10ख" के स्थान पर शब्द और अंक "नियम 10क और नियम 10ख" रखे जाएंगे;

(ख) खंड(ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

'(घ) "मार्ग फर्नीचर" से विद्युत, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक लाइट, यातायात संकेत, बस स्टॉप, ट्राम स्टॉप, टैक्सी स्टैंड, सार्वजनिक शौचालय, स्मारक, सार्वजनिक मूर्तिकला, यूटिलिटी पोल या किसी अन्य संरचना या किसी समुचित प्राधिकरण की संपत्ति पर स्थापित ऐसी प्रकृति के संचालन के लिए प्रयुक्त पोस्ट अथवा खंभा अभिप्रेत है।'

4. उक्त नियमों के नियम 10क में,-

(क) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(1क) तारसंसधारक के पास कई स्थलों के लिए एकल आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प होगा और समुचित प्राधिकारी ऐसे आवेदनों को स्वीकार करने और स्मॉल सेलों की स्थापना हेतु तदनुसार कई स्थलों के लिए एकल अनुमति जारी करने के लिए उचित उपबंध करेगा।"

(ख) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) उपयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण स्मॉल सेलों की स्थापना की अनुमति देंगे और अनुसूची के भाग-I या भाग-III के अनुसार अपने नियंत्रण में निहित या उनके अधीन भवनों और संरचनाओं पर स्मॉल सेलों की स्थापना के लिए कोई प्रशासनिक फीस या प्रतिकर नहीं लेंगे:

परंतु कि ये प्रभार वास्तविक आंकड़े के अनुसार भवन स्वामियों द्वारा प्रदान की गई बिजली (उद्योग टैरिफ के अनुसार), फिक्स्चर आदि के लिए लगाए जाएंगे और तारसंसधारी स्मॉल सेल की तैनाती के दौरान हुए नुकसान को वहन करेगा।"

5. उक्त नियमों की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

"अनुसूची

[नियम 5(3), 6(1ख), 6(2)(क), 6(3), 9(3), 9क(2), 10(2), 10(3)(क), 10क(2), 10क(4), 10क(5)]

नियम	पद	राशि
(1)	(2)	(3)
	भाग-I शुल्क	
5(3)	भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना के लिए	एक हजार रुपये प्रति किलोमीटर
9(3)	भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना के लिए	(i) मोबाइल टावर लगाने के लिए दस हजार रुपये (ii) भूमि के ऊपर तार लाइन की स्थापना के लिए एक हजार रुपये प्रति किलोमीटर। (iii) खंभों की स्थापना के लिए, स्मॉल सेल और तार लाइन की स्थापना के लिए, अचल संपत्ति पर निहित या उपयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए शून्य।

2819731/2024/ -3

139 90

796

2630082/2023/00 0 -1

		(iv) खंभों की स्थापना के लिए, मूर्धांत सेल और तार वाहक की स्थापना के लिए, अचल संपत्ति पर निहित या समुचित केंद्रीय प्राधिकरण समुचित के अलावा समुचित प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए प्रति खंभा एक हजार रुपये।
9 क (2)	भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की अस्थायी स्थापना	शून्य।
10 क (2)	मार्ग फर्नीचर का उपयोग करते हुए मूर्धांत सेल और तार वाहक की स्थापना के लिए	शून्य।
10 ज (5)	समुचित केंद्रीय प्राधिकरण के निहित या अधीन भवनों अथवा संरचनाओं पर मूर्धांत यंत्रों की तैनाती के लिए	शून्य।
भाग-II-बहाली के लिए प्रभार		
6(2)(ज)	लाइसेंसधारक द्वारा क्षति को बहाल करने की दायित्वों का निर्वहन करने का चयन नहीं लेने पर भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना।	यदि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उस क्षेत्र के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की गई हो तो अचल संपत्ति को उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार या उस क्षेत्र के लिए राज्य सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अचल संपत्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए अपेक्षित राशि।
6(3)	लाइसेंसधारी द्वारा क्षतिपूर्ति को बहाल करने की दायित्व निर्वहन का चयन किया है वहां भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना के मामले में निष्पादन हेतु सुरक्षा के रूप में एक गारंटी।	अचल संपत्ति को उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार या उस क्षेत्र के लिए राज्य सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार पुनर्स्थापित करने के लिए आवश्यक राशि का 20 प्रतिशत यदि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उस क्षेत्र के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की गई हो।
10 (3)(क)	भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना	अचल संपत्ति को उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार या उस क्षेत्र के लिए राज्य सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार पुनर्स्थापित करने के लिए आवश्यक राशि, यदि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उस क्षेत्र के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की गई हो, इसके अलावा लाइसेंसधारक मूर्धांत सेल और तार वाहकों की स्थापना के लिए खंभों को स्थापित करने के मामले में हुई क्षति की भरपाई करेगा।
भाग-III प्रतिकर		
6(1छ)	भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना	शून्य।
9 क(2)	अस्थायी भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना	शून्य।
10(2)	भूमि के ऊपर अवसंरचना की स्थापना	यदि ऐसी संपत्ति का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता है तो उपयुक्त प्राधिकरण के सामान्य आदेश द्वारा दर निर्दिष्ट कर सकता है। तथापि, मूर्धांत सेल और तार वाहकों की स्थापना हेतु खंभों की स्थापना के लिए प्रतिकर शून्य होगा।

140

91

2819781/2024/ -3

797

2630082/2023/00 0 -1

10 क (4)	स्मॉल सेल और तार लाइन की स्थापना के लिए मार्ग फर्नीचर का उपयोग	(i) स्मॉल सेल की स्थापना के लिए: मार्ग फर्नीचर के अनुसार शहरी क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष तीन सौ रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति वर्ष एक सौ पचास रुपये। (ii) तार लाइन की स्थापना के लिए: प्रति मार्ग फर्नीचर के अनुसार एक सौ रुपये प्रति वर्ष।
10 क (5)	समुचित केंद्रीय प्राधिकारियों के निहित या उनके नियंत्रण में स्वयं अथवा संरचनाओं पर स्मॉल सेलों की तैनाती के लिए	शून्य।

[फा. सं. 2-6/2023-नीति]

सुनील कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 1070 (अ.) तारीख 15 नवंबर, 2016 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 407 (अ.) तारीख 21 अप्रैल, 2017, सा.का.नि. 749 (अ.) तारीख 21 अक्तूबर, 2021 और सा.का.नि. 635 (अ.) तारीख 17 अगस्त, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2023

G.S.R. 594(E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (e) of sub-section (2) of section 7 read with sections 10, 12 and 15 of the Indian Telegraph Act, 1885(13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 9, the following rule shall be inserted, namely: -

"9A. **Establishment of temporary overground telegraph infrastructure.** – (1) In case of damage of any existing underground telegraph infrastructure for any reason, the licensee, whose existing underground telegraph infrastructure is damaged, may temporarily establish the overground telegraph infrastructure, in lieu of the damaged underground telegraph infrastructure, to restore the telegraph service for the period of sixty days from the date of reporting of damage of the infrastructure to the appropriate authority.

(2) No fee or compensation shall be charged by the appropriate authority for the establishment of temporary overground telegraph infrastructure under this rule".

3. In rule 10 of the said rules, in sub-rule (5),-

(a) for the word and figure "rule 10B", the words and figures, "rule 10A and rule 10B", shall be substituted;

(b) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: -

"(d) "street furniture" means post or pole used for electricity, street light, traffic light, traffic sign, bus stop, tram stop, taxi stand, public lavatory, memorial, public sculpture, utility pole or any other structure or contrivance of such nature established over the property of an appropriate authority.".

4. In rule 10A of the said rules,-

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(1A) The licensee shall have the option of submitting single application for multiple sites and appropriate authority shall make due provisions for accepting such applications and issuing single permission for multiple sites accordingly for establishment of small cells.".

(b) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(5) The appropriate central authorities shall permit deployment of small cells and shall charge no administrative fees or compensation for deployment of small cells on buildings and structures vested in or under their control as per Part-I or Part-III of the Schedule:

Provided that the charges shall be levied for power (as per Industry tariffs), fixtures etc. provided by building owners as per actuals and licensee shall restore the damage done during deployment of small cells".

5. For the Schedule of the said rules, the following schedule shall be substituted, namely:-

"THE SCHEDULE

[See rules 5 (3), 6 (1B), 6 (2) (c), 6 (3), 9 (3), 9 A (2), 10 (2), 10 (3) (a), 10A (2), 10A (4), 10 A (5)]

Rule	Item	Amount
(1)	(2)	(3)
	Part-I Fee	
5(3)	For establishment of underground telegraph infrastructure	One thousand rupees per kilometer.
9(3)	For establishment of overground telegraph infrastructure	(i) Ten thousand rupees for establishment of mobile towers (ii) One thousand rupees per kilometre for establishment of overground telegraph line. (iii) Nil for establishment of poles, for installation of small cells and telegraph line, on the immovable property vested in, or under control or management of appropriate central authority (iv) One thousand rupees per pole for establishment of poles, for installation of small cells and telegraph line, on the immovable property vested in, or under control or management of appropriate authority, other than appropriate central authority.
9 A (2)	For Establishment of temporary over ground Telegraph Infrastructure.	Nil.
10A (2)	For installation of small cells and telegraph line using the street furniture	Nil.
10 A (5)	For the deployment of small cells on building or structures vested in or under the control of appropriate central authorities.	Nil.
	Part-II Charges for restoration	
6(2)(a)	Establishment of underground telegraph infrastructure where undertaking is not given by the licensee to discharge the responsibility to restore the damages	Sum required to restore immovable property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area, if no rate has been prescribed by central public works department for that area.
6(3)	Bank guarantee as security for performance in case of establishment of underground telegraph infrastructure where undertaking is given by the	20 percent of the sum required to restore immovable property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area.

	licensee to discharge the responsibility to restore the damages	If no rate has been prescribed by central public works department for that area.
10(3)(e)	Establishment of overground telegraph infrastructure	Sum required to restore immovable property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area, if no rate has been prescribed by central public works department for that area, further, licensee shall restore the damage incurred in case of establishment of poles for installation of Small Cells and telegraph line.
	Part III Compensation	
6(1B)	Establishment of underground telegraph infrastructure	Nil.
9 A(2)	For: Establishment of temporary over ground Telegraph Infrastructure.	Nil.
10(2)	Establishment of Over Ground Infrastructure	Rates as the appropriate authority may, by general order, specify, if such property cannot be used for any other purpose. However, for establishment of poles for installation of small cells and telegraph line, compensation shall be Nil.
10A (4)	Usage of street furniture for installation of small cells and telegraph line	(i) For installation of small cells: Three hundred rupees per annum for urban area and one hundred and fifty rupees per annum for rural areas per street furniture. (ii) For installation of telegraph line: One hundred rupees per annum per street furniture.
10 A (5)	For the deployment of small cells on building or structures vested in or under the control of appropriate central authorities	Nil.

[F. No. 2-6/2023-Policy]

SUNIL KUMAR VERMA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification G.S.R. 1070 (E), dated the 15th November, 2016 and subsequently amended vide G.S.R. 407 (E), dated the 21st April, 2017, G.S.R. 749 (E), dated the 21st October, 2021 and G.S.R. 635(E), dated the 17th August, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

विषय सं0–22 पृष्ठ सं0–143

विषय–भूखण्ड संख्या KBC-32 एवं KBC-33, सेक्टर–बी, कानपुर रोड योजना को नर्सिंग होम में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

आख्या–

आवेदक डा0 मयंक सोमानी, प्रबन्ध निदेशक एवं सी0ई0ओ0 अपोलोमेडिक्स इण्टरनेशनल लाइफसाइंसेज लि0 के पत्र दिनांक 09.09.2024 द्वारा भूखण्ड संख्या KBC-32 एवं KBC-33, सेक्टर–बी, कानपुर रोड योजना का उपयोग अपोलोमेडिक्स सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल, लखनऊ हेतु अस्पताल उपयोग में परिवर्तित करने के संबंध में अनुरोध किया गया है (अनुलग्नक–1 पर संलग्न)।

तदक्रम में अवगत कराना है कि भूखण्ड संख्या KBC-32 एवं KBC-33 कानपुर रोड योजना के सेक्टर–बी में नियोजित भूखण्ड है, जिसका तलपट मानचित्र वर्ष 2011 में अनुमोदित है। अनुमोदित तलपट मानचित्र में भूखण्ड संख्या KBC-32 होटल प्रयोजन एवं KBC-33 कामर्शियल प्रयोजन हेतु आरक्षित है। उक्त दोनो भूखण्ड 24.0मी0 रोड पर नियोजित है (अनुलग्नक–2 पर संलग्न)।

प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार गैर–आवासीय भू–उपयोग में नर्सिंग होम हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 500.00 वर्गमी0 तथा न्यूनतम मार्ग की चौडाई 18.00मी0 होना आवश्यक है। प्रश्नगत दोनो भूखण्ड उक्त अपेक्षाओं/प्राविधानों को पूर्ण कर रहे है। नर्सिंगहोम किया व्यवसायिक उपयोग से निम्न उपयोग की क्रिया है।

शासनादेश सं0–2438/9–आ–3/98–60एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 में वार्णित प्राविधान के अन्तर्गत ले–आउट प्लान संशोधित किये जाने हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 में निहित प्रक्रिया के अधीन प्राधिकरण बोर्ड की 179वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 के मद सं0–179/17 में लिये गये निर्णय के अनुसार अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा प्रदत्त अनुमति दिनांक 12.09.2024 के कम में जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक–253/मु.न.नि./24 दिनांक 17.09.2024 के माध्यम से प्रकाशित की जाने वाली सूचना का प्रारूप जन सम्पर्क अनुभाग को प्रेषित किया गया। तत्पश्चात जनसम्पर्क अनुभाग द्वारा दो दैनिक समाचार पत्रों क्रमशः दैनिक जागरण (हिन्दी) एवं इण्डियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) के दिनांक 18.09.2024 के अंक में सूचना का प्रकाशन कराया गया था (अनुलग्नक–3 पर संलग्न)। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने के दृष्टिगत भूखण्ड संख्या KBC-32 एवं KBC-33, सेक्टर–बी, कानपुर रोड योजना का उपयोग नर्सिंग होम में परिवर्तित किये जाने पर विचार किया जा सकता है, तदानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव–भूखण्ड संख्या KBC-32 एवं KBC-33, सेक्टर–बी, कानपुर रोड योजना का तलपट मानचित्र में आरक्षित उपयोग व्यवसायिक से नर्सिंग होम में परिवर्तित करने के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मानचित्रकार ... अनुभाग आर्च कम प्लानिंग असिस्टेन्ट नियोजन अनुभाग

8X5- Indian Express - 18/9/24 | 24

EXPRESS NETWORK

GOVERNMENT OF PUNJAB
DEPARTMENT OF POWER
(Energy Branch)

ADVERTISEMENT FOR THE POST OF DIRECTOR/FINANCE IN PUNJAB STATE POWER CORPORATION LIMITED

Applications are invited from eligible candidates for the post of Director/Finance in Punjab State Power Corporation Limited. For details, login to **www.punjab.gov.in**, **www.pserc.gov.in**, **www.pspcl.in** and **www.pstcl.org** Last date of receipt of applications is 15.10.2024 till 5:00 PM.

No. 37750/PB **C-701/24**

लखनऊ विकास प्राधिकरण
(ISO 14001 : 2004, ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था)
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.)

-: सार्वजनिक सूचना :-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या KBC-32 एवं KBC-33, सेक्टर–बी, कानपुर रोड योजना का भू–उपयोग नर्सिंग होम में परिवर्तित करने के संबंध में शासनादेश में वार्णित प्राविधान के अन्तर्गत ले–आउट प्लान संशोधित किये जाने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 में निहित प्रक्रिया के तहत जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। केवल उन्हीं आपत्ति/ सुझाव पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित करते हुए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में लिखित रूप में दो प्रतियों में प्राप्त कराये जायेंगे। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

अपर सचिव

PUNJAB STATE POWER CORPORATION LIMITED
(Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall, Patiala - 147001)
Corporate identity Number U40109PB2010SGC033813 Website: wwwpspcl.in
Mobile No. 96461-55525

E-Tender Enq. No. 568/P-1/EMPW-12808 **dated 16.09.24**

Dy.Chief Engineer/ Headquarter (Procurement Cell-1) GGSSTP, Roopnagar invites E-Tender ID No. 2024_POWER_127385_1 To hire 06 No. drivers possessing heavy vehicle driving license for operation of fire tenders for fire fighting services in GGSSTP through a running contract on yearly basis round the clock in four shifts (03 shifts & General shifts) at Fire Fighting Cell under Operation Circle, GGSSTP, Rupnagar as per detailed scope of work on lump sum basis.

For detailed NIT & Tender Specification please refer to **https://eproc.punjab.gov.in** from 17.09.2024/ 05.00 PM onwards.

Note: Corrigendum & addendum, if any will be published online at **https://eproc.punjab.gov.in**

No. 37748/PB **RTP-111/24**

ATISHI NAMED D

BJP demands white pa[p] says Kejriwal trying to

VAISHNAVI MISHRA & SAMAN HUSAIN
NEW DELHI, SEPTEMBER 17

HOURS AFTER AAP chose Atishi to replace Arvind Kejriwal as Delhi chief minister, Delhi BJP president Virendra Sachdeva Tuesday demanded a white paper on the now-scrapped excise policy. Delhi Congress leader and former MLA Haroon Yusuf, meanwhile, accused Kejriwal of "trying to confuse the people" and accused him of repeating tactics from the past.

"We demand Atishi release a white paper on the now-scrapped liquor policy. It should mention how much loss has been caused to Delhi by the policy and which leaders are involved," Sachdeva told mediapersons.

Calling the move to change the CM as a cosmetic one, he added, "Just changing the face of the CM does not give the party a makeover. AAP was corrupt and will remain corrupt."

Slamming Atishi for alleged irregularities in her work as Delhi education minister, Sachdeva alleged, "More than 1 lakh students failed in Class 9 while Atishi was education minister. Who is accountable for that?... The Public

Arvind Kejriwal along wit[h] Tuesday. *Praveen Khanna*

THE ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY
LADAKH AUTONOMOUS HILL DEVELOPMENT COU[NCIL]
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER MECHANICAL DI[VISION]
Ph.01985232252, e-mail:xenmdk@gmail.com

GIST OF E-NIT.

For on behalf of Lt. Governor Union Territory Ladakh. Executive Engineer, Mechanical Division Kargil invites e-Tenders from the intend subject equipment. The bidding documents can be viewed/downloaded from the website **http://www.tenders.ladakh.gov.in**

S.N	NIT No & Date	Brief Description of the Supply.	Tender Document Downloading Start/End date.	Bid Submission Start/end date	Cost of tender document	Amount of earnest money	V
01	MDK/e-NIT/20 of 2024-2025 Dated: 09-09-2024.	**1. SUBJECT OF WORK:** **Design, Supply, Installation, Testing and commissioning of Modern Slaughter House (Halal Method at Kharul Kargil**	09-09-2024 (6.00PM) to 30-09-2024 upto 4.00PM)	10-09-2024 (10.00 AM) to 30-09-2024 upto 4.00PM)	Rs.5000/	10.65 lacs	

Exe

नवा बोर्ड के आवकारियों का कहना है कि सभी आपत्तियों का विशेषज्ञों से विधिवत निस्तारण कराने के उपरांत आगे की प्रक्रिया जल्द पूरी कराई जाएगी। बोर्ड अभ्यर्थियों की आपत्तियां अलग-अलग तिथियों के अनुसार एकत्रित कर रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 19 सितंबर है।

हान पर उपलब्धियां गिनाईं। कहा कि मोदी के नाम का दूसरा पर्याय भरोसा बन गया है। देशवासियों को नरेन्द्र मोदी की नीतियों और कार्यों पर विश्वास है। उनके वादे उनकी गारंटी हैं, वे जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। उनका पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल सेवा, सुशासन

करोड़ किसा रुपये आज बाहरी वर्षों से बाहर आए है, यह हमारा सबसे बड़ी उपलब्धि है।

जब्त की जाती है।

अनुलग्नक - 3

145

प्रभाव, वहीं गठबंधन का दांव

कांग्रेस की रणनीति

- यूपी के बाहर समाजवादी पार्टी को तरजीह नहीं दे रही कांग्रेस
- मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में भी सपा को हाथ लगी मायूसी

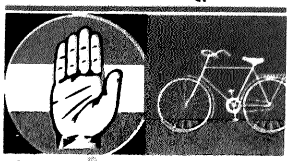

की विधानसभाओं में खाता खोलकर राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करना चाहती है। दूसरे राज्यों में सपा का संगठन उतना प्रभावी नहीं है, जितना उप्र में है। ऐसे में सपा ने कांग्रेस के सहारे चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश कई बार की है। मप्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सपा से गठबंधन न करने पर सपा ने अपने दम पर 22 प्रत्याशी उतारे थे। सपा का खाता तो नहीं खुला लेकिन कांग्रेस को कुछ सीटों पर नुकसान जरूर हुआ। हरियाणा की मुस्लिम और यादव बहुल 12 विधानसभा सीटों पर सपा ने कांग्रेस से गठबंधन करने का प्रयास किया था। बात पांच और फिर तीन सीट पर आकर टिक गई थी। कांग्रेस ने सूची जारी की तो एक भी सीट सपा के लिए नहीं छोड़ी। हालांकि, अखिलेश यादव ने 'बात सीट की नहीं, जीत की है' कहकर गठबंधन धर्म निभाने के लिए त्याग करने के संकेत दे दिए। अब जम्मू- कश्मीर में कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने पर सपा ने वहां अपने 20 उम्मीदवार उतार दिए हैं। जम्मू -कश्मीर में कांग्रेस और सपा आमने-आमने हैं। अखिलेश वहां प्रचार के लिए जाएंगे। महाराष्ट्र में भी गठबंधन को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। वैसे सपा की महाराष्ट्र यूनिट ने 12 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं।

तीन आइपीएस व दो पीपीएस के तबादले

राब्यू, जागरण • लखनऊ : शासन ने आइपीएस अधिकारियों में मानुष पारिक को बरेली के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी से इसी जिले में पुलिस अधीक्षक नगर बनाया गया है। अंशिका वर्मा को सहायक पुलिस अधीक्षक गोरखपुर से प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी, बरेली के पद पर भेजा गया है। कुंवर आकाश सिंह को सहायक पुलिस अधीक्षक मथुरा से प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, मुरादाबाद के पद पर तैनाती दी गई है। पीपीएस अधिकारियों में सुलतानपुर में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक अरुण चन्द्र को डीजीपी मुख्यालय स्थित चुनाव प्रकोष्ठ में भेजा गया है। चुनाव प्रकोष्ठ में तैनात रहे अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह को सुलतानपुर में तैनाती दी गई है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण
(ISO 14001 : 2004, ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था)
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.)

-: सार्वजनिक सूचना :-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या KBC-32 एवं KBC-33, सेक्टर-बी, कानपुर रोड योजना का भू-उपयोग नर्सिंग होम में परिवर्तित करने के संबंध में शासनादेश में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत ले-आउट प्लान संशोधित किये जाने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के तहत जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। केवल उन्हीं आपत्ति/ सुझाव पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित करते हुए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में लिखित रूप में दो प्रतियों में प्राप्त कराये जायेंगे। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

अपर सचिव

पढ़ाई संग तैयार होंगे अच्छे खिलाड़ी

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ : प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई के साथ अच्छे खिलाड़ी भी तैयार किए जाएंगे। सरकारी व निजी स्कूलों में खेल सुविधाओं का ब्योरा एकत्र करने के लिए वेब पोर्टल तैयार किया गया है। अब सभी विद्यालय अपने यहां खेल शिक्षक, मैदान और अन्य खेल सुविधाओं से जुड़े विवरण इस पर अपलोड कर रहे हैं। जिला, मंडल व राज्य स्तर पर अलग-अलग खेलों की टीमें गठित की जा रही हैं। स्पोर्ट्स फार स्कूल प्रोग्राम के तहत स्कूलों से अच्छे खिलाड़ी तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) व जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआइओएस) को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी सरकारी व निजी स्कूलों में खेल सुविधाओं से जुड़ा ब्योरा वेब पोर्टल https://sspup.in पर अपलोड करें। शत-प्रतिशत विद्यालयों का इस पर पंजीकरण कराया जाए और उनसे इस पर जानकारी अपलोड कराई जाए। तमाम विद्यालयों ने अपना ब्योरा भी इस पर दर्ज कर दिया है। स्पोर्ट्स फार स्कूल प्रोग्राम के तहत विद्यालय एक-दूसरे के खेल संसाधनों का उपयोग भी कर सकेंगे। राज्य सरकार ने स्कूलों में खेल को बढ़ावा देने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया है। इस विभाग की देखरेख में स्कूलों में अच्छे खिलाड़ी तैयार होंगे। राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाएगा।

Jagran

आवश्यकता है

देश के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले अखबार

दैनिक जागरण

को सर्वे कार्य हेतु प्रतिभावान युवक/युवतियों की

कार्यक्षेत्र - लखनऊ शहर

न्यूनतम योग्यता : इण्टरमीडिएट/स्नातक

दिनांक 18, 19, 20, 21, व 22 सितम्बर 2024

वाक इन - इंटरव्यू

(योग्यता : इण्टरमीडिएट/स्नातक)
समय :- 12 बजे से 2 बजे तक
57ए-3, मीराबाई मार्ग, लखनऊ।
मो0 7408085063

पाये आकर्षक वेतन के साथ सेल्स/ मार्केटिंग क्षेत्र का अमूल्य अनुभव

8x5 दैनिक जागरण - 18/9/24

146

Apollomedics
SUPER SPECIALITY HOSPITALS

APA/AE Shri Atul
09/09/2024
09/CTP CTP

AMIL/24-25/T2/001

Date – 09-09-2024

To,
The Vice Chancellor,
Lucknow Development Authority,
Lucknow,

09/9/24

Subject- Regarding changing of Land use of plot no KBC 32&33 sector B to Hospital use for Apollomedics Superspeciality Hospital, Lucknow

Dear Sir,

With reference to your letter no. dated 06-08-2024 regarding land use change of plot no KBC 32 and 33 to Hospital which is adjacent to Apollomedics Superspeciality Hospital, Lucknow, we wish to bring to your kind information that Apollomedics Superspeciality Hospital has bought the plots KBC 32 &33 wide respective registries dated 07-09-2024.

The current land use of KBC 32 is Commercial/Hotel and KBC 33 is commercial. The land use of both the plots is requested to be changed to Hospital use which shall be used for construction of additional hospital building.

We request you to kindly guide regarding the conversion of land use of the pre amalgamated KBC-32 and KBC-33 plots to hospital use and enable us to initiate proceedings.

श्रीमती सीमा
10.09.2024
A.P.A.

Thanking You,
Yours Sincerely
For Apollomedics International Lifesciences Ltd.

Dr. Mayank Somani
Managing Director & CEO

Encl – Letter from LDA dated 06-08-2024

147

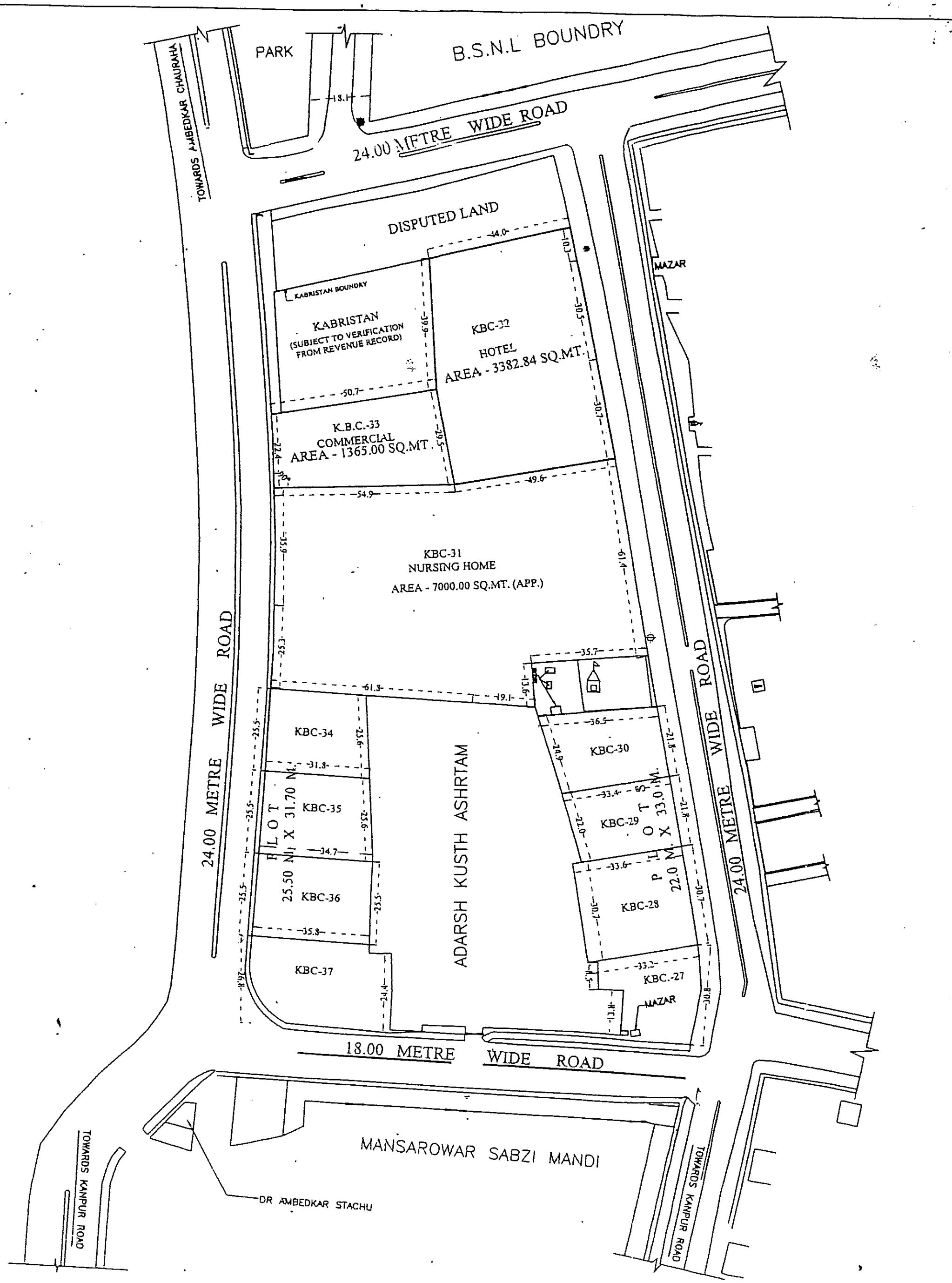

REVISED PART LAYOUT PLAN O SECTOR - B, (COMMERCIAL) AT KANPUR ROAD SCHEME, LUCKNOW.

DETAIL OF COMM. PLOTS:-

S.NO.	TYPE	AREA	NOS.
1.	KBC-27 TO 30	726.00 SQ.MT.(approx.)	04
2.	KBC-31	7000.00 SQ.MT.(approx.)	01
3.	KBC-32	3382.84 SQ.MT.(approx.)	01
4.	KBC-33	1365.00 SQ.MT.(approx.)	01
5.	KBC-34 TO 37	808.35 SQ.MT.(approx.)	04
TOTAL NOS. OF COMM. PLOTS			11

NOTES:-

1. THIS REVISED PART LAYOUT PLAN IS PREPARED ON THE BASIS OF SURVEY PLAN GIVEN BY E.E.- 5 ON DATED -02.02.2011.
2. PLOT NO. C.P.-3, 4, 5 AND 6 OF EARLIER APPROVED LAYOUT PLAN ARE ADJUSTED IN THIS LAYOUT PLAN. THESE PLOTS WOULD BE TREATED AS MISSING IN FUTURE.

TENTATIVE

R E V I S I O N

DATE :- FEB. 2011
DRG. NO. :- REPLP1/Sec-B/KRS 2011
DEALT BY :- S. SWANI
CHECKED BY:-

N.

SCALE :- 1:1500

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

KAMALJEET SINGH
A.E. (PLANNING)

RAVI JAIN
T.P.

M.K. NARAYAN
V.C.

(अनुलग्नक

विषय–जानकीपुरम योजना सेक्टर–जे ~~प्राइमरी~~ प्राइमरी स्कूल हेतु नियोजित भूखण्ड क्षेत्रफल–3948.86 वर्गमी0 को हाईस्कूल की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

आख्या

अध्यक्ष, सेन्टडॉन बास्को एजूकेशनल सोसायटी, इन्दिरानगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 13.11.2024 जिस पर उपाध्यक्ष महोदय के पृष्ठांकन दिनांक 13.11.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें। आवेदक द्वारा स्कूल भूखण्ड जानकीपुरम सेक्टर–जे, भाग–2 में स्कूल हेतु 4000.00 वर्गमी0 के निर्धारित क्षेत्रफल के स्थान पर समायोजन के आधार पर 3948.55 वर्गमी0 का स्कूल भूखण्ड आवंटित/उपलब्ध कराया गया था। तद्क्रम में प्रभावी नियमों के अधीन उक्त भूखण्ड प्राईमरी स्कूल हेतु आवंटित किया गया था, जिसका मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत/निर्गत किया जा चुका है। वर्तमान में भवन उपविधि में (2000 वर्गमी0 से अधिक के भूखण्ड क्षेत्रफल पर अनुमन्य) एवं आई0सी0एस0सी0 बोर्ड मानक (2000 वर्गमी0 से अधिक के भूखण्ड क्षेत्रफल पर अनुमन्य) अनुसार उक्त भूखण्ड पर हाईस्कूल स्तर की शिक्षा की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है।

तद्क्रम में अवगत कराना है कि कथित भूखण्ड जानकीपुरम योजना सेक्टर–जे के अनुमोदित तलपट मानचित्र में भूखण्ड क्षेत्रफल–3948.86 वर्गमी0 प्राइमरी स्कूल हेतु नियोजित है। उक्त भूखण्ड पर प्राइमरी स्कूल भवन के मानचित्र की स्वीकृति भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के मानकों के अनुसार भू–आच्छादन 35 प्रतिशत तथा एफ0ए0आर0–1.0 पर अनुमन्य/स्वीकृत है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में हाईस्कूल भूखण्ड हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल–2000 वर्गमी0 तथा भू–आच्छादन 30 प्रतिशत तथा एफ0ए0आर0–1.0 अनुमन्य है जोकि हाईस्कूल भूखण्ड की अनुमन्यता को पूर्ण करता है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार हाईस्कूल की अनुमन्यता पर विचार किया जा सकता है परन्तु प्रश्नगत भूखण्ड पर हाईस्कूल की अनुमति प्रदान करने से पूर्व शासनादेश संख्या–2438/9–आ–3/ 98–60 एल0यू0सी0/96, दिनांक 13.10.1998 (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार तलपट मानचित्र में संशोधन आवश्यक होगा तथा सम्पत्ति अनुभाग द्वारा विक्रय–विलेख में प्राइमरी स्कूल के स्थान पर हाईस्कूल अनुमन्य किये जाने हेतु संशोधन विलेख (तितिम्मा) कराना आवश्यक होगा।

मानचित्रकार
नियोजन अनुभाग
ल0 वि0 प्रा0 ल0

आर्कि0 प्लानिंग असिस्टेन्ट
नियोजन अनुभाग

अतः प्रश्नगत प्रकरण पर शासनादेश संख्या–2438/9–आ–3/98–60 एल0यू0सी0/96, दिनांक 13.10.1998 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत ले–आउट प्लान में संशोधन किये जाने हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

प्रस्ताव

जानकीपुरम योजना, सेक्टर–जे, ~~प्राइमरी~~ प्राइमरी स्कूल हेतु नियोजित भूखण्ड क्षेत्रफल–3948.86 वर्गमी0 को हाईस्कूल की अनुमति प्रदान करने से पूर्व शासनादेश संख्या–2438/9–आ–3/98–60 एल0यू0सी0/96, दिनांक 13.10.1998 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार तलपट मानचित्र में संशोधन करने तथा सम्पत्ति अनुभाग द्वारा विक्रय–विलेख में प्राइमरी स्कूल के स्थान पर हाईस्कूल अनुमन्य किये जाने हेतु संशोधन विलेख (तितिम्मा) कराने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

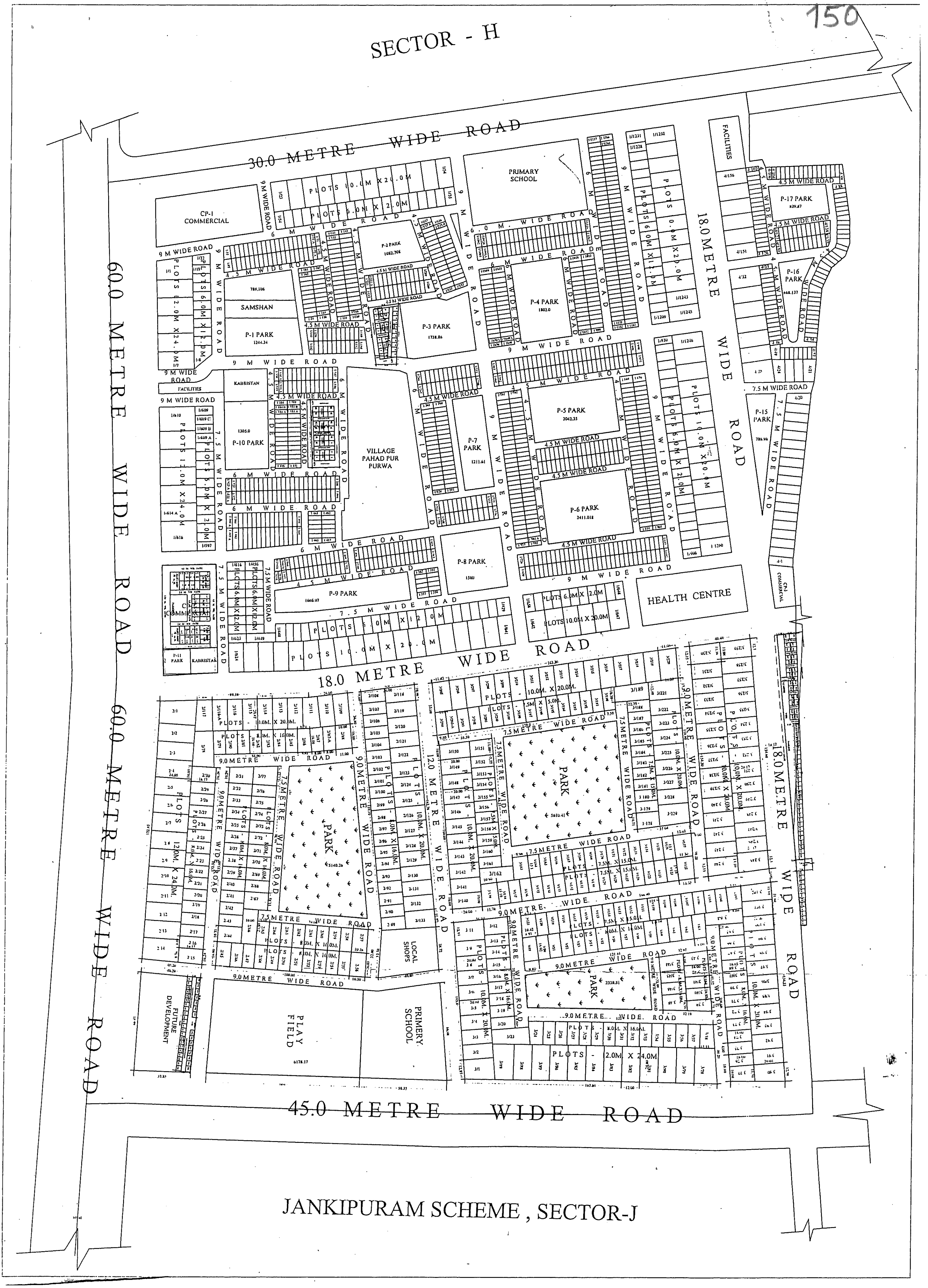
SECTOR - H
30.0 METRE WIDE ROAD
60.0 METRE WIDE ROAD
18.0 METRE WIDE ROAD
45.0 METRE WIDE ROAD
CP-1 COMMERCIAL
PRIMARY SCHOOL
FACILITIES
P-17 PARK
P-16 PARK
P-15 PARK
P-2 PARK
P-3 PARK
P-4 PARK
P-5 PARK
P-6 PARK
P-7 PARK
P-8 PARK
P-9 PARK
P-10 PARK
P-1 PARK
SAMSHAN
KABRISTAN
VILLAGE PAHAD PUR PURWA
HEALTH CENTRE
PARK
LOCAL SHOPS
FUTURE DEVELOPMENT
PLAY FIELD
PRIMERY SCHOOL
12.0 METRE WIDE ROAD
9.0 METRE WIDE ROAD
7.5 METRE WIDE ROAD
JANKIPURAM SCHEME , SECTOR-J

;

संख्या-2438/9-आ-3-98-60 एल.यू०सी०/96

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. आयुक्त,
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाँक : 13 अक्टूबर, 1998

विषय : विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की आवासीय कालोनियाँ/नियंत्रित क्षेत्रों के ले-आउट प्लान संशोधित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4900/9-आ-3-96-60 एल०यू०सी०/96, दिनाँक 26-12-96 के अन्तिम प्रस्तर में यह निदेश [illegible] गये हैं कि ले-आउट प्लान संशोधित कर भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भी सम्पूर्ण प्रक्रिया उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, [illegible]3 की धारा-13 के अनुसार जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त शासन द्वारा गजट अधिसूचना जारी कर पूर्ण [illegible] जायेगी। उल्लेखनीय है कि उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 व 15 के अन्तर्गत ले-आउट प्लान स्वीकृत [illegible] व संशोधित करने का अधिकार विकास प्राधिकरण स्तर पर ही है। अतः ले-आउट प्लान के संशोधन हेतु शासन स्तर से गजट [illegible]सूचना जारी करने की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया गया।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि महायोजना अथवा जोनल योजना में बिना कोई संशोधन किये [illegible] विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजना के तलपट मानचित्रों में संशोधन कर भवन/भूखण्ड के [illegible]उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जानी हो तो तद्विषयक कार्यवाही प्राधिकरण व उ०प्र० आवास विकास परिषद के स्तर पर [illegible] [illegible]ादित की जाये परन्तु इस संशोधन की कार्यवाही उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया [illegible] न ही की जाये। अर्थात ऐसे मामलों में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित [illegible] जाये तथा आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देते हुए प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त [illegible]तम विज्ञप्ति भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन/भू-उपयोग परिवर्तन के लि[illegible] [illegible]वामियों से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारित दरों पर वसूल किया जाये। अन्तिम विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के पू[illegible] [illegible]स प्राधिकरण व उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त [illegible]नादेश दिनांक 26-12-96 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

[illegible]-2438(1)/9-आ-3-98 तद्दिनाँक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को
2. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
3. गार्ड फाइल।
4. उ०प्र०, आवास बन्धु।

आज्ञा से,

एन. पी. सिंह

2.4 सामुदायिक सुविधाओं तथा अन्य उपयोगों/कियाओं हेतु मानक

2.4.1	सुविधाओं हेतु मानक	सामुदायिक सुविधाओं हेतु निम्न मानकों के अनुसार प्राविधान किए जायेंगे:–		
क.सं.	मुख्य श्रेणी	उप–श्रेणी	मानक	न्यूनतम क्षेत्रफल
1.	शैक्षिक सुविधाएं	• नर्सरी स्कूल	2500 जनसंख्या पर–1	500 वर्गमीटर
		• प्राइमरी स्कूल	5000 जनसंख्या पर–1	1000 वर्गमीटर
		• जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल	7500 जनसंख्या पर–1	2000 वर्गमीटर
		• इण्टर कालेज	10000 जनसंख्या पर–1	4000 वर्गमीटर
		• डिग्री कालेज/पोस्ट ग्रेजुएट कालेज	80,000 से 1,00,000 जनसंख्या पर–1	नगरीय क्षेत्र–5000वर्गमीटर ग्रामीण क्षेत्र–10000 वर्गमीटर **टिप्पणी:**–महिला डिग्री कालेज के लिए उपरोक्त का 50 प्रतिशत।
		• इन्जीनियरिंग कालेज	10,00,000 जनसंख्या पर–1	2.0 हेक्टे.–मेट्रो नगरों में 4.0 हेक्टे.–अन्य नगरों में
		• मेडिकल कालेज	10,00,000 जनसंख्या पर–1	10.0 हेक्टेयर
		• डेन्टल कालेज	10,00,000 जनसंख्या पर–1	2.0 हेक्टेयर
		• ऑगनबाडी	5000 जनसख्या पर–1	250 वर्ग मीटर
		यह प्राविधान शासनादेश सख्या 3272 (1)/8–1–10– 156 विविध /10, दिनांक 19.08.2010 के क्रम में शामिल किया जा रहा है। **टिप्पणी– हाईस्कूल/इण्टर कालेज के अन्तर्गत प्राइमरी एवं नर्सरी स्कूल का प्राविधान समाहित किया जा सकता है, जिसके दृश्टिगत प्रत्येक स्तर के स्कूल के लिए जनसंख्या मानकों के अनुसार पृथक भूखण्ड आरक्षित करना आवश्यक नहीं होगा।**		
2.	चिकित्सा सुविधाएं	• स्वास्थ्य केन्द्र	15000 जनसंख्या पर–1	800 वर्गमीटर
		• बाल कल्याण एवं प्रसूति गृह	45000 जनसंख्या पर–1	2000 वर्गमीटर
		• सामान्य चिकित्सालय (न्यनतम 100 शैय्याओं का)	100000 जनसंख्या पर–1	2 हेक्टेयर
3.	दूर संचार सुविधाएं एवं अन्य सेवाएं	• उप–डाकघर	10,000 जनसंख्या पर–1	उप डाकघर 100 वर्गमीटर अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल, जो भी कम हो। **उप डाकघर का प्राविधान व्यावसायिक/सुविधाजनक दुकानों/कार्यालय भवनों/ संस्थागत भवनों में करने की स्थिति में न्यूनतम तल क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर होगा।**
		• टेलीफोन एक्सचेंज	1,00,000 जनसंख्या पर–1	4000 वर्गमीटर अथवा मान्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल, जो भी कम हो।

4.	**शैक्षिक**		
	(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र		
	• प्राइमरी व नर्सरी स्कूल	35	1.00
	• हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट / उच्चतर संस्थाएं	30	1.00
	(ख) नए / अविकसित क्षेत्र		
	• नर्सरी स्कूल / प्राइमरी स्कूल	40	1.20
	• हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट	35	1.20
	• डिग्री कालेज	35	1.50
	• तकनीकी प्रबन्धन	35	2.00
5.	**सामुदायिक एवं संस्थागत सुविधाएं**		
	(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र	40	1.50
	(ख) नए / अविकसित क्षेत्र		
	• सामुदायिक केन्द्र, बारातघर एवं धार्मिक भवन	40	1.50
	• अन्य संस्थागत	30	2.00
6.	**भण्डारण**		
	(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र	35	0.80
	(ख) नए / अविकसित क्षेत्र		
	• गोदाम	40	1.20
	• भवन निर्माण सामग्री यार्ड	30	0.60
7.	**औद्योगिक**		
	(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)		
	• 100 तक	60	1.20
	• 101–450	60	1.20
	• 451–2000	55	1.00
	• 2001–12,000	55	0.90
	• 12001–20,000	50	0.85
	• 20,000 से अधिक	50	0.80
	(ख) नए / अविकसित क्षेत्र		
	• फ्लैटेड फैक्ट्रीज़	50	1.50
	• लघु एवं हल्के उद्योग	60	1.00
	• वृहद उद्योग	40	0.80
8.	**होटल**		
	(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र	40	2.00
	(ख) नए / अविकसित क्षेत्र	40	2.50
9.	**थोक व्यवसायिक**		
	(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र		

154

St. DON BOSCO EDUCATIONAL SOCIETY (Regd.)

B-4, SECTOR-5, INDIRA NAGAR, LUCKNOW-226016

Ref. No........................... *Date-:* 13-11-2024

सेवा में,

उपाध्यक्ष महोदय

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ।

विषय:- पुनः अवगत कराने के संदर्भ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा समायोजन के आधार पर आवंटित भूखण्ड क्षेत्रफल-3948.86 वर्ग मीटर का स्कूल भूखंड पर हाईस्कूल स्तर की शिक्षा हेतु अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

सेवा में सविनय निवेदन है कि मुझे उक्त स्कूल भूखण्ड जानकीपुरम सेक्टर-जे, भाग-2 में उन्हें स्कूल हेतु 4000.00 वर्ग मी0 के निर्धारित क्षेत्रफल के स्थान पर समायोजन के आधार पर 3948.55 वर्ग मी0 का स्कूल भूखण्ड आवंटित/उपलब्ध कराया गया था। तद्समय प्रभावी नियमों के अधीन उक्त भूखण्ड प्राईमरी स्कूल हेतु आवंटित किया गया था जिसका मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत/निर्गत किया जा चुका है। वर्तमान में प्रभावी उपविधि में (2000.00 वर्ग मी0 से अधिक के भूखण्ड श्रेत्रफल पर अनुमन्य) एवं सी.बी.एस.सी. बोर्ड मानक (8000.00 वर्ग मी0 से अधिक के भूखण्ड श्रेत्रफल पर अनुमन्य) अनुसार उक्त भूखण्ड पर हाईस्कूल स्तर की शिक्षा हेतु अनुमति दी जा सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त के दृष्टिगत उक्त भूखण्ड का हाईस्कूल स्तर की शिक्षा हेतु अनुमति/स्वीकृत देने की कृपा करें।

महोदय आपसे यह विनम्र निवेदन है कि, आप हमारे प्रार्थनापत्र पर हमारे हित में निर्णय लेते हुए हाईस्कूल चलाने की स्वीकृत प्रदान करें जिससे 2025-2026 सत्र से हम अध्ययन एवं अध्यापन कार्य आरम्भ कर सकें जिसके लिए आपकी महान कृपा होगी।

धन्यवाद

भवदीय,

President

St. Don Bosco Educational Soc.

B-4, Sec-5, Indira Nagar, Lko.

संलग्न:-

1- मूल आवंटित पत्र।

2- सी०आई०एस०सी०ई० की भूमि की आवश्यकता की प्रतिलिपि।

3- लीज डीड की प्रतिलिपि।

155

St. DON BOSCO EDUCATIONAL SOCIETY(Regd.)

B-4, SECTOR-5, INDIRA NAGAR, LUCKNOW-226016

Ref. No.......................... Date. 05-09-2024.

उपाध्यक्ष कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण ...०९/२४

सेवा में,

उपाध्यक्ष महोदय

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ।

विषयः– **लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा** समायोजन के आधार पर **आवंटित** भूखण्ड क्षेत्रफल–**3948.86 वर्ग मीटर** का **स्कूल भूखंड पर** हाईस्कूल **स्तर की शिक्षा हेतु अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

सेवा में सविनय निवेदन है कि मुझे उक्त स्कूल भूखण्ड जानकीपुरम् सेक्टर–जे, भाग–2 में उन्हें स्कूल हेतु 4000.00 वर्ग मी0 के निर्धारित क्षेत्रफल के स्थान पर समायोजन के आधार पर, 3948.55 वर्ग मी0 का स्कूल भूखण्ड आवंटित/उपलब्ध कराया गया था। तद्समय प्रभावी नियमों के अधीन उक्त भूखण्ड प्राईमरी स्कूल हेतु आवंटित किया गया था, जिसका मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत/निर्गत किया जा चुका है। वर्तमान में भवन उपविधि में (2000.00 वर्ग मी0 से अधिक के भूखण्ड श्रेत्रफल पर अनुमन्य) एवं आई.सी.एस.सी. बोर्ड मानक (2000.00 वर्ग मी0 से अधिक के भूखण्ड श्रेत्रफल पर अनुमन्य) अनुसार उक्त भूखण्ड पर हाईस्कूल स्तर की शिक्षा हेतु अनुमति दी जा सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त के दृष्टिगत उक्त भूखण्ड का हाईस्कूल स्तर की शिक्षा हेतु अनुमति/स्वीकृत देने की कृपा करें।

सधन्यवाद

भवदीय,

संलग्नः-

1- मूल आवंटित पत्र।

2- सी०आई०एस०सी०ई० की भूमि की आवश्यकता की प्रतिलिपि।

3- लीज डीड की प्रतिलिपि।

President
St. Don Bosco Educational Society
B-4, Sec.5, Indira Nagar, Lucknow

विषय :–शारदा नगर योजना के अन्तर्गत हाईस्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 7032.50 वर्ग मी0 के शमन मानचित्र पर लेवी शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति की संस्तुति।

आवासीय पब्लिक स्कूल संस्था द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए दिनांक 15.02.2012 को लीज अनुबन्ध अभिलेख सम्पादित कराया गया। निष्पादित अनुबन्ध में शर्त संख्या–8 में निम्न निम्न उल्लेख किया गया है–

That the possession of allotted land has been delivered by the lessor to the lessee through this agreement. And the lessee is required to raise constructions from the date of agreement to lease within a period of 5 years in accordance with the map plan duly sanctioned in this regard by the Competent Authority. And after expiry of the aforesaid period of 5 years, the time to raise construction may be extended on payment of levy charges @ 2% per annum of the prevailing valuation at that time,which may be extended upto the maximum period of 5 years. And if, the lessee even then fails to raise construction within extended period of 5 years, meaning thereby the lessee fails to raise construction within total period of 10 years from the date of agreement, then the lease granted to the leessee shall stand forfeited and the lessor shall re-enter upon the land, as provider under Section 18 (4-A) of the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973 duly amended vide U.P. Act no. 3 of 1997.

उपरोक्त शर्त के क्रम में आवंटी संस्था को 5 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कराना था परन्तु संस्था द्वारा समय अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। उपलब्ध अभिलेख एवं शासन को प्रेषित विभागीय पत्र सं0–07/ई0 4/अ0स0/12 दिनांक 17.10.2013 के बिन्दु सं0–1 के क्रम में उल्लेख किया गया है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा जारी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के बिन्दु सं0–2.4 में सामुदायिक सुविधाओं के प्रस्तर 2.4 के क्रम सं0–01 में इण्टर कालेज हेतु 10,000/– वर्ग मीटर (एक हेक्टेयर) क्षेत्रफल होना आवश्यक है। जबकि आवंटी संस्था को 7032.5 वर्ग मीटर भूमि आवंटित/कब्जा दिया गया है। आवंटी संस्था द्वारा हाईस्कूल स्तर तक का स्कूल बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूखण्ड पर अनाधिकृत निर्माण करते हुये इण्टरमीडिएट तक विगत कई वर्षों से स्कूल संचालित किया जा रहा है।

अनाधिकृत निर्माण किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा भवन उपविधि के अन्तर्गत उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधि0 1973 की धाराओं के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के क्रम में आवेदक/संस्था द्वारा शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 31.10.2017 को शमन मानचित्र की स्वीकृति प्रदान करते हुये लेवी शुल्क, मानचित्र से सम्बन्धित अन्य शुल्क का मांग पत्र सं0–100/ई0ए0पी0 जोन–2/17 दिनांक 03.11.2017 के द्वारा संस्था को प्रेषित किया गया। संस्था द्वारा शमन शुल्क, अन्य शुल्क के साथ लेवी शुल्क के मद में रू0 17.00 लाख 30.03.2018 को जमा करते हुए अवशेष लेवी शुल्क रू0 29.00 लाख 5 वार्षिक किश्तों में विभाजित करने का अनुरोध पत्र दिनांक 17.01.2019 को प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया। आवंटी संस्था द्वारा लेवी शुल्क न जमा करने के सम्बन्ध में मा0 उपमुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन एवं मण्डलायुक्त लखनऊ को

प्रभारी अधिशासी अभियन्ता (... सेल)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

अजीत कुमार
अधिशासी अभियन्ता
मानचित्र सेल
ल0वि0प्रा0

दिनांक 30.08.2023 को पत्र के माध्यम से भू–खण्ड पर ली जाने वाली लेवी शुल्क से मुक्त करते हुये शमन मानचित्र जारी करने का अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध पत्र के क्रम में तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा नियोजन अनुभाग की पत्रावली पर दिनांक 29.09.2023 में समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा शासनादेश सं0–5068/9–अ–1–भूखण्ड(अ0व0/2001) दिनांक 14.02.2001 के क्रम में संस्थागत भवन हेतु अनुमन्य तल क्षेत्र का 25 प्रतिशत निर्माण कर लिया गया है तो भूखण्ड की लेवी से छूट दी जायेगी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र के अनुसार निम्नानुसार निर्माण/आच्छादन किया गया है–

1. भूतल विद्यमान आच्छादन	–	987.28 वर्ग मीटर
2. प्रथम विद्यमान आच्छादन	–	432.59 वर्ग मीटर
3. भूतल प्रस्तावित आच्छादन	–	333.42 वर्ग मीटर
4. प्रथम तल प्रस्तावित आच्छादन	–	886.11 वर्ग मीटर
5. मम्टी प्रस्तावित आच्छादन	–	24.99 वर्ग मीटर
6. कुल विद्यमान एफ0ए0आर0	–	1419.87 वर्ग मीटर–(ए)
7. कुल प्रस्तावित एफ0ए0आर0	–	1217.53 वर्ग मीटर
8. अनुमन्य एफ0ए0आर0 का 25 प्रतिशत	–	1758.12 वर्ग मीटर (बी)

आवेदक द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र में दर्शित उपरोक्त विधमान निर्माण से स्पष्ट है कि तत्समय कुल निर्मित क्षेत्रफल 1419.87 वर्ग मीटर था, जबकि शासनादेश के अनुसार निर्मित क्षेत्रफल 25 प्रतिशत अर्थात 1758.12 वर्ग मीटर होना आवश्यक था। शासनादेश दिनांक 14.02.2001 के अनुसार संस्थागत भवन हेतु 25 प्रतिशत तक निर्माण पूर्ण होने पर ही लेवी से छूट प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा यह मत स्थिर किया गया कि प्रस्तुत शमन मानचित्र के अनुसार स्थल पर विद्यमान निर्माण (निर्मित एफ.ए.आर.) 1419.87 वर्गमी. होने के कारण शासनादेश में प्राविधानित संस्थागत भवन निर्माण की सीमा 25 प्रतिशत (1758.12 वर्गमी0) निर्माण से कम होने के कारण शासनादेश दिनांक 14.02.2001 के प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर लेवी से छूट प्रदान किया जाना नियमानुकूल नहीं है।

समिति की संस्तुति के क्रम में विभागीय पत्र संख्या–1458/इ.इ.मैप/23 दिनांक 13.12.2023 के द्वारा आवेदक को लेवी शुल्क से छूट प्रदान किया जाना नियमानुकूल नहीं है से अवगत कराया गया। आवंटित संस्था द्वारा श्री लाल बिहारी यादव नेता विरोधी दल उ0प्र0 विधान परिषद को पत्र दिनांक 24. 10.2024 के माध्यम से भूखण्ड पर ली जाने वाली लेवी शुल्क से मुक्त करते हुए शमन मानचित्र निर्गत कराने का अनुरोध किया गया। जिस पर उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 16.10.2024 द्वारा सचिव महोदय की अध्यक्षता में विभागीय समिति का गठन किया गया। गठित समिति की बैठक दिनांक 22.11. 2024 को प्रकरण पर सम्बन्धित पत्रावली का परीक्षण किया गया। शासनोदश संख्या–5068/अ–1–भूखण्ड (अ.व./2001) दिनांक 14.02.2001) दिनांक 14.02.2001 के प्राविधानों के अनुसार निर्मित एफ.ए.आर. 1419.87 वर्गमी0 आवश्यक निर्माण 25 प्रतिशत 1758.12 वर्गमी0 से कम किये जाने के कारण लेवी शुल्क से छूट प्रदान किया जाना नियमानुकूल नहीं हैं। लेवी शुल्क से छूट प्रदान किया जाना नीतिगत निर्णय है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि स्कूल संस्था द्वारा नियत अवधि में शासनादेश के अनुसार 25 प्रतिशत अर्थात् 1758.12 वर्गमीटर निर्माण होना चाहिए था, जबकि स्थल पर 1419.87 वर्गमी0 पाया गया, जो निर्धारित मानक से 338.25 वर्गमीटर कम है। मात्र 338.25 वर्गमी0

प्रभारी अधि... (... ...)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

अजीत कुमार
अधिशासी अ...
मानचित्र ...
ल0वि0प्रा0

निर्माण न होने के कारण सम्पूर्ण भूखण्ड पर लेवी शुल्क लिये जाने का प्राविधान शासनादेश में है, लेकिन इसे कम करने अथवा निर्धारित मानक के सापेक्ष निर्माण न होने पर लेवी शुल्क में छूट सम्बन्धी कोई प्राविधान शासनादेश में नहीं है। ऐसी स्थिति में लेवी शुल्क से छूट प्रदान करना अथवा लेवी शुल्क कम करना एक नीतिगत विषय है, जिसके सम्बन्ध में निर्णय प्राधिकरण बोर्ड से लिया जाना उचित होगा।

उपरोक्त के क्रम में आवंटी संस्था की मांग के क्रम में लेवी शुल्क लिये जाये अथवा न लिये जाने अथवा कम किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है।

मनोज कुमार [illegible]
प्रभारी अधिकारी-सम्पत्ति (बल्क सेल)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

अजीत कुमार
अधिशासी अभियन्ता
मानचित्र सेल
ल०वि०प्रा०

उपाध्यक्ष महोदय,

शारदा नगर योजना के अन्तर्गत हाईस्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 7032.50 वर्ग मी0 के शमन मानचित्र पर लेवी शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति की संस्तुति।

आवासीय पब्लिक स्कूल संस्था द्वाराऔपचारिकताएं पूर्ण करते हुए दिनांक 15.02.2012 को लीज अनुबन्ध अभिलेख सम्पादित कराया गया। निष्पादित अनुबन्ध में शर्त संख्या–8 में निम्न निम्न उल्लेख किया गया है–

That the possession of allotted land has been delivered by the lessor to the lessee through this agreement. And the lessee is required to raise constructions from the date of agreement to lease within a period of 5 years in accordance with the map plan duly sanctioned in this regard by the Competent Authority. And after expiry of the aforesaid period of 5 years, the time to raise construction may be extended on payment of levy charges @ 2% per annum of the prevailing valuation at that time,which may be extended upto the maximum period of 5 years. And if, the lessee even then fails to raise construction within extended period of 5 years, meaning thereby the lessee fails to raise construction within total period of 10 years from the date of agreement, then the lease granted to the leessee shall stand forfeited and the lessor shall re-enter upon the land, as provider under Section 18 (4-A) of the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973 duly amended vide U.P. Act no. 3 of 1997.

उपरोक्त शर्त के क्रम में आवंटी संस्था को 5 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कराना था परन्तु संस्था द्वारा समय अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। उपलब्ध अभिलेख एवं शासन को प्रेषित विभागीय पत्र सं0–07/ई0 4/अ0स0/12 दिनांक 17.10.2013 के बिन्दु सं0–1 के क्रम में उल्लेख किया गया है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा जारी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के बिन्दु सं0–2.4 में सामुदायिक सुविधाओं के प्रस्तर 2.4 के क्रम सं0–01 में इण्टर कालेज हेतु 10,000/– वर्ग मीटर (एक हेक्टेयर) क्षेत्रफल होना आवश्यक है। जबकि आवंटी संस्था को 7032.5 वर्ग मीटर भूमि आवंटित/कब्जा दिया गया है। आवंटी संस्था द्वारा हाईस्कूल स्तर तक का स्कूल बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूखण्ड पर अनाधिकृत निर्माण करते हुये इण्टरमीडिएट तक विगत कई वर्षों से स्कूल संचालित किया जा रहा है।

अनाधिकृत निर्माण किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा भवन उपविधि के अन्तर्गत उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधि0 1973 की धाराओं के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के क्रम में आवेदक/संस्था द्वारा शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 31.10.2017 को शमन मानचित्र की स्वीकृति प्रदान करते हुये लेवी शुल्क, मानचित्र से सम्बन्धित अन्य शुल्क का मांग पत्र सं0–100/ई0ए0पी0 जोन–2/17 दिनांक 03.11.2017 के द्वारा संस्था को प्रेषित किया गया। संस्था द्वारा शमन शुल्क, अन्य शुल्क के साथ लेवी शुल्क के मद में रू0 17.00 लाख 30.03.2018 को जमा करते हुए अवशेष लेवी शुल्क रू0 29.00 लाख 5 वार्षिक किश्तों में विभाजित करने का अनुरोध पत्र दिनांक 17.01.2019 को प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया। आवंटी संस्था द्वारा लेवी शुल्क न जमा करने के सम्बन्ध में मा0 उपमुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन एवं मण्डलायुक्त लखनऊ को दिनांक 30.08.2023 को पत्र के माध्यम से भू–खण्ड पर ली जाने वाली लेवी शुल्क से मुक्त करते हुये शमन मानचित्र जारी करने का अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध पत्र के क्रम में तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा नियोजन अनुभाग की पत्रावली पर दिनांक 29.09.2023 में समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा शासनादेश

सं0–5068/9–अ–1–भूखण्ड(अ0व0/2001) दिनांक 14.02.2001 के क्रम में संस्थागत भवन हेतु अनुमन्य तल क्षेत्र का 25 प्रतिशत निर्माण कर लिया गया है तो भूखण्ड की लेवी से छूट दी जायेगी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र के अनुसार निम्नानुसार निर्माण/आच्छादन किया गया है–

1. भूतल विद्यमान आच्छादन	–	987.28 वर्ग मीटर
2. प्रथम विद्यमान आच्छादन	–	432.59 वर्ग मीटर
3. भूतल प्रस्तावित आच्छादन	–	333.42 वर्ग मीटर
4. प्रथम तल प्रस्तावित आच्छादन	–	886.11 वर्ग मीटर
5. मम्टी प्रस्तावित आच्छादन	–	24.99 वर्ग मीटर
6. कुल विद्यमान एफ0ए0आर0	–	1419.87 वर्ग मीटर–(ए)
7. कुल प्रस्तावित एफ0ए0आर0	–	1217.53 वर्ग मीटर
8. अनुमन्य एफ0ए0आर0 का 25 प्रतिशत	–	1758.12 वर्ग मीटर (बी)

आवेदक द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र में दर्शित उपरोक्त विधमान निर्माण से स्पष्ट है कि तत्समय कुल निर्मित क्षेत्रफल 1419.87 वर्ग मीटर था, जबकि शासनादेश के अनुसार निर्मित क्षेत्रफल 25 प्रतिशत अर्थात 1758.12 वर्ग मीटर होना आवश्यक था। शासनादेश दिनांक 14.02.2001 के अनुसार संस्थागत भवन हेतु 25 प्रतिशत तक निर्माण पूर्ण होने पर ही लेवी से छूट प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा यह मत स्थिर किया गया कि प्रस्तुत शमन मानचित्र के अनुसार स्थल पर विद्यमान निर्माण (निर्मित एफ.ए.आर.) 1419.87 वर्गमी. होने के कारण शासनादेश में प्राविधानित संस्थागत भवन निर्माण की सीमा 25 प्रतिशत (1758.12 वर्गमी0) निर्माण से कम होने के कारण शासनादेश दिनांक 14.02.2001 के प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर लेवी से छूट प्रदान किया जाना नियमानुकूल नहीं है।

समिति की संस्तुति के क्रम में विभागीय पत्र संख्या–1458/इ.इ.मैप/23 दिनांक 13.12.2023 के द्वारा आवेदक को लेवी शुल्क से छूट प्रदान किया जाना नियमानुकूल नहीं है से अवगत कराया गया। आवंटित संस्था द्वारा श्री लाल बिहारी यादव नेता विरोधी दल उ0प्र0 विधान परिषद को पत्र दिनांक 24.10.2024 के माध्यम से भूखण्ड पर ली जाने वाली लेवी शुल्क से मुक्त करते हुए शमन मानचित्र निर्गत कराने का अनुरोध किया गया। जिस पर उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 16.10.2024 द्वारा सचिव महोदय की अध्यक्षता में विभागीय समिति का गठन किया गया। गठित समिति की बैठक दिनांक 22.11.2024 को प्रकरण पर सम्बन्धित पत्रावली का परीक्षण किया गया। शासनादेश संख्या–5068/अ–1–भूखण्ड (अ.व./2001) दिनांक 14.02.2001) दिनांक 14.02.2001 के प्राविधानों के अनुसार निर्मित एफ.ए.आर. 1419.87 वर्गमी0 आवश्यक निर्माण 25 प्रतिशत 1758.12 वर्गमी0 से कम किये जाने के कारण लेवी शुल्क से छूट प्रदान किया जाना नियमानुकूल नहीं हैं। लेवी शुल्क से छूट प्रदान किया जाना नीतिगत निर्णय है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि स्कूल संस्था द्वारा नियत अवधि में शासनादेश के अनुसार 25 प्रतिशत अर्थात् 1758.12 वर्गमीटर निर्माण होना चाहिए था, जबकि स्थल पर 1419.87 वर्गमी0 पाया गया, जो निर्धारित मानक से 338.25 वर्गमीटर कम है। मात्र 338.25 वर्गमी0 निर्माण न होने के कारण सम्पूर्ण भूखण्ड पर लेवी शुल्क लिये जाने का प्राविधान शासनादेश में है, लेकिन इसे कम करने अथवा निर्धारित मानक के सापेक्ष निर्माण न होने पर लेवी शुल्क में छूट सम्बन्धी कोई प्राविधान शासनादेश में नहीं है। ऐसी स्थिति में लेवी शुल्क से छूट प्रदान करना अथवा लेवी शुल्क कम करना एक नीतिगत विषय है, जिसके सम्बन्ध में निर्णय प्राधिकरण बोर्ड से लिया जाना उचित होगा।

उपरोक्त के कम में आवंटी संस्था की मांग के कम में लेवी शुल्क लिये जाये अथवा न लिये जाने अथवा कम किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की समिति द्वारा संस्तुति की जाती है।

अधिशासी अभियन्ता मानचित्र सेल

प्रभारी अधिकारी बल्क सेल

मुख्य नगर नियोजक

वित्त नियन्त्रक

अपर सचिव

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष।
लखनऊ विकास प्राधिकरण

2.4 सामुदायिक सुविधाओं तथा अन्य उपयोगों / कियाओं हेतु मानक

2.4.1 सुविधाओं हेतु मानक सामुदायिक सुविधाओं हेतु निम्न मानकों के अनुसार प्राविधान किए जायेंगे:–

क.सं.	मुख्य श्रेणी	उप–श्रेणी	मानक	न्यूनतम क्षेत्रफल
1.	शैक्षिक सुविधाएं	• नर्सरी स्कूल	2500 जनसंख्या पर–1	500 वर्गमीटर
		• प्राइमरी स्कूल	5000 जनसंख्या पर–1	1000 वर्गमीटर
		• जूनियर हाईस्कूल / हाईस्कूल	7500 जनसंख्या पर–1	2000 वर्गमीटर
		• इण्टर कालेज	10000 जनसंख्या पर–1	4000 वर्गमीटर
		• डिग्री कालेज / पोस्ट ग्रेजुएट कालेज	80,000 से 1,00,000 जनसंख्या पर–1	नगरीय क्षेत्र–5000वर्गमीटर ग्रामीण क्षेत्र–10000 वर्गमीटर **टिप्पणी:**–महिला डिग्री कालेज के लिए उपरोक्त का 50 प्रतिशत।
		• इन्जीनियरिंग कालेज	10,00,000 जनसंख्या पर–1	2.0 हेक्टे.–मेट्रो नगरों में 4.0 हेक्टे.–अन्य नगरों में
		• मेडिकल कालेज	10,00,000 जनसंख्या पर–1	10.0 हेक्टेयर
		• डेन्टल कालेज	10,00,000 जनसंख्या पर–1	2.0 हेक्टेयर
		• ऑगनबाडी	[illegible]000 जनसंख्या पर–1	250 वर्ग मीटर

यह प्राविधान शासनादेश संख्या 3272 (1)/8–1–10– 156 विविध /10, दिनांक 19.08.2010 के क्रम में शामिल किया जा रहा है।

टिप्पणी– हाईस्कूल/इण्टर कालेज के अन्तर्गत प्राइमरी एवं नर्सरी स्कूल का प्राविधान समाहित किया जा सकता है, जिसके दृश्टिगत प्रत्येक स्तर के स्कूल के लिए जनसंख्या मानकों के अनुसार पृथक भूखण्ड आरक्षित करना आवश्यक नहीं होगा।

2.	चिकित्सा सुविधाएं	• स्वास्थ्य केन्द्र	15[illegible]00 जनसंख्या पर–1	800 वर्गमीटर
		• बाल कल्याण एवं प्रसूति गृह	450[illegible]0 जनसंख्या पर–1	2000 वर्गमीटर
		• सामान्य चिकित्सालय (न्यनतम 100 शैय्याओं का)	100[illegible]00 जनसंख्या पर–1	2 हेक्टेयर
3.	दूर संचार सुविधाएं एवं अन्य सेवाएं	• उप–डाकघर	10,00[illegible] जनसंख्या पर–1	उप डाकघर 100 वर्गमीटर अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल, जो भी कम हो। **उप डाकघर का प्राविधान व्यावसायिक/सुविधाजनक दुकानों/कार्यालय भवनों/ संस्थागत भवनों में करने की स्थिति में न्यूनतम तल क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर होगा।**
		• टेलीफोन एक्सचेंज	1,00,000 जनसंख्या पर–1	4000 वर्गमीटर अथवा मान्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल, जो भी कम हो।

संख्या-5068/9-आ-1-भूखण्ड (आ.ब.)/2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक -14 फरवरी, 2001

विषय : लीज पर आवंटित भूखण्डों पर भवन निर्माण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश-संख्या 6795/11-5-80-नि0/86 दिनांक 23.10.1986 में किए गए प्राविधानों के अनुसार विकास प्राधिकरणों तथा आवास परिषद द्वारा लीज पर आवंटित भूखण्डो पर भवन निर्माण हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की गई है :-

1. रजिस्ट्रेशन की तिथि से 5 वर्ष का समय भवन निर्माण करने के लिए अनुमन्य होगा,
2. 5 वर्ष का अतिरिक्त समय भूखण्ड के मूल्य पर 2 प्रतिशत की दर से सरचार्ज लेकर बढ़ाया जा सकता है,
3. भूखण्ड का मूल्य तत्समय प्रचलित बाजार दर पर निर्धारित किया जायेगा।
4. 10 वर्ष तक कोई निर्माण न किये जाने की दशा में भूखण्ड की लीज निरस्त कर दी जाएगी।

उक्त शासनादेश में निर्माण को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

(i) छोटे एकल आवासीय भूखण्ड पर एक कमरा, रसोई घर, बाथरूम तथा शौचालय, यदि निर्मित कर दिया गया हो तो उसे पूर्ण निर्माण माना जायेगा।

(ii) बड़े एकल आवासीय भूखण्ड पर यदि दो कमरे, रसोई घर, बाथरूम तथा शौचालय, यदि निर्मित कर दिया गया हो तो उसे पूर्ण निर्माण माना जायेगा।

उक्त शासनादेश में बड़े भूखण्ड, जिन्हें ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत तथा व्यवसायिक निर्माण हेतु लीज पर दिया गया हो, के सम्बन्ध में निर्माण को परिभाषित नही किया गया है अत: इस श्रेणी के भूखण्डों के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्माण को निम्नानुसार परिभाषित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

	भवन की श्रेणी	किये गये निर्माण की स्थिति
1.	ग्रुप हाउसिंग	अनुमन्य तल क्षेत्र का 25 प्रतिशत
2.	संस्थागत	अनुमन्य तल क्षेत्र का 25 प्रतिशत
3.	व्यवसायिक	अनुमन्य तल क्षेत्र का 25 प्रतिशत

यदि उक्त सीमा तक निर्माण कर लिया जाता है तो सम्बन्धित भूखण्ड को अधिनियम की धारा-18 की उपधारा-4 के प्राविधानों से छूट दी जायेगी।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या 5068(1)/9-आ-1-भूखण्ड 2001/(आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आवास विभाग के समस्त अनुभागों को।
2. अपर निदेशक नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

विषय :गोमती नगर स्थित भूखण्ड संख्या–सी–2, विभव खण्ड को व्यवसायिक भू–उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त भूखण्ड संख्या–सी–2, विभव खण्ड, गोमती नगर के मानचित्र को व्यवसायिक क्रियाओं में स्वीकृत करने हेतु श्री नीलेश रस्तोगी द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में प्राधिकरण की गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गई आख्या/संस्तुति के क्रम में प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

विजयीपुर गांव की भूमि प्रोग्रेसिव सहकारी आवास समिति लि0 से 25.19 एकड़ (1 लाख 1 हजार 986 वर्ग मीटर) गोमती नगर योजना हेतु अर्जित की गयी थी। अर्जित भूमि के सापेक्ष समिति को 60 प्रतिशत भूमि लगभग 15.11 एकड़ (61,181.47 वर्ग मीटर) दिये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय के क्रम में अभिलेखों के अनुसार समिति को आवंटित/समायोजित की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न हैः–

1. विनीत खण्ड–6, गोमती नगर योजना — 35529 वर्ग मीटर
2. सेक्टर–बी, सीतापुर रोड योजना — 5530 वर्ग मीटर
3. विभूतिखण्ड, गोमती नगर योजना — 4177.604 वर्ग मीटर
4. विनीत खण्ड–4, गोमती नगर योजना — 9340.50 वर्ग मीटर
5. सेक्टर–एफ, सीतापुर रोड योजना — 5013.85 वर्ग मीटर
6. सेक्टर–के एस अलीगंज व सी0रो0यो0 — 1590.47 वर्ग मीटर

कुल भूमि — 61181.47 वर्ग मीटर

उपरोक्त भूमि के सापेक्ष विकास शुल्क रू0–3,51,98,162.68 त्रिमासिक किश्तों पर जमा करना था, परन्तु समिति को प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ण भूमि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। उपरोक्त आवंटित भूमि में से प्राधिकरण द्वारा अन्य आवंटियों को आवंटित कर दी गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	प्राधिकरण द्वारा समिति को दिनांक 23.02.1995 में आवंटित की गयी भूमि योजनावार	क्षेत्रफल	प्राधिकरण द्वारा समिति को दिनांक 23.02.1995 में आवंटित की गयी भूमि में से अन्य व्यक्तियों को आवंटित	संस्था को मूल रूप से आवंटित/कब्जा प्राप्त भूमि
1	2	3	4	5
1.	विनीत खण्ड–6, गोमती नगर योजना	35529 वर्ग मी0		35529.00 वर्ग मी0
2.	सेक्टर–बी, सीतापुर रोड योजना	5530 वर्ग मी0		5530.00 वर्ग मी0
3.	विभूति खण्ड, गोमती नगर योजना	4177.604 वर्ग मी0	4.04 वर्ग मी0 (साईट प्लान में कम प्राप्त हुई)	4173.564 वर्ग मी0
.4.	विनीत खण्ड–4, गोमती नगर योजना	9340.50 वर्ग मी0	7923.5 वर्ग मी0	1417.00 वर्ग मी0
5.	सेक्टर–एफ, सीतापुर रोड	5013.85 वर्ग मी0	5013.85 वर्ग मी0	0.00 वर्ग मी0

मनोज कुमार सागर
प्रभारी अधिकारी-सम्पत्ति (वाणिज्यिक)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
अपर सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

	योजना			
6.	सेक्टर–के एस अलीगंज व सी0रो0यो0	1590.47 वर्ग मी0	1590.516 वर्ग मी0	0.00 वर्ग मी0
	कुल	**61181.47**	**14532.27**	**46649.564**

उपरोक्त के क्रम में 14532.27 वर्ग मी0 भूमि समिति को प्राप्त नहीं हुई थी। समिति को भूमि प्राप्त न होने के कारण प्रोग्रेसिव सहकारी आवास समिति द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या–2039/86 राज्य सरकार एवं अन्य के विरूद्ध दायर की गयी, जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया। तत्पश्चात पुनः समिति के अनुरोध पर अवशेष भूमि 14532 वर्ग मीटर को विकास शुल्क के साथ दिये जाने का निर्णय निम्नवत् लिया गयाः–

क्र0 सं0	योजना/सेक्टर	भू–उपयोग	क्षेत्रफल
1.	विभव खण्ड	फैसीलिटीज कम व्यवसायिक भूखण्ड	2592 वर्म मी0,
2.	विराज खण्ड	व्यवसायिक भूखण्ड	200 वर्ग मी0,
3.	विनीत खण्ड–6	भूखण्ड संख्या–109 व 110	400 वर्ग मी0,
4.	गोमती नगर विस्तार	ग्रुप हाउसिंग का भूखण्ड	6000 वर्ग मी0,
5.	विकल्प खण्ड में मल्हौर रोड के उत्तर की ओर	ग्रुप हाउसिंग का भूखण्ड	5170.00 वर्ग मी0,
		कुल क्षेत्रफल	**14362.00**

उपरोक्त तालिका के क्रमांक–1 विभव खण्ड स्थित भूखण्ड संख्या–सी0–2 क्षेत्रफल 2592 वर्गमीटर का विक्रय मूल आवंटी एवं अन्य क्रेताओं द्वारा कई बार किया गया, जिसमें अन्तिम क्रेता श्री नीलेश रस्तोगी द्वारा अपनी फर्म अर्टिका इन्फ्रा प्रा0लि0 द्वारा व्यवसायिक उपयोग में मानचित्र स्वीकृत करने हेतु आवेदन दिनांक 20.06.2023 में किया गया। उपरोक्त आवेदन के क्रम में मानचित्र अनुभाग द्वारा आपत्ति की गयी कि उक्त भूखण्ड योजना के ले–आउट में सामुदायिक सुविधाओं हेतु नियोजित/आरक्षित है। उपरोक्त आपत्ति के क्रम में आवेदक द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि उनकी रजिस्ट्री व्यवसायिक के रूप में हुई है तथा व्यवसायिक का ही मानचित्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। इस पर तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सम्पत्ति तथा नियोजन अनुभाग से आख्या प्राप्त किया गया, जिसमें नियोजन अनुभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि स्वीकृत तलपट मानचित्र में प्रश्नगत भूखण्ड सामुदायिक सुविधाओं हेतु नियोजित है तथा व्यवसायिक कम फैसीलिटीज के नाम से कोई परिभाषा/उपयोग निर्धारित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 13.10.2021 को योजना के अनुमोदित ले–आउट के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के उपरान्त भी श्री नीलेश रस्तोगी द्वारा उच्चाधिकारियों को व्यवसायिक उपयोग में मानचित्र स्वीकृति हेतु पुनः अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण के पुनः परीक्षण हेतु एक समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा अभिलेखों का अध्ययन करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त निम्न मत स्थिर किया गयाः–

1. समायोजन पॉलिसी के अनुसार समितियों को भूखण्ड का समायोजन आवासीय भूखण्डों में किये जाने का प्राविधान है।
2. जिस समय इन भूखण्डों का समायोजन किया गया है, तत्समय ले–आउट में प्रश्नगत भूखण्ड Comm.Facitlty (सामुदायिक सुविधाओं) हेतु नियोजित/आरक्षित था।

(हस्ताक्षर) मनोज कुमार [illegible]
प्रभारी अधिशासी अभियंता (अर्जन)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

(हस्ताक्षर) (ज्ञानेन्द्र वर्मा)
अपर सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

3. यदि इन्हें व्यवसायिक भूखण्ड दिया जाना चाहिये था, तो तत्समय ले–आउट में संशोधन आवश्यक था, जो कि नहीं किया गया। शासनादेशानुसार सामुदायिक भूखण्ड का भूउपयोग परिवर्तन यदि व्यवसायिक भूखण्ड के रूप में किया जाता है, तो नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होता है।
4. यह भी उल्लेखनीय है कि व्यवसायिक भूखण्डों के आवंटन के समय व्यवसायिक भूखण्डों का मूल्य आवासीय भूखण्डों के मूल्य का 2 गुना दर पर लिये जाने का प्राविधान है।
5. अतः समिति की संस्तुति है कि यदि आवेदक आवासीय मूल्य के बराबर भूखण्ड का मूल्य अथवा सामुदायिक सुविधा से व्यवसायिक भू–उपयोग में परिवर्तन हेतु निर्धारित भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, जो भी अधिक हो जमा कराने के लिए सहमत हो, तो ले–आउट में सामुदायिक सुविधा के स्थान पर व्यवसायिक किये जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
6. प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अधीन ले–आउट में संशोधन के लिये नियमानुसार आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए उसके निस्तारणोपरान्त आवेदक से वर्तमान दर पर आवासीय भूमि मूल्य के बराबर भूखण्ड का मूल्य अथवा निर्धारित देय भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, जो भी अधिक हो, जमा कराते हुए ले–आउट में परिवर्तन किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
7. समिति की यह भी संस्तुति है कि चूंकि आवेदक के द्वारा अभी नामान्तरण नहीं कराया गया है, अतः भूखण्ड का नामान्तरण कराने के पश्चात् ही उपरोक्त कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
8. प्रोग्रेसिव आवास समिति को समायोजन में प्राप्त भूमि की शिकायत के सम्बन्ध में जांच प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही प्रक्रियाधीन जांच में किये जाने वाले निर्णय के अधीन रहेगी।

उपरोक्तानुसार प्रकरण निस्तारण हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ /निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

मनोज कुमार सागर
प्रभारी अधिकारी–सम्पत्ति (व्यवसायिक)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
अपर सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विषय संख्या 26.............   पृष्ठ संख्या 167.............

विषय – ग्रीन कॉरीडोर के अन्तर्गत आने वाली रक्षा विभाग की लगभग 21.81 हेक्टेयर के बदले सममूल्य की भूमि रक्षा विभाग को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

ग्रीन कॉरीडोर प्रोजेक्ट के भागः– III के अन्तर्गत पिपराघाट से शहीद पथ के मध्य गोमती नदी के दाये बैंक पर लगभग 5.2 किमी0 लम्बाई का तटबधं का निर्माण प्रस्तावित है। इस बन्धा निर्माण के लिये लगभग 21.81 हेक्टेयर रक्षा भूमि की आवश्यकता का आंकलन किया गया है, जिसका संयुक्त सर्वे सिंचाई विभाग, ल0वि0प्रा0, मेसर्स टाटा कान्सल्टिंग इंजिनीयरर्स एवं रक्षा विभाग के अधिकारीयो के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जा चुका है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में दिनांक 23/09/2024 को संयुक्त सचिव (भूमि एव कार्य) रक्षा मत्रांलय नई दिल्ली की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई थी जिसमें ल0वि0प्रा0 की ओर से उपाध्यक्ष व अन्य अधिकारियों के द्वारा बैठक में भाग लिया था। बैठक में बंन्ध को अधिकतम तकनीकी मानको की सीमा तक नदी की ओर शिफ्ट करने तथा भारत सरकार रक्षा मत्रांलय के सर्कुलर नं0 11015/2/2012/डी0लैंड, दिनांक 02.02.2016 के प्रस्तर 5 (A)(a) के अनुसार Equal Value Land के आधार पर सहमति व्यक्त की गयी ।

उपरोक्त बैठक में दिये गये निर्देश/सहमति के क्रम में कार्यालय पत्र संख्या 33/उपा0 सी0/24–25 दिनांक 23.10.24 द्वारा ग्रीन कॉरीडोर परियोजना, जनहित की होने के दृष्टिकोण से रक्षा विभाग की लगभग 21.81 हेक्टेयर भूमि बन्धां निर्माण हेतु Equal Value Land के आधार पर रक्षा विभाग से प्राप्त करने के लिये पत्र रक्षा विभाग को तत्कालिकता के दृष्टिगत भेज दिया गया है।

रक्षा मत्रांलय भारत सरकार, सम्पंदा कार्यालय लखनऊ मडंल के पत्र संख्या DEO/LKO/Infr/River Bandh/I दिनांक 12.11.2024 के द्वारा सेना भूमि पर बन्धां एवं चार लेन सड़क निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

अतः कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(... शर्मा)
अवर अभियन्ता

(अतुल मिश्रा)
सहायक अभियन्ता
ल0वि0प्रा0

(मनीष सिंह)
सहायक अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

(अजीत कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

G20

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार / **Ministry of Defence, Govt. of India**
रक्षा सम्पदा कार्यालय, लखनऊ मण्डल / **Defence Estates Office, Lucknow Circle,**
30, नेहरू रोड, लखनऊ छावनी–226002 / **30, Nehru Road, Lucknow Cantonment-226002**
E-mail id – deoluck-stats@nic.in

No. DEO/LKO/Infr/River Bandh/I **Dated: 12 Nov., 2024**

To,

Lucknow Development Authority
Vice Chairman
Lucknow-226001

Subject: **Grant of Working Permission to Lucknow Development Authority on defence land located at Lucknow Cantonment for construction of 04 land road from Pipraghat to Shaheed Path on both sides of Gomti River Barrage..**

Reference Government of India, Ministry of Defence, letter No. 13020/10/2022/D(Lands), dated 08.11.2024 (copy enclosed).

2. MoD, GoI vide letter cited under reference, has conveyed the sanction of the President of India for grant of Working Permission to indenting Authority (IA) on defence land admeasuring 21.808 Hect, (or) 218080 sqm in Lucknow Cantt on the basis of transfer of Equal Value Land (EVL) for construction of 04 lane road from Pipraghat to Shaheed Path on both sides of Gomti River barrage in terms of MoD policy letter dated 02.02.2016, read with policy letters dated 21.10.2020, 19.02.2021, 03.03.2022 and 04.03.2024 The details of defence land are as under:-

S. No.	Survey No.	Classification	Management	Area requirement in project (in Sqm)	Land Value(i.e. rent per annuam/10 x area required in sqm x 40 (in Rs.))
(i)	256	B-4	DEO	2660	4,29,18,568
(ii)	257	B-4	DEO	4720	3,80,67,744
(iii)	257/3	C	Cantt Board	8650	6,97,63,980
(iv)	257/4	A-1	QMG	2890	2,33,08,428
(v)	261	B-4	DEO	9760	7,87,16,352
(vi)	263	A-1	QMG	133830	1,07,93,65,716
(vii)	264	A-1	QMG	55570	44,81,83,164
Total				**218080**	**1,78,03,23,952/-**

3. The said working permission is subject to the following terms and conditions:-

i) The working permission on defence land admeasuring 21.808 Hect (or) 218080 sqm to Indenting Authority is accorded on exchange of Equal Value of Land (EVL) in lieu of defence land. The Indenting Authority will provide suitable EVL to LMA in lieu of defence land.

ii) A separate Board of Officers (B.O.O) shall be convened to undertake demarcation. of land to ascertain exact area, Survey numbers etc. security and safety measures, Government private assets and cost of their demolition, relocation or reconstruction etc. before handing/taking over the defence land for commencement of work.

Cont..2

169

The B.O.O. will complete the proceedings within four weeks from issue of the Working Permission. In case there is variation in area, revised sanction of MoD will be required to be obtained.

iii) DGDE is authorised to carry out amendment in the working permission on account of change in the Survey Nos. observed during the B.O.O., if any, provided that there is no change in the total area of defence land involved in the subject project.

iv) The Indenting Authority will comply with the following conditions of the Indian Army:-

a. **Access Control along stretch of Embankment:-** Creation of infra along the road to prevent access to the defence land North and South of embankment must be factored by LDA.

b. **Under pass with Gate:-** Minimum three under passes should be provided alongwith gates for access to defence land North of embankment.

c. **Non Utilization of defence land for creation of Burrow Pits:-** The Indenting Agency must not utilise defence land for creating burrow pits for fill section and creation of embankment.

d. **Access from Dilkusha Area:-** A separate four lane road connecting the Dilkusha road to the embankment will be developed by LDA for movement of military personnel. The access should be for exclusive use of Cantonment/military personnel.

v) An MoU will be signed between the IA and the LMA / DEO / CEO towards modalities or relocation, exchange of EVL, reconstruction of assets, security aspects and other procedural issues for smooth handing/taking over of site for commencement of work on the site.

vi) The date of issuance of working permission would be considered for calculation of land value.

vii) A separate Board of Officers (B.O.O.) shall be subsequently convened to assess and identify the land being offered by the Indenting Authority as EVL in lieu of the defence land.

viii) The handing/taking over of land would be done through a Board of Officers consisting of representatives of Indenting Authority, DEO/CEO and LMA.

ix) The handing/taking over of the land for the purpose of commencement of work by the Indenting Agency should be completed within a period of one month from the date of issuance of working permission. However, if the same is not possible due to reasons attributable to the Indenting Authority, and the cost of land increases before handing/taking over, then a revised financial sanction is required to be obtained.

x) The Working Permission is accorded strictly as per the issues jointly agreed to by the representatives of indenting Authority, DEO/CEO and LMA in the MoU to be entered into for this purpose. This shall be binding on all parties.

xi) The defence land shall be used only for the purpose for which the Working Permission is being granted and for no other purpose.

xii) Indenting Authority shall not mortgage/sell the subject land to anyone whomsoever.

Cont..3

xiii) The cost of execution of subject project will be borne by the Indenting Authority. No cost will be borne by the Ministry of Defence with respect to the project.

xiv) All safety norms specified for parking vehicles/equipment related to the subject Infrastructure project shall be adhered to by Indenting Authority for the entire period of the subject project.

xv) Infrastructure or assets damaged/demolished (of any nature) on the said defence land shall be re-constructed at their own cost by the Indenting Authority in consultation with concerned Authority/Deptt/ person, as the case may be.

xvi) Indenting Authority would obtain all approvals/clearances as may be required by law before undertaking subject project.

xvii) MoD's assets or works-in-progress, including boundary/compound wall, if nay, required to be relocated to facilitate execution of works, will be reconstructed by the Indenting Authority at their cost in consultation with DEO/CEO/LMA.

xviii) Indenting Authority shall ensure that safety of all service utilities, i.e. sewerage, water supply pipelines, drains, communications networks electrical lines, etc. existing. If any service utility is affected by the proposed work it will be re-laid by the Indenting Authority at their own cost. All re-location/reconstruction and demarcation of assets, utilities will be undertaken by Indenting Authority under its own arrangements prior to handing over the land. The Indenting Authority will carry out shifting/relocation of defence assets at their own cost to new location and ensure full functionality prior to dismantling/demarcation of existing assets. These will include essential utilities provided by State Government such as water supply and electricity installations for use by defence establishments.

xix) Security of defence installation/land/assets will not be compromised at any stage. All safety & security measures, as directed by the station Commander shall be followed by the Indenting Authority while executing the project and during future maintenance.

xx) As regards monitoring of air/noise pollution during construction works, norms prescribed for air and noise pollution by pollution control Board/Ministry of Environment, should be adhered to.

xxi) Carriage of IT equipment and conduct of photography, if any, will be done with the prior permission of LMA.

xxii) No trenches will be kept open without properly fencing the same. Filling of trenches will be done by Indenting Authority to the entire satisfaction of the LMA/DEO/CEO.

xxiii) Normal. movement of traffic is to be ensured by Indenting Authority during the utilization of defence land by providing caution boards, diversion boards and safety ribbons etc.

xxiv) The date of commencement of the work and probable date of completion of the work shall be intimated by Indenting Authority to the DEO/CEO/LMA.

xxv) It shall be the responsibility of Indenting Authority to take all measures of public safety at site, by displaying requisite sign boards, etc, during construction. Indenting Authority shall be solely responsible to indemnify against any damages or loss in any form caused to defence authorities or any third party.

Cont..4

xxvi) The compensation for any loss of life of service personnel or civilians, their families and wards and disability caused due to any accident during the utilization of defence land or subsequently while functioning, will be borne by Indenting Authority.

xxvii) DEO/CEO/LMA shall be competent to inspect the site at any time to ensure that the site is being used as per Working Permission only.

xxviii) All laws, bye-laws and rules applicable to defence land, shall be adhered to.

xxix) The cost of trees on the defence land required to be cut, will be deposited by the Indenting Authority with DEO and CEO (for C-Land) The actual cutting of trees, after obtaining mandatory clearance from Forest authority, shall be the responsibility of the Indenting Authority.

xxx) In case of any working difficulties or any dispute, the matter may be referred either by the IA or the DEO/LMA to the Principal Director Defence Estates, Central Command who will resolve the dispute on behalf of Ministry of Defence. Decision of the Principal Director. Defence Estates, Central Command will be binding on all the parties.

4. The state Government shall provide the following pending EVLs/EVI to MoD in a time bound manner:-

(i) EVL in lieu of defence land measuring 254.026 sqm which was transferred to Government of Uttar Pradesh (PWD) for the purpose of construction of ROB and its approach road connecting G.T Road, Pani Ki Tanki to Khusaroobagh-Luckerganj.

(ii) EVL in lieu of defence land measuring 1574.55 sqm which was transferred to Government of Uttar Pradesh (UPPWD) in New Cantonment Allahabad for the purpose of construction of service lane near ROB at Chaufatka in New Cantonment Allahabad.

(iii) EVI worth Rs. 48.87 Cr in lieu of defence land admeasuring 5 4627 acres transferred to the State Government for construction of 220 KVA Sub Station at Varanasi.

5. In view of the above, you are requested to forward **your consent to the conditions mentioned** above and kindly confirm for providing the Equal Value of Land (EVL) to Defence Department.

(Promila Jaiswal, IDES)
Defence Estates Officer
Lucknow Circle, Lucknow Cantt.

Copy to :-

1. The Chief Secretary of the Government of Uttar Pradesh	-	For information with request to issue necessary direction to concerned department, as per working permission issued by MoD, GoI vide letter dated 08.11.2024 (Copy enclosed).
2. The Director General, DE (Lands/Infra) Ministry of Defence, Govt. of India, Raksha Sampada Bhawan Ulaanbaatar Marg, Delhi Cantt.	-	For information please.
3. The Principal Director, DE Ministry of Defence, Govt. of India, Central Command, Lucknow Cantt.	-	For information please.
4. HQ, Madhya UP Sub Area Lucknow Cantt.	-	For information please.

172

No. 13020/10/2022/D(Lands)
Government of India
Ministry of Defence

Sena Bhawan, New Delhi
Dated, 8th November, 2024

To

The Chief of the Army Staff
New Delhi – 110 011

The Director General Defence Estates,
Raksha Sampada Bhawan
Delhi Cantonment – 110 010

Subject: Grant of Working Permission to Lucknow Development Authority on defence land located at Lucknow Cantonment for construction of 04 lane road from Pipraghat to Shaheed Path on both sides of Gomti River barrage.

Sir,

Reference Application ID No. 25120220300 received from Lucknow Development Authority (Indenting Authority) through NOC Portal.

2. I am directed to convey the sanction of the President of India for grant of Working Permission to Indenting Authority (IA) on defence land admeasuring 21.808 Hect, (or) 218080 sqm in Lucknow Cantt on the basis of transfer of Equal Value Land (EVL) for construction of 04 lane road from Pipraghat to Shaheed Path on both sides of Gomti River barrage in terms of MoD policy letter dated 02.02.2016, read with policy letters dated 21.10.2020, 19.02.2021, 03.03.2022 and 04.03.2024. The details of defence land are as under:-

S. No.	Survey Nos.	Classification	Management	Area required in project (in sqm)	Land Value (i.e. rent per annum/10 x area required in sqm x 40 (in ₹)
(i)	256	B-4	DEO	2660	4,29,18,568
(ii)	257	B-4	DEO	4720	3,80,67,744
(iii)	257/3	C	Cantt Board	8650	6,97,63,980
(iv)	257/4	A-1	QMG	2890	2,33,08,428
(v)	261	B-4	DEO	9760	7,87,16,352
(vi)	263	A-1	QMG	133830	1,07,93,65,716
(v)	264	A-1	QMG	55570	44,81,83,164
			Total	218080	1,78,03,23,952/-

8/11/2024

ADG (I)

8/11/24

D. 1DI2024/390

The said working permission is subject to the following terms and conditions:-

i) The working permission on defence land admeasuring 21.808 Hect (or) 218080 sqm to Indenting Authority is accorded on exchange of Equal Value of Land (EVL) in lieu of defence land. The Indenting Authority will provide suitable EVL to LMA in lieu of defence land

ii) A separate Board of Officers (B.O.O) shall be convened to undertake demarcation. of land to ascertain exact area, Survey numbers etc. security and safety measures, Government/private assets and cost of their demolition, relocation or reconstruction etc before handing/taking over the defence land for commencement of work. The B.O.O. will complete the proceedings within four weeks from issue of the Working Permission. In case there is variation in area, revised sanction of MoD will be required to be obtained.

iii) DGDE is authorised to carry out amendment in the working permission on account of change in the Survey Nos. observed during the B.O.O., if any, provided that there is no change in the total area of defence land involved in the subject project.

iv) The Indenting Authority will comply with the following conditions of the Indian Army:-

a. **Access Control along stretch of Embankment**:- Creation of infra along the road to prevent access to the defence land North and South of embankment must be factored by LDA.

b. **Under pass with Gate**:- Minimum three under passes should be provided alongwith gates for access to defence land North of embankment.

c. **Non Utilization of defence land for creation of Burrow Pits**:- The Indenting Agency must not utilise defence land for creating burrow pits for fill section and creation of embankment.

d. **Access from Dilkusha Area**:- A separate four lane road connecting the Dilkusha road to the embankment will be developed by LDA for movement of military personnel. The access should be for exclusive use of Cantonment/military personnel.

v) An MoU will be signed between the IA and the LMA / DEO / CEO towards modalities or relocation, exchange of EVL, reconstruction of assets, security aspects and other procedural issues for smooth handing/taking over of site for commencement of work on the site.

vi) The date of issuance of working permission would be considered for calculation of land value.

8/11/2024

vii) A separate Board of Officers (B.O.O.) shall be subsequently convened to assess and identify the land being offered by the Indenting Authority as EVL in lieu of the defence land.

viii) The handing/taking over of land would be done through a Board of Officers consisting of representatives of Indenting Authority, DEO/CEO and LMA.

ix) The handing/taking over of the land for the purpose of commencement of work by the Indenting Agency should be completed within a period of one month from the date of issuance of working permission. However, if the same is not possible due to reasons attributable to the Indenting Authority, and the cost of land increases before handing/taking over, then a revised financial sanction is required to be obtained.

x) The Working Permission is accorded strictly as per the issues jointly agreed to by the representatives of indenting Authority, DEO/CEO and LMA in the MoU to be entered into for this purpose. This shall be binding on all parties.

xi) The defence land shall be used only for the purpose for which the Working Permission is being granted and for no other purpose.

xii) Indenting Authority shall not mortgage/sell the subject land to anyone whomsoever.

xiii) The cost of execution of subject project will be borne by the Indenting Authority. No cost will be borne by the Ministry of Defence with respect to the project.

xiv) All safety norms specified for parking vehicles/equipment related to the subject Infrastructure project shall be adhered to by Indenting Authority for the entire period of the subject project.

xv) Infrastructure or assets damaged/demolished (of any nature) on the said defence land shall be re-constructed at their own cost by the Indenting Authority in consultation with concerned Authority /Deptt/person, as the case may be.

xvi) Indenting Authority would obtain all approvals/clearances as may be required by law before undertaking subject project.

xvii) MoD's assets or works-in-progress, including boundary/compound wall if nay, required to be relocated to facilitate execution of works, will be reconstructed by the Indenting Authority at their cost in consultation with DEO/CEO/LMA.

xviii) Indenting Authority shall ensure that safety of all service utilities, i.e. sewerage, water supply pipelines, drains, communications networks, electrical lines, etc. existing. If any service utility is affected by the

8/11/2024

proposed work it will be re-laid by the Indenting Authority at their own cost. All re-location/reconstruction and demarcation of assets, utilities will be undertaken by Indenting Authority under its own arrangements, prior to handing over the land. The Indenting Authority will carry out shifting/relocation of defence assets at their own cost to new location and ensure full functionality prior to dismantling/demarcation of existing assets. These will include essential utilities provided by State Government such as water supply and electricity installations for use by defence establishments.

xix) Security of defence installation/land/assets will not be compromised at any stage. All safety & security measures, as directed by the station Commander shall be followed by the Indenting Authority while executing the project and during future maintenance.

xx) As regards monitoring of air/noise pollution during construction works, norms prescribed for air and noise pollution by pollution control Board/Ministry of Environment, should be adhered to.

xxi) Carriage of IT equipment and conduct of photography, if any, will be done with the prior permission of LMA.

xxii) No trenches will be kept open without properly fencing the same. Filling of trenches will be done by Indenting Authority to the entire satisfaction of the LMA/DEO/CEO.

xxiii) Normal movement of traffic is to be ensured by Indenting Authority during the utilization of defence land by providing caution boards, diversion boards and safety ribbons etc.

xxiv) The date of commencement of the work and probable date of completion of the work shall be intimated by Indenting Authority to the DEO/CEO/LMA.

xxv) It shall be the responsibility of Indenting Authority to take all measures of public safety at site, by displaying requisite sign boards, etc, during construction. Indenting Authority shall be solely responsible to indemnify against any damages or loss in any form caused to defence authorities or any third party.

xxvi) The compensation for any loss of life of service personnel or civilians, their families and wards and disability caused due to any accident during the utilization of defence land or subsequently while functioning, will be borne by Indenting Authority.

xxvii) DEO/CEO/LMA shall be competent to inspect the site at any time to ensure that the site is being used as per Working Permission only.

xxviii) All laws, bye-laws and rules applicable to defence land, shall be adhered to.

8/11/2024

xxix) The cost of trees on the defence land required to be cut, will be deposited by the Indenting Authority with DEO and CEO (for C-Land) The actual cutting of trees, after obtaining mandatory clearance from Forest authority, shall be the responsibility of the Indenting Authority.

xxx) In case of any working difficulties or any dispute, the matter may be referred either by the IA or the DEO/LMA to the Principal Director Defence Estates, Central Command who will resolve the dispute on behalf of Ministry of Defence. Decision of the Principal Director Defence Estates, Central Command will be binding on all the parties.

4 The state Government shall provide the following pending EVLs/EVI to MoD in a time bound manner:-

i) EVL in lieu of defence land measuring 254.028 sqm which was transferred to Government of Uttar Pradesh (PWD) for the purpose of construction of ROB and its approach road connecting G.T Road, Pani Ki Tanki to Khusaroobagh-Luckerganj.

ii) EVL in lieu of defence land measuring 1574.55 sqm which was transferred to Government of Uttar Pradesh (UPPWD) in New Cantonment Allahabad for the purpose of construction of service lane near ROB at Chaufatka in New Cantonment Allahabad.

iii) EVI worth ₹ 48.87 Cr in lieu of defence land admeasuring 5.4627 acres transferred to the State Government for construction of 220 KVA Sub Station at Varanasi.

5. The grant of Working Permission will be regulated in terms of MoD Policy Guidelines issued vide letter No. 11015/2/2012/D(Lands) dated 02.02.2016, 21.10.2020, 19.02.2021, 03.03.2022 and 04.03.2024.

6. Necessary entries in General Land Register (GLR) and RB/RTRM will be made by DEO/CEO as per SOP for Real-Time Record Management (RTRM) and extant policies/guidelines of MoD/DGDE.

7. Formal sanction for permanent transfer of defence land admeasuring 21.808 Hect (or) 218080 sqm will be issued after obtaining Cabinet Approval.

8. This issues with the concurrence of MoD (Finance) vide their diary No. 4500 RF No. 21(9)/2015/Fin/Works-I dated 24.10.2024.

Yours faithfully,

8/11/2024

(Dharmender)
Under Secretary to the Government of India

Copy to:-

1. The Chief Secretary to the Government of Uttar Pradesh

177

2. MoD (Fin/W-1, New Delhi
3. DGADS, New Delhi
4. Controller General of Defence Accounts, Palam Road, Delhi Cantt – 110 010
5. DG LW&E, AHQ
6. PCDA, Central Command, Lucknow
7. PDDE, Central Command, Lucknow
8. Director (Lands)/MoD
9. DEO Lucknow
10. CEO Lucknow
11. Lucknow Development Authority

8/11/2024

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे निर्माण/विकास कार्यों के सम्पादन हेतु 22 अवर अभियन्ता (सिविल) की क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCUES) लखनऊ द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :—

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कियान्वित की जाने वाली विभिन्न आवासीय योजनाओं, प्रोजेक्ट्स, अवस्थापना सुविधाओं के कार्य, मानचित्र स्वीकृति एवं प्रवर्तन जोन्स में अवैध निर्माणों के नियंत्रण आदि का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है। इन कार्यों के प्रभावी तकनीकी पर्यवेक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण हेतु अवर अभियन्ताओं की तैनाती की जाती है। वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अवर अभियन्ता (सिविल) के 114 पद स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष मात्र 29 अवर अभियन्ता (सिविल) कार्यरत है। अवर अभियन्ताओं के स्वीकृत पदों के सापेक्ष अत्यन्त कम संख्या में तैनाती होने के कारण उक्त कार्यों के प्रभावी नियंत्रण में कठिनाई हो रही है। प्राधिकरण की 181वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05.07.2024 में प्रस्ताव सं0—39 पर निर्णय के कम में 14 अवर अभियन्ता (सिविल) व 04 अवर अभियन्ता (वि0/यां0) की क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCUES) लखनऊ से आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु पत्र संख्या 105/सचिव/मु0अ0/2024 दिनांक 18.05.2024 के माध्यम से अनुरोध किया गया था।

वर्तमान में शासन द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 13 अवर अभियन्ता (वि0/यां0) की तैनाती लखनऊ विकास प्राधिकरण में कर दी गयी है। अतः आपूर्ति हेतु प्रस्तावित 04 अवर अभियन्ता (वि0/यां0) के स्थान पर भी सिविल के अवर अभियन्ता की आपूर्ति किये जाने हेतु क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCUES) लखनऊ को पत्रांक संख्या—419/सचिव/मु0अ0/2024 दिनांक 26.10.2024 के द्वारा सूचित किया गया, जो प्रकियाधीन है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मोहान रोड योजना व ग्रीन कारीडोर योजना के अन्तर्गत व्यापक निर्माण विकास कार्य प्रस्तावित/प्रगतिमान है, जिन्हें समयबद्धता के साथ पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCUES) लखनऊ के माध्यम से पूर्व में आपूर्ति हेतु प्रस्तावित कुल 18 अवर अभियन्ता (सिविल) के अतिरिक्त 22 अवर अभियन्ता (सिविल) की और आपूर्ति प्राप्त की जानी प्रस्तावित है, जिन पर क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCUES) लखनऊ द्वारा पूर्व सूचित दरों के आधार पर 01 वर्ष हेतु कुल धनराशि रू0 1,59,54,840.00 प्रतिमाह सम्भावित है, इस धनराशि में 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय, 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 तथा 4.5 प्रतिशत जैम का सर्विस चार्ज भी सम्मिलित है।

अतः 22 और अवर अभियन्ता (सिविल) की क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCUES) लखनऊ के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर 01 वर्ष हेतु आपूर्ति इस प्रतिबंध के साथ प्राप्त की जानी प्रस्तावित है कि शासन द्वारा नव नियुक्त अवर अभियन्ता (सिविल) की तैनाती किये जाने पर (RCUES) से आउटसोर्सिंग पर प्राप्त की जा रही आपूर्ति को तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा।

प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

P.A.E. (आशीष श्रीवास्तव) पी.ए.टी. (मुख्य अभि० कार्यालय)

A.E.C. अशोक कुमार सहा० अभि० (तकनीकी)

A.T.A. (आर. पी. शिशौदिया) ए.टी.ए.

C.E. मुख्य अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषक,
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।
पत्रांक : 419/सचिव/मु0अ0/24
दिनांक : 26/10/2024

सेवा में,
अपर निदेशक,
क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र,
लखनऊ।

विषय

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंत्रण कार्यों हेतु 14 अवर अभियन्ता (सिविल) एवं 04 अवर अभियन्ता (वि0/यां0) की शासनादेशों के अनुसार एक वर्ष की संविदा के आधार पर आपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्राधिकरण के पत्र संख्या–215/सचिव/मु0अ0/24 दिनांक 09.07.2024 द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंत्रण कार्यों हेतु 14 अवर अभियन्ता (सिविल) एवं 04 अवर अभियन्ता (वि0/यां0) की शासनादेशों के अनुसार 01 वर्ष की आउटसोर्सिंग के आधार पर आपूर्ति किये जाने का अनुरोध किया गया था। तदक्रम में प्राधिकरण के पत्र संख्या–365/सचिव/मु0अ0/24 दिनांक 07.10.2024 के द्वारा अवगत कराया गया था कि वर्तमान में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नियमित रूप से चयनित वि0/यां0 अवर अभियन्ता की पर्याप्त संख्या में तैनाती लखनऊ विकास प्राधिकरण में कर दी गयी है, अतः आउटसोर्सिंग के आधार पर वि0/यां0 के अवर अभियन्ता की आपूर्ति की आवश्यकता अब नहीं है। तद्नुसार मात्र 14 अवर अभियन्ता (सिविल) की आउटसोर्सिंग के आधार पर आपूर्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में सूचित किया गया था।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि 04 अवर अभियन्ता (वि0/यां0) की आपूर्ति के स्थान पर अवर अभियन्ता (सिविल) को सम्मिलित करते हुए कुल 18 अवर अभियन्ता (सिविल) की आपूर्ति शासनादेशों के अनुसार आउटसोर्सिंग के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव

प्रतिलिपि :
1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ।
3. अपर सचिव को सूचनार्थ।

सचिव

H:\Docket\33-1.doc

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषक :	सेवा में,
सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। पत्रांक : 105/सचिव/मु0अ0/24 दिनांक : 18/5/2024	अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCUES), रजिस्ट्रार आफिस के निकट, लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर, लखनऊ।

विषय

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंत्रण कार्यों हेतु 14 अवर अभियन्ता (सिविल) एवं 04 अवर अभियन्ता (वि0/यां0) की शासनादेशों के अनुसार एक वर्ष की संविदा के आधार पर आपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न अभियंत्रण सम्बन्धी सिविल एवं विद्युत यांत्रिक सम्बन्धी कार्यों हेतु 14 अवर अभियन्ता (सिविल) एवं 04 अवर अभियन्ता (वि0/यां0) की शासनादेशों के अनुसार एक वर्ष की संविदा के आधार पर आपूर्ति प्राप्त किये जाने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 14.05.2024 को प्रदान की गयी है। संविदा के आधार पर इन पदों की आपूर्ति मात्र पर्यवेक्षणीय एवं अनुश्रवण कार्यों हेतु इस प्रतिबंध के साथ प्राप्त की जानी प्रस्तावित है कि **"आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा वांछित अवर अभियन्ता की तैनाती की जाती है, तो उपरोक्त आपूर्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।"**

अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंत्रण कार्यों के सतत् पर्यवेक्षणीय एवं अनुश्रवण कार्यों हेतु 14 अवर अभियन्ता (सिविल) एवं 04 अवर अभियन्ता (वि0/यां0) की शासनादेशों के अनुसार एक वर्ष की संविदा के आधार पर आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव

प्रतिलिपि :–
1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
2. अपर सचिव को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियन्ता को सूचनार्थ।
4. वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ।

सचिव

D:\CELDA\CE Lda102\2022-23\Letters\Let283.docx

विवेचन व आदेश

कृपया लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा, लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न आवासीय एवं व्यवसायिक चालू योजनाओं के विकास कार्यों, अवस्थापना एवं क्षेत्रीय अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत विकास कार्य, शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भवन मानचित्रों/ले-आउट आदि की स्वीकृति व प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य, हाईटेक इंटीग्रेटेड टाउनशिप से सम्बन्धित कार्य एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन किया जाता है। इन समस्त कार्यों के त्वरित एवं गुणवत्तापरक सम्पादित कराये जाने हेतु वर्तमान में शासन द्वारा प्राधिकरण में अभियंत्रण संवर्ग (सिविल) के निम्नलिखित पद स्वीकृत है :-

सिविल संवर्ग

क्रम	पदनाम	प्राधिकरण में स्वीकृत पद	59(4) के अधीन स्वीकृत पद	कुल पद	तैनात अभियन्ताओं की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	अवर अभियन्ता	114	38	152	31	121

विद्युत संवर्ग

क्रम	पदनाम	प्राधिकरण में स्वीकृत पद	तैनात अभियन्ताओं की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	अवर अभियन्ता	33	00	33

उल्लेखनीय है कि निर्माण एवं विकास कार्यों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक सम्पादन हेतु सहायक/अवर अभियन्ता (सिविल) को अधिकांश समय स्थल पर उपस्थित रहना आवश्यक होता है व सभी महत्वपूर्ण कार्य अपनी देख-रेख में कराये जाते है। वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण में अवर अभियन्ता (सिविल) के स्वीकृत 152 पदों के सापेक्ष मात्र 31 अवर अभियन्ता (सिविल) कार्यरत हैं एवं अवर अभियन्ता (विद्युत) के स्वीकृत 33 पदों के सापेक्ष कोई भी अवर अभियन्ता (विद्युत) कार्यरत नहीं है। यह संख्या लखनऊ विकास क्षेत्र के निर्माण एवं विकास कार्यों की परियोजनाओं, मानचित्र एवं प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यों को समयबद्ध एवं प्रभावी नियंत्रण के साथ सम्पादित किये जाने के दृष्टिगत अपर्याप्त है। आगामी माहों में कई अन्य सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता (सिविल) की सेवानिवृत्ति भी प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण के 07 अभियंत्रण जोन में, प्रत्येक जोन हेतु 02 अवर अभियन्ता (सिविल), कुल 14 अवर अभियन्ता (सिविल) व 04 अवर अभियन्ता (विद्युत) की एक वर्ष शासनादेशों के अनुसार संविदा के आधार पर आपूर्ति मात्र पर्यवेक्षणीय एवं अनुश्रवण कार्यों हेतु क्षेत्रीय ~~शहरी~~ नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCUES), लखनऊ के माध्यम से प्राप्त की जानी इस प्रतिबंध के साथ प्रस्तावित है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा वांछित अवर अभियन्ता की तैनाती की जाती है, तो उपरोक्त आपूर्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

कृपया प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

फाइल संख्या

A. Singh 10/5/24
(अजय कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता (प्र0)

अपर सचिव/सचिव,

कार्यालय सचिव कक्ष
पत्रावली सं0 ...315...
प्राप्त करने की तिथि 13/5/24
संलग्नक ....
13/5/24

13/05/2024
(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
अपर सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

14/5/24
डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

15/05/2024
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

80(T)

16/5/24

(8)

182

मु० अभि०

~~कृपया पूर्व पृष्ठ पर अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के क्रम में R.C.U.E.S Lucknow को प्रेषित किये जाने हेतु पत्र तैयार करा दिया गया है। हस्ताक्षर हेतु अग्रसारित करने का कष्ट करें।~~

[signature] 16/5/24
AE(C)

[signature] 16/5/24
मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

~~सचिव महोदय~~

[signature]
16/05/2024
Secy. सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विषय संख्या

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे निर्माण/विकास कार्यों के सम्पादन हेतु 14 अवर अभियन्ता (सिविल) व 04 अवर अभियन्ता (वि0/यां0) की क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCUES) लखनऊ द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :–

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कियान्वित की जाने वाली विभिन्न आवासीय योजनाओं, प्रोजेक्ट्स, अवस्थापना सुविधाओं के कार्य, मानचित्र स्वीकृति एवं प्रवर्तन जोन्स में अवैध निर्माणों के नियंत्रण आदि का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है। इन कार्यों के प्रभावी तकनीकी पर्यवेक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण हेतु अवर अभियन्ताओं की तैनाती की जाती है। वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अवर अभियन्ता (सिविल) के स्वीकृत पद 114 के सापेक्ष मात्र 32 अवर अभियन्ता (सिविल) कार्यरत है एवं अवर अभियन्ता (वि0/यां0) के 33 पदों के सापेक्ष कोई भी अवर अभियन्ता कार्यरत नहीं है। अवर अभियन्ताओं के स्वीकृत पदों के सापेक्ष अत्यन्त कम संख्या में तैनाती होने के कारण उक्त कार्यों के प्रभावी नियंत्रण में कठिनाई हो रही है। कार्यों के प्रभावी नियंत्रण हेतु कुल 14 अवर अभियन्ता (सिविल) व 04 अवर अभियन्ता (वि0/यां0) को आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त की जानी प्रस्तावित है। 18 अवर अभियन्ताओं हेतु मानदेय रू0 45,000.00 प्रतिमाह, 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सम्मिलित करने पर प्रतिमाह धनराशि रू0 10,51,380.00 का व्यय सम्भावित है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत 14 अवर अभियन्ता (सिविल) व 04 अवर अभियन्ता (वि0/यां0) की क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCUES) लखनऊ के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर 01 वर्ष हेतु आपूर्ति इस प्रतिबंध के साथ प्राप्त की जानी प्रस्तावित है कि शासन द्वारा पर्याप्त संख्या में अवर अभियन्ता (सिविल) व (वि0/यां0) की तैनाती किये जाने पर RCUES से आउटसोर्सिंग पर प्राप्त की जा रही आपूर्ति को तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा।

प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

P.A.(C) P.A.(C) A.E.(C)

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

विषय संख्या :– 28 पृष्ठ संख्या:– 184

विषयः– लखनऊ शहर के सिटी लॉजिस्टिक प्लान के फाईनल रिपोर्ट की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

शासन के निर्देशों के अनुपालन में लखनऊ शहर का सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार करने का कार्य नियमानुसार आर0एफ0पी0 आमंत्रित करते हुए चयनित कन्सलटेन्ट मेसर्स अर्बन मास ट्रान्जिट कम्पनी लिमिटेड द्वारा अनुबन्ध संख्या–187/मु0अ0/22, दिनांक 24.11.2022 के अन्तर्गत कराया गया है।

मेसर्स अर्बन मास ट्रान्जिट कम्पनी लिमिटेड द्वारा दिनांक 06.10.2022 को इन्सेप्शन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उक्त पर सुझाव/ आपत्ति प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 07.11.2022 को स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की गयी। बैठक में प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए फर्म द्वारा दिनांक 25.01.2023 को Interim Report प्रस्तुत की गयी। Interim Report की प्रति समस्त स्टेक होल्डर्स विभागों को उपलब्ध कराते हुए सम्बन्धित विभागों के साथ दिनांक 25.03.2023 एवं 17.05.2023 को बैठक आहुत की गयी। उक्त बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा दिये गये सुझावों के क्रम में मेसर्स अर्बन मास ट्रान्जिट कं0लि0 द्वारा दिनांक 08.09.2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उक्त रपोर्ट की प्रति समस्त स्टेक होल्डर्स को पत्र दिनांक 08.09.2023 के द्वारा इस आशय से प्रेषित की गयी कि उक्त रिपोर्ट का अध्ययन कर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करें तथा दिनांक 15.09.2023 को स्टेक होल्डर्स विभागों के साथ बैठक कर रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया। तद्क्रम में स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेन्ट द्वारा दिये गये सुझावों को सम्मिलित करते हुए मेसर्स अर्बन मास ट्रान्जिट कं0लि0 द्वारा दिनांक 08.01.2024 को फाईनल रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

लखनऊ शहर के सिटी लॉजिस्टिक प्लान की फाईनल रिपोर्ट की प्रति पत्र संख्या–61/ए0ए0–3/24, दिनांक 16.01.2024 के माध्यम से शासन को प्रेषित की गयी। शासन द्वारा पत्र संख्या–264/आठ–3–2024, दिनांक 07.08.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया कि:–

"इस सम्बन्ध में शासन स्तर से किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। साथ ही जनपद लखनऊ के सिटी लॉजिस्टिक प्लान की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।"

(राहुल वर्मा)
सहायक अभियन्ता

संजीव कुमार
अधिशासी अभियन्ता जोन–
लखनऊ विकास प्राधिकरण

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण

नोट– बकलेट अलग से संलग्न।

दिनांक 10.09.2024 को उपाध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रभारी पी0आई0यू0/पी0एम0सी0 सेल, मुख्य नगर नियोजक/मुख्य अभियन्ता की उपस्थिति में मेसर्स अर्बन मास ट्रान्जिट कं0लि0 द्वारा सिटी लॉजिस्टिक प्लान की फाईनल रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सिटी लॉजिस्टिक प्लान की फाईनल रिपोर्ट की प्रति प्रत्येक स्टेक होल्डर्स विभाग को उपलब्ध कराते हुए उक्त की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशों के अनुपालन में सिटी लॉजिस्टिक प्लान की फाईनल रिपोर्ट की प्रति कार्यालय पत्र संख्या–224/सचिव/अ0अ0–3/24, दिनांक 26.09.2024 के माध्यम से स्टेक होल्डर्स विभाग को कर दी गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार लखनऊ शहर के सिटी लॉजिस्टिक प्लान की फाईनल रिपोर्ट प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(राहुल वर्मा)
सहायक अभियन्ता

संजीव कुमार
अधिशासी अभियन्ता जोन–
लखनऊ विकास प्राधिकरण

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

186

ई–मेल

संख्या–264 / आठ–3–2024

प्रेषक,

अरूण कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

कम्प्यूटर सं0 14487
दिनांक 9/8/24

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉकः 07 अगस्त, 2024**

C-E

विषयः– लखनऊ शहर के सिटी लॉजिस्टिक प्लान के संबंध में।

महोदय,

कृपया लखनऊ शहर के सिटी लॉजिस्टिक प्लान संबंधी अपने पत्र संख्या–61 / एए–3 / 24 दिनांक 16.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मे0 अर्बन मास ट्रान्जिट कं.लि. द्वारा लखनऊ शहर के सिटी लॉजिस्टिक प्लान हेतु तैयार की गयी फाईनल रिपोर्ट संलग्नकर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2– अवगत कराना है कि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 09.09.2021 द्वारा भारत सरकार के मैन्डेट के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित शहरों में सिटी लाजिस्टिक योजना तैयार किये जाने हेतु राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति एवं सिटी लाजिस्टिक प्लान तैयार किये जाने हेतु संबंधित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में सिटी लाजिस्टिक समन्वय समिति गठित की गयी है। सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार किये जाने हेतु संबंधित शहरों के विकास प्राधिकरण नोडल एजेन्सी है। अतः इस संबंध में शासन स्तर से किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

09/08/2024
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जनपद लखनऊ के सिटी लाजिस्टिक प्लान की स्वीकृति के संबंध में प्राधिकरण स्तर से अग्रतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Arun Kumar
(अरूण कुमार)
अनु सचिव

CEP / EE-3 / AE Shri Rahul.

... Logistics Plan ... approve ...

14/8

16/08/2024
CTP

K.P.-G.O.-2024 R

विषय : प्राधिकरण द्वारा सुल्तानपुर रोड पर आई0टी0 सिटी योजना विकसित करने हेतु को–डेवलपर के चयन के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा सुल्तानपुर रोड पर 1582 एकड़ के आई0टी0 सिटी योजना पी0पी0पी0 मॉडल पर विकसित किये जाने की कार्य योजना तैयार की गयी है। जिसे प्राधिकरण द्वारा को–डेवलपर का चयन कर संयुक्त रूप से विकसित किया जाना प्रस्तावित है को–डेवलपर का कार्य भू–स्वामियों के साथ आपसी सहमति पर भूमि का क्रय कराना, योजना को मानकों के अनुसार विकसित करना, तथा विकसित भू–खण्डों का विक्रय किया जायेगा। को–डेवलपर के चयन हेतु नियम व शर्तें निर्धारित करने हेतु (EOI) (Express of Inetrest) आमंत्रित की गयी है। आमंत्रित ई0ओ0आई0 की प्री–बिड मीटिंग दिनांक 28.10.2024 को की गयी जिसमें अनेक अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विकासकर्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतिभाग के समय मौखिक रूप से एवं लिखित रूप से आमंत्रित की जाने वाले आर0एफ0पी0 की नियम शर्तों में सुझाव दिये गये। विकासकर्ता/को–डेवलपर द्वारा दिये गये सुझाव एवं अधिकृत कंसल्टेंट **M/s Jones Lang Lasalle Property Consultants (India) Pvt. Ltd. (JLL),** के द्वारा तैयार की गयी नियम शर्तों के आधार पर आर0एफ0पी0 (रिक्वेस्ट ऑफ प्रोपोजल) आमंत्रित की जायेगी। आर0एफ0पी0 के आधार पर को–डेवलपर का चयन किया जायेगा। को–डेवलपर को चयन करने आदि की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के स्तर से की जानी वांछित हैं। अतः मा0 बोर्ड के समक्ष निम्न दो बिन्दुओं पर अनुमोदन/स्वीकृति वांछित हैं।

1. को–डेवलपर के चयन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किये जाने की स्वीकृति।
2. को–डेवलपर के चयन हेतु नियम व शर्तों के सहयोग/परामर्श हेतु पूर्व से बजट होटल एवं मोहान रोड योजना (774 एकड़) की आर0एफ0पी0 तैयार किये जाने हेतु दिनांक 06.04.2018 को अनुबंधित फर्म **M/s Jones Lang Lasalle Property Consultants (India) Pvt. Ltd. (JLL),** से कार्य कराये जाने की अनुमति के साथ धनांक रू0 38.00 लाख का संशोधित अनुबन्ध कराये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमोदन।

उपरोक्त प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है।

19-11-2024

19/11/2024
(सै0 अली इमाम जैदी)
प्रभारी अनुभाग अधिकारी
ल0वि0प्रा0

19/11/24
मनोज कुमार सागर
प्रभारी अधिकारी-सम्पत्ति (बल्क सेल)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

19.11.24
(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
अपर सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विषय : इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के संबंध में ई0ई0एस0एल0 द्वारा दिये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

भारत सरकार का उपक्रम ई0ई0एस0एल0 के पत्र सं0–CESL/09/LDA/EVCI/01/887, Dated 26th. September 2024 द्वारा लखनऊ शहर में प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित पार्कों/क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग/बैट्री स्वैपिंग स्टेशनों का निर्माण Revenue Basis पर लखनऊ शहर के विभिन्न स्थलों (प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित क्षेत्र) पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग/बैट्री स्वैपिंग स्टेशनों का निर्माण इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर–2024, दिनांक 17.09.2024 में जारी गाईड लाइन्स के अन्तर्गत करने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में मैसर्स ई0ई0एस0एल0 की सब्सड्रील फर्म मैसर्स एनर्जी इफीसियंसी सर्विसेज लि0 के पक्ष में मा0 बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि एम0ओ0यू0 का लीगल वैट कराते हुये एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जाये तथा एम0ओ0यू0 के पश्चात सी0ई0एस0एल0 द्वारा प्रस्तावित किये जाने वाले स्थलों की उपयोगिता के सम्बन्ध में सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में निम्न समिति गठित कर उपयोगिता का परीक्षण किया जाये :–

- मुख्य अभियन्ता ल0वि0प्रा0–सदस्य
- मुख्य अभियन्ता नगर निगम अथवा उनके प्रतिनिधि–सदस्य
- अधिशासी अभियन्ता विद्युत/यॉंत्रिक–संयोजक–सदस्य
- सम्बन्धित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण खण्ड–सदस्य

समिति द्वारा उपयोगिता का परीक्षणोंपरान्त स्थलों पर कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त स्वीकृति के क्रम में कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

18/11/2024
(भगत सिंह)
सहायक अभियन्ता, (वि०/यॉं०)

18/11/24
मनोज कुमार सागर
अधिशासी अभियन्ता (वि०/यॉं०)

18/11/24
मुख्य अभियन्ता

189

उपाध्यक्ष कार्यालय
लखनऊ विकास प्राधिकरण
कम्प्यूटर सख्या 15815
दिनांक 30/09/2024

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
(ल०वि०प्रा०) गोमती नगर-लखनऊ
पत्र संख्या 3408/CE/24
दिनांक 30/9/24

CONVERGENCE
energy simplified
Convergence Energy Services Limited

EESL
ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED
A JV of PSUs under the Ministry of Power

(1) CE
(2) Manj Sagar

Ref. No. CESL/09/LDA/EVCI/01/887

Date: 26th September 2024

To

Shri. Prathmesh Kumar
Vice Chairman (VC)
Lucknow Development Authority (LDA)
Pradhikaran Bhawan, Vipin Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010 (U.P.)

Subject: Collaboration of Convergence Energy Services Limited (CESL) and Lucknow Development Authority (LDA) for joint development of Electric Vehicle Charging and Battery Swapping Stations (BSS) in LDA locations in Lucknow - Reg.

Kindly put this up as per the EV policy

Dear Sir,

We are extremely thankful for your kind courtesy extended to us during our meeting held at your good office on 25.09.2024, regarding proposed collaboration of Convergence Energy Services Limited (CESL - A wholly owned subsidiary of EESL) and Lucknow Development Authority (LDA) for joint development of Electric Vehicle Charging and/or Battery Swapping Stations (BSS) in LDA locations in Lucknow.

In this regard, we would like to apprise that, given the diverse charging needs of different vehicle segments such as electric 2Wheelers, 3Wheelers, 4Wheelers, etc., CESL, has now developed a new business model, "asset-lite model", as per market conditions for establishing public EV charging and battery swapping stations in India. Under this new business model, CESL shall undertake procurement of Services of empanelled Charge Point Operators (CPOs) for Supply, Installation, Testing, Commissioning, Operation and Maintenance of EV Charging and/or Battery Swapping Stations (BSS) on Build-Own-Operate-Maintain (BOOM) model.

1173/AA(E/m)
01-10-2024

In this process, CESL shall enter in to the agreement with Lucknow Development Authority (LDA) on a revenue basis in line with the model revenue sharing agreement approved by Ministry of Power, Government of India vide their guidelines for installation and operation of Electric Vehicle Charging Infrastructure - 2024 dated 17th September 2024. As a part of the implementation, CESL will undertake a demand aggregation of potential locations identified by Lucknow Development Authority (LDA) to establish the wide range of different charging technologies (slow, fast and BSS) based on market demand through its empanelled CPOs with overall supervision and program management by CESL.

In this way, CESL will potentially act as a nodal implementing partner with Lucknow Development Authority (LDA) for joint development of EV charging and Battery Swapping Stations (BSS) in the identified LDA locations in Lucknow. To begin this collaboration, a draft Memorandum of Understanding (MoU) is also enclosed for your kind consideration and approval please.

We look forward for your kind consideration and approval in this matter please.

Thanking you

EE(CE)M

AE(B)

Yours Sincerely,

20/09/2024

N. Mohan
Head - EVCI

CE
30/09/24
मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण

AA
01/10/24

JE

01/10/2024

(On Stamp paper)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding ("MOU"), effective from XX/XX/2024, is to confirm discussions between **Convergence Energy Services Ltd** (CESL - a wholly owned subsidiary of Energy Efficiency Services Ltd. (EESL)), a company registered under the laws of India; with its corporate office at Core-III, NFL Building, 2nd Floor, Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi 110003 and **Lucknow Development Authority (LDA)** established under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973; with its office at Pradhikaran Bhawan, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (U.P.)

Article 1: Purpose

This MOU confirms the discussions between LDA and CESL regarding their intention to enter in to transactions or services pertaining to joint development of EV charging and Battery Swapping Stations (BSS) in the identified LDA locations in city area and along State & National Highways corridors.

The parties enter into this MOU with the objective of comprehending synergies in business development across jointly to set up **EV charging and Battery Swapping Stations (BSS)** for electric mobility. In addition to this parties may discuss other projects or avenues as agreed in due course with in the tenure of this MOU; wherein both CESL and LDA shall explore business opportunities mutually. Each party shall bear their respective costs in connection with this MOU.

Article 2: Scope

Under this MoU, the indicative scope of work shall be:

- CESL shall partner with LDA for joint development of EV charging and Battery Swapping Stations (BSS) in the identified LDA locations in city area and State & National Highways corridors.

(On Stamp paper)

Collaborating on promoting Electric Vehicles including two, three, four wheelers and medium/heavy duty vehicles in this state.

Article 3: <u>Responsibilities</u>

Given the diverse charging needs of different vehicle segments such as electric 2Wheelers, 3Wheelers, 4Wheelers, etc., CESL, has now developed a new business model, "asset-lite model", as per market conditions for establishing public EV charging and battery swapping stations in India. Under this new business model, CESL shall undertake procurement of Services of empanelled Charge Point Operators (CPOs) for Supply, Installation, Testing, Commissioning, Operation and Maintenance of EV Charging and/or Battery Swapping Stations (BSS) on Build-Own-Operate-Maintain (BOOM) model.

The success of Electric Vehicle Charging Infrastructure would require synergistic action from all key stakeholders. The indicative roles and responsibilities of LDA and CESL are as follows:

3.1 CESL

- CESL with its empanelled CPOs partner will be responsible for Location Assessment, Supply, Installation, Testing, Commissioning, Operation and Maintenance of EV Charging and/or Battery Swapping Stations (BSS).
- Signing of revenue sharing agreement with LDA as per the Ministry of Power, Government of India issued vide their guidelines for installation and operation of Electric Vehicle Charging Infrastructure - 2024 dated 17th September 2024 and subject to change as per amendment in MoP guidelines as and when notified.
- CESL shall have right of use of land without vesting title and to build, own, operate and maintain EV Charging and/or Battery Swapping Stations (BSS) through collaboration with CPOs during the term of agreement without affecting the consideration agreed with LDA.
- All types of Capital and O&M investment in implementing the EV Charging and/or Battery Swapping Stations (BSS) will be borne by the CESL's empanelled CPO partners under assert-lite model.

3.2 (LDA)

- Provision of adequate vacant land, free from all encumbrances for joint development of EV Charging and/or Battery Swapping Stations (BSS) in identified LDA locations in city area and State & National Highways corridors.
- At each site, at least minimum area of 3 ECS (Equivalent Car Space) required to be provided. It is expected that maximum space/land parcel will be provided by the LDA, to accommodate more Charging Stations/Battery Swapping Stations like large charging hubs at each site.
- To facilitate the aggregation at the city/state level, it is expected that min of 10-15 potential sites to be provided by LDA.
- Signing of revenue sharing agreement with CESL based on CESL's business model prepared in line with the model revenue sharing agreement approved by Ministry of Power, Government of India issued vide their guidelines for installation and operation of Electric Vehicle Charging Infrastructure - 2024 dated 17th September 2024 and subject to changes as per amendments in MoP guidelines as and when notified.
- All permissions and statutory clearances to be provided by concerned LDA.

(On Stamp paper)

Article 4: Non-Binding MOU for Future Cooperation

This MOU describes the general conditions and arrangements for further discussions between the parties and is non-obligatory. The exact terms and conditions of this future cooperation will be negotiated in due course and delineated in one or more separate and definitive agreements in the future, should circumstances warrant. Neither party shall be liable to the other for any claim, loss, cost, liability or investment opportunities arising out of directly or indirectly related to the other Party's decision to terminate this MOU, the other Party's performance under this MOU, or any other decision with respect to proceeding or not proceeding with the definitive agreement(s) or the Project(s). Further, each party acknowledges and agrees that the decision to enter into definitive agreement is the sole and absolute discretion of the other party. Further, any modification shall be executed by the authorized signatories of the parties"

Article 5: General Terms and Conditions

A.) Term, This MOU shall remain in full force and effect for a period of 10 years or the tenure of work awarded to different CPOs by CESL (in different cities) from the effective date, unless it is: (i) superseded by any or all of the definitive documents contemplated in Article 2 (or such other definitive documents as the parties may agree to enter into for their mutual benefit), or (ii) earlier terminated for convenience by the parties in writing by giving 30 (thirty) calendar days' notice.

B.) Modification; Waiver; Severability; Assignment. No waiver of any right or remedy on one occasion by either party shall be deemed a waiver of such right or remedy on any other occasion, if any provision of this MOU is held invalid under any applicable law, such holding shall not affect the validity of remaining provisions and same shall continue in full force and effect. Neither party may assign this MOU, in whole or in part, without the prior written consent of both the non-assigning party.

C.) Headings. Headings used in this MOU are for reference purposes only and shall not be used to modify the meaning of the terms and conditions of this MOU.

D.) Entire Agreement. This MOU represents the entire understanding and MOU `between the parties with respect to the subject matter hereof, and supersedes all prior and contemporaneous communications, representations or agreements, oral or written, regarding the subject matter hereof.

E.) Counterparts. This MOU may be executed in two counterparts, each of which shall be deemed an original but all of which shall constitute the same MOU. This MOU and any document or schedule required hereby may be executed by facsimile signature.

F.) Definitive Agreement Based on this MoU, CESL shall carry out Location Assessment, Supply, Installation, Testing, Commissioning, Operation and Maintenance of EV Charging and/or Battery Swapping Stations (BSS) under Asset-lite model in LDA locations. A definitive agreement shall also be signed within 180 days subsequent to finalization of potential location with LDA.

G) This MoU is based on discussions and having no legal binding of the LDA.

(On stamp paper)

H.) Notice. The notices will be given at the addresses mentioned in the MoU.

AGREED AND ACCEPTED

For LDA	**For Convergence Energy Service Limited (CESL)**
Signature :	**Signature :**
Name :	**Name :**
Designation :	**Designation :**
Phone :	**Phone :**
Fax :	**Fax :**
Email :	**Email :**
Address :	**Address :** NFL Building, Core-III, 2nd Floor, Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi 110003
Witness :	**Witness :**
1.	**1.**

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :–

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगभग 100 कम्प्यूटर ऑपरेटर्स/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स, इलेक्ट्रीशियन, लिफ्ट ऑपरेटर एवं हेल्पर कार्यरत हैं। उक्त कार्यरत डाटा एन्ट्री आपेरेटरों का पारिश्रमिक वेतन लखनऊ विकास प्राधिकरण की 177वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त में क्रम संख्या–177/32 की स्वीकृति के क्रम में पारिश्रमिक के रूप में रू0–14,340.00 (13 % ई0पी0एफ0, 3.25 % ई0एस0आई0, 0.85 % जेम पोर्टल लाभांश) एवं 18 % जी0एस0टी0 के साथ कुल रू0–19,792.78 तथा इलेक्ट्रीशियन/लिफ्ट ऑपरेटर का रू0–14,514.00 एवं हेल्पर रू0–12,036.00 का भुगतान सर्विस प्रोवाईडर फर्म को किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मियों द्वारा अवगत कराया गया है कि अन्य विभागों में अधिक भुगतान किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा कम भुगतान होने एवं वर्तमान में मंहगाई होने के कारण परिवार का भरण पोषण करने में अत्याधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यरत कर्मियों के अनुरोध के क्रम में कम्प्यूटर ऑपरेटर्स/डाटा एन्ट्री ऑपरेटस की पारिश्रमिक लोक निर्माण विभाग, लखनऊ निर्गत कार्यालय ज्ञापन संख्या–1240/50डब्ल्यू0सी0–एल0वृत्त/2023–24, दिनांक 16.02.2024 के क्रम में तथा इलेक्ट्रीशियन, लिफ्ट ऑपरेटर एवं हेल्पर द्वारा वर्तमान श्रम आयुक्त, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या–801–07/प्रवर्तन–(एस0डब्ल्यू0)/15, दिनांक 01.10.2024 के अनुसार कुशल एवं अर्द्धकुशल के आधार पर भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में निम्न तालिकानुसार पारिश्रमिक विवरण तैयार किया गया है। लोक निर्माण विभाग के निर्गत कार्यलय ज्ञापन के अनुसार भुगतान विवरण निम्न तालिकानुसार है :–

कम्प्यूटर ऑपरेटरों का पारिश्रमिक विवरण।

क्र0सं0	विवरण	वर्तमान में दये पारिश्रमिक	प्रस्तावित पारिश्रमिक
1	पारिश्रमिक	14340.00	21505.00
2	ई0पी0एफ0 13 प्रतिशत	1864.20	2795.65
3	ई0एस0आई0सी0 3.25 प्रतिशत	466.05	698.91
	योग (अ)	**16670.25**	**25000.00**
4	जैम पोर्टल का लाभांश 4.5 प्रतिशत	121.89	967.73
5	जी0एस0टी0 18 प्रतिशत	3000.65	4500.00
	योग (ब)	**3122.54**	**5467.73**
	कुल योग (अ + ब)	**19792.79**	**30467.73**
	Say	**19793.00**	**30468.00**

लिफ्ट ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन एवं हेल्परं का पारिश्रमिक विवरण।

क्र0सं0	विवरण	वर्तमान में दये पारिश्रमिक एस0ओ0आर–2022	प्रस्तावित पारिश्रमिक जी0ओ0 दि0 01.10.2024
1	इलेक्ट्रीशियन/लिफ्ट ऑपरेटर/कारपेन्टर/प्लम्बर (कुशल)	30 x 410 = **12300.00**	30 x 507 = **15210.00**
2	ई0पी0एफ0 13 प्रतिशत		1977.30

मनोज कुमार सागर
अधिशासी अभियन्ता (वि0/याँ0)

3	ई0एस0आई0सी0 3.25 प्रतिशत		494.33
	योग (अ)	**12300.00**	**17681.63**
4	जैम पोर्टल का लाभांश 4.5 प्रतिशत		684.45
5	जी0एस0टी0 18 प्रतिशत	2214.00	3182.69
	योग (ब)	**2214.00**	**3867.14**
	कुल योग (अ + ब)	**14514.00**	**21548.77**
	Say	**14514.00**	**21549.00**
1	हेल्पर (अर्द्धकुशल)	30 x 340 = **10200.00**	30 x 453 = **13590.00**
2	ई0पी0एफ0 13 प्रतिशत		1766.70
3	ई0एस0आई0सी0 3.25 प्रतिशत		441.68
	योग (अ)	**10200.00**	**15798.38**
4	जैम पोर्टल का लाभांश 4.5 प्रतिशत		611.55
5	जी0एस0टी0 18 प्रतिशत	1836.00	2843.71
	योग (ब)	**1836.00**	**3455.26**
	कुल योग (अ + ब)	**12036.00**	**19253.63**
	Say	**12036.00**	**19254.00**

उपरोक्त तालिका के क्रम में ग्रेड–ए को कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को कुल पारिश्रमिक प्रतिमाह कुल रू0–30,468.00 एवं इलेक्ट्रीशियन/लिफ्ट ऑपरेटर/कारपेन्टर/प्लम्बर (कुशल) को रू0–21,459.00 प्रतिमाह तथा हेल्पर को रू0–19,254.00 प्रतिमाह निम्न प्रतिबन्ध/शर्तों पर दिया जाना प्रस्तावित है :–

1. बड़ी दरें उन्ही कर्मचारियों पर देय होगा, जिन्होंने 06 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो।
2. समस्त कर्मियो को 3 प्रतिशत वार्षिक मानदेय में बढ़ोत्तरी की जायेगी।

अतः उपरोक्त के क्रम में प्राधिकरण में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को कुल पारिश्रमिक प्रतिमाह कुल रू0–30,468.00 एवं इलेक्ट्रीशियन/लिफ्ट ऑपरेटर/कारपेन्टर/प्लम्बर (कुशल) को रू0–21,549.00 प्रतिमाह तथा हेल्पर को रू0–19,254.00 प्रतिमाह को दिये जाने वाले पारिश्रमिक मा0 बोर्ड के समक्ष स्वीकृति/अनुमोदन हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

13/11/24
(अजय कुमार उपाध्याय)
अवर अभियन्ता (वि.यां.)

13/11/24
मनोज कुमार सागर
अधिशासी अभियन्ता (वि०/याँ०)

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
लखनऊ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

पत्रांक 1754/50अ0क्यू0सी0-ल0वृ0/2023-24 दिनांक 16/02/24

कार्यालय-ज्ञाप

अधीक्षण अभियन्ता, आई0डी0एस0 वृत्त कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक 04/कैम्प/आई0डी0एस0/2024, दिनांक 09.02.2024 के क्रम में इस कार्यालय के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1092/50अ0क्यू0सी0-ल0वृ0/2023-24, दिनांक 13.02.2024 द्वारा गठित कमेटी की बैठक दिनांक 15.02.2024 में उपस्थित अधिकारियों द्वारा निर्णय कार्यवृत्त दिनांक 15.02.2024 के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से डाटा-इण्ट्री आपरेटर/कम्प्यूटर आपरेटर की दक्षता के आधार पर पारिश्रमिक में निम्न प्रकार वर्गीकरण एतद्द्वारा किया जाता है :-

क्र0सं0	श्रेणी	मासिक पारिश्रमिक (रू0)
1	ग्रेड-"ए"	25,000.00 (रू0 पच्चीस हजार) मात्र
2	ग्रेड-"बी"	22,000.00 (रू0 बाईस हजार) मात्र
3	ग्रेड-"सी"	20,000.00 (रू0 बीस हजार) मात्र

उक्त दरों में नियमानुसार ठेकेदार का लाभांश एवं जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगी।

(जे0पी0 सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता,
लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, आई0डी0एस0 वृत्त, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 09.02.2024 के क्रम में।

अधीक्षण अभियन्ता,
लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ

16/2/24

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या–194 / 36 –3–2014–07 (न्यू0वे0) / 4 दिनांक: 28–1–2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या–850 / 36–03 –2019 –931(न्यू0वे0) / 06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जनवरी 2024 से जून 2024 के औसत अंक 402 पर दिनांक: 1–10–2024 से 31–3–2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:–

दृष्टान्त–रूपये 5750/–प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–402 पर दिनांक: 1–10–2024 से 31–3–2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

$$\frac{(402-216)}{216} \times 5750 = \text{रू0}-4951/-\text{प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी/परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें।

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक 1.04.2024 से 30.9.2024 तक कुल मजदूरी (रूपये में)	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0 में दिनांक 1.10.2024 से 31.3.2025 तक	दिनांक 1.10.2024 से 31.3.2025 तक मूल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दिनांक 1.10.2024 से 31.3.2025 तक दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	10648	4951	10701	412
2	अर्धकुशल	6325	11713	5447	11772	453
3	कुशल	7085	13120	6101	13186	507

2 ईंट भट्ठा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् है:–

क्रमांक	श्रेणी	दिनांक 1.10.2024 से 31.3.2025 तक		
1	अकुशल	उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा		
2	कुशल			
		मूल मजदूरी	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0 में	कुल मजदूरी(रूपये में)
2	पथेरा	रू0–365	रू0–314	रूपया–679/– प्रति हजार
	भराईवाला (1) 500 मीटर की दूरी तक (2) 500 मीटर से अधिक	 रू0–110 रू0–132	 रू0–95 रू0–114	 रूपया–205/– प्रति हजार रूपया–246/– प्रति हजार
3	निकासी वाला	रू0–110	रू0–95	रूपया–205/– प्रति हजार

1 रबर की विनिर्माणशाला और रबर-उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
2 प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
3 मिष्ठान उद्योग।
4 वातित पेयों(एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5 फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6 परतदार लकड़ी(प्लाईवुड) के उद्योग।
7 पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
8 डेरी और मिल्क डेरी।
9 सिल सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10 बाँध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11 उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
12 प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13 ढलाई घर।
14 धातु उद्योग।
15 टिन प्लेट शापिंग और टिन प्रिंटिंग।
16 ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17 चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माणशाला।
18 चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19 होजरी सकर्म।
20 निजी पुस्तकालय।
21 काष्ठ सकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22 प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित है।
23 तम्बाकू विनिर्माण।
24 धर्मशाला।

Scanned with OKEN Scanner

25 वानिकी(फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26 दुकानों में
27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29 तेल मिल।
30 लोक मोटर परिवहन।
31 यांत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32 आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं।
34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35 चिकन के कार्य।
36 दियासलाई उद्योग।
37 आइसकैण्डी/आईसक्रीम विनिर्माणशाला।
38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
39 बर्फ विनिर्माणशाला।
40 एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
41 लाण्ड्री और धुलाई अधिष्ठान।
42 [illegible]
43 कोल्ड स्टोरेज।
44 पाटरी, सिरेमिक्स या रिफ्रैक्ट्रीज।
45 निजी मुद्रणालय।
46 सिनेमा उद्योग।
47 कपड़ा छपाई।
48 सिलाई उद्योग।
49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मेसी।
50 क्लब
51 हथकरघा(सिल्क की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
54 खाण्डसारी।
55 हथकरघा उद्योग।
56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
57 छोटा(मिनिएचर) बल्ब एवं कॉच उत्पादों के निर्माण।
58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
59 ईंट भट्ठा उद्योग।
60 ताला उद्योग के नियोजन में।
61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
63 बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिषेध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध क्रिया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
64 [illegible]
65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
66 एल0पी0जी0 वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
67 टैक्सीज, आटोरिक्शा/टैम्पो एवं ट्रैवलिंग अभिकरण में नियोजन।
68 केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
69 गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
70 विक्रय संवर्धन(विक्रय संवर्धन(सेवा शर्तें) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
71 हेयर कटिंग सैलून एवं ब्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73 काल सेन्टर/आई0टी0 इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 801-07 प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15 दिनांक01/10/2024

1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराए।
2 अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ।
3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार, नई दिल्ली ई-मेलwagecell@nic.in के माध्यम से।
4 [illegible]
5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।
6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर),मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

01.X.2024

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

Scanned with OKEN Scanner

विषयः श्री ओम प्रकाश सिंह, मेट द्वारा चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 शिव लाल सिंह द्वारा स्वयं की चिकित्सा पर व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित बिल रू0–10,48,641.00 की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा किये जाने का अनुरोध किया गया था, का अवलोकन करने का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 शिव लाल सिंह, लखनऊ विकास प्राधिकरण में मेट के पद पर कार्यरत हैं। श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा फेफडे की चिकित्सा पर व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित बिल रू0–10,48,641.00 विभाग को उपलब्ध कराये गये है जिसे परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षरित हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को कार्यालय पत्र संख्याः–914/सा0प्र0/2024 दिनाँक 01.10.2024 द्वारा प्रेषित किया गया था। मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा पत्र संख्याः–मु0चि0अ0/चि0पू0व्य0/2024–25/35392 दिनाँक 19.10.2024 द्वारा बिलो के परीक्षण उपरान्त **रू0–9,50,100.00 (रू0–नौ लाख पचास हजार एक सौ मात्र)** की भुगतान करने की संस्तुति की गई है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 155वी बैठक दिनॉक 06 नवम्बर, 2015 के विषय संख्या–17 पर यह निर्णय लिया गया था कि रू0 5 लाख तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को अधिकृत किया गया एवं इससे ऊपर के प्रकरणो को बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा संस्तुत श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 शिव लाल सिंह द्वारा स्वयं की चिकित्सा पर व्यय धनराशि **रू0–9,50,100.00 (रू0–नौ लाख पचास हजार एक सौ मात्र)** के भुगतान किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

(शुभम् तिवारी)
कनिष्ठ लिपिक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

अनुभाग अधिकारी–अधिष्ठान
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

ल0वि0प्रा0

200

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ

प्रारूप-1 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे का परीक्षण

[redacted] प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

5,246/S.O(E)24
21/10/24

सेवा में, अनुभाग अधिकारी (अधिष्ठान)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
गोमतीनगर, लखनऊ

पत्र संख्या-मु0चि0अ0/चि0पू0व्य0/2024-25/35392 दिनांक 19/10/24

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 914/2024 दिनांक 1-10-2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि-

1. लाभार्थी का नाम/पदनाम श्री ओम प्रकाश सिंह -मेट
2. लाभार्थी के पिता/पति का नाम
3. उपचार प्राप्तकर्ता का लाभार्थी से सम्बन्ध स्वयं
4. निवास का पता लखनऊ
5. चिकित्सा उपचार प्रतिष्ठान/संस्थान का नाम मिडलैण्ड हास्पीटल, लखनऊ निजी
   (जिससे उपचार प्राप्त किया गया हो/निजी अथवा सरकारी)
6. बीमारी का नाम Chest Congestion
7. उपचार की अवधि 14-3-23 से 2-8-24 तक
8. चिकित्सा पर कुल व्यय धनराशि रु0 1048641-00
9. परीक्षण के उपरान्त भुगतान हेतु संस्तुति धनराशि रु0 9,50,100-00 रु0 नौ लाख पचास हजार एक सौ मात्र

प्रारूप-3

क्र0	व्यय का विवरण/नाम	निजी चिकित्सालय द्वारा अधिरोपित दर	एम्स नई दिल्ली/एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ/के.जे.एम.यू. की स्वीकृत दर	अन्तर की धनराशि	प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि
1.	As per voucher	1048641-00		98541-00	950100-00
2.					
3.					
4.					
5.					
योग					950100-00

प्रमाणित किया जाता है कि चिकित्सा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन की उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011, अधिसूचना संख्याः-2275/पांच-6-11-1082-87 दिनांक 20 सितम्बर, 2011, उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) प्रथम संशोधन नियमावली, 2014, अधिसूचना संख्या-474/पांच-6-14-1082/87 टी.सी. दिनांक 04 मार्च 2014 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2016 अधिसूचना संख्या-365/2016/2134/पांच-6-2016-19 जी/16 दिनांक 27 दिसम्बर 2016 एवं शासनादेश संख्या-56/2019/578-पांच-6-2019-04 (जी0)/2019 दिनांक 07 मार्च 2019 एवं शा0 सं0 49/2020/352/पांच-6-2020-04 जी0/2019 दि0 24 फरवरी 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के अन्दर करायी गयी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की संस्तुति के0जी0एम0यू0/एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की दर पर की जाती है।

संलग्नक-यथोक्त (मूल रूप में)

(डा0 ए0पी0 सिंह)
उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कृते मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 183वीं बैठक दिनांक 04.12.2024 में प्रस्तुत अनुपूरक विषयों की सूची

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रस्तुत

वि.सं.	विषय	पृष्ठ स0
01.	पी0एम0 सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत निजी आवासों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।	01—02
02.	मोहान रोड आवासीय योजना के संशोधित तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	03—04
03.	देवपुर पारा योजना के आवंटियों/अध्यासियों को प्रस्तावित कबीर नगर योजना के अन्तर्गत नवनिर्मित ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों में समायोजन के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण/प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारणीय बिन्दु।	05—06

अनुपूरक विषय सं0– 01 पृष्ठ सं0– 01

विषय –पी0एम0 सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत निजी आवासों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किये जाने के संबंध में।

आख्या

निदेशक, यूपीनेडा के अर्धशासकीय पत्र संख्या–3707/पीएम सूर्यघर/2023–24, दिनांक 30.09.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 के पत्र संख्या–790/89/अति0ऊ0स्रो0वि0/2024, दिनांक 14.06.2024 के माध्यम से उ0प्र0 में 25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें जनपद लखनऊ हेतु 1.50 लाख सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। उक्त के साथ यह भी अवगत कराया गया है कि पी0एम0 सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र.सं.	संयंत्र क्षमता	केन्द्रानुदान	राज्यानुदान	कुल अनुदान
1	01 कि0वाट	30000	15000	45000
2.	02 कि0वाट	60000	30000	90000
3.	03 कि0वाट	78000	30000	108000
4.	03 कि0वाट से अधिक	78000	30000	108000

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा शासन से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति एवं योजना को गति प्रदान किये जाने हेतु विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित होने वाले निजी आवासों को अनिवार्य रूप से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना के लिए प्रस्ताव बोर्ड से अनुमोदित कराने की अपेक्षा की गयी है। वर्तमान में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में कोई प्राविधान अंकित नहीं है।

उपरोक्त लक्ष्य के दृष्टिगत उचित होगा कि 100 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में भवन स्वीकृत हेतु प्राप्त होने वाले समस्त प्रकृति के मानचित्रों में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किये जाने की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जाय। जिसके लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में उपरोक्तानुसार संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना उचित होगा। अतः अनिवार्य रूप से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना से सम्बन्धित प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में सम्मिलित कराने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव

पी0एम0 सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत निजी आवासों पर अनिवार्य रूप से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना से सम्बन्धित प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में सम्मिलित कराने एवं शासन को प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(वाई0 एन0 त्रिपाठी)
अवर अभियन्ता

अनुपम शुक्ला
आई.ए.एस.
निदेशक

संख्या–
उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण
(अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन)
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010
दूरभाषः 0522-2720652 फैक्सः 2720779
ई–मेलः dirupneda@gmail.com

दिनांक : 30/9/2024

विषयः– पी0एम0 सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत निजी आवासों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कराये जाने हेतु आदेश/निर्देश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पी0एम0 सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 के पत्र संख्या–790/87–अति0ऊ0स्रो0वि0/2024, दिनांक : 14–06–2024 के माध्यम से उ0प्र0 में 25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें जनपद **लखनऊ** हेतु **1,50,000** सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना लक्षित है।

सोलर रूफटॉप से उत्पादित मुफ्त बिजली का उपयोग उपभोक्ता द्वारा करने के उपरांत अवशेष विद्युत ग्रिड में चली जाती है, जिसका नेटमीटरिंग के माध्यम से विद्युत बिल में समायोजन सम्बन्धित डिस्कॉम द्वारा किया जाता है। प्रति किलोवॉट रूफटॉप संयंत्र की स्थापना के लिए 10 वर्गमीटर छाया रहित छत की आवश्यकता होती है। 01 किलोवाट के रूफटॉप संयंत्र से औसतन प्रतिदिन 4–5 यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। उपभोक्ता द्वारा व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति बचत के रूप में 3–4 वर्षों में हो जाती है। संयंत्र का अनुमानित मूल्य प्रति किलोवाट रू0 60 हजार प्रति किलोवाट आता है। संयंत्र का जीवनकाल 25 वर्ष का होता है। अतः शेष वर्षों तक संयंत्र से उत्पादित विद्युत उपभोक्ता को निःशुल्क प्राप्त होती है। भारत सरकार जनसमर्थ पोर्टल पर विभिन्न बैंकों को सूचीबद्ध किया गया है, जो 01–03 किलोवाट के उपभोक्ताओं को 07 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् अनुदान प्रदान किया जा रहा है :–

क्र.सं.	संयंत्र क्षमता	केन्द्रानुदान	राज्यानुदान	कुल अनुदान
1	01 कि0वाट	30000	15000	45000
2	02 कि0वाट	60000	30000	90000
3	03 कि0वाट	78000	30000	108000
4	03 कि0वाट से अधिक	78000	30000	108000

लक्ष्य की प्राप्ति एवं योजना को गति प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक है कि अधिकाधिक घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित हों, जिसके दृष्टिगत विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित होने वाले निजी आवासों को अनिवार्य रूप से सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना कराने के लिए प्रस्ताव बोर्ड से अनुमोदित कराकर आदेश/निर्देश निर्गत किये जाने की आवश्यकता है।

इस क्रम में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त आशय का आदेश/निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवनिष्ठ,

(अनुपम शुक्ला)
निदेशक, यूपीनेडा।

सेवा में,
श्री प्रथमेश कुमार,
उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

उ०प्र०२० विषय संख्याः– 02 पृष्ठ संख्याः– 03

विषयः– मोहान रोड आवासीय योजना के संशोधित तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

मोहान रोड आवासीय योजना हेतु ग्राम–कलियाखेड़ा एवं प्यारेपुर की भूमि के अर्जन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। योजना को विकसित करने हेतु योजना का तलपट मानचित्र तैयार किया गया है, जिसकी स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 10.11.2023 को प्रदान की गयी है। योजना अन्तर्गत लगभग 103 एकड़ भूमि के दो हिस्सों में Institutional उपयोग हेतु संरिक्षत की गयी थी, ताकि उक्त भूमि पर बड़े Institute यथा–मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, मैनेजमेन्ट कालेज इत्यादि बनाये जा सके। इस सम्बन्ध में उच्च स्तर पर विस्तृत चर्चा हुई तथा निर्णय लिया गया कि Institutions हेतु संरक्षित भूमि एकजाई करते हुए तलपट मानचित्र में संशोधन किया जाये। तद्क्रम में 102 एकड़ भूमि एकजाई करते हुए Institutional उपयोग हेतु संरक्षित करके संशोधित मानचित्र तैयार किया गया है।

मोहान रोड आवासीय योजना का संशोधित तलपट मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(अतुल मिश्रा)
सहायक अभियन्ता
ल०वि०प्रा०

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

PROPOSED LAYOUT OF MOHAN ROAD SCHEME VILLAGE PYAREPUR & KALIYA KHERA, LUCKNOW

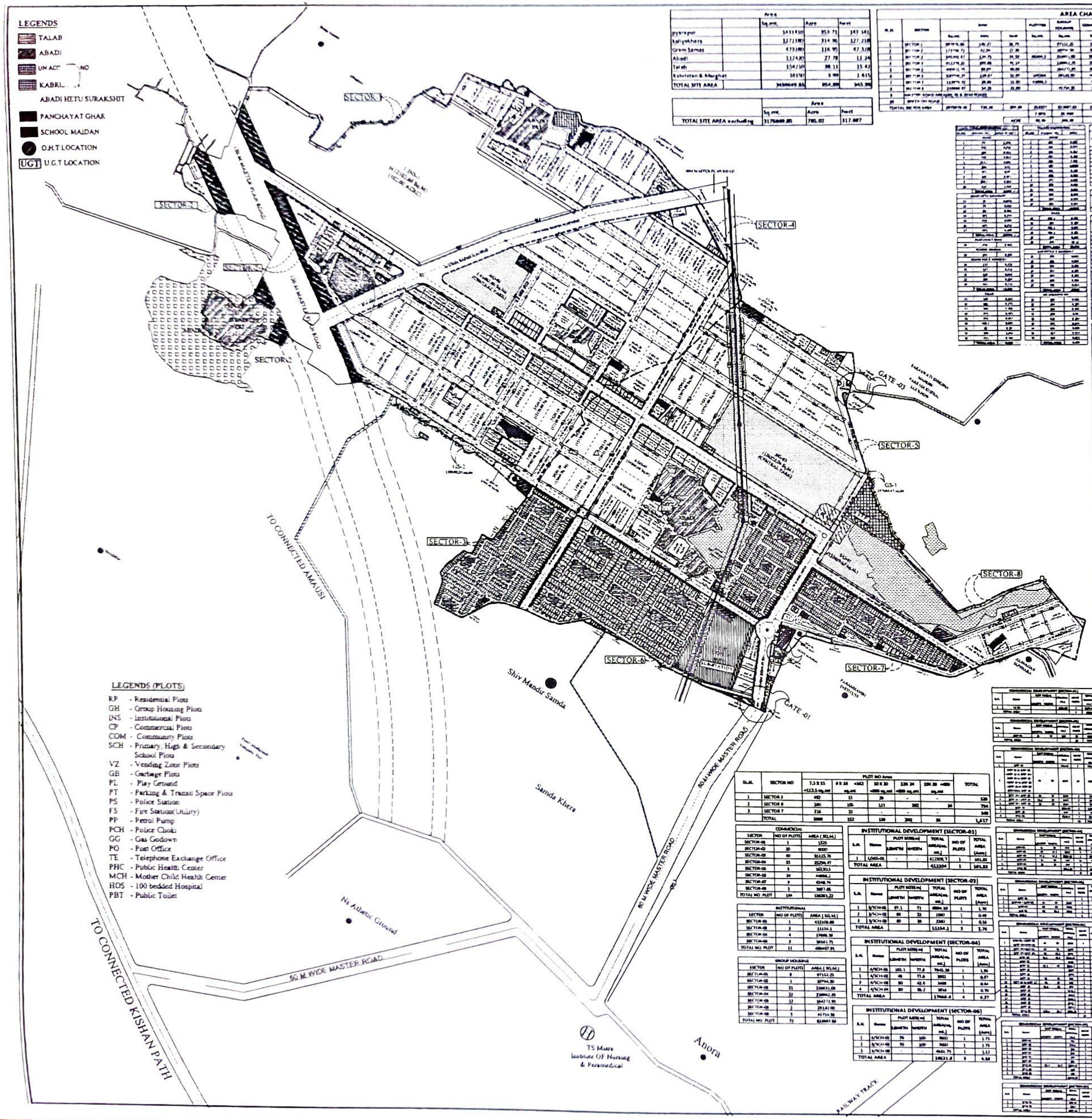

		Area		
		Sq.mt.	Acre	hect
pyarepur		1431410	353.71	143.141
kaliyakhera		1272180	314.96	127.218
Gram Samaj		473280	116.95	47.328
Abadi		112420	27.78	11.24
Talab		154210	38.11	15.42
Kabristan & Marghat		16150	3.99	1.615
TOTAL SITE AREA		3459649.85	854.88	345.96

	Area		
	Sq.mt.	Acre	hect
TOTAL SITE AREA excluding	3176869.85	785.02	317.687

LEGENDS

1. PLOTTED AREA - 62.58 Acre (7.97 %)
2. GROUP HOUSING AREA - 203.59 Acre (25.93 %)
3. COMMERCIAL AREA - 39.11 Acre (5.00 %)
4. INSTITUTIONAL AREA - 113.53 Acre (14.46 %)
5. COMMUNITY UTILITIES - 28.49 Acre (3.63%)
6. ROAD AREA - 179.03 Acre (22.81%)
7. GREEN AREA - 123.44 Acre (15.73%)
8. SERVICE AREA - 35.24 Acre (4.49%)

TOTAL AREA - 785.02 Acre (100%)

A.	Pyarepur	- 353.71 Acre	(143.141 Hect.)
B.	Kaliyakhera	- 314.36 Acre	(127.218 Hect.)
C.	Gram Samaz	- 116.95 Acre	(47.33 Hect.)
D.	Abadi	- 27.78 Acre	(11.242 Hect.)
E.	Talab	- 38.96 Acre	(15.42 Hect.)
F.	Kabristan & marghat	- 3.99 Acre	(1.615 Hect.)

Total Site Area - 855.75 Acre (346.31 Hect.)

Total Site area excluding Abadi, Talab & Kabristan - 785.026 Acre (317.687 Hect.)

- 785.026 Acre (317.687 Hect.)

KHASRA PLAN OVERLAP ON MASTER PLAN LAYOUT

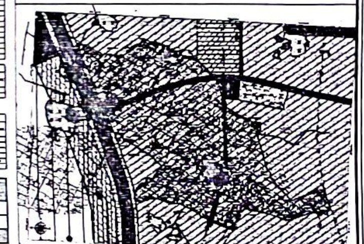

GRAM SAMAJ	AREA IN SQ.	AREA IN ACRE	
AREA FOR GRAM SAMIJ (GS-01)	197684.45	48.85	
AREA FOR GRAM SAMIJ (GS-02)	158804.6	39.24	
TOTAL	356489.05	88.09	135

S.NO	PLOT/ GROUP HOUSING	PROPOSED UNIT	
1	TOTAL PLOTTED UNIT	4960	
2	TOTAL GROUP HOUSING UNIT	28313	
	TOTAL UNIT	33273	
3	LIG UNIT	3866	11.6%
4	EWS UNIT	3395	10.2%

POPULATION		
	(5 Persons / Unit)	(1000 / Hec.)
GROUP HOUSING	141566	82389
PLOTTING	24800	18690
TOTAL	166366	101079

Sl.N.	SECTOR NO	PLOT NO Area: 7.5 X 15 =112.5 sq.mt	9 X 18 =162 sq.mt	10 X 20 =200 sq.mt	12 X 24 =288 sq.mt	15 X 30 =450 sq.mt	TOTAL
1	SECTOR 3	492	15	29	-	-	536
2	SECTOR 6	280	105	111	202	36	734
3	SECTOR 7	316	32	-	-	-	348
	TOTAL	1088	152	139	202	36	1,617

COMMERCIAL		
SECTOR	NO OF PLOTS	AREA (SQ.M.)
SECTOR-01	1	1525
SECTOR-02	20	9000
SECTOR-03	40	55115.76
SECTOR-04	33	25294.47
SECTOR-05	5	162303.5
SECTOR-06	24	44066.1
SECTOR-07	9	4348.74
SECTOR-08	2	3887.85
TOTAL NO. PLOT	134	158081.22

INSTITUTIONAL		
SECTOR	NO OF PLOTS	AREA (SQ.M.)
SECTOR-01	1	412305.68
SECTOR-03	3	11154.1
SECTOR-04	4	17668.38
SECTOR-06	3	18631.75
TOTAL NO. PLOT	11	459457.91

GROUP HOUSING		
SECTOR	NO OF PLOTS	AREA (SQ.M.)
SECTOR-01	8	97152.25
SECTOR-02	1	10794.30
SECTOR-03	21	156831.08
SECTOR-04	22	238842.85
SECTOR-05	12	164272.95
SECTOR-06	3	29181.00
SECTOR-08	5	41754.56
TOTAL NO. PLOT	72	823847.60

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT (SECTOR-01)

S.N.	Name	PLOT SIZE(m) LENGTH	WIDTH	TOTAL AREA(sq. mt.)	NO OF PLOTS	TOTAL AREA (Acre)
1	1/INS-01	-	-	412305.7	1	101.83
TOTAL AREA				412304	1	101.83

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT (SECTOR-03)

S.N.	Name	PLOT SIZE(m) LENGTH	WIDTH	TOTAL AREA(sq. mt.)	NO OF PLOTS	TOTAL AREA (Acre)
1	3/SCH-01	97.1	71	6894.10	1	1.70
2	3/SCH-02	60	33	1980	1	0.49
3	3/SCH-03	60	38	2280	1	0.56
TOTAL AREA				11154.1	3	2.76

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT (SECTOR-04)

S.N.	Name	PLOT SIZE(m) LENGTH	WIDTH	TOTAL AREA(sq. mt.)	NO OF PLOTS	TOTAL AREA (Acre)
1	4/SCH-01	102.1	77.8	7943.38	1	1.96
2	4/SCH-02	45	77.8	3501	1	0.87
3	4/SCH-03	80	42.6	3408	1	0.84
4	4/SCH-04	80	35.2	2816	1	0.70
TOTAL AREA				17668.4	4	4.37

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT (SECTOR-06)

S.N.	Name	PLOT SIZE(m) LENGTH	WIDTH	TOTAL AREA(sq. mt.)	NO OF PLOTS	TOTAL AREA (Acre)
1	6/SCH-01	70	100	7000	1	1.73
2	6/SCH-02	70	100	7000	1	1.73
3	6/SCH-03	-	-	4631.75	1	1.12
TOTAL AREA				18631.8	3	4.58

Area calculations of Pond

	In hec.	In sq.m	In acre
Existing Pyarepur Pond Area	4.195	41950	10.37
EXISTING kaliyakhera Pond Area	11.226	112260	27.74
Total Pond Area	15.421	154210	38.11
Retained Pond Area (Pyarepur)	2.5881	25881	6.40
Retained Pond Area (kaliyakhera)	10.707	107070	26.46
Total Retained Pond Area	13.2951	132951	32.85
Balance Pond Area (Existing Pond - Retained Pond)	2.1259	21259	5.25
Required Pond Area (Balance Pond Area X 1.5)	3.18885	31888.5	7.88
Proposed Pond (New Pond Area)	3.2478	32478	8.03

Proposal Drawing

LAYOUT PLAN

NORTH ORIENTATION	REFERENCE NO. L-84-AF-980
	SHEET NO. : 1(R11)
	SCALE : 1:5000
	DATE : DEC' 24
	DRAWN BY : Ar. Santosh Kumar

ARCHITECT

architects savita-rohit sumit-ira namit

m u r a l a g e

architecture, master Planning, interior Design, conservation, landscaping, project management

A-3/269 , vibhav khand, gomti nagar, lucknow

phone no. : 2980139, 2320715

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

J.E		Draftman
A.E A.E		APA
E.E	AMIN	CTP
CE	PRABHARI ARJAN	SACHIV

VICE CHAIRMAN

40

PROPOSED LAYOUT OF MOHAN ROAD SCHEME FOR VILLAGE PYAREPUR & KALIYA KHERA, LUCKNOW

LEGENDS

- TALAB
- ABADI
- UN ACQUIRED NO
- KABRISTAN
- ABADI HETU SURAKSHIT
- PANCHAYAT GHAR
- SCHOOL MAIDAN

LEGENDS

- RP - Residential Plots
- GH - Group Housing Plots
- INS - Institutional Plots
- CP - Commercial Plots
- COM - Community Plots
- SCH - Primary, High & Secondary School Plots
- VZ - Vending Zone Plots
- GB - Garbage Plots
- PL - Play Ground
- PT - Parking & Transit Space Plots
- PS - Police Station
- FS - Fire Station(Utility)
- PP - Petrol Pump
- PCH - Police Choki
- GG - Gas Godown
- PO - Post Office
- TE - Telephone Exchange Office
- PHC - Public Health Center
- MCH - Mother Child Health Center
- HOS - 100 bedded Hospital
- PBT - Public Toilet

Area calculations of Pond	In hec.	In sq.m	In acre
Existing Pyarepur Pond Area	4.195	41950	10.37
EXISTING Kaliyakhera Pond Area	11.228	112283	27.74
Total Pond Area	15.423	154230	38.11
Retained Pond Area (Pyarepur)	2.5881	25881	6.40
Retained Pond Area (Kaliyakhera)	10.707	107070	26.46
Total Retained Pond Area	13.2951	132951	32.85
Balance Pond Area (Existing Pond - Retained Pond)	2.1259	21259	5.25
Required Pond Area (Balance Pond Area X 1.5)	3.18885	31888.5	7.88
Proposed Pond (New Pond Area)	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LEGENDS

1. TALAB - 11.78 Acre (1.50 %)
2. PLOTTED AREA - 103.61 Acre (13.20 %)
3. GROUP HOUSING AREA - 139.55 Acre (17.78 %)
4. COMMERCIAL AREA - 38.69 Acre (4.93 %)
5. INSTITUTIONAL AREA - 74.99 Acre (9.55 %)
6. COMMUNITY UTILITIES - 36.75 Acre (4.68%)
7. ROAD AREA - 227.01 Acre (28.92%)
8. GREEN AREA - 135.00 Acre (17.20%)
9. SERVICE AREA - 17.64 Acre (2.25%)

TOTAL AREA - 785.02 Acre (100%)

- A. Pyarepur - 353.71 Acre (143.141 Hect.)
- B. Kaliyakhera - 314.36 Acre (127.218 Hect.)
- C. Gram Samaz - 116.95 Acre (47.33 Hect.)
- D. Abadi - 27.78 Acre (11.242 Hect.)
- E. Talab - 38.96 Acre (15.42 Hect.)
- F. Kabristan & marghat - 3.99 Acre (1.615 Hect.)

Total Site Area - 855.75 Acre (346.31 Hect.)

Total Site area excluding Abadi, Talab & Kabristan - 785.026 Acre (317.687 Hect.)

- 785.026 Acre (317.687 Hect.)

		Area		
		Sq.mt.	Acre	Hect
pyarepur		1433410	353.71	143.341
kaliyakhera		1272180	314.36	127.218
Gram Samaz		473280	116.95	47.328
Abadi		112420	27.78	11.24
Talab		154230	38.11	15.42
Kabristan & Marghat		16150	3.99	1.615
TOTAL SITE AREA		[illegible]	[illegible]	[illegible]

	Area		
	Sq.mt.	Acre	Hect
TOTAL SITE AREA excluding	3176888.85	785.02	317.687

S.NO	PLOT/ GROUP HOUSING	PROPOSED UNIT	
1	TOTAL PLOTTED UNIT	2532	
2	TOTAL GROUP HOUSING UNIT	20696	
	TOTAL UNIT	23228	
3	LIG UNIT	2676	11.5%
4	EWS UNIT	2397	10.3%

KHASRA PLAN OVERLAP ON MASTER PLAN LAYOUT

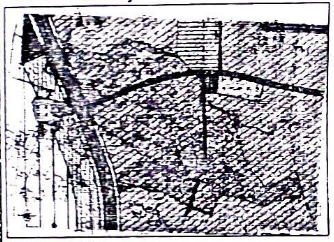

Proposal Drawing

LAYOUT PLAN

NORTH

ORIENTATION

REFERENCE NO. L-84-AF-080

SHEET NO. : 1(c)

SCALE : 1:5000

DATE : SEP' 23

DRAWN BY : Ar. Santosh Kumar

ARCHITECT

architects savita-rohit sumit-ira namit

m u r a l a g e

architects , interior decorators & muralists
phone no. : 2321590, 2320718
B-1/29 , sector - a , aliganj scheme, lucknow

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

J.E		Draftman
A.E A.E		APA
E.E	AMIN	CTP
CE	PRABHARI ARJAN	SACHIV
	VICE CHAIRMAN	

अनुपूरक विषय संख्याः– 03

विषयः– देवपुर पारा योजना के आवंटियों/अध्यासियों को प्रस्तावित कबीर नगर योजना के अन्तर्गत नवनिर्मित ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों में समायोजन के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण/ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारणीय बिन्दु।

प्राधिकरण की दिनांक 13.08.09, 22.06.11 एवं 16.12.11 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में देवपुर पारा योजना के वर्ष 2000–2001 में निर्मित आश्रयहीन भवनों को ध्वस्त कर उसी स्थल पर समेकित कर योजना विकसित की जाय तथा उसमें दुर्बल आय वर्ग/ अल्प आय वर्ग श्रेणी के समतुल्य भवन अवश्य निर्मित किये जाय तथा पारा योजना के आवंटियों का समायोजन उक्त परियोजना में किया जाने का प्रस्ताव अनुमोदित हुआ। तद्क्रम में प्राधिकरण की 149वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.08.2012 में पात्र आवंटियों के समायोजन हेतु निम्नानुसार बिन्दुओं पर स्वीकृति/निर्णय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिया गया :–

'' ऐसे आवंटी जिनके द्वारा पूर्व बोर्ड बैठक की दिनांक 16.12.2011 तक प्राधिकरण से अनुबन्ध निष्पादित करा लिया गया था, उन्हें प्रस्तावित कबीर नगर योजना के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग भवनों की श्रेणी में समायोजित कर लिया जाय। इन प्रकरणों में आश्रयहीन योजना के अन्तर्गत देय किश्तों की कुल धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में बैठक की तिथि दिनांक 31.08.2012 तक प्राधिकरण में जमा की गयी किश्तों की धनराशि के प्रतिशत के अनुरूप ही नये ई0डब्लू0एस0 भवनों के मूल्य में प्रो–राटा बेसिस पर समायोजित करते हुए मात्र अवशेष मूल्य पर नया भवन आवंटित कर दिया जाय। उपर्युक्त सीमा तक गत बैठक में इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय को संशोधित किया गया।

ऐसे आवंटी जिनके द्वारा दिनांक 16.12.2011 तक भवन मूल्य की आंशिक धनराशि जमा की गयी है, उन्हें 09 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित जमा धनराशि रिफण्ड कर दी जाय तथा इसी के साथ उन्हें कबीर नगर योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने ई0डब्लू0एस भवनों हेतु पंजीकरण कराने पर वर्तमान विक्रय मूल्य पर भवन आवंटन में प्राथमिकता दी जाय।''

आश्रयहीन भवनों को तोड़े जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर उक्त के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में 02 रिट याचिकाएं क्रमशः रिट संख्या–3666/एम0बी0/2015 श्री राम सेवक बनाम उ0प्र0 व अन्य तथा रिट संख्या–8350/एम0बी0/2015 श्री शिव देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी, जिनमें कुल 17 याचिकाकर्ता है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई करते हुए निम्नानुसार अनन्तिम आदेश पारित किया गया :–

"Petitioners were allotted the houses in a Scheme launched by the Lucknow Development Authority known as "Ashrayheen Vyaktiyon Ke Liye Ashray Yojna". The Board of the Lucknow Development Authority in its meeting held on 11.06.2014 has taken a decision to demolish all these houses built in this Scheme and in their places to construct certain number of EWS, LIG, Mini MIG, MIG and Super MIG houses. It has been contended by the learned counsel for the petitioners that after availing the aforesaid facility the petitioners have entered into the hire purchase agreement with the Lucknow Development Authority and all the petitioners have been using accommodation so provided to them. It has further been contended on behalf of the petitioners that once the Scheme was launched and was given effect to, it was not appropriate on the part of the Lucknow Development Authority to have discontinued the Scheme or to replace the same. On the basis of instructions received from the authorities of the

AE
के0 पी0 गुप्ता
सहायक अभियन्ता, जोन-3
ल0वि0प्रा0, लखनऊ

संजीव कुमार
अधिशासी अभियन्ता, जोन–

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

Lucknow Development Authority, Sri Shailendra Singh Chauhan, learned counsel for Lucknow Development Authority has brought to the notice of the Court a list of 45 such allottees who had entered into the hire purchase agreement with the Lucknow Development Authority, which is taken on record. Keeping in view over all facts and circumstances of the case and also keeping into consideration the lower social strata to which the petitioners and other allottees belong, we hereby provide that till further orders of this Court, all the 45 allottees including the petitioners shall not be dispossessed from their houses, neither Lucknow Development Authority shall undertake any demolition in respect of these houses.

Sri Shailendra Singh Chauhan will file counter affidavit within a period of four weeks. Two weeks' time thereafter shall be available to the learned counsel for the petitioners to file rejoinder affidavit.

List this case after expiry of the aforesaid period.

Sri Shailendra Singh Chauhan, learned counsel for the Lucknow Development Authority shall inform the authorities of the Lucknow Development Authority of this order forthwith without waiting for certified copy of the same."

यहां यह अवगत कराना है कि 17 याचिकाकर्ताओं में 07 भवन टूट चुके हैं। 06 आवंटी अपने भवनों में रहते हैं। 03 आवंटी अन्य भवनों में रहते हैं। 06 आवंटियों द्वारा रिफण्ड प्राप्त कर लिया गया है। 04 आवंटी ऐसे हैं जो रिफण्ड लेने के बावजूद में भवनों में रह रहे हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त 47 आवंटियों का पूर्व में निबन्धन हुआ था, जिसमें 01 आवंटी को छोड़कर शेष समस्त भवन ध्वस्त हो चुके हैं। 47 आवंटियों में 05 रिफण्ड भवनों का रिफण्ड हो चुका है। 37 आवंटियों का रिफण्ड नहीं हुआ है तथा 05 भवनों के रिफण्ड के बारे में सूचना नहीं है।

उपरोक्त के अतिरिक्त 58 भवन ऐसे हैं जो कि भारी विरोध के कारण गिराये नहीं जा सके थें, जिसमें से 11 भवन वर्तमान में रिक्त/ताला बन्द हैं। शेष 47 भवनों के 15 भवनों में अन्य आवंटी रहते हैं, जिनके भवन तोड़ दिये गये हैं। 02 भवनों में मूल आवंटी, 04 आवंटित भवनों में किसी अन्य का कब्जा एवं 25 आवंटित भवनों में अवैध कब्जा है। इस प्रकार स्थल पर वादियों के 11 व्यक्ति व 47 अन्य कुल 58 व्यक्ति स्थल काबिज हैं, जिन्हें हटाकर सम्पत्ति का विकास कार्य पूर्ण कराया जाना है।

योजना के हित में निम्न बिन्दु पर निर्णय अपेक्षित है :-

1. आश्रयहीन भवनों के मूल आवंटियों को देवपुर पारा योजना के अन्तर्गत उनके द्वारा सहमति लेते समायोजित करने की कार्यवाही इस शर्त के साथ कि आश्रयहीन भवनों के मूल्य के सापेक्ष जमा धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि मय ब्याज जमा करानी होगी।
2. आश्रयहीन भवनों में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों से भवनों को खाली कराने की कार्यवाही की जाये तथा उनको विस्थापित श्रेणी में मानते हुए उनको योजना अन्तर्गत बनने वाली समान श्रेणी के भवनों के आवंटन में प्राथमिता दी जाये।

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दुओं पर विचारार्थ प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

A.E.

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

के० पी० गुप्ता
सहायक अभियन्ता, जोन-3
ल०वि०प्रा०, लखनऊ